राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का सोलहवां दिवस [संख्या: 07

गुरुवार,

25 फरवरी 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री निर्मल कुमावत।

सांभर साल्ट लिमिटेड की भूमि पर अवैध नमक उत्पादन

75. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 एवं 2020 में सांभर साल्ट लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा अवैध कब्जे करने व चोरी कर पानी का दोहन किए जाने के प्रकरण दर्ज किये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन के विरुद्ध कब-कब? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा पूर्व में इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब व किस-किस की तथा उक्त समिति की रिपोर्ट की पालना में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2019 एवं 2020 में नमक के अवैध उत्पादन से सरकार को कितने राजस्व का नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) जी नहीं। उद्योग विभाग, जयपुर द्वारा किसी प्रकार का अवैध कब्जे/पानी चोरी कर दोहन करने का मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। वर्ष 2019 एवं 2020 में मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा अवैध कब्जे करने और चोरी कर पानी का दोहन किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड, विद्युत विभाग, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग की मदद से कार्यवाही की जा रही है, का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(7)उद्योग/ग्रुप-2/2010, दिनांक 10.03.2010 द्वारा मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड के अधीन भूमि पर निजी नमक उत्पादकों द्वारा किये गये अवैध कब्जे और चोरी कर पानी के दोहन कर खोदे गये ट्यूबवैल, बोरवेल एवं अवैध पाइप लाइनों के सम्बन्ध में जांच करवाये जाने के निर्णय के क्रम में श्री विनोद कपूर, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। श्री विनोद कपूर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की अनुपालना हेतु प्रस्तुत सुझावों के आधार पर निम्न समितियों का गठन किया गया:-

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन दिनांक 14.12.2010 से किया गया है एवं संशोधित समिति का गठन दिनांक 27.11.2020 को किया गया है;

2. जिला कलेक्टर (सम्बन्धित) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति एवं उपखण्ड अधिकारी (सम्बन्धित) की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय समिति का गठन दिनांक 15.06.2011 से किया गया है;

राज्य सरकार द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट की अनुपालना में निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है:-

1. भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सांभर झील क्षेत्रफल का निर्धारण कर दिया गया है।

2. सांभर झील में हुए अतिक्रमण हटाने एवं अवैध विद्युत कनेक्शन हटाने की कार्यवाही समय-समय पर की जा रही है।

(3) नमक उत्पादन पर किसी भी प्रकार का राजस्व/टैक्स वसूल नहीं किया जाता है। इस कारण से वर्ष 2019 एवं 2020 में नमक के अवैध उत्पादन से राज्य सरकार को किसी भी प्रकार के राजस्व का नुकसान नहीं हुआ है।

मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को किराये के रूप में 5.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं। मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड निरन्तर घाटे में चल रहा है। राज्य सरकार को कोई लाभांश भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कुछ पूछना चाहूंगा।

(श्री निर्मल कुमावत)

माननीय मंत्री महोदय, यह प्रश्न यहां बार-बार लगता रहता है, पिछले सदन में भी लगा था। आपने खुद अपने जवाब में माना है कि सैकड़ों की संख्या में ट्यूबवैल, हजारों किलोमीटर पाइपलाइन और तार आप वहां पर हटाते हैं, आपने खुद ने आपके जवाब में लिखा है। इस पर कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं होती, प्रकरण दर्ज क्यों नहीं होते? ये बार-बार करते रहेंगे और हम हटाते रहेंगे। आम व्यक्ति जो कनेक्शन लेना चाहता है उसको मिलता नहीं और इनको इतने बड़े रूप में अवैध विद्युत कनेक्शन कैसे मिल जाते हैं हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में। साहब, आप बताइए कि इसमें मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा और इसका स्थाई समाधान कब होगा, यह चोरी कब बंद होगी? इसका मुझे स्पष्ट बताइए। अब आप कहेंगे कि हमारा 40 परसेंट हिस्सा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज प्रश्न पूछिये।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने माननीय सदस्य को बताया कि समय-समय पर कार्यवाही हुई है। 2020 में कुल 23.85 हैक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, 295 अवैध बोरवेल नष्ट किये गये तथा 32 सबमर्सिबल पम्प जब्त किये गये और 22800 मीटर विद्युत केबल बरामद की गई। यह सब करने के बाद, इसमें आप चाह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भारत सरकार का उपक्रम है, राज्य सरकार को इसमें केवल साढ़े पांच लाख रुपये रायल्टी मिलती है। इसके अलावा हमारे हिस्से का पैसा भी, यह बराबर घाटे में चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका सारा नियंत्रण सांभर साल्ट लिमिटेड का है, भारत सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार के अधिकारी लगे हुए हैं। अगर वे मुकदमा दर्ज कराएं तो सरकार ने उनको कभी मना नहीं किया, न उद्योग विभाग ने मना किया है। जब भी वे कहते हैं, समय-समय पर प्रशासन द्वारा, कलेक्टर नागौर, कलेक्टर जयपुर के द्वारा समय-समय पर, जब भी उन्होंने कहा है तभी कार्यवाही की है और अवैध चीजों को वहां से हटाया है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में जो लिखा है कि वर्ष 2019 में 40.44 हैक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया, 130 अवैध बोरवेल नष्ट किये और 10 सबमर्सिबल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पम्प जब्त किये। 2020 में आपने फिर लिखा है कि 23.85 हैक्टेयर भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, 295 बोरवेल और 32 सबमर्सिबल पम्प आपने हटाए, तो आप जो यह इतना बड़ा काम करते हो, फिर क्यों करते हो? आप इसमें छूट ही दे दो न कि यह तो दिल्ली का है इसलिए जैसा वे करें वे करें।

मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यदि इन प्रकार की एक्टिविटीज को रोकता है और मान लो उस सांभर साल्ट को भी प्रॉफिट में लाना है, वह घाटे में बता रहा है, पर इतनी अधिक चोरी हो रही है जिसके कारण से चाहे केंद्र की सरकार को नुकसान हो चाहे किसी को भी नुकसान हो, आखिर हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर केस दर्ज कराकर ऐसे लोगों के ऊपर जब तक आप सख्ती नहीं करोगे तो वे बार-बार यह करेंगे और आप बार-बार अपनी ताकत और अपनी शक्ति, समय इसमें बर्बाद करोगे, क्यों?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि आप मुकदमे दर्ज क्यों नहीं कराते? राज्य सरकार को मुकदमे दर्ज कराने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार सांभर साल्ट लिमिटेड को है। वे दर्ज करायें तो हमारी तरफ से कोई मना नहीं है और मुकदमे दर्ज करायेंगे तो निश्चित रूप से दर्ज करेंगे और उन पर कार्यवाही होगी।

यह सही बात है, इस पर बार-बार अतिक्रमण होता है, बार-बार अवैध ट्यूबवैल चलते हैं, बार-बार अवैध कनेक्शन भी लेते हैं, सब चीजें हैं। गत वर्ष जब माननीय सदस्य ने यह सवाल उठाया था, तब भी हमने कलेक्टर, नागौर और जयपुर को भी निर्देश दिये थे और उसके बाद उन्होंने इस पर प्रभावी कार्यवाही की है। उसके बाद भी यह होता है तो सांभर साल्ट लिमिटेड को हम कहेंगे कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि जब आप समझ रहे हो और वे आपको समस्या बता रहे हैं और आप अपनी ताकत लगाकर इतने अतिक्रमण हटा रहे हो। मैं आपसे इतना ही जानना चाह रहा हूं कि अगर वे आपको यह शिकायत करते हैं कि यह इल्लीगल है तो क्या सरकार इस बारे में उनके विरुद्ध वे लिखाएं, तो क्या उनको कह नहीं सकते क्या कि वे एफ.आई.आर. लिखाएं? मैं सोचता हूं कि अगर इसका स्थाई हल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होगा तो तभी होगा जब इनके विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हो करके जो कानूनी प्रक्रिया आपको अधिकार दे रही है उसके अनुसार इन पर कार्यवाही होगी, तभी जाकर सांभर साल्ट प्राफिट में भी आयेगी और तभी जाकर यह चल पाएगा, नहीं तो यह तो इल्लीगल लोग मजे लूट रहे हैं और आपको साढ़े पांच लाख रुपये देकर बरी हो रहे हैं। यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं समझता हूं कि यह भारत सरकार का मामला है। एक ही तरीका है, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के अधिकारी बैठकर इस पर चर्चा करें, इस तरह की स्थिति का निदान करने का रास्ता क्या है। जब तक हम लॉफुली दोनों के बीच में बैठकर रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक यह प्राब्लम आती रहेगीं, तो विभाग स्तर पर एक बार भारत सरकार के अधिकारियों को बुलाकर, या तो उनका अधिकारी अपाइंट करें, जो केस रजिस्टर कराये तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो या वे किसी न किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाएं, जो केस रजिस्टर करने का काम है, इस चीज के सम्बन्ध में सरकार को निश्चित तौर पर इनीशिएट लेकर भारत सरकार से बात करनी चाहिए।

अगला प्रश्न। श्री गोतमलाल।

धरियावद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में शय्याओं में बढ़ोतरी

76. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र धरियावद के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरियावद जिला प्रतापगढ़ में पर्याप्त शय्या नहीं होने के कारण मरीजों को काफी असुविधा हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर शय्या की संख्या सौ तक बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): जी नहीं। कस्बा धरियावद, जिला प्रतापगढ़ में वर्तमान में 50 शय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है। स्वीकृत शय्याओं की उपयोगिता वर्ष 2019 में 93.63 एवं वर्ष 2020 में 77.80 प्रतिशत बी.ओ.आर. रही है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धरियावद की शय्याओं में वृद्धि किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

श्री गोतमलाल (धरियावद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो प्रतिशत निकाले हैं वे एक साल भर के निकाले हैं। कभी तो संख्या ज्यादा बढ़ जाती है और कभी कम भी हो जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि धरियावद ब्लाक का यह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है इसमें संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि बबराणा पी.एच.सी. सबसे पुरानी है और वहां जलारा ब्लाक में कोई भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है इसलिए मंत्री महोदय बबराणा पी.एच.सी. को क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गोतमलाल (धरियावद): पी.एच.सी. को क्रमोन्नत करने का विचार रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धरियावद सी.एच.सी. है उसमें 2016 में 74.78 परसेंट बैड आक्यूपेंसी रेट रही है, 2017 में 47.50 रही, 2018 में 60.87 रही, 2019 में 93.63 रहा और 2020 में 77.80. हालांकि हमारे नोर्म्स सौ प्रतिशत, जो वहां 50 बैड स्वीकृत हैं उनकी सौ प्रतिशत बैड आक्यूपेंसी रहे, उसके बाद अगर प्रेशर है तो हम शय्याओं में वृद्धि करते हैं। लेकिन चूंकि आदिवासी इलाका है, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कल के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 1000 बैड्स बढ़ाने का प्रोविजन रखा है। आदिवासी इलाका है, हम निश्चित रूप से यहां बैड बढ़ाने पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अशोक लाहोटी। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी ने इतना अच्छा जवाब आपको दे दिया। माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। माननीय सदस्य। आपकी बात हो गयी। श्री अशोक लाहोटी।

किसानों के सहकारी जीवन बीमा करने वाली कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

77. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री अशोक लाहोटी)

(1) वर्ष 2020-21 में किसानों के सहकारी जीवन बीमा करने के लिये किस-किस कंपनी को कार्य आबंटित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बीमा कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर किस-किस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ब्लैक लिस्ट बीमा कंपनी को पुन: कार्य दिये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त के संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री टीकाराम जूली): (1) वर्ष 2020-21 में किसानों के सहकारी जीवन बीमा करने के लिये दिनांक 11.09.2020 को मै. श्रीराम लाइफ इन्श्योरेंस कम्पनी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है।

(2) उक्त बीमा कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त नहीं होने के कारण कम्पनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है।

(3) कम्पनी को प्रथम बार ही कार्य दिया गया है एवं यह कम्पनी ब्लैक लिस्ट नहीं है।

(4) बिन्दु संख्या 1 से 3 के जवाबानुसार कोई भी अधिकारी दोषी नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इसमें श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो कि 8 रुपये में बीमा कर रही थी, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया और श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 16 रुपये में काम दिया गया। डबल रेट में दिया गया। क्या यह दोनों ही श्रीराम ग्रुप की कंपनियां हैं? उन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर्स कौन-कौन हैं? उन दोनों कंपनियों के शेयर्स किन-किन के पास हैं? इन कंपनियों के क्या आपस में कामन शेयर्स भी हैं? मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें। दूसरा क्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। एक ही प्रश्न। एक का तो उत्तर आने दो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): यह तो कंपनी का ही है।

श्री अध्यक्ष: एक का तो आने दो। आप फिर दूसरा पूछ रहे हो। एक का ही उत्तर नहीं आएगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, दूसरा साथ ही पूछ लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप आराम से पूछ लेना। विराजें। जल्दी मत करो।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कंपनियां हैं, इनको ब्लैकलिस्ट इरडा (IRDA) करता है। आईआरडीए के द्वारा किसी भी प्रकार से इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। इसने सीडब्ल्यूसी में काम किया था। सीडब्ल्यूसी ने स्वयं के स्तर पर इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया है। अन्य किसी में अगर यह कंपनी काम करती है तो उसके लिए इरडा (IRDA) ने इसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 मार्च को इसी सदन में इस कंपनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। उसके बाद श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस को काम दिया गया। मैंने यह पूछा है कि जो 8 रुपया का काम है, उसी कंपनी को 16 रुपये में दिया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अगला प्रश्न। हो गया, अगला प्रश्न।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): प्रश्न ही है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न आप पूछ ही नहीं रहे हो।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मैंने वही तो प्रश्न पूछा है। क्या इसमें इसकी नोटशीट पर लिखा है कि यह 25 लाख किसानों का मामला है। इसमें सार्वजनिक, सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी को काम देने का प्रयास करें। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा है। यह नोटशीट की कापी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्रश्न पूछें ...(व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): नोटशीट में लिखने के बावजूद उसको दरकिनार कैसे किया गया? इसको दरकिनार करने के क्या कारण रहे? यह माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, आप यह बताएं कि जो आपने इन इंश्योरेंस कंपनियों को, जिसमें किसानों के हित के लिए आपने मांगा होगा, उस समय पहली बार कितने लोगों ने इंश्योरेंस करने के लिए, किन-किन कंडीशंस के आधार पर एप्लाई किया था? उसमें से आपने किन कंडीशंस वालों को तो एप्रूव किया और किसको रिजेक्ट किया?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता, प्रतिपक्ष जो कह रहे हैं और माननीय सदस्य ने जो सवाल

(श्री टीकाराम जूली)

उठाये हैं कि फाइनेन्स द्वारा यह कहा गया था कि जो सरकारी कंपनी है, उसको इसका काम दिया जाए लेकिन सरकारी कंपनियों में एलआईसी एक है, जिसको हमने रिक्वेस्ट की। टेंडर का समय दिया गया। उन्होंने इसके अंदर एप्लाई नहीं किया। हमने टाइम बढ़ाकर दुबारा एलआईसी को लिखा। उन्होंने इसके अंदर भी एप्लाई नहीं किया। उसके बाद जो इसका टेंडर हुआ, 2 बार इसके अंदर टेंडर हुआ है जिसके अंदर रेट लगातार डबल आई है। उसका कारण भी यह है कि इससे पहले प्रीमियम और भुगतान का जो अंतर है, पहले साल 2016-17 में जो प्रीमियम था, उसका लगभग दुगुना कंपनी को भुगतान करना पड़ा। दूसरी साल प्रीमियम का लगभग तीन गुना कंपनी को भुगतान करना पड़ा। तीसरी साल में कंपनी को लगभग सवा गुना भुगतान करना पड़ा। इस कारण से कोई भी कंपनी इसके अंदर आ नहीं रही थी। एलआईसी सिर्फ 70 साल तक ही बीमा करती है। हम इसके अंदर 79 साल तक के किसानों का बीमा कवर करना चाह रहे थे। इस कारण से एलआईसी ने इसके अंदर मना किया और दूसरी कंपनियों को टेंडर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कान्ति प्रसाद।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलग ढंग से आएं, प्लीज बैठें। अलाउ नहीं है। कान्ति प्रसाद, अगला प्रश्न। अलाउ नहीं है। कोई रिकार्ड नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: यह तरीका नहीं है। अलग ढंग से लेकर के आएं। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। I will name you. Don’t interrupt. यह गलत तरीका है। दूसरे ढंग से क्वेश्चन ला सकते हैं। मना कर रहे हैं क्या आपको? श्री कान्ति प्रसाद।

थानागाजी में संचालित मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों का क्रमोन्नयन

78. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी:-

(श्री कान्ति प्रसाद)

बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र थानागाजी में कितने मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? क्या सरकार उक्त मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): बाल विकास परियोजना थानागाजी के अन्तर्गत 185 आंगनबाड़ी केन्द्र व 13 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र, कुल 198 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। 400 से 800 की आबादी पर आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 150 से 400 की आबादी पर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है, जिसके अनुसार मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को आंगनबाड़ी केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने का प्रावधान नहीं है। मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र की आबादी बढ़ने की स्थिति में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र के स्थान पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जा सकता है।

वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार की अनुमति नहीं है। भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनबाड़ी खोलने की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति कब तक मिल जाएगी? यह आप बता दें।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से हमारी सरकार आई है, इसके लिए कई बार भारत सरकार को पत्र लिखे हैं। उनका जवाब नहीं आया। 28 जुलाई, 2015 को भारत सरकार ने अंतिम पत्र राजस्थान सरकार को इस संबंध में भेजा था कि नए आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोलने हैं। हमने कई बार भारत सरकार को पत्र लिखा कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से काफी बड़ा प्रदेश है। यहां के गांव और ढाणियों की दूरियां काफी ज्यादा हैं। इसमें सिर्फ जनसंख्या को आधार नहीं मानते हुए, भौगोलिक दृष्टि को आधार मानते हुए इसमें शिथिलता प्रदान करने की अनुमति भारत सरकार दे लेकिन हमारे पास इसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नई आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए तमाम हमारे विधान सभा के माननीय सदस्यों की डिमांड रहती है। समय-समय पर

(श्रीमती ममता भूपेश)

हमारे बहुत से माननीय सदस्यों द्वारा यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाएं। मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता और सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने के लिए पार्टी से ऊपर उठकर आप भी भारत सरकार को पत्र लिखिए। हम भी पत्र लिखेंगे। हमें इसके अंदर अगर शिथिलता मिलेगी तो निश्चित तौर पर हम नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने में भौगोलिक दृष्टि से कामयाब होंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बाबु लाल।

झाड़ोल में कुएं गहरे करवाने के आवेदन

79. श्री बाबु लाल (झाड़ोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में विभाग द्वारा किसानों के कुएं गहरे कराने हेतु ब्लास्टिंग करवायी जाती है? यदि हां, तो जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कितने आवेदन प्राप्त हुए व उनमें से कितने आवेदन स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री) (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास के स्थान पर): जी हां। वर्ष 2017-18 में महात्मा गांधी नरेगा एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कन्वर्जेन्स से कृषकों के ब्लास्टिंग द्वारा कूप गहरीकरण की योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत किए गए थे। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 19249 पात्र कृषकों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम के पैरा 5 में पात्रता रखने वाले सभी 19249 लाभार्थियों के कूप गहरीकरण के कार्य नियमानुसार संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला समन्वयक (ईजीएस) द्वारा स्वीकृत किये गये।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मुझे जो जवाब दिया है, यह उस जनजाति क्षेत्र के आदिवासियों से जुड़ा हुआ मामला है। यह बहुत बड़ा क्षेत्र है। बांसवाड़ा से लगाकर के डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, उसके बाद में सिरोही आंशिक, इतना बड़ा क्षेत्र है। इसमें केवल 19249 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। झाडोल का पूछा है आपने। झाडोल की संख्या बताई है। यह ट्राइबल सब प्लान की नहीं है।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो यह आवेदन प्राप्त हुए इनमें इन लाभार्थियों की

(श्री बाबु लाल)

योग्यता क्या है? इसकी पात्रता क्या है? दूसरा, इसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितने आपने स्वीकृत किए हैं उनमें से सारे के सारे कुओं का ब्लास्टिंग हो गया?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, झाडोल में 13007 कार्यों की एप्लीकेशंस आई, सारे सैंक्शन कर दिए। उसमें से पूर्ण 359, इसमें 948 ऐसे थे जिनको निरस्त कर दिया गया है। यह 2017-18 में सरकार द्वारा जो स्वीकृत किये गये, भारत सरकार ने इस पर एतराज जताया और अपने लैटर 29 जनवरी, 2018 के द्वारा उन्होंने कहा कि यह कार्य टीएडी में नरेगा के अंतर्गत नहीं कराए जा सकते तो उन्होंने निरस्त करने के आदेश दे दिए। उसके बाद ये सारे 948 कार्य जो अधूरे रह गए, वे सारे कार्य भारत सरकार के 29 जनवरी, 2018 के पत्र द्वारा निरस्त कर दिए गए। यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार इन लेबर का नरेगा में जो किया है उसका भुगतान न करे, फिर भी राजस्थान सरकार ने भुगतान कर दिया। आगे उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर ब्लास्टिंग के काम नरेगा में नहीं कराए जाएं।

श्री बाबु लाल (झाड़ोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, नरेगा में आपके पात्रता नहीं रखते थे, जो बीपीएल परिवार हैं, जो परिवार नरेगा के अंदर नहीं आते उनको तो आपने निरस्त कर दिया। मैंने यह पूछा था कि जो नरेगा में नहीं आते थे वे जितने कुएं थे, उन सभी की ब्लास्टिंग हुई क्या या कोई शेष है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि 948 कुओं की ब्लास्टिंग नहीं हुई। आपके विधान सभा क्षेत्र में 1330 थे, उनमें में 359 कुओं का ही काम पूरा हुआ है, बाकी को निरस्त कर दिया। आपकी सरकार के समय में ही निरस्त कर दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इसमें एक प्रश्न यह है कि क्या नरेगा के अलावा विभाग ने ब्लास्टिंग की है या नहीं की है, यह प्रश्न है उनका। नरेगा तो एक पार्ट है, नरेगा के अलावा क्या विभाग की कुएं ब्लास्टिंग करने की कोई योजना थी?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना है। अभी भारत सरकार को, मैंने आज अधिकारियों से बात की है, मुझे भी इसकी बहुत चिंता है कि कुएं निरस्त किए हैं वे गलत किए हैं। भारत

(श्री परसादी लाल)

सरकार की गाइडलाइन से कर दिए, पर इसका प्रस्ताव भारत सरकार के टीएडी डिपार्टमेंट को सरकार लेकर जाएगी। अगर भारत सरकार इनको नरेगा में अलाउ करेगी या टीएडी में कोई फंड देगी तो इन कुओं का ब्लास्टिंग का कार्य करवाया जाएगा, यह विभाग को कहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आधे घंटे की चर्चा के लिए यह प्रश्न लेकर आएं। (व्यवधान) मैं आधे घंटे की चर्चा के लिए कह रहा हूं जिससे इस पर पूरा डिस्कस हो सके।

अगला प्रश्न। श्री संदीप शर्मा।

कोटा व बूंदी जिलों में श्रमिक कार्डधारियों को देय सुविधाएं

80. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के श्रमिक कार्डधारी को क्या-क्या सुविधाएं एवं लाभ देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कोटा व बूंदी में विगत तीन वर्षों में कितने श्रमिक कार्ड जारी किये गए? उक्त अवधि में कार्डधारियों को क्या-क्या सुविधाएं, लाभ दिए गए हैं? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में श्रमिक कार्ड जारी किए जाने हेतु कितने आवेदन लंबित हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) कोटा संभाग में शुभ शक्ति योजना, सुलभ आवास योजना, दुर्घटना सहायता, शिक्षा तथा कौशल विकास छात्रवृत्ति, निर्माण श्रमिक औजार सहायता योजना के कितने आवेदन किन कारणों से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार श्रमिक कार्ड हेतु लंबित आवेदनों के निस्तारण की कोई समय सीमा का निर्धारण किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाएं वर्तमान में लागू हैं, जिनका पात्रतानुसार लाभ दिया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिला कोटा व बूंदी में विगत 3 वर्षों में जारी किए गए श्रमिक

(राज्य मंत्री, श्रम)

कार्ड व उन्हें दी गई सुविधाओं, लाभ का जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(3) कोटा जिले में श्रमिक कार्ड जारी किए जाने हेतु 3787 आवेदन विभागीय स्तर पर तथा 15949 आवेदन हिताधिकारियों के स्तर पर लंबित हैं। बूंदी जिले में श्रमिक कार्ड जारी किए जाने हेतु 6123 आवेदन विभागीय स्तर पर व 16527 आवेदन हिताधिकारियों के स्तर पर लंबित हैं। मुख्यत: निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना, काट-छांट किए गए दस्तावेज अपलोड करना, अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना, वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना एवं उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेप पूर्ति नहीं किए जाने के कारण आवेदन लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) कोटा संभाग में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं के लंबित आवेदनों का जिलेवार योजनावार विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। लंबित रहने के कारण बिन्दु संख्या तीन में समाहित हैं।

(5) भवन एवं अन्य संनिर्माण (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं राजस्थान नियम, 2009 के नियम 44 में आवेदनों के निस्तारण की कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है तथापि मंडल में प्राप्त आवेदनों का विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के द्वारा वर्णित बिन्दु संख्या 3 में 3787 कोटा में और बूंदी में 6123 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित है। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में ये लंबित क्यों चल रहे हैं? इन्हें कब तक निस्तारित कर दिया जाएगा और लंबित प्रकरणों के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है? क्या सरकार के पास वह राशि उपलब्ध है?

दूसरा है, बिन्दु संख्या 5 के अनुसार लंबित आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा तय नहीं होने के कारण अधिकारी ही तय करते हैं, बिना मापदंडों के वांछित और योग्य व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। क्या सरकार कोई सख्त प्रावधान लाकर आवेदनों का निस्तारण जल्दी और बिना पक्षपात के करवाने का विचार रखती है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लंबित आवेदन हैं कोटा और बूंदी के, जो आपने बताए हैं वह शुभ शक्ति, चूंकि बजट के अभाव की वजह से लंबित हैं। इसके अलावा जो कौशल योजना है हमारी छात्रवृत्ति की, उसके आवेदन चूंकि यह सत्र चल रहा है, अभी आवेदन आ रहे हैं इसलिए लंबित हैं, बहुत ही जल्दी उनका भुगतान हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोटा के अंदर 95 लाख रुपये और बूंदी के अंदर 10 लाख रुपये अकाउंट के अंदर अभी आप लोगों के यहां उपलब्ध हैं, जैसे ही फार्म पास होगा, सीधे उसके खाते में पैसा आ जाएगा।

जो आपने खण्ड 5 के बारे में पूछा है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि इसके अंदर हमने काफी प्रयास करते हुए कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और जैसा आपने कहा कि कोई भेदभाव नहीं हो तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने डाइरेक्ट कैश उनके अकाउंट में डालने का प्रावधान किया। जो मोबाइल नम्बर ई-मित्र वाला एक ही अपने डाल देता था, उसको बैन किया। जितने भी श्रमिक हैं और उनको जो वैरिफाई करके देते हैं, उनका पैन नम्बर या आधार कार्ड नम्बर इसके लिए जरूरी किया जिससे कि भ्रष्टाचार पर रोक लगी। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहूंगा, सदन को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि जितने भी श्रमिक कार्ड बन रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। पहले आओ, पहले पाओ की पद्धति पर काम हो रहा है, कहीं भी सिक्वेंस नहीं तोड़ी जा रही है, कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई भुगतान प्रायोरिटी तोड़कर नहीं कर सकता है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, फंड की अनुपलब्धता के चलते श्रमिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि बजट की व्यवस्था इसके लिए किसी न किसी प्रकार से करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): परिशिष्ट 3 जो आपने लगाया है उसमें बूंदी में 50927 लोगों ने एप्लाई किया, आपने जिनको एप्रूव कर दिया, जो ठीक पाए गए हैं, वे 23541 हैं। उनमें से जिनको पेमेंट हुआ है वह केवल 764 लोगों को हुआ है, 50927 लोग एप्लाई करें, 23541 को आप ठीक मानो और जब पेमेंट का सवाल आए तो केवल आप 764 लोगों को पेमेंट करो, यह कहीं न कहीं आपके डिपार्टमेंट के सिस्टम में कमी है। जब आप एप्रूव मानते हो तो फिर आपको उनको पेमेंट करना चाहिए। उसमें आप लिख

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहे हो कि 16 हजार तो सिटीजन में पैंडिंग हैं और डिपार्टमेंट में 6123 पैंडिंग हैं, तो फिर काम क्या कर रहा है डिपार्टमेंट?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को यह बताना चाहूंगा कि ये पेमेंट नहीं दिए हैं। जो अप्रूव्ड हैं, पंजीयन हैं, ये इतने एप्रूव्ड हो चुके हैं और सिटीजन के स्तर पर 16 हजार पैंडिंग हैं और जो 764 पेमेंट रिक्वेस्ट हैं उनको 85 रुपये जमा कराने हैं, जैसे ही ये 85 रुपये जमा करा देंगे इनका भी पंजीयन हो जाएगा तो जिनका पंजीयन होना है वे बाकी हैं, जिनका भुगतान होना है वे बाकी नहीं हैं। आप इसको जरा करेक्ट कर लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): तो पेंमेंट कितनों को हो गया, वह बता दो। जितने आपने एप्रूव्ड माने थे 23541, इनमें से कितने लोगों को जो लाभ मिलना था, वह मिल गया?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दो चीजें हैं जो आप जोइंट करना चाह रहे हैं। एक है पंजीयन और एक है स्कीम। यह जो डाटा आपने मांगा है वह पंजीयन का है। पंजीयन में हमारे पास 50 हजार आवेदन आए, 23 हजार हमने उसमें से एप्रूव्ड कर दिए, 16 हजार में कोई न कोई आब्जेक्शन लगा हुआ है, हिताधिकारी को उनको पूरा करना है। 764 लोगों को अपने 85 रुपये जमा कराने हैं ई-मित्र पर या अपने मोबाइल से, जैसे ही जमा करवा देंगे, वे भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। सिर्फ 3972 हमने रिजेक्ट किए हैं, जो श्रमिक नहीं थे और 6123 हमारे स्तर पर उनके पंजीयन की जांच होनी बाकी है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे ही उनकी जांच हो जाएगी तो ये भी हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पेमेंट वाली संख्या बता दो, ये तो एप्रूव्ड किया वे हैं। कैश कितना और कितनों को दिया, कितनी संख्या है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): आपको कहां की संख्या बतानी है? राज्य की बतानी है, कोटा की बतानी है या बूंदी की? आप कहें, वहीं की बता दूं।

श्री अध्यक्ष: बूंदी की।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो बूंदी के फीगर पूछ रहा था, वहां के बताएं।

श्री अध्यक्ष: बूंदी के।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में अभी तक 3927 आवेदन स्वीकृत हुए हैं 3237 निरस्त हुए हैं, 2836 हिताधिकारी के स्तर पर लंबित हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पेमेंट कितनों को हुआ है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): पेमेंट हमने कर दिया न, 3927 लोगों को पेमेंट कर दिया।

प्रश्न संख्या 81

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें)

अगला प्रश्न, श्री सतीश पूनियां।

जयपुर के जे के लोन अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन की स्थापना

82. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर के जे के लोन चिकित्सालय में कोरोना काल माह मार्च, 2020 से 25 जनवरी, 2021 तक कितने बच्चे संक्रमित पाए गए? माहवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जे के लोन चिकित्सालय जयपुर में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बीमार बच्चों को सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जाना पड़ता है जिससे कोरोना संक्रमण काल में बीमार बच्चे एवं उनके परिजनों तथा अन्य को भी संक्रमण का खतरा बना रहता है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बच्चों एवं परिजनों को संक्रमण से बचाने की दृष्टि में जे के लोन चिकित्सालय में ही सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के जे के लोन चिकित्सालय में कोरोना काल के दौरान मार्च, 2020 से 25 जनवरी, 2021 तक कोविड-19 संक्रमित बच्चों की संख्या का माहवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी नहीं। सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सीटी स्कैन कराने के कारण इस काल में बीमार बच्चे, उनके परिजन अथवा अन्य कोई संक्रमित हुए हों, ऐसा कोई प्रकरण सामने नहीं आया है।

(3) जे के लोन चिकित्सालय, जयपुर में सीटी स्कैन हेतु पर्याप्त लोड नही है, फिर भी दानदाता के माध्यम से 50 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन लगाये जाने का प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृति हेतु विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जे के लोन प्रमुख अस्पताल है और यहां एवरेज कम से कम 15 बच्चे आते हैं तो यह मशीन कब तक लग जाएगी? दानदाता कब तक उपलब्ध हो जाएगा?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डाक्टर अजय गोयनका के द्वारा जे के लोन में सीटी स्कैन मशीन लगाने की मौखिक सहमति हमको दी गई थी और यह करीब दो करोड़ की लागत से मशीन लगेगी। इस सम्बन्ध में दानदाता मशीन खरीदकर देगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, जो कि जे के लोन अस्पताल के एक्स-रे विभाग के सामने ब्लाक है उसको चिह्नित करके हमने रखा है। उसकी स्पेसिफिकेशन की प्रति और एमओयू का ड्राफ्ट हमारे पास विचाराधीन है। तीन लोगों की हमने इसमें कमेटी बनाई है जिसमें डाक्टर मीनू बगरहट्टा हैं जो स्पेसिफिकेशन जांचेंगी, डाक्टर अनु भण्डारी और सुनील जाखड़ हैं। मशीन लगाने के लिए जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करना है उसके लिए 13.61 लाख रुपये की स्वीकृति प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के द्वारा जारी की जा चुकी है। इसका जो काम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटिनेंस कांट्रेक्ट और एनुअल मेंटिनेंस कांट्रेक्ट, यह जे के लोन द्वारा किया जाएगा लेकिन एमओयू पर अभी साइन होना बाकी है। जैसे ही साइन होगा, यह काम आगे बढ़ेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री धर्मनारायण जोशी।

सहकारी बैंकों एवं क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटियों के विरुद्ध शिकायतें

83. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने उपभोक्ताओं की कितनी राशि सहकारी बैंकों व क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी से वापस न मिल पाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(श्री धर्मनारायण जोशी)

(2) क्या सरकार जनता को हो रही उक्त परेशानी पर रोक लगाने के लिये कोई प्रभावी कानून बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री टीकाराम जूली): (1) प्रदेश में सहकारी बैंकों एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 में पंजीकृत क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटियों एवं मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत सोसायटियों में उपभोक्ताओं की राशि वापस न मिल पाने की कुल 102096 शिकायतें/राशि 16518961170.30 रुपये प्राप्त हुई हैं। विवरण निम्न प्रकार है:-

नागरिक सहकारी बैंकों की कुल शिकायतें/राशि		**राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 में पंजीकृत सोसायटियों की शिकायतें/राशि**		**मल्टीस्टेट को-आपरेटिव सोसायटी एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत सोसायटियों की शिकायतें/राशि**	
शिकायतें	राशि (रुपये)	शिकायतें	राशि (रुपये)	शिकायतें	राशि (रुपये)
22903	046123836	1402	144245879	77791	5328591455

(2) जी हां। मल्टीस्टेट को-आपरेटिव सोसायटियां, केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं एवं इनके नियम व कानून भी केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा ही बनाये जाते हैं। यह राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि उत्तर के बिन्दु संख्या 2 में आपने केवल मल्टीस्टेट को-आपरेटिव सोसायटी के बारे में उत्तर देकर केन्द्रीय रजिस्ट्रार का मामला बताया है, जबकि मेरा प्रश्न सभी सहकारी बैंकों व क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी के बारे में है। जो सोसायटी, बैंक प्रदेश के विभाग के नियंत्रण में हैं, उन पर भी विषय स्पष्ट करें।

प्रश्न दो, राज्य सरकार व सहकारिता विभाग उपभोक्ताओं की राशि वापसी के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या प्रबन्ध किये हैं?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री टीकाराम जूली)

बहुत ही संवेदनशील मसला है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं आगे होकर इन पर कार्यवाही करने की बात की है। इसके लिए अभी भारत सरकार के द्वारा भी द बेनिंग आफ अनरेगुलेटेड डिपोजिट स्कीम एक्ट, 2019 बनाया गया है ताकि इन पर कार्यवाही हो सके। यह जो कानून बना है इससे राज्य सरकारों को इन पर कार्यवाही करने के लिए अधिकार मिलेंगे। उसके रूल्स बनाकर हमने एप्रूवल के लिए भारत सरकार को भेजे हैं जिनसे आने वाले समय में उन पर कार्यवाही हो सकेगी।

दूसरी बात, आपने कहा है कि स्टेट के जो हमारे अण्डर में आते हैं उनके खिलाफ हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गई है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कई मामले एसओजी में भी चल रहे हैं और सेंट्रल एक्ट में भी 14 इस्तगासे अभी हमने भेजे हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इन सोसायटियों के माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ है। आप सब लोगों को तो शायद पता ही होगा क्योंकि आपके केन्द्रीय मंत्री के परिवार, उनकी पत्नी, उनके साले का नाम भी इन सोसायटियों के अन्दर आया था और बहुत बड़ी जांच उनकी भी चल रही है, विदेशों में जमीन भी खरीदी गई है। उन पर लगाम लगाने के लिए यह कानून बना है। माननीय अध्यक्ष जी, आने वाले समय में ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं जिसमें अपनी शिकायत इस पर आप दर्ज करा सकते हैं और उन शिकायतों को हमारे विभाग के द्वारा कलेक्ट करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इस्तगासे पेश किए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं भी, मैं और सदन के सभी माननीय सदस्य परिचित हैं। मुख्य मंत्री जी, इस प्रकार की क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी में राजस्थान के लाखों लोगों का पैसा जिस प्रकार से जमा हुआ है उसमें उसके जेल जाने से उन लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मैं चाहता हूं कि उसकी जो-जो, जितनी-जितनी प्रोपर्टी है उसको आक्शन करके जिस प्रकार से उनका पैसा जमा है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें तब तो इन लोगों को कोई राहत मिलेगी, वरना वह दस साल भी अगर जेल रह जाए तो भी उसको क्या मिलेगा जिसका पैसा लगा हुआ है और बुढ़ापे में बर्बाद हो गया। कुछ तो उसका लालच था कि इसमें ज्यादा ब्याज मिलता है इस कारण से वह चला

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गया। इनके अधिकांश सदस्य पेंशनर हैं जिन्होंने अपनी पेंशन की राशि यहां डालकर अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने का प्रयास किया, वे ही सबसे ज्यादा इसमें बर्बाद हुए। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्री जी, आप सदन में हैं, इस समस्या को आप यहां, केन्द्र, जिसने बीच में भी बैठना हो, बैठकर कम से कम उस व्यक्ति का जिसका पैसा लगा हुआ है उसको कैसे राहत देने का रास्ता खुले, उसके ऊपर ध्यान केन्द्रित करेंगे तो इन लोगों को बचा पाएंगे।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह बहुत गम्भीर मामला है और जैसा नेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे और मंत्री जी ने अपनी भावना प्रकट की तथा क्या कार्यवाही की जा रही है वह बताया है। वास्तव में लाखों लोग इफैक्ट हो रखे हैं। आपने ठीक कहा कि जो पेंशनर हैं या पेंशन से पैसा आया, वह भी जमा हो गया और गांव वाले हो, चाहे शहर वाले हो, इस बात को समझ नहीं पाते हैं और वे अच्छे ब्याज के लालच में आकर इसमें पैसे जमा करा देते हैं। फिर वे कम्पनियां भाग जाती हैं, आफिस बन्द कर देती हैं और लोग ढूंढते फिरते हैं। यह बहुत लम्बे अरसे से हो रहा है इसीलिए हमने एसओजी को भेज दिया और पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपने ठीक कहा कि ये लोग जेल चले जाएंगे पर उनका पैसा कैसे लौटेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप चाहें तो आधे घंटे की चर्चा भी रख सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष अगर चाहें तो तथा खुलकर इस पर चर्चा हो पक्ष-विपक्ष में और वास्तव में स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिए जैसा सदन चाहेगा, कानून बनवाना हो या और कोई कार्यवाही करनी हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। अब केन्द्र से क्या करना है, वह तो केन्द्र सरकार को हम लोग लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे। इसमें मुझे बताया गया कि कोर्ट के फैसले के बाद ही रिकवरी होती है और वह रिकवरी होती नहीं है। वर्तमान में उनकी सम्पत्ति पर केन्द्रीय एजेंसी द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कुछ केन्द्रीय एजेंसी भी कार्यवाही कर रही हैं। मैं मानता हूं कि वास्तव में इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग लुट गये हैं तकलीफ में हैं और हमें उसके अन्दर कुछ करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, ज्ञानचन्द पारख।

पाली में राजश्री योजना के तहत भुगतान

84. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री ज्ञानचंद पारख)

(1) जिला पाली में राजश्री योजना में किस-किस स्थान की कौन-कौनसी बालिका किस-किस अवधि से सम्मिलित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में किस-किस बालिका को कब-कब, कितनी-कितनी राशि का भुगतान कर दिया गया है एवं किस-किस बालिका को किन-किन कारणों से कितने-कितने समय से कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) योजना राज्य में दिनांक 1 जून, 2016 से लागू की गई। पाली जिले में भी योजना 1 जून, 2016 से ही लागू है।

योजनान्तर्गत अब तक पाली जिले की 63 हजार 174 बालिकाओं को प्रथम किश्त से 41 हजार 649 बालिकाओं को द्वितीय किश्त से लाभान्वित किया गया, जिसका वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	**प्रथम किश्त**	**द्वितीय किश्त**
2016-17	12774	देय नहीं
2017-18	14048	10801
2018-19	13729	12722
2019-20	13270	11687
2020-21	9353	6439
कुल	**63174**	**41649**

योजनान्तर्गत पाली जिले की लाभार्थी बालिकाओं का 1 जून, 2016 से अब तक का विस्तृत विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) योजनान्तर्गत वर्ष 2016 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को राशि रुपये 2500 जन्म के समय तथा राशि रुपये 2500 एक वर्ष पूर्ण होने एवं सम्पूर्ण टीकाकरण पर देय है।

अब तक पाली जिले में कुल 15 करोड़ 79 लाख 35 हजार रुपये का भुगतान प्रथम किश्त के रूप में तथा 10 करोड़ 41 लाख 22 हजार 500 रुपये का भुगतान द्वितीय किश्त के रूप में किया जा चुका है। बालिकाओं को दी गई राशि के भुगतान का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है-

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

राशि रुपये में

वर्ष	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
2016-17	3 करोड़ 19 लाख 35 हजार	2017 से देय
2017-18	3 करोड़ 51 लाख 20 हजार	2 करोड़ 70 लाख 2 हजार 500
2018-19	3 करोड़ 43 लाख 22 हजार 500	3 करोड़ 21 लाख
2019-20	3 करोड़ 31 लाख 75 हजार	2 करोड़ 92 लाख 70 हजार 500
2020-21	2 करोड़ 33 लाख 82 हजार 500	1 करोड़ 60 लाख 97 हजार 500
कुल	**15 करोड़ 79 लाख 35 हजार**	**10 करोड़ 41 लाख 22 हजार 500**

पाली जिले की बालिकावार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

योजनान्तर्गत अब तक पाली जिले की 5 हजार 983 बालिकाओं की प्रथम किश्त की राशि रुपये 1 करोड़ 49 लाख 57 हजार 500 का भुगतान किया जाना शेष है तथा 8 हजार 463 बालिकाओं की द्विवतीय किश्त की राशि रुपये 2 करोड़ 11 लाख 57 हजार 500 का भुगतान किया जाना शेष है।

जिन बालिकाओं का भुगतान शेष है, उनका विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त
2016-17	739	देय नहीं
2017-18	669	929
2018-19	899	1285
2019-20	1585	2410
2020-21	2091	3839
कुल	**5983**	**8463**

योजनान्तर्गत पाली जिले की भुगतान से शेष रही बालिकाओं का विवरण परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह जो गलत डाटा फीड हो गया है। उसको दुरुस्त करने के लिए क्या प्रावधान है क्योंकि पैसा उसी का रुका हुआ है, जिसका गलत डाटा फीड हुआ है। अब उसमें होता क्या है, डाटा फीड होता है, मेडिकल विभाग की वेबसाइट पर और राशि आती है महिला एवं बाल विकास से। जैसे- मेरे बांगड़ अस्पताल के 45 प्रकरण हैं, जो कई बार डाटा ठीक करने के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहां से लैटर जा चुका है, पर सिस्टम आपने जयपुर में केन्द्रित कर रखा है। जिस अस्पताल में प्रसव होता है, यदि उसी अस्पताल में डाटा को दुरुस्त करने का प्रावधान कर दिया जाए तो जो बची हुई बालिकाएं हैं, उनको लाभ मिल जाएगा तो क्या आप यह व्यवस्था कर देंगी?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाली जिले सहित पूरे राज्य में अगर हम इस योजना का आकलन देखें तो 92.2 प्रतिशत इसकी सफलता है। पाली जिले में भी 98.1 प्रतिशत बालिकाओं को इससे लाभ मिला है। चूंकि, नोडल विभाग हमारा आईसीडीएस विभाग है और कार्य को सम्पादित करने का जो विभाग है, वह मेडिकल विभाग है। जैसा माननीय सदस्य ने अभी चर्चा की। निश्चित तौर पर, हम मेडिकल विभाग से इस बारे में चर्चा करेंगे, जिससे इसकी फीडिंग दुरुस्त हो सके। जो लोग लाभ से वंचित हैं, उन लोगों को हम पूरी तरह से लाभ पहुंचा पाएं। वैसे हमने 98 प्रतिशत का लाभ पहुंचा दिया है, 2 प्रतिशत बहुत कम लाभ बचा हुआ है लेकिन, फिर भी माननीय सदस्य ने, जो बालिकाओं की राजश्री योजना पर चिंता व्यक्त की है तो निश्चित तौर पर माननीय चिकित्सा मंत्री भी हमारे साथ ही विराजे हुए हैं। हम इसमें अधिकारियों से बातचीत करके डाटा दुरुस्त किस तरह से कर सकते हैं, इसका शीघ्र निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मान लें अगर अस्पताल के स्तर पर नहीं हो सकता तो सीएमएचओ के स्तर पर भी एक जगह आप ऐसी व्यवस्था करवा दें, जिससे किसी का डाटा गलत फीड हो गया तो उसको दुरुस्त वहीं पर कर दें वरना आपके दो-दो साल के प्रकरण हैं, जो दुरुस्ती के लिए अटके हुए हैं। आपकी प्रोग्रेस अच्छी है, आपने अच्छा काम किया है। जब भी मैं समस्या आपकी जानकारी में लाया, आपने तत्काल

(श्री ज्ञानचंद पारख)

कार्यवाही की, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, पर दो परसेंट भी क्यों बचे, उसकी व्यवस्था कैसे कर देंगे? यहां माननीय चिकित्सा मंत्री जी भी बैठे हैं। कहीं आपके डिपार्टमेंट में गड़बड़ है माननीय मंत्री महोदय, जिसकी वजह से...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उन्होंने मान लिया है। माननीय मंत्री जी।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सदस्य ने जो बात रखी है। निश्चित तौर पर, 98.2 प्रतिशत हमारी सफलता है और 2 प्रतिशत से भी कम की चिंता हम राजस्थान की बालिकाओं की करते हैं, क्योंकि राजश्री योजना के माध्यम से हम बालिका को डायरेक्ट बैनीफिट देना चाह रहे हैं, जिससे बच्ची स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे। जो त्रुटि इसके अंदर चिकित्सा विभाग की है, उस त्रुटि का शीघ्र निस्तारण करने के लिए दोनों विभागों की ज्वाइंट आफिसर्स की हम मीटिंग बुलाकर, इस त्रुटि का निस्तारण करने का कोई अच्छा-सा पोर्टल बना लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, समाराम गरासिया।

टीएसपी परामर्शदात्री समिति की बैठक

85. श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा टीएसपी का बजट उदयपुर, डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों को ही दिया जाता है? यदि हां, तो जिला सिरोही को नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं? परामर्शदात्री समिति की बैठक वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक नहीं करने के क्या कारण हैं? क्या सरकार द्वारा उक्त को बंद कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री) (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास के स्थान पर): जी नहीं। टीएसपी (अनुसूचित क्षेत्र) का बजट सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित समस्त जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, चितौड़गढ़, पाली एवं राजसमंद हेतु प्रावधित किया जाता है।

राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् का पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग जयपुर द्वारा उनके आदेश दिनांक 27.11.2019 से तथा संशोधित आदेश दिनांक 01.02.2021 को जारी किया

(श्री परसादी लाल)

गया है । कोविड-19 के कारण भी राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद् की बैठक के आयोजन में विलम्ब हुआ है। उक्त परिषद् की बैठक का आयोजन दिनांक 09.02.2021 को किया जा चुका है।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय जी, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि हमने बजट प्रावधान किया है। ये सारे जिले जिस प्रकार डूंगरपुर, सिरोही जिले का आंशिक भाग पिंडवाड़ा आता है और आबू रोड पूरा नगर आता है, ग्रामीण। मंत्री जी, क्या इसमें कुएं गहरे करने का प्रावधान है? मतलब आपने कहा कि 27.11.2019 के बाद संशोधित बजट दिया है, तो इतना विलंब क्यों हुआ है? सवा दो साल के बाद अब बजट आबंटित किया है। वह भी अभी 1 तारीख से किया है और जिस प्रकार से अध्यक्ष महोदय जी...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न करें, माननीय सदस्य।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): सैकण्ड नम्बर, ये जो आपने परामर्शदात्री की बैठक 9 तारीख को बताई है, 10 तारीख को सत्र आहूत था तो इसमें कौनसे अधिकारी आए, कौन माननीय सदस्य आए? यह बताने का कष्ट करें।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि कौन से अधिकारी आए। माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 9 फरवरी, 2021 को 4 बजे बैठक आयोजित हुई। उसमें माननीय मंत्री, जनजातीय विभाग; माननीय दयाराम जी परमार, गणेश जी घोघरा, रामलाल जी मीणा, मुरारी लाल जी मीना, इंद्रा मीना, माननीय गोपाल जी मीना, श्रीमती निर्मला सहरिया, श्री जौहरी लाल जी मीना, महेन्द्रजीत सिंह जी मालविया, हरीश चन्द्र जी मीना, कांति प्रसाद मीना, लक्ष्मण मीणा, विधायक बस्सी; रमिला खड़िया, विधायक कुशलगढ़-बांसवाड़ा; रामकेश मीना, विधायक गंगापुर सिटी; राजकुमार रोत, विधायक चौरासी; रामप्रसाद, विधायक सागवाड़ा; लक्ष्मी नारायण पंड्या, पूर्व उप जिला प्रमुख, उदयपुर; अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर; प्रमुख शासन सचिव, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, दिल्ली के प्रतिनिधि। माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 फरवरी को मीटिंग आयोजित हुई। उसमें जो भी एजेंडा था, उस पर कार्यवाही हुई। यह सही बात है आपकी कि इस बैठक को बुलाने में विलम्ब हुआ, कोविड के कारण भी,

(श्री परसादी लाल)

जैसा मैंने उत्तर में बताया, कोविड के कारण भी एक साल तक जिस तरह की स्थितियां रहीं, उसके कारण भी विलम्ब हुआ।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हो चुकी है और जो भी आपकी बजट की, सिरोही की, यह सही बात है कि सिरोही पूरा जिला नहीं है। आपकी पंचायत समिति के आबू और पिंडवाड़ा के जो गांव हैं, वे इसमें हैं। उनको बराबर बजट दिया जा रहा है। आपके आबू के 85 गांव इस प्रोजेक्ट अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं। पिंडवाड़ा के आपके 91 गांव इसमें हैं। बराबर जो भी योजनाएं आपकी आती हैं उनमें बजट दिया जा रहा है और कोई किसी तरह की अभी आपकी शिकायत विभाग में मिली भी नहीं है और निश्चित रूप से विभाग आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन पर कार्यवाही करेगा।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, यह जो टीएसपी क्षेत्र का विस्तार हुआ, दो साल पहले नए एरिया को भी जो टीएसपी एरिया घोषित किया जिसमें गोगुंदा पूरा है, पिंडवाड़ा का अधिकांश हिस्सा है और भी जो एरिये राजसमंद के हैं, क्या वे अब इन सब प्रकार के लाभों से जुड़ गये हैं या अभी तक वह प्रोसेस में नहीं आये हैं?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि पिंडवाड़ा के 51 गांव इसमें जुड़े हुए हैं इन सबको लाभान्वित करने के लिए जो भी प्रावधान प्लान आता है, उसके अनुसार काम करते हैं और आपके आबू के...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): गोगुंदा।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): गोगुंदा का सवाल नहीं पूछा गया है अध्यक्ष महोदय, इसलिए गोगुंदा की सूचना नहीं है। यह सवाल सिर्फ सिरोही का पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, नहीं। अगला प्रश्न। श्री हीराराम।

बिलाड़ा में श्रम कल्याण की योजनाओं के लंबित आवेदनों का निस्तारण

86. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हीराराम)

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विगत एक वर्ष से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है? यदि हां तो वर्तमान में कितने आवेदन लंबित हैं तथा उनके निस्तारण की कार्यवाही कब तक कर ली जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विगत एक वर्ष में विभिन्न योजनाओं के 694 आवेदन स्वीकृत हुए हैं। 1108 आवेदन हिताधिकारी के स्तर पर आक्षेपपूर्ति हेतु लंबित हैं। विभागीय स्तर 869 आवेदन लंबित हैं। (परिशिष्ट-1)

वर्तमान में मण्डल में उपलब्ध सीमित कोष की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशीलता के आधार पर योजनाओं के निस्तारण की प्राथमिकता निर्धारित की गई है। सिलिकोसिस सहायता, मृत्यु सहायता, प्रसूति सहायता, शिक्षा सहायता एवं टूलकिट सहायता के आवेदनों को वरीयता देते हुए पहले आओ पहले पाओ पद्धति के आधार पर प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हीराराम (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहूंगा कि बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र के शुभ शक्ति योजना में जो आवेदन स्वीकृत हो गये हैं, उनका भुगतान कब तक हो जाएगा?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि सीमित संसाधनों की वजह से अभी हम नहीं कर पा रहे हैं वहां पर जो 173 प्रकरण सिटीजन के स्तर पर और 458 प्रकरण हमारे स्तर पर अभी पैंडिंग हैं, जैसे ही बजट की व्यवस्था होगी, वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते ही हम प्राथमिकता के आधार पर बिलाड़ा के अंदर भुगतान कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री पानाचंद मेघवाल।

संस्कृत शिक्षा के कालेजों के शिक्षकों के सेवा नियम

87. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत कालेज शिक्षा में अब तक सेवा नियम नहीं बनाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) संस्कृत शिक्षा के कालेजों में शिक्षकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

(3) उक्त शिक्षा के कालेजों के कितने शिक्षकों को वर्तमान में कार्य व्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि शिक्षकों के पद रिक्त होने व शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से उक्त कालेजों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है? यदि हां, तो सरकार उक्त के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम (विद्यालय शाखा) 2015 में पूर्व प्रचलित राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977 एवं 1978 को रिपिल किये जाने के कारण वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय के सेवा नियम अस्तित्व में नहीं है। संस्कृत शिक्षा के नवीन महाविद्यालय सेवा नियम तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) संस्कृत शिक्षा के कालेजों में शिक्षकों के कुल स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षकों का विवरण निम्नानुसार हैः-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्राचार्य, शास्त्री	13	02	11
प्राचार्य, शास्त्री	17	08	09
प्रोफेसर	07	07	00
व्याख्याता	188	90	98

(3) संस्कृत शिक्षा के कालेजों के किसी भी शिक्षक को वर्तमान में कार्य व्यवस्थार्थ प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगा रखा है।

(4) राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम (विद्यालय शाखा) 2015 में पूर्व प्रचलित राजस्थान संस्कृत शिक्षा सेवा नियम 1977 एवं 1978 को रिपिल किये जाने के कारण वर्तमान में संस्कृत महाविद्यालय के सेवा नियम अस्तित्व में नहीं है। जिसके कारण कालेजों में रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती/पदोन्नति नहीं हो पा रही है। संस्कृत शिक्षा के नवीन महाविद्यालय सेवा नियम तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सेवा नियम अधिसूचित होते ही नियमानुसार नवीन भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि प्रदेश में महाविद्यालय

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

खुले हुए हैं उनमें प्राचार्य एवं शास्त्री लगे हुए हैं व्याख्याता लगे हुए हैं, प्रोफ़ेसर लगे हुए हैं उनको छठे वेतनमान का भुगतान नहीं हुआ और सातवां वेतनमान भी उनको नहीं मिला तो सेवा नियम कब तक बन जाएंगे? अगर प्रक्रियाधीन है तो सेवा नियम कब तक बन जाएंगे? ताकि उन लोगों को लाभ मिल जाए और प्रश्न संख्या-2 - पूरे प्रदेश में 18000 विद्यार्थी संस्कृत माध्यम में पढ़ रहे हैं और वहां पर जो पद स्वीकृत हैं 225, उनके विरुद्ध 118 कार्यरत हैं तो 107 पद जो खाली हैं, उनको भरने के लिए क्या प्रक्रिया है और कब तक भरे जाएंगे?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगा कि संस्कृत विभाग में कालेज शिक्षा नियमों की जो बात है वह प्रक्रियाधीन है और मैं खुद इसको रिव्यू कर रहा हूं। विभागीय स्तर पर कई बार बैठकें हो चुकी हैं लेकिन शिक्षक संघ की मांग को देखते हुए, एक गुट यह कहता है कि इस तरह से नहीं और दूसरा गुट कहता है कि इस तरह से, तो फाइनेंस और डीओपी एग्री नहीं कर रहा है। खुद मैंने शिक्षक संघों में काम किया है। मैं कालेज शिक्षा के शिक्षकों की पीड़ा को देखते हुए, उनके लिए अनुकूल नियम बनाने की बात है। खुद मैंने अभी निर्देश दिए हैं 10-15 दिन पहले ही। फाइनेंस सैक्रेटरी और डीओपी सेक्रेटरी के साथ खुद मैं बैठक करूंगा जिससे कि अनुकूल नियम बना सकें।

दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो अभी माननीय सदस्य ने कहा कि 18000, नहीं हमारे संस्कृत महाविद्यालयों में कुल 5,987 छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रही हैं और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि जो भर्ती का मामला है, जैसे ही नियम अप्रूव्ड होते हैं, वैसे ही तुरंत भर्ती और पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और मैं बताना चाहूंगा सदन को कि 2013 से स्कूल शिक्षा में 2019-20 तक की डीपीसी का काम पूरा किया जा चुका है और भर्ती भी काफी हो चुकी है और दूसरी भर्ती के लिए भी प्रक्रिया जारी है। इसी तरह से संस्कृत कालेज शिक्षा के अंतर्गत भी यह काम किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती सफिया जुबेर।

रामगढ़ के चिकित्सा केन्द्रों का क्रमोन्नयन

88. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के चिकित्सालयों को समस्त

(श्रीमती सफिया जुबेर)

सुविधायुक्त बनाने के संबध में सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोविड-19 के कितने मरीज पॉजिटिव पाये गये तथा कोविड से प्रभावित कितने मरीजों की मृत्यु हुई व उक्त पर सरकार द्वारा कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं? उक्त केन्द्रों पर कितने-कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत हैं तथा कितने पद किस-किस संवर्ग के रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के चिकित्सालयों को समस्त सुविधायुक्त बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के अन्तर्गत पंचायत समिति रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ तथा गोविन्दगढ़ का क्षेत्र आता है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार 1 लाख की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

भारत सरकार द्वारा अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति रामगढ़ में 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 3 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं पंचायत समिति गोविन्दगढ़ में 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की आवश्यकता के विरुद्ध 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इस प्रकार पंचायत समिति रामगढ़ एवं गोविन्दगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मानदण्ड के अनुसार/अधिक स्वीकृत होने के कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक सवास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जायेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में दिनांक 22.02.2021 तक कुल 672 कोविड-19 पॉजिटिव मरीज पाये गये, इनमें से कोविड प्रभावित 3 मरीजों की मृत्यु हुई है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कोविड -19 के नियंत्रण/प्रबन्धन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में वर्तमान में 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं।

इन केन्द्रों पर पदस्थापित चिकित्सक व अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-स व द पर संलग्न है।

जी हां। विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिक्त पदों को पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव शीघ्र भरने के प्रयास किये जायेंगे एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन भर्ती/स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जाएंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को प्रक्रियाधीन/ आगामी भर्ती एवं स्थानान्तरण से भरने के प्रयास किये जाएंगे।

पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगी मंत्री महोदय से कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदंडानुसार क्या रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सब सेंटर संचालित हैं? अगर नहीं तो कब तक कर दिए जाएंगे?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो मापदंड हैं, उनके अनुसार रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए जो संख्या वह पूरी नहीं है, कम है वह संख्या। मैं माननीय सदस्या को आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब जब भी बजट में प्रोविजन होगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि

(श्री रघु शर्मा)

वहां जो उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या की कमी है मापदंड के अनुसार, उसको हम पूरा करें।

श्री अध्यक्ष: और कोई प्रश्न, माननीय सदस्या?

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): नहीं, सर।

श्री अध्यक्ष: बस काफी। अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ के किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण

89. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वर्ष 2019-20 व 2020-21 में कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों के किसानों को कितनी-कितनी राशि ब्याज मुक्त ऋण योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री टीकाराम जूली): (1) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में झुन्झुनूं केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 में ब्याज मुक्त ऋण योजनान्तर्गत वितरित ऋण का विवरण निम्नानुसार हैः-

(राशि लाखों में)

क्रम संख्या	वर्ष	ऋण राशि
1.	2019-20	5121.42
2.	(2020-21 दिनांक 05.02.2021 तक)	7448.79

ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) बैंक द्वारा ब्याजमुक्त फसली ऋण वितरण हेतु लक्ष्यों का निर्धारण विधान सभा व ग्राम पंचायतवार नहीं किया जाता है। ऋण वितरण के लक्ष्य शाखावार निर्धारित किये जाते हैं। ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण कृषकों से प्राप्त ऋण आवेदनों एवं बैंक के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार किया जाता है। गत दो ऋण माफियों के क्रियान्वयन से तरल संसाधनों की उपलब्धता प्रभावित होने के कारण बैंक के पास उपलब्ध

(राज्य मंत्री, सहकारिता)

वित्तीय संसाधनों एवं कृषकों से प्राप्त ऋण आवेदनों के अनुरूप ही ऋण वितरण किया गया है। विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में वर्ष 2019-20 में 5121.42 लाख रुपये तथा वर्ष 2020-21 में दिनांक 05.02.2021 तक 7448.49 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.00 बजे)

माननीय मुख्य मंत्री जी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 का उपस्थापन

(संशोधन)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने आपको सूचित किया था कि कल बजट का पृष्ठ संख्या 10 गलती से बोलने से रह गया था। उसके लिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी कि मैं उसको सदन के सामने पेश करना चाहता हूं।

-शाहपुरा-भीलवाड़ा, नोखा-बीकानेर, हिण्डौन-करौली, सागवाड़ा-डूंगरपुर, सवाईमाधोपुर शहर CHC, नीमकाथाना-सीकर, शिवगंज-सिरोही, बालोतरा-बाड़मेर व प्रतापनगर-जोधपुर के चिकित्सा संस्थानों को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

-कुचामन सिटी, लाडनूं-नागौर, उदयपुरवाटी-झुंझुनूं, हलैना-भरतपुर, मनियां (राजाखेड़ा)-धौलपुर व कोलायत-बीकानेर सहित 10 नवीन ट्रोमा सेंटर खोले जायेंगे।

-40 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 25 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु लगभग 206 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

-मेडिकल कालेज के अस्पतालों में रोगी भार कम किये जाने के लिये कोटा में 150 बैड क्षमता के नवीन जिला चिकित्सालय की स्थापना व जोधपुर में मण्डोर अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जायेगा।

-राज्य के विभिन्न चिकित्सालयों में कुल 1 हजार बैड्स की वृद्धि की जायेगी।

(श्री अशोक गहलोत)

-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 11 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व उप-स्वास्थ्य केन्द्रों को health and wellness centre के रूप में विकसित कर 12 प्रकार की विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवायी जायेंगी। इसके लिये 11 हजार से अधिक Community Health Officers (CHO) की भर्ती की जा रही है।

अनुपस्थिति अनुमति

खुशवीर सिंह, श्री, सदस्य को 24 फरवरी, 2021 से सत्रान्त तक

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री खुशवीर सिंह, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 24 फरवरी, 2021 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

दिनांक 25 फरवरी, 2021 को अनुमति प्रदान की गई।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री जगसी राम कोली, सदस्य की ओर से आबूरोड की आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उपखंड अधिकारी कार्यालय रेवदर को आबूरोड में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा जिले के रामगंज मंडी में अपराधियों के आतंक से स्थानीय निवासियों में भय व्याप्त होने के संबंध में।

(3) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से सिवाना और सिणधरी क्षेत्र के कतिपय गांवों को नर्मदा प्रोजेक्ट योजना से पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री राजेंद्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों द्वारा किए जा रहे कार्य बहिष्कार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री धर्मेंद्र कुमार एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से पुलिस थाना रोहिड़ा की पुलिस जीप से दुर्घटना में घायल पिपेला गांव के निवासियों पर पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना बंद किए जाने से प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से सांचौर में बढ़ती चोरी की घटनाओं से व्यथित व्यापारियों द्वारा किए जा रहे अनिश्चितकालीन धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में राजकीय चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर में आईसीयू की सुविधा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से सुमेरपुर के नेतरा गांव के स्कूली छात्र के अपहरण के 4 वर्ष का समय बीत जाने पर भी पुलिस द्वारा बरती जा रही ढिलाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में घनी आबादी से 11 केवी व 33 केवी विद्युत लाइनों को अन्यत्र शिफ्ट करने के संबंध में।

(4) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु मचकुण्ड धाम, धौलपुर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करने के संबंध में।

(5) श्रीमती चंद्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की बंद पड़ी शुगर मिल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कृषि व घरेलू विद्युत की अघोषित कटौती किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से जयपुर स्थित रामगढ़ बांध में हो रहे अवैध अतिक्रमण व निर्माण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(8) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से जयपुर में भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती शोभा चौहान, श्री जोराराम कुमावत, श्री अमृतलाल मीणा, श्रीमती शोभारानी कुशवाह, श्रीमती चंद्रकान्ता मेघवाल, श्री नारायण बेनीवाल, श्री प्रताप सिंह एवं श्री बलजीत यादव को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से सिवाना उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती जाहिदा खान, सदस्य की ओर से उपखंड मुख्यालय कामां में नवीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में।

(3) श्री जोगिंदर सिंह अवाना, सदस्य की ओर से नदबई मुख्यालय पर वृत्ताधिकारी पुलिस कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री पानाचंद मेघवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मी व आशा सहयोगिनी को नियमित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री गोविंद प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत कराये जाने के संबंध में।

(6) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से जिला अलवर में स्थापित एम.आई.ए. की फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषित पानी के लिए एक एस.टी.पी. प्लांट की स्थापना किए जाने के संबंध में।

(8) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के

पीएचसी, सीएचसी को क्रमोन्नत नहीं किए जाने एवं आहोर सीएचसी सेंटर में आईसीयू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री मदन प्रजापत, सदस्य की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रावणा राजपूत जाति को दरोगा, हजूरी, वजीर आदि हेय दृष्टि देखे जाने वाले शब्दों को राजस्व रिकार्ड से हटाकर रावणा राजपूत दर्ज किए जाने के संबंध में।

(10) श्री संदीप कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नर्सिंग कालेज प्रारम्भ किए जाने के संबंध में।

(11) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से भीनमाल शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(12) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आमेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अचरोल में नवीन भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित किए जाने के संबंध में।

(13) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर में अमृतकौर अस्पताल रोड पर अवैध रूप से काम्प्लैक्स का निर्माण करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश के किसानों का लॉकडाउन की अवधि का 3 माह का कृषि विद्युत बिल माफ कराये जाने के संबंध में।

(15) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से नोखा शहर में गंभीर पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(16) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत बोराबास में प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र लोगों के नाम काटकर अपात्र व्यक्तियों के नाम जोड़ दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(17) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जन हित में उपखंड अधिकारी कार्यालय माउंट आबू में पुलिस उपाधीक्षक माउंट आबू का कार्यालय परिवर्तित कर आबू रोड किये जाने के संबंध में।

(18) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रावणा राजपूत जाति को

(श्री अध्यक्ष)

दरोगा, हजूरी, वजीर आदि हेय दृष्टि से देखे जाने वाले शब्दों को राजस्व रिकार्ड से हटाकर रावणा राजपूत दर्ज किए जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्रीमती शोभा चौहान।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सोजत के राजकीय चिकित्सालय के ट्रोमा सेंटर में आई.सी.यू. की स्थापना

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पाली जिले का दूसरा सबसे बड़ा चिकित्सालय स्थित है, यहां पर ट्रोमा सेंटर संचालित है। उसमें जल्द से जल्द आई.सी.यू. व्यवस्था शुरू करायी जाए, क्योंकि ब्यावर से पाली के मध्य कोई आपातकालीन चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण घायलों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, इसका समय पर उपचार मिल सके। व्यक्ति को घायल होने पर आपात स्थिति में जोधपुर जाना पड़ता है जबकि जोधपुर शहर में ट्रोमा सेन्टर उपलब्ध होने के बाद भी घायलों को उपचार नहीं मिल पा रहा है तो ऐसा ट्रोमा सेन्टर होने से क्या फायदा? दूसरी ओर राजकीय चिकित्सालय में चिकित्सकों के पद खाली पड़े हैं। अत: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद जल्द से जल्द भराये जाएं ताकि सोजत में ट्रोमा सेंटर की सुविधा मिल सके और घायलों को बाहर न जाना पड़े। ट्रोमा सेंटर को आप जल्द से जल्द शुरू करवाएं ताकि वहां पर लोगों को चिकित्सा की सुविधाएं मिल सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

नेतरा गांव के स्कूली छात्र के अपहरण में पुलिस द्वारा बरती जा रही ढिलाई

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री जोराराम कुमावत)

विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के नेतरा गांव में स्कूली छात्र मनोहर पुत्र श्री प्रकाश सिंह राजपुरोहित 23 नवम्बर, 2016 को प्रतिदिन की भांति बस में बैठकर नेतरा से फालना कोचिंग/स्कूल में पढ़ाई करने हेतु गया। स्कूल में अवकाश होने के बाद उसी बस में बैठकर घर आना था, लेकिन मनोहर स्कूल से घर नहीं आया। घर नहीं आने पर परिवार वालों ने स्कूल में जाकर पूछताछ की, रिश्तेदारों के यहां पूछताछ की। नहीं मिलने पर फालना थाने में 24 नवम्बर, 2016 को एफ.आई.आर. संख्या 152, धारा 363 में दर्ज करायी।

मनोहर, माता-पिता का एक इकलौता पुत्र है। इनके तीन पुत्रियां हैं, जो ससुराल चली गयी हैं। अब माता-पिता बेसहारा हैं। 30 नवम्बर, 2016 को विद्यालय के गेट पर एक चिट्ठी मिली, जिसमें 25 लाख रुपये की फिरौती की मांग की गयी। इसी तरह कुल 6 चिट्ठियां मिलीं और अलग-अलग स्थानों पर फिरौती की मांग की गयी। अध्यक्ष महोदय, जब पुलिस ज्यादा सक्रिय हुई तो चिट्ठियां आनी बंद हो गयीं।

पुलिस की जांच के साथ सी.आई.डी. को भी यह केस सुपुर्द किया गया। मनोहर के अपहरण के बाद पुलिस व सी.आई.डी. की जांच को 4 वर्ष 3 महीने हो गये हैं। अभी मनोहर का पता पुलिस नहीं लगा पायी है। मनोहर का अपहरण हुआ या गायब हुआ, वह अभी जिंदा है या किसी ने उनको मार दिया है, इस नतीजे पर भी पुलिस नहीं पहुंच पायी है। मनोहर के बुजुर्ग माता-पिता बेटे की आस में, बुढ़ापे के सहारे के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं।

पुलिस ने पाली, एसपी के नेतृत्व में जांच कमेटी बैठा दी, लेकिन जांच कमेटी के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी रिजल्ट शून्य है। मैंने इस प्रकरण को तीन बार विधान सभा के विभिन्न सत्रों में उठाया। एस.पी. साहब से भी कई बार मिला, लेकिन ऐसे गंभीर विषय में भी प्रार्थी को न्याय दिलाने की बजाय पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इस मामले में हस्तक्षेप कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि 4 वर्ष 3 माह बीत जाने के बाद भी एक स्कूली छात्र जिसका अपहरण किया गया, अभी तक पुलिस उसे नहीं ढूंढ पायी है। इसकी जांच एसओजी या एसीबी या सीबीआई या अन्य जिस भी एजेंसी से उचित हो, वह करवाने का कष्ट करें, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर में घनी आबादी से विद्युत लाइनों का अन्यत्र स्थानान्तरण

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर और आस पास के एरिये में बिजली की लाइनें, पोल और ट्रांसफार्मर हटाने के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पलोदड़ा एक बस स्टैण्ड है, जो उदयपुर से सलूम्बर-बांसवाड़ा जाता है। भीड़भाड़ वाला इलाका है। उस इलाके में ट्रांसफार्मर बस स्टैण्ड पर है, जिसकी वजह से कई बड़े-बड़े हादसे हुए हैं। घटना हुई, दुर्घटना हुई है, उसको हटाने का निवेदन किया है।

दूसरा, जयसमन्द पाल है, प्राकृतिक झील है, बहुत बड़ी झील है। उसके ऊपर बिजली का 11 केवी का बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगा है। प्रति एवरेज दिन दो-तीन बंदरों की मृत्यु उन बिजली के तारों से टकरा जाने से होती, जब वे उछलते हैं। यह टूरिज्म का क्षेत्र है, पब्लिक ज्यादा आती है। बंदरों की भीड़ भी वहां ज्यादा है, अत: इसे देखें।

तीसरी बात, मैं कहूंगा कि करगेटा, सलूम्बर नगर के नजदीक आबादी क्षेत्र है। उसमें बिजली की 33 केवी की लाइन होने की वजह से वहां पर भी तीन बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से उस परिवार को बहुत बड़ा लोस उठाना पड़ा और उसे हटा भी दिया है, लेकिन कनेक्शन दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं किया है, उसको हटाने का पूरा निर्देश जारी कराएं।

श्री कल्लाजी संस्थान (जयसमंद) के ऊपर स्थित 33 केवी की विद्युत लाइन जा रही है, जो बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, उसका भी शीघ्र करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

चौथा, सलूम्बर नगर के मेन बाजार सूरजपोल से गांधी चौक, पुलिस चौकी तक मकानों के ऊपर बिजली के वायर हैं और लाइन बिलकुल अड़ी हुई है, जिससे बहुत बड़ी घटना होने की संभावना है, यही मेरा निवेदन है। इसी तरह से सलूम्बर सराड़ा, सेमारी, जयसमंद, झल्लारा के सरकारी भवनों, मैदानों के ऊपर, उदयपुर जिले के कई क्षेत्रों में, कई बार विभाग के निर्देश देने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने, सरकारी आदेश निकालने के बाद, स्कूल खेल मैदान में..। सलूम्बर नगर में बोहरा समाज की सेफी मस्जिद है। वहां पर मस्जिद के ऊपर से खंभे और वायर हटाने के लिए श्रीमान के माध्यम से निवेदन है कि इस गंभीर से गंभीर समस्या के समाधान के लिए आदेश कराएं, मंत्री महोदय भी विराजमान हैं। धन्यवाद, जय हिन्द, जय राजस्थान।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

धौलपुर के मचकुण्ड धाम का स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट में सम्मिलन

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के तहत ध्यानाकर्षण करना चाहती हूं कि देश में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट विकसित किया जा रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों को जोड़ा जा रहा है। महोदय, मचकुण्ड धाम धौलपुर में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रणछोड़ लीला भी की थी, जिसके तहत कालयवन दैत्य का अंत महाराज मुचुकुंद के द्वारा निश्चित कराया गया था। इसी मचकुण्ड धाम में भगवान रणछोड़ जी ने महाराज मुचुकुन्द के साथ मिलकर यज्ञ सम्पन्न किया, तत्पश्चात् द्वारका गमन किया और श्री कृष्ण भगवान के अनेकों नाम में से एक नाम रणछोड़ इसी पुण्य धरा तक ही रहा।

अत: महोदय, आपसे निवेदन है कि भगवान की इस प्रमुख रणछोड़लीला को समस्त कृष्ण भक्तों के समक्ष लाकर इस श्री कृष्ण सर्किट की उपादेयता को सिद्ध करते हुए हम सभी धौलपुरवासियों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए आप मचकुण्ड धाम धौलपुर को श्री कृष्णा सर्किट में शामिल करने की कृपा करें। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, राम-राम सा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्दकान्ता मेघवाल।

केशोरायपाटन की बंद पड़ी शुगर मिल

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गन्ने का एक मात्र उद्योग शुगर मिल केशोरायपाटन है, जो लगातार 18 साल से बंद पड़ा है। उस पर आपने मुझे स्थगन के माध्यम से बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 10 फरवरी से किसान लगातार आंदोलित हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, धरने पर मात्र केशोरायपाटन के किसान ही नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि उनके साथ सौ गांवों के किसान, रोज एक गांव का नंबर आता है, रोज एक गांव का किसान वहां धरने पर बैठता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय को, सरकार को बताना चाहती हूं कि सरकार नित-नये उद्योग लगाने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

के लिए लगातार प्रयास कर रही है और मेरा विधान सभा क्षेत्र जिसको चम्बल का वरदान प्राप्त है, पूरे खेतों में नहर के माध्यम से पानी वहां पहुंचता है। पानी की पर्याप्त मात्रा में वहां पर उपलब्धता है। उसके बावजूद लगातार 2002 एवं 2003 में पेराई सत्र को बंद करने के लिए, जो भी सरकार तात्कालिक वहां पर थी, मंत्रीमंडलीय उप समिति के माध्यम से निर्णय लिया कि उक्त उद्योग को बंद कर दिया जाए। मात्र इसलिए बंद किया गया कि 2002 में हम सबको मालूम है कि अकाल की वजह से किस तरह से क्या स्थिति बनी। वहां के गन्ने को पशु चारे के उपयोग में सरकार द्वारा लिया गया, इसीलिए आज यह उद्योग बंद पड़ा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस समय से ही किसान दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। अनेकों पदयात्राएं उन्होंने कीं। इसके साथ-साथ वर्तमान में इस शुगर मिल को चालू करने के लिए किसानों द्वारा कई संस्थाओं से पूरा आकलन भी करवाया। शुगर मिल पर न तो कोई देनदारी है, न किसी सरकार को या किसी निजी संस्था को या किसी कर्मचारी को, किसी भी तरह से कोई लेनदारी-देनदारी नहीं है। वर्तमान में हमारी शुगर मिल के पास, केशोरायपाटन के पास 170 बीघा जमीन खुद की है। संसाधन उपलब्ध हैं और 15 से 20 करोड़ वर्तमान में खाते में पड़े हुए हैं तब से लेकर अब तक। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर में क्या दबाव है जिसकी वजह से हम शुगर मिल को चालू नहीं कर सकते? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हम उन किसानों के बारे में चिंता करें, जो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। किसान अपना काम छोड़कर वहां दिन-रात धरने पर बैठे रहते हैं। कहीं न कहीं सरकार ऐसा कुछ बीच का निर्णय करे या बीच का रास्ता निकाले जिससे किसानों को फायदा मिले क्योंकि हमारे 170 गांव ऐसे हैं गन्ने की फसल उत्पादन करने के लिए उन्होंने खुद ने संकल्प पत्र दिया है। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि सरकार जो हमारे किसान हैं, उनसे चर्चा करे और चर्चा करके कुछ बीच का रास्ता निकालकर, इस उद्योग को चालू करने के लिए क्योंकि वहां के युवा इधर-उधर भटकते फिर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा आपके माध्यम से

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

निवेदन है कि आप भी मेरा सहयोग करें और सम्माननीय मंत्री महोदय को कहें कि इस शुगर मिल को चालू करने के लिए मुझे आश्वासन देंगे तो मैं किसानों को कोई बात कहूं वरना कब से किसान धरने पर बैठे हैं। मंत्री जी जवाब दें तो अच्छा रहेगा। मेरा निवेदन है कि सीएम साहब भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। श्री नारायण बेनीवाल। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: गलत परम्परा है। मैं अलाउ ही नहीं करूंगा बाद में। श्री नारायण बेनीवाल।

खींवसर में कृषि व घरेलू विद्युत कटौती

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। खींवसर विधान सभा क्षेत्र, जो कि बहुत बड़ा सिंचित क्षेत्र भी है और लगभग आबादी ढाणियों में निवास करती है लेकिन आज हालत यह है कि कृषि कार्यों के लिए सिर्फ तीन-चार घंटे बिजली और जो घरेलू उपभोक्ता हैं, उनको भी सेग्रीगेशन के काम का बहुत बड़ा पैसा सरकार ने, बजट जारी भी कर दिया, सेग्रीगेशन के नाम पर बहुत बड़ी अनियमितता, मैं यहां पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगा लेकिन इसके बावजूद सरकार को कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं हुआ। हम घोषणा पत्र में आठ घंटे बिजली की बात करते हैं और घरेलू उपभोक्ताओं को 18 से 20 घंटे बिजली की हम बात करते हैं, लेकिन स्थितियां इसके बिलकुल विपरीत हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, चूंकि हर जीएसस पर आपने एमआरआई का सिस्टम भी लगा रखा है और फ्लेट रेट से जब आप किसान को बिजली का बिल भी देते हैं तो समस्त जीएसएस पर हर किसान का एमआरआई के द्वारा निश्चित करके कि उसको कितनी बिजली मिली है, उसको बिजली के बिलों में छूट दी जाए। सेग्रीगेशन के कार्य, उसमें भी बहुत बड़ी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। एक तरफ तो 35 से 40 साल...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, खींवसर की बात, बिजली पर चर्चा नहीं है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं खींवसर की बात कर रहा हूं। मंत्री जी सामने विराजमान हैं, सेग्रीगेशन का सबसे बड़ा काम खींवसर में ही हुआ है। सेग्रीगेशन में डिसमेंटल के नाम पर बहुत बड़ी अनियमितताएं वहां हो रही हैं। दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर दूर, एक तरफ पंडित दीनदयाल योजना केन्द्र सरकार की आई है, आपने बीपीएल को...

श्री अध्यक्ष: आप वाइंड-अप कीजिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): बीपीएल और प्रत्येक व्यक्ति को बिजली से जोड़ने की बात की। अब उन्हीं ट्रांसफार्मर को आप दो-दो किलोमीटर दूर ले जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि इस पूरे प्रकरण में विस्तार से जांच करवाकर ऐसी कार्ययोजना बने कि प्रत्येक व्यक्ति को, किसानों को और घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह।

जयपुर के रामगढ़ बांध में अतिक्रमण व अवैध निर्माण

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ बांध जो जयपुर की लाइफलाइन है, मै उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको यह फोटो दिखाना चाहूंगा कि रामगढ़ की पूर्व में किस प्रकार की स्थिति थी और आज किस प्रकार की स्थिति है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन महाराजा माधोसिंह जी ने 1897 में रामगढ़ बांध की नींव रखी थी और 1903 में राजपूताना के गवर्नर जनरल ने इसका लोकार्पण किया था। इसका क्षेत्रफल, इसकी भराव क्षमता 2975 वर्ग मील था। यहां पहले 19 से 22 इंच बरसात उस जमाने में होती थी, तब भी इस बांध की गहराई व पानी जो रहता था, वह 64.5 फीट पानी रहता था। आज स्थिति बिलकुल उलट है। बार-बार यह मामला राजस्थान पत्रिका के द्वारा, यहां की कई स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा तथा हाई कोर्ट के द्वारा भी सुओमोटो पिटीशन दायर करके इसके बारे में फ़ैसले दिए कि वहां पर जो बड़े आदमियों के कब्जे हो रहे हैं, उनको हटाकर रामगढ़ बांध के कैचमेंट एरिये में, जो रामगढ़ में पानी आता है, उस रास्ते को साफ करवाएं ताकि रामगढ़ बांध में पानी आ सके। वहां से जयपुर में पेयजल की सप्लाई होती थी। किसी जमाने में वहां पर एशियाड के समय नौकायन प्रतियोगिता हुई। इस प्रकार का बांध आज बिलकुल सूख गया है। बांध के पेटे में लोग खेती कर रहे हैं। बड़े-बड़े फार्म हाउस बना लिए हैं।

(श्री प्रताप सिंह)

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, अगर कोई गरीब आदमी कहीं पर कच्चा मकान बना लेता है, कहीं पर एनक्रोचमेंट कर लेता है तो सरकार तुरंत प्रसंज्ञान लेती है और इन बड़े आदमियों के जिनमें बड़े-बड़े अधिकारी और जयपुर में बड़े-बड़े धन्ना सेठ हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बांध के आस पास जो अतिक्रमण हैं या जहां से बांध में पानी आता है वहां से लेकर बांध तक, जिनकी वजह से पानी रुक रहा है, उसको शीघ्र खाली करवाएं। इस प्रकार यह मेरा निवेदन है। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

जयपुर में भूख हड़ताल पर बैठे बेरोजगारों की समस्याएं

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, अपने स्थगन प्रस्ताव के तहत मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राजस्थान के कोने-कोने से अपनी समस्याओं को लेकर जयपुर आए बेरोजगार युवाओं की ओर कराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया है इन बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए, वह स्वागत योग्य कदम है। पिछली सरकार में भी इसी तरह से कमेटियों का गठन होता रहा है विभिन्न समस्याओं को लेकर लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ और यह बेरोजगार युवा जैसे एएनएम भर्ती-2013, जीएनएम भर्ती-2013 से लड़ते आ रहे हैं। पंचायती राज एलडीसी भर्ती-2013, वे बेरोजगार लड़ते आ रहे हैं यानी सरकार के पूरे पांच साल गुजर गये लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ।

इसी प्रकार से अनेक भर्तियों में विसंगतियां हैं, भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं जिसके कारण से जो बेरोजगार युवा हैं, वह बहुत ही परेशान हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आपने कमेटी का गठन तो किया है लेकिन कमेटी जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले और इनकी समस्याओं का समाधान करे। इनकी फीस इतनी बढ़ा दी, बेरोजगार युवा रोते रहे, जयपुर में बताते रहे कि हमारी फीस एग्रीकल्चर के अंदर जेट की फीस 2800 रुपया देनी पड़ती है। गरीब किसान, मजदूर का बेटा, एग्जाम में सलेक्शन हो या नहीं हो 1800 रुपया फीस दो, विद्युत विभाग ने भर्ती निकाली, उसके अंदर 1600 रुपया फीस दो। भर्ती विद्युत विभाग करवा रहा है, महाराष्ट्र में जाकर परीक्षा दो, मध्य प्रदेश में जाकर परीक्षा दो, दिल्ली में जाकर परीक्षा दो।

(श्री बलजीत यादव)

एक तो फीस इतनी महंगी, ऊपर से किराया इतना ज्यादा, बर्डन इतना ज्यादा, कम्पीटिशन इतना ज्यादा, बाहर के जो युवा हैं, उनका कोटा यहां फिक्स है। मैं मांग करता हूं, युवाओं ने मांग की कि बाहर के अभ्यर्थियों के लिए जो कोटा है, वह समाप्त किया जाए क्योंकि 23 स्टेट ऐसे हैं जो तरह-तरह की बाउंडेशन लगाकर राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को रोक रहे हैं। उनका सलेक्शन रेट उन राज्यों में जीरो हैं। राजस्थान सरकार भी एक कानून बनाए, जिससे यहां के बेरोजगार युवाओं के हितों की रक्षा हो। फीस को कम किया जाए। बेरोजगार युवा एग्जाम देने जाएं तो उसका बस का किराया, ट्रेन का किराया फ्री किया जाए। उनके ऊपर सरकार रहम करे। सरकार भर्ती कैलेण्डर जारी करे। 2013 से आज तक वह भटक रहा है, किसी का 2016 में हो रहा है, वह भटक रहा है। फिर अधिकारी किसी को उठाकर कहीं पटक देते हैं, किसी को कहीं पटक देते हैं। भर्तियों पर स्टे आ जाता है और वह अटका रह जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): मैं चाहता हूं सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक, जो मंत्रिमण्डलीय कमेटी बनाई है वह जल्द से जल्द एक्शन ले और इनकी समस्याओं का समाधान करे, जिससे इन बेरोज़गारों की दुआ सरकार को मिल सके। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 295. श्री हमीर सिंह भायल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन की व्यवस्था

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, सिवाना उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के क्रम में राजस्थान विधान सभा संचालन के नियम प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है। बाड़मेर जिला बहुत बड़े भूभाग में स्थित है, जिसमें मात्र बालोतरा और बाड़मेर को छोड़कर किसी भी उपखंड पर अग्निशमन वाहन की सुविधा नहीं है। रेगिस्तानी भूभाग में लोग अधिकतर ढाणियों, कृषि कुओं पर निवास करते हैं, जो कि अस्थाई निवास होते हैं। किसान वर्ग खेती को लेकर अपने-अपने खेतों में निवास करते हैं और फसल को खलिहान में लाकर इकट्ठा करते हैं। उस समय कई बार अग्नि लगने से फसल, रहवासी मकान जलकर राख हो जाते हैं।

(श्री हमीर सिंह भायल)

जिला लेवल के आंकड़े चैक करने पर पता चलता है कि लाखों रुपये राहत के रूप में अग्नि प्रकरण को लेकर दिए जाते हैं ।

बहुत बड़ी समस्या है कि किसी भी उपखंड पर अग्निशमन वाहन की सुविधा नहीं है। हर वर्ष लोगों को लाखों रुपये का नुकसान होता है। बालोतरा और बाड़मेर से जब तक वाहन आता है, तब तक सब कुछ जलकर राख हो जाता है। सिवाना विधान सभा क्षेत्र में 89 ग्राम पंचायतें हैं, जो अमूमन ढाणियों, मजरों, मोहल्लों, कुओं पर ही निवास करते हैं। गर्मी के मौसम में हवा अधिक होने से अग्नि प्रकरण होते रहते हैं। वर्षों से आमजन की मांग है कि स्थानीय स्तर पर उक्त वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए।

मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि सिवाना उपखंड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन की व्यवस्था करवाने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती जाहिदा खान। श्री जोगिन्दर सिंह अवाना। बोलिए जाहिदा जी।

कामां में नवीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूं। विधान सभा क्षेत्र कामां के पांचों थाने पूर्व में पुलिस वृताधिकारी कामां के ही अंतर्गत आते थे, लेकिन पिछली भाजपा सरकार द्वारा थाना गोपालगढ़ एवं कैथवाड़ा को हटाकर नगर व डीग के अधीन करने से क्षेत्र के पुलिस थानों में आपसी सामंजस्य न होने से पुलिस की कार्य प्रणाली प्रभावित हो रही है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड मुख्यालय कामां में पुलिस वृताधिकारी कार्यालय संचालित है, जिसके अंतर्गत वर्तमान कार्य क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, जिसमें थाना कामां, जुरहरा एवं पहाड़ी आते हैं। थाना पहाड़ी की सीमा हरियाणा व कामां की उत्तर प्रदेश व थाना जुरहरा की उत्तर प्रदेश व हरियाणा दोनों से जुड़ी हुई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश व हरियाणा से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग राजस्थान में आ जाते हैं, जिससे कानून व्यवस्था खराब होती है। इसलिए क्षेत्र में कानून व्यवस्था एवं पुलिस की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए उपखंड मुख्यालय पहाड़ी में पुलिस वृताधिकारी कार्यालय व उपखंड मुख्यालय कामां में

(श्रीमती जाहिदा खान)

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलकर सी.ओ. सर्किल कामां के थाना कामां, जुरहरा व प्रस्तावित नौनेरा (वर्तमान चौकी को क्रमोन्नत कर) तथा प्रस्तावित नवीन पुलिस वृताधिकारी (सी.ओ. सर्किल) पहाड़ी के थाना पहाड़ी, गोपालगढ़ व कैथवाड़ा को इसके अधीन करने से कानून व्यवस्था मजबूत होगी तथा अपराधों को रोकने में आसानी रहेगी।

अत: क्षेत्र में पुलिस के प्रभावी नियंत्रण के लिए उपखण्ड मुख्यालय पहाड़ी में नवीन पुलिस वृताधिकारी कार्यालय व उपखण्ड मुख्यालय कामां में नवीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगिन्दर सिंह अवाना। (अनुपस्थित)। श्री पानाचंद मेघवाल।

संविदाकर्मी व आशा सहयोगिनियों का नियमितीकरण

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय पानाचंद जी, क्या लिखकर दिया है और आप बोल क्या रहे हो। 295 लिखा हुआ पढ़ा जाता है। आपने यहां पर क्या लिखकर दिया है?

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): संविदाकर्मी वाला।

श्री अध्यक्ष: जो लिखकर दिया है, वही बोलेंगे।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): पढ़ा हुआ माना जाए, सर।

श्री अध्यक्ष: पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(पढ़ी मानी गई सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री गोविन्द प्रसाद।

मनोहर थाना में क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मैं विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के क्षेत्र की बात करता हूं तो क्षेत्र में अधिक बारिश के कारण अत्यधिक पुलिया पूर्ण रूप से नीचे एवं क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसके कारण आने-जाने वाले राहगीरों को भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा पीएमजीएसवाई से बनी रपटों पर भी बरसात के दिनों में पानी आ जाने के कारण कई घंटों तक जाम लग जाता है। इनकी ऊंचाई नहीं

(श्री गोविन्द प्रसाद)

बढ़ाई गई तो बरसात के समय आने-जाने वाले राहगीरों का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, जिसके कारण क्षेत्र की समस्त जनता का शहरों तक आना-जाना बाधित हो जाएगा। इससे बहुत सारी जगह पर पढ़ने वाले छात्रछात्राएं विद्यालय में भी समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसको अस्पताल तक पुलिया के अभाव के कारण कैसे पहुंचा पाएंगे, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

महोदय, इस ओर विशेष ध्यान देकर क्षतिग्रस्त पुलियाओं की मरम्मत एवं ऊंचाई बढ़ाई जाए, जिससे बरसात के समय मार्ग अवरुद्ध न हो और आमजन को राहत मिल सके। नीची एवं क्षतिग्रस्त पुलियाएं निम्न प्रकार से हैं:-

1. बोरखण्डी की क्षतिग्रस्त पुलिया
2. खाताखेड़ी से मनोहर थाना के बीच
3. घाटोली से खेलखोयरा रोड के मध्य
4. सरडा से मानपुरा रोड के मध्य
5. चित्तौडा से मध्य प्रदेश बोर्डर रोड के मध्य
6. असनावर से रातादेवी रोड के मध्य
7. डूंगरगांव से कंवरपुरा रोड के मध्य
8. मनोहर थाना से टोडरी जगन्नाथ रोड के मध्य
9. चुरेलिया से घाटोली रोड के मध्य
10. एन एच 52 से गेंहूखेडी रोड के मध्य। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल (अनुपस्थित)। श्रीमती सफिया जुबेर।

अलवर में स्थापित एम.आई.ए. की फैक्ट्रियों में एस.टी.पी. प्लांट की स्थापना

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अलवर जिले के औद्योगिक क्षेत्र एम.आई.ए. की फैक्ट्रियों का गंदा एवं प्रदूषित पानी विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के हंस सरोवर बांध, जिसे लोग अल्यारा बांध के नाम से जानते हैं, में जाता है। इस प्रदूषित पानी के कारण वहां पर आस-पास के गांवों में बदबू तथा प्रदूषण फैलता है। प्रदूषित पानी पीने

(श्रीमती सफिया जुबेर)

के कारण पशुओं की मौत हो जाती है एवं फ़सलें खराब हो जाती हैं तथा जमीन का उपजाऊपन खतम हो जाता है। बार-बार स्थानीय लोगों ने इस संबंध में आंदोलन किए, प्रशासन आश्वासन देता रहा लेकिन मूक बना रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि एमआई.ए. की फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी के लिए एक एस.टी.पी. प्लांट की स्थापना करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री छगनसिंह।

आहोर के पी.एच.सी., सी.एच.सी. का क्रमोन्नयन एवं सी.एच.सी. सेंटर में आई.सी.यू. की स्थापना

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि आहोर विधान सभा क्षेत्र 120 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहां से NH-325 A एवं स्टेट हाईवे जोधपुर सम्भाग के लिये बने हुए इन हाईवे रोड पर आये दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अस्पताल में सुविधा नहीं होने के कारण यहां पर जन-हानि भी हुई है।

आहोर CHC में ट्रोमा सेंटर एवं ICU सेंटर नहीं है, जिससे मेरी आंखों के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में दुर्घटना के दौरान कई मौतें हो चुकी हैं। इसका एक मात्र कारण कि इस CHC में ICU और ट्रोमा सेंटर नहीं होना है। इसलिये संवेदनशील एवं पारदर्शी सरकार इसको ध्यान में रखकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आहोर में ICU व ट्रोमा सेंटर स्वीकृत कराएं।

इसी प्रकार से भाद्राजून PHC, गुडा बालोतान PHC, हरजी PHC को CHC में क्रमोन्नत कराएं। इन PHC में OPD भी बहुत ज्यादा है। इनके आस पास किसी प्रकार का कोई बड़ा चिकित्सालय भी नहीं है। यदि इन भाद्राजून, गुडा बालोतान, हरजी में CHC स्वीकृत हो जाये तो जनता आपको आशीर्वाद देगी।

इसी प्रकार आहोर विधान सभा क्षेत्र के पावटा, ऊण, शंखवली एवं नोरवा में सब-सेंटर को PHC में क्रमोन्नत कराएं। इन गांवों के पास जो ग्राम पंचायतें हैं, कस्बे हैं, उनके पास किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं है। इनके पड़ौस में छोटे-छोटे गांव व ढाणियां हैं, जिनके पास साधनों की व्यवस्था भी नहीं है, जिससे कई बार गर्भावस्था में कई बहनों की जान भी चली जाती है।

अत: मेरा इस संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेही सरकार से निवेदन है कि इस समय जब पूरा देश स्वास्थ्य के प्रति चिंता व्यक्त कर रहा है, तो

(श्री छगनसिंह)

इन क्षेत्रों में भी चिकित्सालय की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, उक्त PHC, CHC, ICU सेंटर खुलवाने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत।

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में दर्ज दरोगा, हजूरी, वजीर आदि शब्दों को राजस्व रिकार्ड से हटाकर रावणा राजपूत करना

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान के गौरवशाली इतिहास राजपूताना के आधार पर रखा गया है। अलग -अलग रियासतों के बावजूद राजपूताना की संस्कृति, संस्कार, देशभक्ति, त्याग एवं बलिदान के कारण राजपूताना का देश में अपना अलग और विशेष स्थान रहा है।

रियासतकाल में शासकों के न केवल राजकाज बल्कि निजी मामलों में भी सबसे सहयोगी जाति यदि कोई जाति रही है तो वह है रावणा राजपूत, एक प्रकार से एक व्यक्ति की दो भुजाएं। इतिहास इस बात का गवाह है कि देश की आजादी के बाद लोकतंत्र एवं हमारे संविधान की मूल भावना के अनुरूप समान अवसर देने के लिये जाति वर्गीकरण किया गया और अन्य पिछड़ा वर्ग सूची-11 में रावणा राजपूत जाति को अलग-अलग हिस्सों में तत्कालीन बोले जाने वाले नाम जैसे दरोगा, हजूरी, वजीर आदि बोले जाने वाले शब्दों के अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हो गये। उस समय अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग को तो अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 एवं अन्य नियमों एवं प्रावधानों के तहत कानूनी संरक्षण प्रदान कर सरकार ने उन जातियों के सम्मान का ध्यान रखा और अपमानजनक जाति सूचक शब्दों को प्रतिबंधित कर सज़ा का प्रावधान भी किया। विडम्बना यह रही कि अन्य पिछड़ा वर्ग या अन्य किसी भी वर्ग को ऐसा कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाया।

मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी वर्गों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए हेय दृष्टि से देखे जाने वाले पद सूचक शब्दों को तुरन्त हटाया जाना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग सूची-11 में रावणा राजपूत जाति के अलावा दरोगा,

(श्री मदन प्रजापत)

हजूरी, वजीर आदि नामों को राजस्व रिकार्ड से हटाकर केवल एक नाम रावणा राजपूत दर्ज करने का नियमों में प्रावधान कर प्रदेश में लगभग 50 लाख रावणा राजपूत समाज के लोगों को सम्मान प्रदान करें। यदि अन्य किसी जाति वर्ग में भी यदि इस प्रकार के हेय दृष्टि से देखे जाने वाले जाति सूचक शब्द हैं तो उनको भी हटाने का प्रावधान किया जाये। गजट नोटिफिकेशन जारी कर एवं नियम बनाकर शीघ्रातिशीघ्र राजस्व रिकार्ड में नाम संशोधन हेतु प्रावधान कर न्याय प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप कुमार। श्री नारायण सिंह देवल।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। आप, श्री संदीप कुमार।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): जी, सर।

श्री अध्यक्ष: हां, आप बोलिये।

तिजारा में नर्सिंग कालेज की स्थापना

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नर्सिंग कालेज के भवन की स्वीकृति अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 2016 में जारी की गई थी, जिसका वर्तमान में निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा उसका लोकार्पण माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2020 को किया जा चुका है।

अत: मैं मांग करता हूं कि कालेज के स्टाफ़ व संसाधन की व्यवस्था कर नर्सिंग कालेज की कक्षाएं प्रारम्भ की जाएं ताकि वहां के ग्रामीण क्षेत्र के छात्र-छात्राएं लाभान्वित हो सकें। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

भीनमाल शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 1986 के नियम 295 के तहत निवेदन है कि 15 जनवरी, 2021 की रात को जालौर जिले के भीनमाल शहर के बीचों-बीच स्थित उप कारागार, भीनमाल पर अज्ञात बदमाशों

(श्री नारायण सिंह देवल)

ने जेल की बिजली काटकर सुरक्षा कर्मियों पर हमला कर अपराधी को छुड़ाने का प्रयास किया। शहर के मध्य में स्थित कारागार पर हमला होना प्रदेश में कानून-व्यवस्था की पोल खोल रहा है। अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है। पूरे प्रदेश में जगह-जगह ऐसी वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। चोरी, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुलिस प्रशासन का भय समाप्त होने से प्रदेश में जंगलराज कायम हो रहा है।

अत: मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये तत्काल प्रभाव से पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाये, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सतीश पूनियां।

अचरोल के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन हेतु जमीन का आबंटन

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अचरोल (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से क्रमोन्नत) मेरे विधान सभा क्षेत्र आमेर के सबसे बड़े कस्बे अचरोल में स्थित है। यह चिकित्सा संस्थान अचरोल कस्बे सहित आस-पास की लगभग दस ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ है। अचरोल कस्बे एवं इन ग्राम पंचायतों की आबादी इस चिकित्सा संस्थान से लाभान्वित हो रही है। यहां की प्रतिदिन औसत ओपीडी 220 से 250 तक रहती है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से क्रमोन्नत होने के पश्चात् भी यह चिकित्सा संस्थान पुराने भवन में ही संचालित किया जा रहा है। प्रतिदिन मरीज भार अधिक होने के कारण वर्तमान भवन पर्याप्त नहीं है। स्टाफ एवं चिकित्सा संस्थान में आने वाले मरीजों के लिए भी जगह का नितांत अभाव है। आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु जमीन की आवश्यकता है, जिस पर नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण आमजन की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए करवाया जा सके। नवीन सीएच.सी. भवन निर्माण के लिये भूमि आबंटन बाबत चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भिजवाये गये हैं।

(श्री सतीश पूनियां)

अत: मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि आमजन हित को दृष्टिगत रखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अचरोल के नवीन भवन निर्माण हेतु जमीन का आबंटन करवाया जाये। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में अमृतकौर अस्पताल रोड पर अवैध काम्प्लैक्स का निर्माण

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि ब्यावर में अमृतकौर अस्पताल रोड पर निर्माणाधीन काम्प्लैक्स अवैध रूप से बन रहा है। यह रोड अमृतकौर अस्पताल का मुख्य रोड है। इस काम्प्लैक्स को बिना साइड-बैक छोड़कर बनाया जा रहा है। इतने छोटे रोड पर काम्प्लैक्स कैसे पास कर दिया गया? इस छोटे रोड पर दोनों तरफ शराब व मीट की दुकान व अन्य कई दुकानें हैं व ठेले खड़े रहते हैं, जहां मरीजों के वाहन निकलना मुश्किल हो गया है।

काम्प्लैक्स का निर्माण अवैध होने एवं मिलीभगत होने के कारण ही संबंधित फाइल को ए.सी.डी. द्वारा जब्त किया गया था। इस आरटेक काम्प्लैक्स की फाइल को तीन साल से ए.सी.डी. में जब्त बताई जा रही है। दूसरी तरफ नगर परिषद् ने ए.सी.डी. से फाइल वापस मंगवाने हेतु कई बार लैटर लिखे लेकिन फाइल वापस नहीं आई। काम्प्लैक्स निर्माणकर्ता फर्म एवं ए.सी.डी. की मिलीभगत से निर्माण कार्य धड़ल्ले से रात-दिन चल रहा है ताकि कार्य पूरा होने तक फाइल ए.सी.डी. में ही रहे, यह कैसा खेल है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्माणकर्ता द्वारा फाइल को ए.सी.डी. के पास होने का बहाना बनाकर लगातार निर्माण किया जा रहा है। इस प्रकरण में ए.सी.डी. अधिकारियों की मिलीभगत है, जिसके कारण निर्माणकर्ता बेहिचक अवैध काम्प्लैक्स का निर्माण कर रहा है। जन हित को ध्यान में रखते हुए उक्त निर्माणाधीन काम्प्लैक्स के डी.एल.बी. द्वारा स्वीकृत नक्शे को तुरंत निरस्त करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगाया जाना नितांत ही आवश्यक है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि ब्यावर में अमृतकौर अस्पताल रोड पर बन रहे अवैध काम्प्लैक्स की फाइल को ए.सी.डी. से मंगवाकर अवैध निर्माण पर तुरंत रोक लगाने के आदेश जारी कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

कोरोना लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिलों की माफी एवं मुण्डावर में स्थापित उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से कोरोना महामारी के लॉकडाउन अवधि के किसानों के तीन माह के बिजली के बिल माफ करने व मुंडावर विधान सभा क्षेत्र के उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के संबंध में निवेदन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार किसानों को अर्थव्यवस्था की धुरी बताती है और दूसरी तरफ किसानों को बिजली के बिलों व वी.सी.आर. के माध्यम से मारने का काम कर रही है। सरकार द्वारा कहा गया था कि तीन माह लॉकडाउन अवधि के बिजली के बिल माफ करेंगे लेकिन नहीं किये गये। मेरा सरकार से निवेदन है कि तीन माह के बिजली बिलों को माफ किया जाए, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

साथ ही, कोरोना काल में उपजे हालातों से बेरोजगारी बढ़ी है। अधिकतर युवा बेरोजगार हो गये हैं। अत: आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि मुण्डावर विधान सभा क्षेत्र के पूर्व में स्थापित उद्योगों व स्थापित होने वाले नये उद्योगों में मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र की तर्ज पर कम से कम 80 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान बनाएं जिससे बेरोजगार स्थानीय युवा को रोजगार के अवसर मिल सकें और उन्हें अपने घर को छोड़कर रोजगार के लिए दूर नहीं जाना पड़े।

अत: आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि दोनों विषयों पर ध्यान देकर इन्हें पूरा कर मुझे व जनता को अनुगृहीत करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बिहारीलाल।

नोखा में गम्भीर पेयजल संकट

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-295 विशेष उल्लेख की सूचना पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला पैराग्राफ है उस पर, गत बजट घोषणा में मुख्य मंत्रीजी ने 750 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, उसके लिए तो धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप 295 में अपना लिखा हुआ ही बोलें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि नोखा तहसील परिक्षेत्र के सभी गांवों और ढाणियों व नोखा शहर में भू-जल की भारी कमी है तथा जितना पानी उपलब्ध है, वह भी फ्लोराइडयुक्त होने के कारण आम जन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बजट सत्र 2020 में बजट की रिप्लाई में मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने नोखा में नहर का मीठा पानी पहुंचाने की महती परियोजना की डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की थी और डी.पी.आर. बनाने का बजट भी जारी कर दिया था।

मान्यवर, नोखा शहर, गांव व ढाणियों में नहर का पानी पहुंचाने की डी.पी.आर. बनने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और 30 मार्च, 2021 तक डी.पी.आर. बन जाएगी जो लगभग 800 करोड़ तक होगी। आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि कृपया आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रदान कराएं ताकि दशकों से तरसती नोखा की जनता को पीने का मीठा व स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके।

साथ ही, राज्य सरकार द्वारा 2018 में आर.यू.आई.डी.पी. फेज चतुर्थ के तहत नोखा शहर के लिए चौबीसों घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एवं शहर के सीवरेज सिस्टम की दुरुस्ती हेतु 155 करोड़ रुपये की संयुक्त परियोजना प्रस्तावित की गयी थी। इस संबंध में मैंने विधान सभा में बजट सत्र 2019 में दिनांक 11 जुलाई, 2019 को तारांकित प्रश्न संख्या 1690 के द्वारा व दो बार और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान खींचा तो मंत्री महोदय ने भी स्थानीय निकाय द्वारा दो एस.टी.पी. व एक एस.पी.एस. हेतु भूमि उपलब्ध करवाते ही काम शुरू करवाने का भरोसा दिलाया है।

श्रीमानजी से निवेदन है कि नोखा कस्बे की इन दोनों ही समस्याओं की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए इन समस्याओं के स्थाई निदान के लिए चौबीसों घंटे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति एवं शहर सीवरेज सिस्टम की दुरुस्ती

(श्री बिहारीलाल)

हेतु 155 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना को जल्द से जल्द स्वीकृत किया जाए एवं इस हेतु जो भी कार्यवाही बाकी है, उसे तुरंत पूरा किया जाए ताकि नोखा शहर को बड़ी राहत मिल सके।

अत: उपरोक्त लोक महत्व के विषय को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आइंदा आप ध्यान रखें। लिखे कुछ और इसकी सीक्वेंस बदले तो ठीक नहीं है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले पैराग्राफ में बजट घोषणा हुई थी, उस संबंध में है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, प्लीज, आप 295 की महत्ता को समझें। श्री मदन दिलावर।

प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र लोगों का चयन

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि कोटा जिले की लाडपुरा पंचायत समिति की बोराबास ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित पात्र लोगों के नाम काटकर अपात्र लोगों के नाम जोड़ दिये और सरकार की ओर से देय अनुदान की राशि उठा ली।

ग्राम पंचायत बोराबास की लाभार्थी केसर बाई पुत्री मूला बाई के आवेदन में व्हाइटनर फेर कर केसर/छोटु नाम से स्वीकृति जारी कर दी और 1.20 लाख रुपये की किश्त उठा ली। साथ ही, मनरेगा की मजदूरी की 17,427 रुपये की राशि भी खाते से उठा ली। इसी प्रकार नारायण/देवा के नाम से जियो आई.डी. बनाई गयी। मिलीभगत कर नारायण/देवा के आवेदन पर व्हाइटनर फेर कर नारायण/चौथमल का नाम जोड़ दिया गया और राज कोष से 1.20 लाख रुपये की राशि उठा ली। ऐसे सैकड़ों पात्र/चयनित लोगों के स्वीकृत दस्वावेजों में हेराफेरी व काट-छांट कर पात्र लाभान्वितों की जगह अपात्रों के नाम जोड़कर लाखों रुपये का घोटाला किया गया एवं गरीब लोगों के खातों में डाका डालकर अनुदान की राशि को जीम गये।

महोदय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, कोटा द्वारा इस प्रकार की शिकायतों/घोटालों की जांच की गयी तो ऐसे शिकायतों का अंबार लग गया। जांच में दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय

(श्री मदन दिलावर)

कार्यवाही के साथ मुकदमा भी दर्ज करवाये जाने की अनुशंसा की गयी परंतु अभी तक उन दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, सरकार उन दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। धारीवालजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी जानना उचित समझता हूं कि वास्तविकता में जिन लोगों को आवास निर्माण की स्वीकृति मिली थी परंतु धोखाधड़ी कर अन्य अपात्रों को मिलीभगत कर लाभ दिया गया है, सरकार अब उन चयनित/पात्र लोगों को कब तक आवास का निर्माण करवाकर उन्हें लाभान्वित कर देगी? यह काफी लोक महत्व का मामला है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री संयम लोढ़ा।

उप खंड अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक माउंट आबू के कार्यालय का आबू रोड स्थानान्तरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के अंतर्गत जन हित में उप खंड अधिकारी कार्यालय, माउंट आबू व पुलिस उप अधीक्षक माउंट आबू कार्यालय को आबू रोड करने हेतु निवेदन है।

महोदय, छोटे-छोटे कार्यों के लिए आबू रोड तहसील के नागरिकों को माउंट आबू जाना पड़ रहा है। गत बीस वर्षों से नागरिक माउंट आबू के उप खंड अधिकारी व पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय का मुख्यालय आबू रोड करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही इस पर एक राय हैं, लेकिन नौकरशाही बाधक बनी हुई है।

श्री अध्यक्ष: जगदीशजी, ऐसे नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उप खंड अधिकारी, माउंट आबू का यद्यपि दो दिन आबू रोड कैम्प रखा है जिससे लोगों की सुनवाई सहन नहीं हो पाती है। बिना कारण लोगों को माउंट आबू जाना पड़ता है और चार पहिया गाड़ी ले जाने पर एंट्री टैक्स और भरना पड़ता है। विभिन्न स्थानीय संगठन लगातार इस संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। पुलिस के काम की भी प्रभावी मोनिटरिंग नहीं हो पाती। स्थानीय सांठगांठ के चलते अपराध पनप रहे हैं और अपराधी फल-

(श्री संयम लोढ़ा)

फूल रहे हैं। सीमावर्ती गांवों की शराब की दुकानों की करोड़ों की दारू बिक्री इसका जीता-जागता सबूत है। आदिवासियों को माउंट आबू जाना महंगा पड़ता है। वी.आई.पी. मूवमेंट अक्सर होने से भी माउंट आबू जाना अनेक बार परेशानी का कारण बन जाता है।

अत: मैं सरकार से विनती करता हूं कि उप खंड अधिकारी माउंट आबू व पुलिस उप अधीक्षक, माउंट आबू का कार्यालय परिवर्तित कर आबू रोड करने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री जब्बर सिंह सांखला।

रावणा राजपूत समाज के अन्य जातिसूचक नामों का अपलोपन

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि हमारा देश जातियों का देश है और जातियों में भी विभिन्न जातियों के कई-कई नाम, उप नाम और पद नाम हैं। हर जाति वर्ग का एक दूसरा नाम अवश्य है जिसे उस जाति वर्ग के लोग पसन्द नहीं करते हैं।

मान्यवर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उसके हेय दृष्टि से देखे व पुकारे जाने वाले नामों को रोकने के लिए सम्माननीय संसद से कानून बनाकर, सामाजिक न्याय और सम्मान दिया गया है, जिसके लिए तत्कालीन संसद के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार है लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग की कई जातियों के पदनाम हैं जिन्हें हटाने के लिए वह जातियां समय-समय पर मांग करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। ऐसी ही एक मांग मेरी स्वयं के समाज रावणा राजपूत की है, जिसे राजस्व रिकार्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची और अन्य सरकारी दस्तावेजों में रावणा राजपूतों के अलावा दरोगा, हजूरी, वजीर आदि नामों से लिखा व बोला जाता है। साथ में जो पद नाम बोले जाते हैं उन्हें विलोपित कर एक ही नाम सिर्फ रावणा राजपूत से पहचान प्रदान करने का सरकार से अनुरोध किया जाना मेरे समाज की वाजिब मांग है जो कि पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी की सरकार के समय भी रावणा राजपूत समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री रणजीत सिंहजी सोडाला के नेतृत्व में कई बार यह मांग उठाई गयी थी।

(13.00 बजे)

वसुन्धराजी ने इसके लिये प्रयास भी किये, मगर अंत समय में

(जब्बर सिंह सांखला)

आचार संहिता लग जाने से उक्त कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पायी। इससे पूर्व में भी राज्य सरकार के आदेश में इन नामों को रावणा राजपूत किये जाने का संशोधन हुआ है, लेकिन यह नाम नहीं हटाये गये। इसलिए मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी, श्री अशोक गहलोत साहब से आग्रह व निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व रिकार्ड, अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग के बनने वाले प्रमाण-पत्र और अन्य सभी दस्तावेजों में कोई भी नाम होने पर केवल एक ही नाम रावणा राजपूत करने का आदेश जारी करवाकर, राज्य के समस्त रावणा राजपूत समाज की एक वाजिब एवं सम्मानजनक मांग को पूरी करने की कृपा कराएं। इसके लिये प्रदेश का रावणा राजपूत समाज आपका आभारी रहेगा।

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 21)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24 फरवरी, 2021 को मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2021 से गुरुवार, दिनांक 04 मार्च, 2021 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी 2021	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-2022 पर सामान्य वाद-विवाद
शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2021 शनिवार, दिनांक 27 फरवरी 2021 रविवार, दिनांक 28 फरवरी 2021	बैठक नहीं होगी।

(डा. महेश जोशी)

सोमवार, दिनांक 01 मार्च 2021	1. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2020-21 का उपस्थापन। 2. अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2020-21 पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण। 3. अनुपूरक अनुदान की मांगों संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। 4. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-2022 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।
मंगलवार, दिनांक 02 मार्च 2021	बैठक नहीं होगी।
बुधवार, दिनांक 03 मार्च 2021	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-2022 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 04 मार्च 2021	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-2022 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

अधिसूचनाएं। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 27 एवं पंचायती राज विभाग की 2 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

वित्त विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: प.12(29)वित्त/कर/2021-269 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा कर की रिबेट और परादेय मांगों और विवादों के निपटान के लिए एमनेस्टी स्कीम-2021 लागू की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: प.12(29)वित्त/कर/2021-270 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: प.12(29)वित्त/कर/2021-271 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा पेट्रोलियम क्रूड के कर का निर्धारण किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-272 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या राजकीय उपक्रमों या अन्य राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों या विक्रय पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(5) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-273 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा दिनांक 15.07.2014 को या उसके पश्चात् निष्पादित अपंजीकृत या अमुद्रांकित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(6) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-274 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा पुत्रवधू के पक्ष में निष्पादित दान पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान करने तथा पोता, पोती, दोहिता एवं दोहिती के पक्ष में निष्पादित दान पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई है;

(7) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-275 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा सह अंशधारियों, सहस्वामियों तथा सदायिकों द्वारा अपनी अविभाजित पैतृक सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित हकत्याग के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(8) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-276 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी की प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संपरिवर्तन के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(9) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-277 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा बहुमंजिला भवन में 50 लाख रुपये मूल्य तक के फ्लैट या आवासीय इकाई के हस्तांतरण पत्र पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(10) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-278 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.1(11)वित्त/कर अनु./97 दिनांक 21.03.1998 में संशोधन किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-279 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 में संशोधन किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-280 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा विभिन्न श्रेणी की भूमियों की बाजार दरें पुनर्निर्धारित की गई हैं;

(13) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-281 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमियों की वर्तमान बाजार दरों में 10 प्रतिशत कमी की गई है;

(14) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-282 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा बहुमंजिला भवनों में इकाइयों के अधीन आनुपातिक भूमि की बाजार दरें निर्धारित की गई हैं;

(15) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-283 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-225 दिनांक 02.09.2020 में संशोधन किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-284 दिनांक 24.02.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.2(17)वित्त/कर/2010/पार्ट-226 दिनांक 02.09.2020 में संशोधन किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(17) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-285 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2021 विरचित किये गये हैं;

(18) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-286 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संपरिवर्तन के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क में छूट प्रदान की गई है;

(19) अधिसूचना संख्या: प.4(2)वित्त/कर/2021-287 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा भूमिकर पर देय ब्याज एवं शास्ति का सशर्त परिहार किया गया है;

(20) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2021-22/1 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा नयी बसें खरीदकर ग्रामीण एवं अन्य मार्ग पर संचालित करने पर मोटर वाहन कर में 3 वर्ष की छूट प्रदान की गई है;

(21) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2021-22/2 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा वाहनों पर बकाया कर पर देय पेनल्टी एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है;

(22) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2021-22/3डी दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 में संशोधन किया गया है;

(23) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2021-22/4ए दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/4 दिनांक 10.07.2019 में संशोधन किया गया है;

(24) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2021-22/5 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 में संशोधन किया गया है;

(25) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2021-22/6 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया गैर परिवहन यानों के स्वामित्व हस्तांतरण के समय देय अतिरिक्त एक बारीय कर में दिनांक 31.03.2022 तक 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(26) अधिसूचना संख्या: एफ.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/1/1 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट/12409 दिनांक 08.07.2020 को अधिष्ठित किया गया है; एवं

(27) अधिसूचना संख्या: एफ.7(47)परि/नियम/मु./87/पार्ट-1/2 दिनांक 24.02.2021 जिसके द्वारा खान विभाग द्वारा प्राप्त ई-रवन्ना के आधार पर अपराध कारित पाये गये वाहनों के लिए देय प्रशमन राशि का निर्धारण किया गया है।

पंचायती राज विभाग

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एएम/रूल/लीगल/पीआर/2020/5000 दिनांक 11.09.2020 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया हैं; एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)एएम/रूल/लीगल/पीआर/2020/83 दिनांक 29.01.2021 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न पांच वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

आउटपुट बजट (वर्ष 2019-20) एवं आउटकम बजट (वर्ष 2020-21)

(1) आउटपुट बजट वर्ष 2019-20 एवं आउटकम बजट वर्ष 2020-21;

निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(2) निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(3) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कारपोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

जोधपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे (वर्ष 2019-20)

(4) जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा-60 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण के अंकेक्षित वार्षिक लेखे वर्ष 2019-20;

जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(5) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत जोधपुर बस सर्विस लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकी दास कल्ला, ऊर्जा मंत्री।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्न चार वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखता हूं:-

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण (वर्ष 2019-20)

(1) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय विवरण वर्ष 2019-20;

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2019-20)

(2) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2019-20;

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

(3) राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 25वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20;

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2019-20)

(4) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2019-20.

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल, उद्योग मंत्री।

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2019-20)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 55वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। श्री पुखराज।

याचिका

भोपालगढ़ में ग्राम पंचायत लवेरा से खदावों की ढाणी तक सड़क निर्माण

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्राम पंचायत लवेरा से खदावों की ढाणी तक सड़क निर्माण करवाये जाने के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्राम पंचायत लवेरा से खदावों की ढाणी तक कोई भी सड़क नहीं होने से सभी ग्रामीणों...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मान ली गयी। वह लिखी हुई आती है। आपने प्रस्ताव रख दिया, धन्यवाद।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री अध्यक्ष: राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद के लिये लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

इण्डियन नेशनल कांग्रेस (104)	-	8 घंटे 29 मिनट
भारतीय जनता पार्टी (71)	-	5 घंटे 48 मिनट
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (3)	-	15 मिनट
कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया मार्क्सवादी (2)	-	10 मिनट
भारतीय ट्राइबल पार्टी (2)	-	10 मिनट
राष्ट्रीय लोकदल पार्टी (1)	-	05 मिनट

(श्री अध्यक्ष)

निर्दलीय (13)	-	1 घंटे 03 मिनट
	कुल समय :	16.00 घंटे

श्री राजेन्द्र राठौड़।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल सदन के नेता ने 26 महीने पुरानी सरकार का तीसरा बजट इस पवित्र सदन में प्रस्तुत किया। 145 मिनट वह बोले, पानी पी-पीकर और 306 अलग-अलग पैराओं में समाहित इस उबाऊ, थकाऊ, कपोल-कल्पित घोषणाओं से परिपूर्ण और निराशाजनक बजट को इस सदन में प्रस्तुत किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल के उस हरावल दस्ते को, जिन्होंने जब इस थकाऊ, उबाऊ बजट को पूरा सदन सुन रहा था, कई लोग निद्रा की आगोश की ओर बढ़ रहे थे। मेज थपथपा कर आपने सदन में निद्रा की आगोश में बढ़ने वाले सारे सदस्यों को जाग्रत रखा। मैं उन्हें शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा, उम्मीदों पर दुनिया टिकी है, एक लंबे समय से किसी की शेरवानी लटकी है, किसी का बंद गले का कोट लटका है, किसी की जैकेट लटकी है, शायद मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की बात को आगे बढ़ाते हुए निश्चित तौर पर आपमें से बहुत-से लोग उससे लाभान्वित होंगे।

अध्यक्ष महोदय, बजट 2021-22 के बाद बजट 2022-23 एक तरह से इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम कार्यकारी बजट रहेगा क्योंकि 2023-24 के अन्दर जो बजट आयेगा सरकार का पांचवां बजट, चुनाव की छाया का बजट, आचार संहिता की गिरफ्त की ओर बढ़ती सरकार का बजट।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार हम पिछले तीन-चार दशकों से देख रहे हैं एक जन परंपरा बन गई, सत्तारूढ़ दल सत्ता में आता है परंतु उसकी विदाई की संभावनाओं को साथ लेकर आता है और इस बार जो यह सरकार आई है बड़ी क्षीण बहुमत से आई यह सरकार और इस सरकार का जो बजटीय घोषणाओं का परिणाम सामने आया, जन घोषणाओं पर, जिसको आपने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में अपने शासन का आधार बताया था, उनकी गूंज

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

भी आज राजस्थान के गांव और कस्बों में गूंज रही है। मैं समझता हूं कि पुन जनादेश की कल्पना इस सरकार को करना एक तरह से असंभव हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, यह हमारे संसदीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अन्दर यह प्रावधान रखे कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई प्रत्येक सरकार वित्तीय वर्ष के अन्दर जो अपना राजस्व जनता से कर के रूप में, फीस के रूप में या किसी भी रूप में एकत्रित करती है, वर्ष के एक निश्चित दिन पर उसका व्यय किस प्रकार होगा, इसका लेखा भी सदन में प्रस्तुत करती है जिसको हम बजट कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रावधान आर्टिकल 202 के अन्दर संविधान में लिखा है, उसी आर्टिकल 202 के अन्तर्गत सदन के अन्दर आज हम इस बजट पर बहस कर रहे हैं और आर्टिकल 202 से 207 के अन्दर वे सारी प्रक्रिया निर्धारित हैं जिनके तहत इस सदन में यह बजट प्रस्तुत किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, बजट क्या है, बजट की सैंक्टिटी क्या है, बजट की पवित्रता क्या है? सदन के नेता के मुख से जो बातें बजट के माध्यम से आईं, इस सदन में उन्होंने कहीं, उनको उद्धृत करना चाहता हूं। 2019 में 10 जुलाई को पहला बजट प्रस्तुत करते हुए सदन के नेता ने कहा, राज्य का बजट दस्तावेज प्रदेश की आर्थिक नीतियों का ऐसा आईना है जिसमें जनता अपनी उम्मीदें और सपनों का प्रतिबिंब देखती है। निश्चित तौर पर, किस प्रकार का प्रतिबिंब जनता ने देखा, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद फिर 2020 के अन्दर 20 फरवरी को बजट पैरा दो के अन्दर बजट को पुनः सदन के नेता ने जिस प्रकार व्याख्यायित किया उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

(13.13 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

उन्होंने कहा 20 फरवरी, 2020 को, बजट वर्तमान और आगामी वर्ष के वित्तीय विवरण तो पेश करता ही है, साथ ही सदन के नेता कहते हैं, सरकार का आर्थिक एजेंडा भी तय करता है और हमारी सरकार की वित्तीय नीतियां एवं प्राथमिकताएं क्या हैं, इसके लिए हमने कृषक, पशुपालक, महिलाओं, छात्रों, युवाओं और औद्योगिक और वाणिज्यिक संगठनों और सिविल सोसाइटी आदि से सुझाव व विचार लेकर एक समावेशी बजट प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर जब मैं 2019-20 और 2020-21 का बजट देखता हूं, दोनों बजट 242-242 पैराज के अन्दर, उसके अन्दर क्या-क्या समावेश

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किया, समावेश किए हुए बजट के पैरा उस बजट के कागजों से बाहर निकल नहीं पाये, समावेश ही रहे, यह सरकार की एक तरह से आदत है।

इस बार आपने जो 2020-21 का बजट पेश किया, उस बजट को परिभाषित करते हुए सदन के नेता कहते हैं कि बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला तैयार करता है, इसके माध्यम से समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए योजना की रूपरेखा तैयार करता है। यह अपने तीन बजटों के अन्दर सदन के नेता ने बजट के लिए इस सदन में जो कमिटमेंट किया, बजट को परिभाषित किया, वो मैंने आपको बताया।

सभापति महोदय, इस बार तो बजट प्रस्तुत करते हुए रामप्रसाद बिस्मिल का वो शेर पढ़ा,

'पलट देते हैं हम मौजे-हवादिस अपनी जुर्रत से,

कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाये हैं।'

अब इस चिराग के, जले हुए चिराग के अन्दर जब मैं इन तीनों बजटों की रोशनी देखता हूं तो मैं समझता हूं कि घोषणाओं के बारे में मुख्य मंत्री जी कल कह रहे थे यह मेरी जादूगरी है, निश्चित तौर पर, सभापति महोदय, कई बार आपने इन्द्रजाल का जादू देखा होगा, इन्द्रजाल का जादू सिर्फ दो घंटे का जादू रहता है और मैं इस बजट के बारे में दावे के साथ कहता हूं जब इस बजट की कलइयां खुलेंगी, दो दिन के अन्दर राजस्थान की जनता समझ जाएगी इस बजट के माध्यम से सरकार की कथनी और करनी में कितना अंतर है।

सभापति महोदय, अभी इसी 19 फरवरी को राजस्थान पत्रिका के प्रमुख संपादक गुलाब जी कोठारी का एक आलेख छपा था। आलेख था भ्रष्टाचार पर 'राजपरस्ती' और उस आलेख के अन्दर, उस संपादकीय के अन्दर 2019-20 और 2020-21 के बजटों की उन्होंने बड़े विश्लेषण के साथ तीन शब्दों में परिणति बताई। उन्होंने कहा, पूर्व बजट घोषणा लागू नहीं हुई, एक बार फिर नये बजट की तैयारी है और कई विभागों का बजट अपना आधे से भी ज्यादा पूरा कर नहीं पाये। यह मैं नहीं कह रहा, यह बात उस आलेख में छपी है।

सभापति महोदय, 2019-20 में बजट पैरा आठ के अन्दर मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्राथमिकता बताई। पहला बजट था, उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता का पूरा ब्यौरा घोषणा पत्र में दर्ज है, हमारी कार्ययोजना का यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंग है। आज घोषणा पत्र राजस्थान के उस किसान के हाथ में भी है जिसने सम्पूर्ण कर्जा माफी की बात को लेकर आप पर विश्वास किया था। उस बेरोजगार नौजवान के हाथ में भी है जिसको आपने कहा था कि आप एक बार बेरोजगारी भत्ता लेने के हकदार हो जाओगे, एंप्लायमेंट एक्सचेंज में जाकर अपना नाम इन्द्राज करा दो। राजस्थान के हर उस व्यक्ति के पास जिसको आपने विकास का सपना दिखाया, उस सपने को आपने तोड़ा। जन घोषणा पत्र की घोषणाओं की गूंज इस सदन से निकलकर राजस्थान के गांव, गली, कस्बे के अन्दर है, मैं समझता हूं वो सब समझते हैं।

सभापति महोदय, बजट का आधार हमारा रेवेन्यू रिसीट है और इस बार 2021-22 के बजट में बजट पैरा 303 में मुख्य मंत्री जी ने अपनी पीठ खूब थपथपाई। उन्होंने कहा, हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिणाम है कि प्रदेश के सभी तबकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तथा आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने की कार्ययोजना बनाते हुए हमने दूरगामी विजन के साथ बजट प्रस्तुत किया। दूरगामी विजन, सभापति महोदय, आज राजस्थान का आम आदमी राजस्थान के ठहरे हुए विकास को देख रहा है, रुके हुए विकास के रथ को देख रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान की कोई ट्रेजरी में चले जाओ, ट्रेजरी अटी पड़ी हैं। जिन संवेदकों ने, ठेकेदारों ने काम कर लिया, उनको आज बिल का भुगतान करने की ताकत भी उस ट्रेजरी में इसलिए नहीं है कि यह राजस्थान की सरकार आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ चुकी है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा बहुत बड़ी बात कहते हैं न कि पत्थर फेंकना बहुत आसान है पर जब कभी भी शासन में बैठो, उंगली यूं करो तो चार उंगलियां अपनी तरफ भी उठती हैं। सचेतक महोदय, 2019-20 और 2020-21 का बजट है, मैं जो कह रहा हूं अपनी तरफ से एक बात नहीं कह रहा हूं, 2019-20 का बजट पैरा दस, 2020-21 का बजट पैरा सात, आपने पिछली सरकार को क्या नहीं कहा। पिछली सरकार के वित्तीय कु-प्रबंधन के कारण राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई। बिल्कुल ठीक है साहब, हमारी कुछ न कुछ कमी थी इसलिए हम इधर आकर बैठ गये। तो हमारे पिछले कार्यकाल में याद किया, हमारे पिछले कार्यकाल में कुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण 2010-11 में रेवेन्यू सरप्लस की स्थिति थी जो 2012-13 तक बनी रही, परन्तु गत सरकार की अविवेकपूर्ण नीतियों के कारण से रेवेन्यू डेफिसिट 2018-19 में 29 हजार करोड़ तक पहुंच गया। यानी अब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इन्होंने कह दिया, उस समय यह बजट के अंदर कहा, 2 साल कहा। अब रेवेन्यू डेफिसिट का जमाना चला गया। अब तो जादूगर के हाथ में जादूगरी है। कुशल वित्तीय प्रबंधन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कागज पढ़ रहा था। यह मैं नहीं कह रहा। मुख्य सचेतक महोदय, यह सोर्स है बजट एट ए ग्लांस 2021-22 का पेज नंबर 3, उसमें 2018-19 में जब रिवाइज एस्टीमेट में आए तो आपका पदार्पण हो गया था। उसमें 24 हजार 848 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट था। उसके बाद 2019-20 में जब यह रिवाइज एस्टीमेट सदन के अंदर लेकर के आए हैं, तब भी आप ही विराजे थे। वह बढ़कर के हो गया 28 हजार 63 करोड़। यानी आपके पदार्पण के साथ 4 हजार 115 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट आपने बढ़ा दिया।

सभापति महोदय, मैं जब इन कागजों को देखता हूं तो मैं समझता हूं कि आंकड़ों की जादूगरी एक बार की जा सकती है पर शायद आपको यह कल्पना नहीं होगी कि इस बार सदन के नेता इस प्रकार बजट की घोषणाएं कर रहे थे, जब जर्मनी की सेनाएं हार गई थीं और वापस पीछे हटना पड़ रहा था हिटलर को तो उसने कहा कि जितने भी पुल हैं, जितनी भी सड़कें हैं, सबको उड़ा दो, क्योंकि दुबारा उसको आना नहीं है। इन्होंने बजट इसी तरह प्रस्तुत किया। 2020-21 के अंदर आपने रेवेन्यू डेफिसिट जो आपके कागजों में, प्रमाणित दस्तावेजों में मैंने देखा है, वह 12 हजार 378 करोड़ है। यह 2020-21 में कह रहा हूं। बजट एस्टीमेट आपने यह किया था। जब आरई में आप आए, अभी आपने कागज दिया तो वह बढ़कर के कितना हो गया, 41 हजार 721, यह है आपके रेवेन्यू बजट डेफिसिट की कहानी।

माननीय सभापति महोदय, यह बीई से आरई के सफर में 29 हजार 343 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट राजस्थान का, यानी राजस्थान के खजाने में आज जाओगे तो चूहे भी नहीं हैं। वह तो डेफिसिट के अंदर है। अब आप मुझे बताओ कि आप कौनसे जादू का चिराग लेकर के आए हो? आपने इस बार राजस्व घाटा 2021-22 का 23 हजार 750 करोड़ का बीई में अनुमान लगाया है, यह किस प्रकार लगाया है? आपकी आरई कह रही है कि 41 हजार 721 करोड़ का घाटा, अब यह 17 हजार 971 करोड़ का, किस प्रकार रेवेन्यू डेफिसिट आप कम कर दोगे? अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, समग्र घाटे को जोड़ूं तो यह 65 हजार 471 करोड़ का होता है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मेरे घर में अगर पैसा होगा तो मैं विकास की बात करूंगा। घर बनाने की बात करूंगा। आपने इस सदन के अंदर जितनी भी बात कही, आपने घोषणाओं का अंबार लगा दिया। यह सारी घोषणाएं कपोल कल्पित हैं। मुख्य सचेतक महोदय, मैं एक शेर के माध्यम से मेरी भावनाएं प्रकट करना चाहता हूं।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): इरशाद, इरशाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): घर और मकान में बड़ा फर्क है। एक में जान है, दूजा बेजान है। यह हाल है आपके बजट का।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): एक बार और, राठौड़ साहब, एक बार और।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, घर और मकान में बड़ा फर्क है। एक में जान है, दूजा बेजान है। आप क्या जानें कि घर क्या है और मकान क्या है?

श्री सभापति: बैठे-बैठे नहीं बोलें। कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, एक दूसरा इंडिकेटर जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उस फिस्कल डेफिसिट में राजस्थान सरकार के आर्थिक स्वास्थ्य की हालत क्या है? यह सबसे बड़ा इंडिकेटर है। मैं फिर कह रहा हूं कि एफआरबीएम एक्ट 2021-22, सोर्स मेरा पेज नंबर 1, इसमें आपने क्या कहा? 2019-20 की तुलना में 2020-21 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, यह खुशहाली का प्रतीक है जीएसडीपी, वह प्रचलित मूल्यों पर 4.11 परसेंट और स्थिर मूल्यों पर 6.6 परसेंट कम हुआ। इसी डाकूमेंट में एक और कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय भी 5.29 परसेंट कम हुई। यानी जिस राज्य का जीएसडीपी गिरता जाए, प्रति व्यक्ति आय गिरती जाए और उसमें बिना बजटीय प्रावधान के आप घोषणाओं का अंबार लगा दो। आप इस सदन की अवमानना कितनी करना चाहते हो?

सभापति महोदय, यह जो 2019-20 के अंदर फिस्कल डेफिसिट था, जो बजट एट ए ग्लास पेज 3, टेबल 9, महेश जी आप लिख लो, 2019-20 के अंदर जो रेवेन्यू डेफिसिट था वह 33 हजार 654 करोड़ था और 2020-21 में जो बजट एस्टीमेट आपने रखा, उसमें रेवेन्यू डेफिसिट आपने 33 हजार 922 करोड़ रखा। यानी जीएसडीपी का 2.99 परसेंट। अब आप 2020-21 में दुबारा जब आरई में आए, रिवाइज एस्टीमेट में आए, बजट अनुमान कुछ भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रख दो। बजट अनुमान के बाद जब रिवाइज एस्टीमेट आते हैं, पोल तो तब खुलती है। आपका कहां बढ़कर के चला गया, 58 हजार 608 करोड़। जीएसडीपी का 6.12 परसेंट। यह फिस्कल डेफिसिट में बीई और आरई के अंदर 24 हजार 686 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी। जीएसडीपी का और फिस्कल डेफिसिट का अनुपात 2.99 से बढ़कर 6.12 हो गया।

सभापति महोदय, एफआरबीएम एक्ट ने हमें वित्तीय अनुशासन में बांधा है। 3 परसेंट जीएसडीपी से ज्यादा हमारा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। यह 6.12 परसेंट हाई फिस्कल स्ट्रेस में राजस्थान आ गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब जीएसडीपी की जो परमिसेबल लिमिट है, भारत सरकार ने कोविड के कारण से 3 परसेंट को बढ़ाकर के कुछ शर्तों के साथ 4 परसेंट किया है। अब आप जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट 3.98 परसेंट, यानी 2021-22 की बीई में 47 हजार 652 करोड़, यह आपका फिस्कल डेफिसिट जब आप आरई में आओगे तो मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, मैं अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़े-बहुत आंकड़े पढ़ना जानता हूं, यह जो आप 3.98 परसेंट की कैप के अंदर रहने की बात कह रहे हो, यह बढ़कर के 9 से 10 परसेंट जाएगा। राजस्थान की हुकूमत ओडी में जाएगी। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। मुझे आपके जीएसडीपी के ताजे आंकड़े नहीं मिले वरना आपको प्रतिशत भी मैं बता देता।

माननीय सभापति महोदय, आज हालात क्या हैं? आज राजस्थान हिन्दुस्तान के उन राज्यों में शुमार हो गया जो सबसे ज्यादा कर्ज भार से दबे हुए हैं। कितनी बार, 1 बार, 2 बार नहीं। चाहे आपका जन घोषणा-पत्र उठाकर के देख लो। चाहे आपका 2019-20 का बजट पैरा 12 देख लो। चाहे आपका 2020-21 का बजट पैरा 7 देख लो। यह क्या कहते हैं? यह बजट के पवित्र डाकूमेंट में क्या लिखते हैं? पिछली सरकार ने राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए अत्यधिक ऋण लिया। बड़ा गुनाह किया जिससे राज्य कर्ज के तले दब गया। जहां मार्च, 2014 में जब हमने शासन छोड़ा था तो कर्ज व अन्य लायबिलिटीज 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ थी जो कि राज्य की जीडीपी के 23.58 परसेंट थी। इस प्रकार हमारी सरकार ने एफआरबीएम एक्ट 2005 द्वारा निर्धारित वित्तीय मान लो 25 परसेंट के भीतर रखने में हम सफल रहे। मतलब, बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। 2018-19 के संशोधित अनुमानों से यह बढ़कर 3 लाख 09 हजार 385 करोड़ हो गया। राज्य की जीडीपी का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

33.47 परसेंट हो गया। आपने यह दामन में दाग लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा गुनाह किया।

माननीय सभापति महोदय, यह मैंने नहीं कहा है। यह जो 2020-21 में बजट के पैरा नंबर 7 में और 2019-20 के बजट पैरा 12 में जो कहा, वह मैंने कहा है। अब आपकी हालत क्या है? मैं फिर कह रहा हूं। मेरा सोर्स है राज्य सरकार उधार एवं अन्य दायित्व संघटक, टेबल प्रारूप-4 ख, एफआरबीएम एक्ट का पेज 22, 2019-20 के अंदर आपकी जो आरई थी बजट में कुल कर्जे की, वह 3 लाख 41 हजार करोड़ थी। आप पधारे, बढ़ गया। पहले हम पर आरोप लगाया था कि हमने कर्जे को 3 लाख 09 हजार 385 करोड़ बढ़ा दिया। अब आरई के अंदर बढ़कर के 3 लाख 41 हजार करोड़ हो गया। फिर 2020-21 की बीई में आपने इसको बढ़ाकर के 3 लाख 75 हजार करोड़ कर दिया। जब आरई में आप आए तो पूरा साल गुजर गया। आपने कितना कर्जा लिया? आपने कर्जा 4 लाख 9 हजार करोड़ लिया। इस बार जो बजट एस्टीमेट आपने रखा है, उसमें कर्जा 4 लाख 57 हजार करोड़ है। यानी इन 2 वर्षों के अंदर सरकार का कीर्तिमान है। दूसरी सरकार, पहली सरकार पर पत्थर फेंकने वाली का कीर्तिमान है। आपने 2 वर्षों में 1 लाख 16 हजार करोड़ का कर्जा लिया। भूतो न भविष्यति। जब से राजस्थान बना है तब से नहीं हुआ है। यानी 58 हजार करोड़ कर्जा आप हर साल लेते रहे और आरोप आप हमारे ऊपर लगाते रहे। सभापति महोदय, अब सरकार की हालत क्या है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह भट्टा तो आपने बैठाया है न 5 साल में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हैं?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये भट्टे तो आपने बैठाये हुए हैं, तब लेना पड़ रहा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। प्लीज, प्लीज। कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, राज्य के आयोजना सचिव सिद्धार्थ महाजन का एक वक्तव्य मैं पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि राज्य की टोटल ओन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नोन टैक्स रेवेन्यू दोनों मिलाकर, उससे 108 परसेंट ज्यादा राशि तो राज्य के अंदर वेतन में, पेंशन में और जो ऋण लिया है उसके ब्याज में जा रही है। माननीय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं, मेरा एक आंकड़ा गलत हो, मैं एक भी गलत बात कह दूं और बिना सोर्स के कह दूं तो आप मुझे टोक देना।

माननीय सभापति महोदय, 2019-20 की आरई के अंदर राज्य का स्वयं का कर राजस्व 70,351 करोड़ है, एफआरबीएम एक्ट 2018-19, पेज नम्बर 13, इसका सोर्स है। माननीय सभापति महोदय, आप मुलाहिजा फरमाएं, वेतन में जाता है इनका एक साल का 70,351 करोड़, वेतन में गया 52,262 करोड़, ब्याज में गया 23,759 करोड़, पेंशन में गया 22,224 करोड़, यानी कुल 98,245 करोड़, यानी 139 परसेंट। यहीं नहीं रुके ये, 2020-21 की जो बीई थी, मैं मान लेता हूं कि आपने जितना बजट एस्टीमेट किया, उतना आपका टैक्स रेवेन्यू, नोन टैक्स रेवेन्यू 77,029 करोड़ का, आपने बजट एस्टीमेट किया उसमें वेतन पर गया 62,021 करोड़ रुपये, ब्याज पर गया 25,494 करोड़ और पेंशन पर गया 23,959 करोड़ यानी 1,11,474 करोड़, प्रतिपक्ष के नेता, देखो आप इनको। ये 145 परसेंट, ये कहां जा रहे हैं? घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। यह हालत क्या है राजस्थान की, किस प्रकार आपने घोषणाएं दर घोषणाएं करा डालीं। कितने दिन आप इस पर्दे के पीछे रहोगे? माननीय सभापति महोदय, चेहरे से नकाब खींचा जाएगा इस सरकार का, विकास पुरुष का और राजस्थान का अवाम देखेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब जो 2021-22 की बीई है, उसमें इनका जो टोटल रेवेन्यू टैक्स है, उसको बता दिया, 90,049 करोड़, जबकि आपने कर कोई लगाया नहीं, जब आप यह मानते हैं कि कोविड के कारण आपकी इकोनॉमी की गति कम हो गई। आप यह 77 हजार से 90 हजार करोड़ तक ओन टैक्स रेवेन्यू कैसे बढ़ा लोगे? क्या है आपके पास एजेंडा? इस समय भी 1,22,227 करोड़ वेतन, पेंशन और ब्याज, आप कहो तो मैं अलग-अलग कंपोनेंट बता दूं, 136 परसेंट। क्या हालात हैं आपके? मैं समझता हूं कि पूरा आपका बजट केन्द्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा और केन्द्र की कृपा से मिलने वाली सहायता पर टिका है और आप केन्द्र सरकार को गाली देते हो।

माननीय सभापति महोदय, अब इस बार 2019-20 में जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है, टैक्स रेवेन्यू, नोन टैक्स रेवेन्यू, वह था 70,351 करोड़ और सिर्फ ब्याज में गए 23,759 करोड़ यानी 33 परसेंट पैसा ब्याज में चला गया और 2020-21 में 77,029 करोड़ इनके बजट एस्टीमेट की ही बात कर रहा हूं, ब्याज में चले गए 25,494 करोड़ यानी 33 परसेंट चला गया। इस बार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इनका बजट एस्टीमेट 90,049 करोड़ मान लूं तो भी 28,360 करोड़ तो ब्याज आपको देना पड़ेगा। बजट एट ए ग्लांस, पेज नम्बर 3 और 4 में, 31.49 परसेंट है, ये सरकार की हालत है।

माननीय सभापति महोदय, इस बार की जो प्लान साइज है, 1,32,251 करोड़ की वार्षिक योजना सरकार ने इस बार बनाई है। उस 1,32,251 करोड़ के अंदर सरकार की सारी घोषणाओं को सम्मिलित किया है। अब ये वित्त पोषित कैसे होंगी? मैं निवेदन करूं कि योजनागत व्यय विकास का आधार है और विकास की आधारभूत संरचनाओं की जो घोषणाएं कीं, वे इसमें समाहित हैं। आपने 2019-20 में 1,16,735 करोड़ का आउट ले, प्लान साइज बनाया, आपकी बजट स्टडी पेज नम्बर 48 में मैंने देखा तो आपने योजना पूरी की 1,05,133 करोड़ यानी 11,602 करोड़ तो भेंट चढ़ा दी आपने। ये घोषणा हो रही है माननीय सभापति महोदय, इसीलिए तो ये हालत है। कालेज खोल दिए 88, किसी में 1 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख, यह भवन का पैसा नहीं, घोषणा दर घोषणा, आज फिर मुख्य मंत्रीजी आए थे, कुछ घोषणाएं रह गईं क्योंकि जब कुर्सी डगमगाती है, नैया जब डगमगाती है, तो साहिल तक जाने से पहले नाविक भी घबराता है, इसलिए आकर घोषणाएं कर डालीं और, और कर डालो क्योंकि आपको वित्त पोषित तो करनी ही नहीं। हालात क्या हैं, ये जो 2020-21 का प्लान पूरा हो रहा है, मैं जिम्मेदारी से आथेंटिक बात कह रहा हूं 1,10,200 करोड़ का प्लान था, मैं नेता, प्रतिपक्ष से सहयोग चाहूंगा, 31 दिसम्बर तक आपने जो खर्चा किया, वो किया 68,487 करोड़ यानी 41,713 करोड़ रुपये, अब आपको 3 महीनों में खर्च करने हैं, कैसे खर्च करेंगे? कहां से लाएंगे आप? यानी मेरा आरोप है सरकार पर, आपने प्लान साइज को 40 परसेंट काटा और अब आपका 1,32,251 करोड़ का यह प्लान साइज कैसे पूरा होगा? कौनसा आप नया टैक्स लगा रहे हो, टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है। (व्यवधान) यही तो समझ में नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब सदन के नेता केन्द्र के तीन कृषि कानून पर अपने भाषण न देते हों, बड़े किसान के हितैषी हैं। अब इन्होंने क्या किया पिछली बार, बजट स्टडी पेज 46 देखिए आप। उसमें आपकी जो संशोधित योजना जिसका आपने ब्यौरा दिया, 2020-21 में, मुख्य सचेतक जी, आपने 11,490 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा कृषि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेवाओं पर, किसान पर खर्च करने का और आपकी बजट स्टडी पेज 48 क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर टेबल है उसके अंदर, 31 दिसम्बर तक आपने पैसा खर्च किया राजस्थान के किसान की बहबूदी के लिए 6,612 करोड़, दुर्भाग्य है, 4,878 करोड़, यानी 40 परसेंट खर्च कर रहे हो और किसान की बात कर रहे हो? फिर आप बात कर रहे हो। फिर आप बात कर रहे हो, केन्द्र सरकार के बारे में इन्होंने कहा पैरा नम्बर 302 में, मतलब 302 धारा ही लगा दी केंद्र पर इन्होंने। मैं सदन का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा देय केंद्रीय करों में राज्य हिस्सा राशि में की गई कटौती की ओर दिलाना चाहता हूं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं, 2020-21 में केंद्र द्वारा 14,054 करोड़ की कटौती की गई और आगामी वर्ष के लिए 40,106 करोड़ का प्रावधान किया, यानी 6,789 करोड़ की कटौती की आपने बात की।

माननीय सभापति महोदय, आपको तो पता है, आप तो संविधान के ज्ञाता हो, हमारे यहां हर साल केन्द्रीय वित्त आयोग बनता है, 15वां वित्त आयोग जो अभी एनके सिंह की अध्यक्षता में बना, उसकी रिपोर्ट अभी संसद में रखी गई है। उसमें divisible tax pool के अंदर राज्यों का हिस्सा 41 परसेंट किया गया, 14वें वित्त आयोग में राजस्थान का हिस्सा था 5.50 divisible tax pool में था, वो बढ़कर हो गया 15वें वित्त आयोग में 5.98, यानी 0.48 परसेंट बढ़ा तो कहने में क्या, एक बार अगर लिख देते, धन्य हो आज केन्द्र सरकार को, 56 इंच सीने वाले प्रधान मंत्री का धन्यवाद। सीना तो इनका 60 इंच का है, कल इन्होंने कहा, पर ये आंकड़े क्या कह रहे हैं? महेशजी, केन्द्रीय करों में अपना हिस्सा पहले 2.3 परसेंट था अब वो भी 2.45 परसेंट हो गया और सहायता में 10 परसेंट और अपने को मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें सही बात है कि 2021-22 में अभी संसद के अंदर जो बजट रखा गया था, तो उन्होंने यह कहा था कि 2020 के अप्रैल से अक्टूबर तक और 2019 के अनुपात में देखें तो राज्यों की राजस्व प्राप्तियां 13 परसेंट कम हुई हैं। संसद में यह बात उठी और भारत सरकार ने यह भी माना कि आज पूरे देश में सारे राज्यों में 4 लाख 60 हजार करोड़ रुपये बाजार से ऋण लिया जो पिछले साल से 82 परसेंट ज्यादा है। निश्चित तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ये जीएसटी की बात करें, मुख्य मंत्रीजी चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो, खेल खूब करते हैं, चिट्ठी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिख डाली। मैं कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जीएसटी के अंदर सैस लगाया था राज्यों को 14 परसेंट वैट बढ़ोतरी के हिसाब से जो 5 साल तक कंपनसेशन देना था वह डिप हो गया। 70 हजार करोड़ रुपया कम हो गया, जो कुल मिलाकर 1 लाख 65 हजार करोड़ था, उसमें 70 हजार करोड़ कम आया और कुल मिलाकर जीएसटी की क्षतिपूर्ति इस साल तक राज्यों के अंदर केन्द्र की तरफ देनदारी हो गई, 2 लाख 30 हजार करोड़ और इसीलिए तो जीएसटी में 3 परसेंट सीमा को 5 परसेंट किया, उसके पीछे यही था और इस कंपनसेशन को पूरा करने के लिए हमारे मुख्य मंत्रीजी चूकते नहीं हैं। पंजाब के मुख्य मंत्रीजी के साथ मिलकर इन्होंने कहा कि पूरा का पूरा केन्द्र सरकार चुकाये। फिर विकल्प एक की तरफ जाना पड़ा न इनको, जिसमें यह विकल्प दिया था केन्द्र सरकार ने कि यह जो 2 लाख 30 हजार करोड़ है, उसमें से 1 लाख 10 हजार करोड़ रुपया राज्य रिजर्व बैंक से लोन ले ले, उसमें न तो उनको ब्याज देना पड़ेगा और मूल की भरपाई जीएसटी सैस से आने वाले समय में हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं 2020-21 में, मंत्रीजी, आपकी जितनी जीएसटी बनती है, क्या यह सही नहीं है कि 5,462 करोड़ रुपये में दिसम्बर तक आपके पास 3,162 करोड़ रुपये आ गए। क्यों पत्थर फेंकते हैं, यह मेरे समझ के बाहर की बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं केन्द्रीय करों में हमारा जो हिस्सा है, 2020-21 के अन्दर जो आपकी आरई थी, उसमें केन्द्रीय करों में हिस्से के लिए आपकी किताब कहती है कि 32 हजार 885 करोड़ और सहायता आपको मिली 30 हजार 486 करोड़ की। 2020-21 के अन्दर आपके आंकड़े यह कह रहे हैं कि जो सहायता आपको बीई के अन्दर 29 हजार 892 करोड़ थी वह बढ़कर 30 हजार 486 करोड़ हो गई थी तो 800 करोड़ की बढ़ोतरी को कहने में संकोच कहां है? इसी तरह जो आपकी 2021-22 के अन्दर 2020-21 की केन्द्रीय सहायता 30 हजार 486 करोड़ थी, वह बढ़कर हो गई 36 हजार 475 करोड़, लेकिन आपने दिया है, मैंने नहीं लिया तो आप कैसे कह रहे हो कि कमी हो गई, 6 हजार करोड़ की यह बढ़ोतरी बोल रही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बता दो कि जीएसटी का कम्पन्सेशन 2019-20 का राज्यों का 165 हजार करोड़ ड्यू था, आपने बताया वह 2020-21 में कितना हो गया, वह बता दो आप। इसमें 1 लाख 65 हजार

(श्री संयम लोढ़ा)

करोड़ से बढ़कर कितना हो गया और क्यों नहीं दे पा रहे हैं वह बता दो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये आप। (व्यवधान) विराजिये आप। माननीय सदस्य, प्लीज। विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इनको बोलने दें। जरूरी है क्या आपका इस तरह से बीच में इंटरवीन करना? वह कोई बात कर रहे हैं तो ये सक्षम हैं। राजेन्द्र जी राठौड़ साहब सक्षम हैं संयम लोढ़ा जी को जवाब देने के लिए, फिर आप क्यों बीच में उचक रहे हो? बैठिये आप। (व्यवधान) आपका दिखवाना पड़ेगा। आपकी सीट दिखवानी पड़ेगी। प्लीज, सहयोग करें, विराजिये आप। राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं समझता हूं सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझसे मिलना, मैं आपको आंकड़ों के आधार पर बता दूंगा और मैंने पहले ही आपको कहा...

श्री सभापति: राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस सरकार का बजट के प्रति जो कमिटमेंट, जिसकी परिभाषा इन्होंने, मुख्य मंत्री जी ने तीन बजटों में आईना बताया, उसको अपना आर्थिक एजेण्डा.....

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो आंकड़े आपने यहां पर प्रस्तुत किये हैं वे छिपाकर किये हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि जीएसटी में इतना बढ़ा दिया गया और राज्य का हिस्सा इतना दे दिया गया और 15th कमीशन की रिपोर्ट यह थी उससे यह सारा मिल जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। मैं आपको बीच में इंटरवीन नहीं करना चाहता क्योंकि मैं आपकी पूरी बात सुनना चाहता हूं और जवाब दे दूंगा आपको इस बात का। यह फैसला भी सदन कर लेगा, 40 हजार का टांका लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट को।

श्री सभापति: विराजिये, प्लीज शांत रहें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धारीवाल साहब अपना जवाब दें तो मैं समझता हूं कि यह भी जवाब दे देना कि आपने जन घोषणा पत्र के अन्दर पैट्रोल और डीजल में तत्कालीन सरकार के वैट को ज्यादा मानते हुए उसको जीएसटी के दायरे में लाने की घोषणा की थी? जीएसटी कौन्सिल में चुप्पी साध लेते हो, एक शब्द बोला नहीं जाता। आज इस देश में पैट्रोल-डीजल पर सर्वाधिक वैट अगर किसी प्रदेश में है तो राजस्थान की सरकार में है और आप इसके दोषी हैं।

श्री सभापति: इसको डिबेट मत बनाइये। (व्यवधान) प्लीज, एक मिनट मंत्री महोदय, विराजिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जीएसटी कौन्सिल में जब मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री थे तो क्या स्टैण्ड था नरेन्द्र जी मोदी का जीएसटी के बाबत? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये, जवाब दे देंगे इस बात का। बैठिये, प्लीज। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: मैं डिबेट नहीं होने दूंगा। प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, अगर इस तरह से चर्चा होगी तो मैं सोचता हूं कि जब आपका नम्बर आये तो आप इन पाइंट को नोट कर अपनी तरफ से स्पष्टीकरण ठीक तरह से दे दो जो जनता के बीच में भी चला जाएगा कि हकीकत क्या है। अगर कोई गलत आंकड़ा दे दिया तो आपका जब नम्बर आता है तो आप उसको लिखकर दे देना, उसमें क्या दिक्कत है? केवल बीच-बीच में बोलकर अपनी बहादुरी बताने का काम मत करो। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष की बात से सहमत हूं, लेकिन भाषा का एक स्तर होता है, हट, चुप, यह भाषा सदन में इस्तेमाल हो तो मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि ये अपने माननीय सदस्यों को समझाएं। कुछ भी कहें लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करें।

श्री सभापति: कोई ऐसी बात अंकित नहीं हो। नहीं, आपकी तरफ से कोई नहीं। प्लीज, सहयोग करें। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखता हूं कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इन्हें अपनी बात कहने दें और आपका जब नम्बर आये तो जो भी आपको रिप्लाई देना हो वह दे दें पर इसको डिबेट मत बनाइये, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुख्य सचेतक महोदय, आप और हम उस दौर में आ गये, आपको पुरानी बातें याद हैं क्या कि आप मुझसे डरते थे या मैं आपसे डरता था? आप मेरे को धमकाना चाहते हैं? सभापति महोदय, मुझे संरक्षण चाहिए। सभापति महोदय, यह बिलकुल सीधा-सादा निरीह आदमी, आप आसन पर विराजे हैं और मुझे इस तरह धमकाते हैं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 2021-22 के बजट में....

श्री सभापति: आप तो 60 इंच से ऊपर के सीने वाले आदमी हो, आपको संरक्षण की कहां जरूरत पड़ रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, 2021-22 के बजट के पैरा 70 में मुख्य मंत्री जी ने कृषक कल्याण कोष के माध्यम से मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की, धन्यवाद। मैं सदन का ध्यान 10 जुलाई, 2019 के बजट पैरा 16 और 20 फरवरी, 2020 के बजट पैरा 8, जिसमें किसान कल्याण कोष का जिक्र मुख्य मंत्री जी ने जिस भाषा में किया, वह पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 'किसान के लिए उपज को विपणन मंडी और भंडारण गृह तक पहुंचाना तथा उसका उचित मूल्य प्राप्त करना भी बड़ी चुनौती है। किसान के इस बहुआयामी संघर्ष से इत्तेफाक रखते हुए मैं चाहूंगा कि हम ईज आफ डूइंग फार्मिंग की दिशा में ठोस पहल करें। किसान भाइयों के लिए ईज आफ डूइंग बिजनस की तर्ज पर ईज आफ डूइंग फार्मिंग की ओर पहला बड़ा कदम उठाते हुए मैं एक हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष (के-3) के गठन की घोषणा करता हूं। इस कोष से किसानों को उनके उत्पादों का यथोचित मूल्य दिलाने हेतु काम में लिया जायेगा।' यानी अब राजस्थान के अन्दर एमएसपी से नीचे किसी भी फसल की जब भी खरीद होगी, यह के-3 जो एक हजार करोड़ का है उससे उसको सहायता दी जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपने अलग से कृषि बजट लाने की भी घोषणा बजट में कर दी। आप मुझे बताएं, 2019-20 गया, 2020-21 गया, इस कृषण कल्याण कोष में से कितनी राशि आपने राजस्थान के किसानों के उत्पाद को यथोचित मूल्य पर खरीदने के अन्दर किसानों को सहायता दी? यह आप बजट का उत्तर दें तो बतायें।

मैं निवेदन करूं, सभापति महोदय, आप जहां से आते हैं, अपने यहां बाजरा सर्वाधिक पैदा होता है। धन्यवाद देना चाहूंगा मैं केन्द्र की सरकार को कि इस बार खरीफ 2020-21 के अन्दर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलें अधिसूचित हुई उनमें बाजरे की फसल भी थी और 2150 रुपये उसका समर्थन मूल्य रख दिया। यह मैं नहीं कह रहा, यह राजस्थान के कृषि विभाग के आंकड़े कह रहे हैं कि राजस्थान के अन्दर 39 लाख 42 हजार हैक्टेयर के अन्दर बाजरा बुआई की गई और 44 लाख 64 हजार क्विंटल बाजरा पैदा हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हमारे पड़ोसी राज्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हरियाणा ने एमएसपी पर 2150 रुपये में बाजरा खरीदना प्रारम्भ कर दिया, गुजरात ने कर दिया। जब यहां नहीं किया तो उच्च न्यायालय में किसान वैलफेयर सोसायटी, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य इस सोसायटी को अच्छी तरह जानते हैं, किसान वैलफेयर सोसायटी वर्सेज राजस्थान सरकार एक एसएलपी दायर हुई, आपने शपथ पत्र क्या दिया? राजस्थान के अन्दर 66 परसेंट बुआई होती है देश के बाजरे की और आपने असमर्थता जाहिर की कि हम एमएसपी पर बाजरा नहीं खरीदेंगे। यह आपका असली चेहरा है और फिर आप बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय राठौड़ साहब का अंकित होगा, और किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं इसी बजट के अन्दर, जो मुख्य मंत्री जी ने कल रखा, उसके बजट पैरा 68 को सुनाना चाहता हूं। पेज 27 बजट पैरा 68 में मुख्य मंत्री जी क्या बोलते हैं- सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋणी काश्तकारों को ऋण माफी का लाभ देने के लिए हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से अभी तक सहमति प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में हम स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) के सम्पर्क में रहकर ऋण राहत में प्रयासरत हैं और ऋण माफी से शेष रही राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ऋणी कृषकों को वन टाइम सैटलमेंट योजना का उपयोग करते हुए हम ऋण माफ करायेंगे। कितनी आपने तालियां बजायीं, हे भगवान, हे ईश्वर, ऊपर देखो कहीं। सभापति महोदय, इतनी जोर से तालियां बजीं और अब वह समय आ गया। आपने सम्पूर्ण ऋण माफी की बात कही थी, अब आप बजट में घोषणा करते हैं तो हो ही जाएगा क्योंकि बजट की सैंक्टिटी है, पवित्रता है, पर मैं आपका ध्यान 2019-20 के अन्दर जिस बजट को रखते हुए आपने कहा था कि आर्थिक नीतियों का ऐसा आईना, जिसमें जनता अपनी उम्मीदों, सपनों का प्रतिबिम्ब देखती है। राजस्थान के किसान को आपने क्या दिया? 2019-20, बजट पैरा 25- वाणिज्यिक बैंक के ऋणी काश्तकारों को ऋण माफी की राहत पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय से संवाद प्रारम्भ किया। हमने बैंक द्वारा उद्योगपतियों और व्यापारियों के साथ किये जाने वाले वन टाइम सैटलमेंट की तर्ज पर किसानों के साथ भी ऐसे सैटलमेंट के जरिये ऋण माफी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के लिए आग्रह किया। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम यह प्रक्रिया अपनाकर पात्र किसानों को लाभ दिलाएंगे। यह प्रक्रिया अपनाकर, यह विश्वास, यह प्रक्रिया 26 महीने का समय हो गया, 10 दिन में पूर्ण कर्जा माफ कर रहे थे।

सभापति महोदय, 18 लाख किसान हैं, जिन्होंने शिड्यूल्ड बैंक, नोटिफाइड बैंक, नेशनलाइज बैंक से कर्जा लिया, आज अधरझूल में हैं। वे डिफाल्टर हो गये, उनकी जमीन नीलाम होना प्रारम्भ हो गई। मैं समझता हूं सभापति महोदय, इस प्रकार की बात...

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज, क्या हो रहा है ये, जरूरी है बोलना आपका? शांत रहें। बीच में इंटरवीन न करें, बैठे-बैठे बोल रहे हैं। मैं आपके सचेतक को कहूंगा, आपको बुलवाएंगे वे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इसी बजट के पैरा 67 में आगामी वर्ष से कृषि...(व्यवधान) बजट शुरू करने की घोषणा, इसके पीछे आपका क्या हेतु है, आप सारी बातों को ढंकना चाहते हैं। सभापति महोदय, यही नहीं, हाल क्या है दिलों का पूछिए सनम। मैं पढ़ता हूं तो, सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस होता है। इसलिए महेश जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, गालिब ने क्या कहा था, "बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे, पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा-ए-खून ना निकला।" मतलब इस प्रकार की बजट की घोषणाओं के पीछे आपका हेतु क्या है? आपने इस बार बजट पैरा 85 में पृष्ठ 32 पर कहा, कृषि कार्य में समय की बचत तथा खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से लघु और सीमांत कृषकों को उच्च तकनीकी के कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने हेतु मैं चरणबद्ध रूप से पीपीपी मॉडल पर जीएसएस में एवं अन्य जगहों पर एक हजार कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूं, 20 करोड़ रुपये...

श्री सभापति: दो-तीन मिनट में समाप्त करें, अपनी बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वह तो हमारा समय है।

श्री सभापति: समय आपका ही है, काफी हो गया, ध्यान नहीं है आपको। आपका समय दूसरा कोई कैसे ले सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, ये 2020-21 के अंदर बजट पैरा 39 में इन्होंने क्या कहा एक साल पहले, किसानों को किराये पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सहकारी समिति के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केन्द्र खोलेंगे, 8 करोड़ का व्यय होगा। मतलब, राजस्थान में एक भी जीएसएस में, एक भी जगह पर अगर कस्टम हायरिंग सेन्टर खुला हो तो मुझे बता दें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): यहां खुले हैं मेरे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अच्छा। सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, ये बजट पैरा 39 में इस बार जो 16 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण की इन्होंने घोषणा की। सभापति महोदय, 2018-19 का बजट अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्पकालीन फसली ऋण 26 हजार करोड़ के किसानों को बांटने की घोषणा, उस वक्त सरकार ने की थी। आज जो सदन में बात उठी, सहकारी बैंक ने जो ऋणी किसान हैं, राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना योजना में, जो 10 लाख तक का सुरक्षा चक्र उसे मिलता था दुर्घटना पर मृत्यु होने पर 10 लाख, आपने उस योजना को बंद कर दिया। सामान्य मृत्यु पर जो जीवन सहकार योजना डेढ़ लाख की थी, अगर उसकी मृत्यु होगी तो डेढ़ लाख तक का ऋण माफ, आपने उसको बंद कर दिया और अब नाबार्ड ने अपेक्स बैंक को नोटिस दिया है, राजस्थान में 29 केन्द्रीय बैंक हैं, जो 6 हजार 559 जीएसएस के माध्यम से ऋण बांटते हैं। हमारे जो एमडी हैं, 12 जिलों के अंदर उनकी योग्यताएं न तो भारतीय रिजर्व बैंक के मापदंडों के अनुसार है और न नाबार्ड के और न ही राजस्थान सहकारी अधिनियम 27 (अ) के अनुसार। अभी 23 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपेक्स बैंक को नोटिस दिया है। ऐसे अयोग्य लोगों के हाथ में आप बैंकों को देकर राजस्थान में सहकारिता की बात को कहां ले जाना चाहेंगे।

सभापति महोदय, अभी नन्दीशाला की बात इस बार फिर बजट में इन्होंने कही कि हमने प्रत्येक ब्लाक में नन्दीशाला बनाने की घोषणा की थी। इस कार्य को व्यापक रूप से करने के दृष्टि से अब इन नन्दीशालाओं पर 1 करोड़ 50 लाख रुपये के मॉडल के आधार पर आगामी वर्ष में 111 करोड़ की राशि खर्च होगी। अब आपने 2019-20 में क्या कहा था? आपने कहा कि प्रत्येक पंचायत समिति में नन्दीशाला स्थापित करेंगे, आवारा पशुओं की समस्याओं से जो किसान त्रस्त हैं, वह दूर हो जाएंगी।

अभी इसी संदर्भ में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न लगाया, एक रुपया खर्च नहीं हुआ। 2019-20 की घोषणा, पैरा 19 की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घोषणा, नन्दीशाला पंचायत समिति में खोलने की घोषणाएं, 2019-20 चला गया, 2020-21 चला गया फिर +++ से आप घोषणा कर रहे हो, कब नन्दीशाला बनाएंगे? अब तो मॉडल दिया है 1 करोड़ 50 लाख, मतलब सफर देखिए आप, 2019-20 की घोषणा में 2 साल बाद मॉडल दे रहे हैं।

सभापति महोदय, आपने कहा था बजट पैरा 2019-20 में, पैरा 180 में हमारे zero discrimination, zero corruption and zero harassment पर हम लोक सेवकों की जवाबदेही के लिए सार्वजनिक जवाबदेही कानून लाएंगे। आज 23 महीने से लोकायुक्त, उप-लोकायुक्त नहीं है। किसने मना किया आपको? यह सार्वजनिक जवाब दे, कानून लाने से जो बजट में घोषणा आपने की, आपने पिछली बार कहा 2019-20 में कि राजस्व न्यायालय के अंदर साढ़े तीन लाख मामले लम्बित हैं। अब कानून में संशोधन करके कलेक्टर की अपील डिवीजनल कमिश्नर को सुनना था, ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है, एक अमेंडमेंट करना था। मतलब आप कहो कुछ और करो कुछ, इससे ज्यादा क्या हो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां, अब खतम करूंगा, सभापति महोदय। मेरा समय है, आप हमारे समय में कर लें, मेरे नेता कहेंगे तो बैठ जाऊंगा। सभापति महोदय, महात्मा गांधी जी, मतलब कोई ऐसा मौका गया नहीं, जब सदन के नेता ने महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया हो। मैं समझता हूं कि कापीराइट बना लिया और बात भी सही है, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।

आपने 2019-20 में महात्मा गांधी संस्थान और दर्शन म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी, आपने 10 जुलाई को बजट घोषणा 105 में पचास करोड़ की लागत से आपने कहा था कि महात्मा गांधी के दर्शन से लोग रूबरू हों, हम इसको बनाएंगे। महात्मा गांधी संस्थान और महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और फिर आप घोषणा कर रहे हो। मुझे तकलीफ इस बात की है कि 2021-22 के अंदर पृष्ठ 19 पर पैरा 43 पर फिर कह रहे हो, महात्मा गांधी संस्थान तथा गांधी दर्शन म्यूजियम बनाने की घोषणा की थी, उसकी प्रारम्भिक तैयारी पूरी हो चुकी है और जयपुर के सेन्ट्रल पार्क के अंदर 100 करोड़ से बनाएंगे। मतलब, मैं समझता हूं कि आपने कभी पढ़ा नहीं। आपने दो साल पहले क्या बात कही और उसके बाद आपने 2020-21 में पैरा 181 के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंदर महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 10 करोड़ की लागत से खादी प्लाजा, कहां है? मैं सही कह रहा हूं महेश जी, मैं शिकायत करने जाऊंगा, राहुल जी को भी शिकायत करूंगा और अजय माकन जी को भी करूंगा, पता लगेगा आपको।

सभापति महोदय, आप देखें इंदिरा जी के नाम से, आपने 2019-20 में क्या घोषणा की थी...

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज, कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पैरा 120 के अंदर। सभापति महोदय, मैं दो बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, मैं एक तो निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि में 1 हजार करोड़ की जो आपने घोषणा की थी 2019-20 में, उसकी पुनरावृत्ति 2020-21 पैरा 39 में की, एक फूटी कौड़ी भी आपने इस पर खर्च की हो दो साल में तो बताएं। इसी तरह आपने नेहरू जी के नाम से 2020-21 में बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने के लिए जयपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर इनमें पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की घोषणा की और आपने इसी 2020-21 बजट के पैरा 56 में 100 करोड़ से नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा की। एक पैसा खर्च किया हो तो बताओ? आपने पं. जवाहर लाल नेहरू साहित्य अकादमी की घोषणा की, वर्ष 2019-20 में बजट पैरा 152 में 21 महीने गुजर गये, आपकी कहां है?

सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहूंगा, मुझे बहुत कुछ कहना था, पर आपकी नजर-ए-इनायत नहीं है। यह जो आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण है।

श्री सभापति: आप वे भाग्यशाली हैं, जिन्होंने अपना समय खुद ही तय कर दिया आज तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस आर्थिक आधार पर पिछड़ों को आरक्षण के लिए अगर बुनियाद किसी ने रखी तो हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने 22.09.2015 में, यहां से बिल पास करके रखी, पर मुख्य मंत्री जी, सदन के नेता वाहवाही लेना चाहते हैं। आपने 2020-21 के अंदर, बजट पैरा 54 में आर्थिक आधार पर पिछड़ों के उत्थान व कल्याण के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा आयोग के गठन की घोषणा की थी, कहां है वह घोषणा? आपने अपने जन घोषणा पत्र में विप्र कल्याण बोर्ड बनाने की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

घोषणा की थी। आप सभापति जी आसन पर विराजे हैं। आज किस प्रकार की हालत से विप्र गुजर रहा है। आपने कहा था घोषणा पत्र में संख्या 27 में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे, ब्राह्मण वर्ग के लिए, कहां चला गया यह? हवा-हवाई हो गया सभापति महोदय। सभापति महोदय, अब मैं क्या निवेदन करूं, अगर मैं सारी बात करूं तो जो घोषणा इन्होंने की...

(14.00 बजे)

वह सारी कपोल कल्पित घोषणाएं हैं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सभापति महोदय, कि यह जो घोषणाओं का पुलिंदा घोषित किया है जादूगर के इंद्रजाल मायाजाल में, यह असत्य का पुलिंदा है। राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करने का काम है और मैं समझता हूं कि बजट का और सदन का जितना अपमान इस बार इस सरकार में सदन के नेता और उनके सहयोगी करते हैं, कभी नहीं हुआ और मैं फिर शुभकामनाएं देना चाहूंगा, अभी तो आप इस मेज को थपथपा रहे हो, जनता में जाओगे तो छाती को पीटोगे अपनी, जनता आपसे जवाब मांगने के लिए तैयार बैठी है। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार शर्मा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, 'लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु' की उदात्त भावना के साथ और उप नेता जी ने जो शब्द बोले हैं, उनके लिए कहना चाहूंगा कि 'time-tested, well-trusted' अर्थात् हर चुनौती में सफल रहने वाले और लोगों में पूर्ण विश्वास प्राप्त करने वाले राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने कल पुनर्वसु पुष्य नक्षत्र में सौभाग्य नामक शुभ योग में और शुभ के चौघड़िए में राज्य की जनता को सुख और चैन प्रदान करने वाला लोक कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूं कि पहली बार हमारे प्रदेश में पेपरलेस बजट पेश किया गया है, जो ऐतिहासिक कदम है। यह बजट हमारे किसान भाइयों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों एवं हर वर्ग, यहां तक कि बेजुबान पशु-पक्षियों के लिए भी कल्याणकारी है। इस प्रकार का ऐतिहासिक बजट और वह भी ऐसे हालातों में जब पिछले मार्च यानी आज से एक साल पहले पूरा विश्वव्यापी संकट जो मानव जाति पर आया और 3 महीने लोकडाउन में तो ऐसे लगा कि हम लोग आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और

(डा. राजकुमार शर्मा)

उसके बाद भी उन परिस्थितियों से उबर कर हमारे जननायक ने प्रदेश के हालात को देखते हुए, हिम्मत दिखाते हुए और इतना शानदार बजट प्रस्तुत किया है जो 'न भूतो न भविष्यति'। ऐसे हालातों में जब विपक्ष, उम्मीद तो यह करते थे कि अच्छे सुझाव देते और मैं कह रहा हूं कि सब बात छोड़िए, आप आंकड़ों का जो जाल अभी बोल रहे थे, आप लोग जो हमको भी गरिया रहे थे बड़ी-बड़ी बातों पर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो जीएसटी का 14,000 करोड़ रुपये का पैसा केंद्र सरकार ने रोक रखा है, वह दिलवा दीजिए। आपके सारे आंकड़े हम वैसे ही फेल कर देंगे। यह हमारी जो सरकार है यह 14,000 करोड़ जीएसटी जो हमारे राजस्थान का हक है वह हक केंद्र सरकार ने रोक रखा है, आप उसको दे दीजिए। आप तो जाकर के अभी कह रहे थे कि माकन जी से मिलूंगा, राहुल जी से मिलूंगा। महेश जी भाई साहब को आप धमका रहे थे, मैं कह रहा हूं कि आप एक कदम जाकर मोदी जी की तरफ चल दो, उधर जाओगे तो जाकर कहोगे कि हमारे राजस्थान का जो हक है वह दे दीजिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आ जाएगी लेकिन आप वह नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग तो यह कह रहे थे बार-बार कि देखते हैं इस बार बजट कैसे पेश करते हैं, कैसा बजट होगा लेकिन आपने देख लिया न 60 इंच का सीना। अभी तक तो आप 56-56 की बात कर रहे थे, 60 इंच का सीना दिखाया है और जादूगरी भी दिखाई है। जादूगरी इस रूप में दिखाई है कि अगर विपरीत हालातों के अंदर कोई व्यक्ति इस तरह का जो जनता का कल्याणकारी, जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत करता है, उसकी क्रियान्विति के लिए जो प्रयास करता है, उस व्यक्ति का आपको हौसला बढ़ाना चाहिए। यह मेरा खुद का आकलन है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे नवलगढ़ में खूब सारी सौगातें दी हैं और जिस प्रकार से कल से लोगों के फोन आ रहे हैं, पूरे राजस्थान भर से सब लोग तारीफ कर रहे हैं इस बजट की कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान को किस प्रकार से आगे ऊंचाइयों पर ले जाना मुख्य मंत्री जी चाहते हैं, यह आप सब को भी पता है।

सभापति महोदय, इस बजट में प्रदेश के मुख्य मंत्री महोदय ने आर्थिक दृष्टि से उपकृत किए जाने वाले सभी क्षेत्रों को समाहित किया है। बात चाहे पेयजल की हो, बिजली की हो, सड़क और यातायात की हो, ग्रामीण

(डा. राजकुमार शर्मा)

विकास या शहरी विकास की हो, अल्पसंख्यक या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग की हो, दिव्यांगजन की हो, महिलाओं की हो, वृद्धजन की हो, वन सम्पदा हो, पर्यटन हो, धरोहर, पुरातत्व उद्योग या वाणिज्य हो, सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहन, उन्नयन, विकास और समृद्धि प्रदान करने का पूरा प्रयास किया है। मैं इस बजट का पूरा समर्थन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की पूर्व प्रधान मंत्री जिनको आयरन लेडी के नाम से पूरा विश्व जानता था, किस कदर उन्होंने देश की जनता को निजी क्षेत्र के शोषण से बचाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और देश के हर क्षेत्र में चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, रक्षा क्षेत्र हो या पैट्रोलियम क्षेत्र हो, उनके सरकारीकरण की एक नयी अवधारणा देश के समक्ष प्रस्तुत की और देश को विकास की राह पर आगे बढ़ाया लेकिन आज हमारी वर्तमान केंद्र सरकार क्या कर रही है। देश की वित्त मंत्री जी ने 2021-22 के बजट में विनिवेश के माध्यम से 1,75,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है यानी विनिवेश के माध्यम से। अपना घर बेचो, अपनी सम्पत्ति बेचो और अपना स्वार्थ साधो। याद करो हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी को जिन्होंने पूरी विश्वव्यापी मंदी के बावजूद भी हमारे इस देश को आर्थिक मंदी से बाहर निकाला। जिस समय रशिया, अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था उसके बाद से न जाने कितने देश थे जिनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, लेकिन हमारा हिन्दुस्तान हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री की आर्थिक नीतियों की वजह से खड़ा रहा, लड़ता रहा और देश आगे बढ़ता रहा। पूरे विश्व ने लोहा माना उस बात का लेकिन उस समस्या से निकलने के लिए सम्पत्तियों को नहीं बेचा उद्योगपतियों को। हमारी खुद की ऐसी योजनाएं बनाई गयीं कि देश कैसे इस आर्थिक संकट से निकले और हमारे देश के लिए माननीय हमारी इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था हम दो हमारे दो, माननीय सभापति महोदय, वर्तमान समय के अंदर जिस प्रकार से आर्थिक संकट में डाला इस देश को इस केंद्र सरकार ने और हम दो, हमारे दो की नीतियों के ऊपर भी यह काम कर रहे हैं लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम इस देश को बिकने नहीं देंगे। याद रखना, जिस दिन इस जनता को असलियत का पता चलेगा आप लोगों की योजनाओं का, यह वही जनता है जिसने आप लोगों को केंद्र सरकार में बिठाया है, वापस उतारेगी भी यह जनता। चार्वाक का

(डा. राजकुमार शर्मा)

सिद्धांत उद्धृत करना चाहूंगा कि 'यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्।' जब तक जीओ सुख से जीओ, ऋण करके घी पीओ लेकिन इस देश ने चार्वाक की हमेशा निंदा की है, उसके सिद्धांत को माना नहीं है। मुझे तो लगता है कि हमारे पुरखों ने, हमारे देश के बड़े-बड़े दिग्गजों ने, नेताओं ने जिस प्रकार से इस देश को संभाल कर रखा है आज वही नेता जो वर्तमान में 7 साल से काबिज हैं केंद्र सरकार के अंदर, वह हमारे इस पुरखों की कमाई को बेच रहे हैं।

सभापति महोदय, किसानों की बात कह रहे थे उप नेता महोदय, मैं कह रहा हूं कि इनको कोई अधिकार ही नहीं है किसानों की बात करने का। आज जिस प्रकार से सड़कों पर बैठकर के किसान और उस कड़ाके की सर्दी के अंदर सड़कों पर न्याय की उम्मीद लेकर पूरे दिल्ली के चारों बोर्डर्स के ऊपर बैठा है और आज यह केंद्र सरकार उन आंदोलनकारियों को नये शब्द गठित करके, जुमला, जो जुमले वाली सरकार है आप लोगों की। जुमलेबाजी करने का हमेशा काम है। नये शब्द लेकर आये हैं, आंदोलनजीवी, परजीवी लेकिन उन किसानों ने भी, देश के लोगों ने भी आपके लिए एक शब्द निकाल लिया है हठजीवी, फेंकूजीवी है और बेचूंजीवी। बेचूंजीवी इसलिए कहना चाहता हूं कि 'बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा न कोय, छूट गया हो यदि कछु सूचित कर दो मोय।' मैं फिर दोहराना चाहता हूं 'बेचत बेचत मैं चला उपक्रम बचा न कोय, छूट गया हो यदि कछु सूचित कर दो मोय।' किसानों को आतंकवादी कहने वालों, समय का इंतजार करो। आप लोग जब माफी भी मांगोगे तो भी देश की जनता आप लोगों को माफ नहीं करने वाली है।

हमारे बजट पर मैं तो उम्मीद कर रहा था कि यह अच्छे सुझाव देंगे, लेकिन शुरुआत में ही उपनेता महोदय ने कहा कि उबाऊ, थकाऊ, निराश। मैं एक सदस्य के नाते यह कहना चाह रहा हूं कि मैं तीसरी बार विधायक हूं हमने उबाऊ, थकाऊ और निराशा के माहौल में जीने वाला विपक्ष पहली बार इस सदन में देखा है। ऐसी निराशा की भावना, ...(व्यवधान) हमारी कोई निराशा नहीं है, हम लोग कोई निराश नहीं हैं, आप लोग इतने निराश हो जिसका रोजाना समाचार पत्रों में देखने को मिल रहा है कि आप कितने निराश हो। उबाऊ, थकाऊ, निराश कहने वाले उप नेता उप नेता जी, यह तो कोई ऐसी मशीन नहीं आती है वरना ऐसी मशीन यहां लगी होती तो आपकी सब की सच्चाई सामने आ जाती। एक आपने कहा कि एक में जान है और दूसरा बेजान है। वह तो हम अखबारों में रोजाना पढ़ रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है। यह पब्लिक है सब जानती है। जान किस में है और बेजान कौन है, यह सबको पता है। गाड़ी खड़ी हो जाती है, पैदल चलकर

(डा. राजकुमार शर्मा)

आना पड़ता है किसी को, आप सबको समझ में आ रही है वह चीजें। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में एक डायलाग चला, शायद आप सबको भी याद रहना चाहिए। हमें तो याद है कि 'सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जब भी टीवी चलाते थे सबसे पहले यह आवाज आती थी। आज क्या हो रहा है। यह शोले के गब्बर सिंह का डायलाग नहीं था, यह देश के प्रधान मंत्री जी का था। देश के अंदर जो भ्रम की स्थितियां पैदा करीं, वह डायलाग सबने सुना। मिट्टी से अनाज पैदा करने वाला जिसको अन्नदाता कहते हैं, उसको आपके इस तरह के लोगों ने आतंकवादी बना दिया और आज तथाकथित देश भक्त लोग देश को बेचने में लगे हैं। देश की सरकारी कंपनियों की बोली लगा रहे हैं। जल, थल और नभ को बेचने में तुले हुए हैं। रेलवे का निजीकरण कर दिया, एयर इंडिया का निजीकरण कर रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, जलपोत बेच रहे हो। जनता का भरोसा एलआईसी पर भी आपकी नजरें टिकी हुई हैं, उसको भी बेचने में लगे हुए हो। घाटे में दबी एयर इंडिया व बीएसएनएल-एमटीएनएल को बेचने की बात तो हमको सूझती है कि आप एमटीएनएल और बीएसएनल को क्यों बेच रहे हो क्योंकि आपको JIO को जिंदा रखना है। JIO को जिंदा रखोगे तो सरकारी उपक्रमों को आप धीरे-धीरे खतम करोगे, यह पूरे देश की जनता जानती है।

सभापति महोदय, निजीकरण के लिए चिह्नित की गई 26 कंपनियों के नाम अभी मैं आपको टेबल करूंगा। 26 वह कंपनियां हैं जो निजीकरण के लिए चिह्नित की गई हैं और आने वाले समय में आप देख लीजिए, यह सच्चाई सामने आ जाएगी कि किस प्रकार से यह लोग इस देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए, यह तो वही बात हो गई कि एक पोता बड़ी-सी गाड़ी लेकर अपने दादाजी के पास गया और दादा जी को बोला कि देखो दादा जी, मैं आपके लिए गाड़ी लेकर आया हूं, आपको गांव में घुमा कर लाऊंगा, गांव में भी चर्चा हो गई कि देखिए फलाने के पोते ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, गाड़ी लेकर के आया है लेकिन सच्चाई पता पड़ी कि वह दादा की जमीन बेचकर गाड़ी लेकर आया था। रहम करो देश पर।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार के मामले में माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बजट भाषण में कहा कि India is an old country but a young nation. देश के युवाओं को सशक्त और संपन्न बनाना आज की पहली आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने

(डा. राजकुमार शर्मा)
अपने बजट में 'युवा संबल योजना 2019' को और बेहतर बनाने की दृष्टि से पात्र बेरोजगार युवाओं को 3 माह का प्रशिक्षण दिलाकर विभिन्न विभागों में इंटर्नशिप कराने का प्रावधान किया है। बेरोजगारी भत्ते को भी 1000 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आगामी 2 वर्ष में 50,000 से अधिक भर्तियों का प्रावधान भी किया है। मैं बजट के प्रस्ताव 58 के तहत समान पात्रता परीक्षा लागू किए जाने का अभिनंदन करता हूं, जिसके तहत सरकार में भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध और एकीकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। समान पात्रता वाली परीक्षाओं को एक साथ करवाये जाने से बेरोजगार युवाओं के समय, श्रम और अर्थ की बचत हो सकेगी और एक समय में अधिक लोगों को रोजगार मिल पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। पिछली सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की थी कि हमारे विभाग की भर्तियां राजस्थान में निकालीं और एग्जाम करवाया नोएडा, दिल्ली, पता नहीं कौन-कौन से राज्यों में महाराष्ट्र, तेलंगाना, पता नहीं कहां-कहां करवाई। 2019 के बजट भाषण में सरकार से मैंने निवेदन किया था और मैंने सवाल भी लगाए थे कि राजस्थान की परीक्षा और केंद्र जा रहे हैं दूसरे राज्यों में। आप सोचिए हजारों लड़कों को तो वहां के राज्यों में धक्के देकर बाहर निकाल दिया था उस समय और मैंने मांग की थी कि एसओजी से इसकी जांच कराइए। तत्कालीन सरकार के ऊर्जा मंत्री और उस सरकार के वह अधिकारी जेल में जाएंगे लेकिन अभी तक मेरे दो सवालों का जवाब नहीं आया। माननीय ऊर्जा मंत्री जी परसों फिर भर्ती निकाली है, आप विद्वान हैं, ईमानदार हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं इस पर एक्शन लीजिए। जिन अधिकारियों ने गुमराह करके राजस्थान की भर्तियों का विज्ञापन देकर केंद्र बाहर रख रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिए। उन लोगों ने जो गलतियां कीं, आने वाले समय में जनता उनको और सजा देगी, लेकिन हम उस दोष के भागी नहीं बन सकें। राजस्थान के अलावा दिल्ली एनसीआर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, भर्तियां हमारी, वह कौनसे अधिकारी हैं, जो बाहर के लोगों को राजस्थान में नौकरी देकर यहां के युवाओं में आक्रोश भड़काना चाहते हैं। युवा अगर जाग गया और इस मामले को लेकर अगर युवा सड़कों पर उतर गया कि हमारा हक अगर दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति लेकर जा रहा है तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी आपसे

(डा. राजकुमार शर्मा)

प्रार्थना है कि ऐसे अधिकारियों को चिह्नित करो। क्या यह वही अधिकारी हैं जिन्होंने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अरबों रुपया का घोटाला करके भर्तियां बाहर करवाकर हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ धोखा किया? आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में इस भर्ती को आप वापस देखेंगे और इसका सेंटर राजस्थान में ही होना चाहिए। इस कंपनी का नाम है आईबीपीएस। यह 1600 रुपये शुल्क ले रही है, वह भी खुद ही खा रही है, सरकार को कुछ नहीं मिलने वाला। जब हमारे पास राजस्थान लोक सेवा आयोग है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है तो हम क्यों ऐसे प्राइवेट लोगों को काम दें, जिससे युवाओं में आक्रोश व्याप्त हो। (व्यवधान) आपकी जादूगरी हम खतम करने में लगे हुए हैं, चिंता मत करो।

सभापति महोदय, सब लोग कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां 70 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित जीवन यापन करते हैं। किसानों का दर्द मुख्य मंत्री जी ने समझा, आपको अधिकार नहीं है क्योंकि आपके यहां तो केन्द्र सरकार के निर्णय से जो भी असहमति जताता है, आप उनको आतंकवादी, देशद्रोही घोषित करने में लग जाते हो, चाहे कोई भी हो। मैं आगे आऊंगा, आजकल तो वह सब चीजें आप अपने लोगों पर भी करने लगे हो। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि किसानों के लिए अलग से बजट घोषित करेंगे। बहुत बड़ी घोषणा की है कि किसानों के लिए अलग से बजट लाऊंगा। यह गोमाता की बात कर रहे हैं, आपने अभी नंदी शाला की बात की। आप खुद सोच लीजिए कि एक साल में क्या हुआ, गोमाता के नाम पर जो आप वोटों की राजनीति करते हो, हम लोग सच्ची सेवा करते हैं गोमाता की। सभापति महोदय, जब यह लोग 2014 से 2018 तक सरकार में थे, इन लोगों ने गोमाता का अनुदान बंद कर दिया। उस समय संत सड़कों पर आए और एक बाबा जी को गोपालन आयोग का अध्यक्ष बना रखा था लेकिन बाबा जी से जब बार-बार पूछा कि बजट कितना है तो बाबा जी कहते थे कि मेरे को नहीं पता, उनको जाकर पूछो, यह सच्चाई है और जब हमारी सरकार आई, उसके बाद में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए गोमाता के लिए अनुदान किया और इस बार तो एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। जैसे इंसानों के लिए 104 और 108 एंबुलेंस का इंतजाम है, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज बैठिए, माननीय सदस्य। प्लीज बैठिए, माननीय

(श्री सभापति)

दिलावर साहब, आप विराजिए। माननीय दिलावर साहब, प्लीज सहयोग करें। आपका नाम है, जब बोलो तब बोल देना। विराजिए आप।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): ...(व्यवधान) इस बार हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा 102 मोबाइल एंबुलेंस का लागू करना किसानों के लिये और पशुओं के लिए एक बड़ा उपहार है। वह बेजुबान पशु वोट नहीं देते है लेकिन हमारे जननायक ने उनका दर्द समझा।

माननीय सभापति महोदय, आज महंगाई किस तरह बढ़ रही है। आज पूरा देश व प्रदेश महंगाई की मार झेल रहा है। आज आपने पैट्रोल, डीजल, सिलेंडर की बात नहीं की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका यही स्थान है? इस तरह से मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय उपनेता महोदय, आपने केवल आंकड़ों का जाल बिछाकर भ्रमित करने का प्रयास किया है। आप अगर पैट्रोल पर बात करते तो सच्चाई सामने आ जाती। आपको हमारा वैट दिख रहा है, लेकिन आप की केंद्र सरकार स्पेशल एक्साइज ड्यूटी कोरोना काल में भी बढ़ाती रही, उसका आपके पास जवाब नहीं है।

कांग्रेस पार्टी राज्य सभा से लेकर लोक सभा तक और इस विधान सभा के अंदर हम आपसे मांग करते हैं कि अगर आप लोगों में दम है तो प्रधान मंत्री जी को जाकर कहिये कि स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आप हटा लीजिए, पैट्रोल-डीजल 60-65 रुपये का आ जाएगा। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका में 60 से 70 रुपये के बीच वहां पर पैट्रोल है और हमारे यहां पर 100 रुपये, 90 रुपये डीजल और पैट्रोल हो गये हैं। कोविड के दौरान भी केंद्र सरकार ने प्रति लीटर.. आप सुनिये, इसको आप लिखिए। आप महेश जी भाई साहब को लिखवा रहे हैं न, आप लिखिए, ताकि आपकी नोलेज में रहे। केंद्र सरकार ने प्रति लीटर पैट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 19.98 से बढ़ाकर 32.98 रुपये कर दिया और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को 15.83 से बढ़ाकर 31.83 रुपये कर दिया। कितना गेप, आप सोचिए। इसके अलावा विभिन्न राज्य सरकारें इस पर वैट वसूलती हैं। हम भी वसूल रहे हैं, हमारा वैट तो दिख रहा है। सभापति महोदय, इनकी एक्साइज ड्यूटी इनको नहीं दिख रही है। 26 मई, 2014 को जब बीजेपी ने केंद्र में सत्ता संभाली, तब भारत में

(डा. राजकुमार शर्मा)

तेल कंपनियों का कच्चा तेल 108 अमेरिकी डालर प्रति बैरल था। पैट्रोल, डीजल और एलपीजी मई, 2014 में 71.51, 414 का सिलेण्डर, 57.58 डीजल और आज देख लीजिए 700 के ऊपर चला गया है सिलेण्डर और 100 के पार पैट्रोल चला गया है और 90 के पार चला गया डीजल ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, यूपीए सरकार की तुलना में एनडीए की केंद्र सरकार 8 गुना अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है, जिससे 200 खरब रुपये केंद्र सरकार ने कमाये। मैं जनता के लिए हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप लोग कृपा करके उनको समझाइये। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, ताकि एक्साइज ड्यूटी वापस ले सकें। पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है। मैं सभी विपक्षी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि पानी ऊपर से नीचे आता है और ऊपर से नीचे तक जिस प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ भेदभाव बरत रही है, उसी का नतीजा है जो आप आज आंकड़ों का जाल बुन रहे हो।

माननीय सभापति महोदय, हमने बचपन में सुना था कि इसके पास चार पैसे हैं तो बहुत ज्यादा बातें आ रही हैं, चार पैसे कमा ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा, चार पैसे खर्च कर दे, इस गरीब का भला हो जाएगा। उस चार पैसे का सदुपयोग होता था। एक पैसा भूतकाल के लिए रखा जाता है, वर्तमान के लिए, आने वाले समय में समस्या आ जाए, उसके लिए। केंद्र सरकार इस चार पैसे का सही हिसाब नहीं रख पा रही है।

काला धन लायेंगे। धन भी काला होता है क्या? पूरे देश में एक जुमला चला दिया, काला धन। एक बाबा था, वह काला धन, काला धन करते, आज 40 बाडीगार्डों के साथ, 10 हजार करोड़ रुपये की प्रोपर्टी के साथ वह आज राज कर रहा है और काला धन का नाम भूल गया। सभापति महोदय, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि धन काला नहीं होता है। काली होती है, गरीबी। काली होती है, बेरोजगारी। काली होती है, भुखमरी। धन कभी काला नहीं होता है। इन्होंने पूरे देश में एक भ्रम का जाल फैलाया और अर्थव्यवस्था को कुछ राहत देकर, काला धन लायेंगे, जनता को गुमराह करके आज इस देश को विदेशी ऋण के नीचे डुबो दिया। आपने महंगाई को दूर करने का वादा किया था। आपने 2014 में एक नारा दिया था 'बहुत हो गयी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार'। अब जनता पता है, क्या कह रही है, 'बहुत हुई

(डा. राजकुमार शर्मा)

महंगाई की मार, अब तो बदलो मोदी सरकार'। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह देश की जनता कह रही है।

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने कोरोना काल में राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखा, किसी को भूखा सोने नहीं दिया, क्योंकि हमारे जन नायक का, हमारी पार्टी का, हमारा एक संकल्प है कि हमारे राज में व्यक्ति भूखा उठेगा जरूर, सोने भूखा नहीं दिया जाएगा। इतना शानदार प्रबंधन किया कि हमारे भीलवाड़ा मॉडल की पूरे देश-विदेश में सराहना की गयी। लोग सुरक्षित रहे और जब हम लोग इस संकट से जूझ रहे थे, कोविड से जूझ रहे थे, आप लोग क्या कर रहे थे? आप जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को कोरोना काल में, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणाली द्वारा चुनी हुई सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। आप लोगों को ऊपर वाला कैसे माफ करेगा? आप लोग ऐसे-ऐसे षड्यंत्र रच रहे थे कि जिसका आने वाले समय के अंदर आप लोग मन में जो यह भ्रम पालकर बैठे हो कि तीन साल बाद हम देख लेंगे। जनता अपने आप ही आपको देख लेगी। ये जो उछल-कूद कर रहे हो न, जनता आपको जवाब देगी।

कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि आप लोग ताली बजा दो। आप लोग खुश तो हो। गोमाता का हम नाम ले रहे हैं, सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इनके अंदर ऐसा अंतर्द्वन्द चल रहा है, एक ऐसा माहौल चल रहा है कि अब इन्होंने मेहनत करना छोड़ दिया है। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी छोड़ दी है। ये पुडुचेरी की तरह, मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान के अंदर भी बिल्ली के भाग का छींका टूटने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये अंगूर आपके लिए खट्टे हैं। आपके लिए ये अंगूर खट्टे हैं, आप इस बात को निश्चित रखना।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार मजबूत और पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमारे बीच में कोई मनभेद नहीं है। खाट टूटने की बात आप ही तो बार-बार सदन में करते हो कि खाट कैसे टूटी? बताऊं आपको, कैसे टूटी? शेखावाटी में कहावत है 'छोड़ो ईस और बैठो बीस', ईस नहीं छोड़ी, इसलिए बैठ गये। आपके घर जो शीर्षक है, उसके बारे में बताऊं? चिट्ठी बम फूटा, उस बम से सब घायल हैं। ये तो ऊपरी दिखावे के तौर पर हंस रहे हैं। ये सब घायल हैं। मैं तो सोच रहा था कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर हो गया है। आपने कल ही वादा किया था विधायक दल की मीटिंग में। विधायक दल

(डा. राजकुमार शर्मा)

की मीटिंग में माननीय उप नेता ने वादा किया था कि मेरी जगह आप बजट की शुरुआत..। कैलाश जी मेघवाल इतने सीनियर सदस्य हैं, उनको आज आने ही नहीं दिया। गुलाब जी भाई साहब तो, मैं 15 साल से देख रहा हूं, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, गुलाब जी भाई साहब इस्तीफा देने वाले नहीं हैं, ये सिर्फ कहते हैं। आज ही समाचार-पत्र में फ्रंट पेज पर आया कि मेरे पर दो पद हैं तो मेरे को कहलवा दो, जिसने बनाया, मैं अभी छोड़ दूंगा। छोड़ते कभी नहीं हैं, सिर्फ बातें करते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको खाट टूटने वाली बात बता दी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, किसी का अंकित नहीं होगा, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, प्लीज, अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज मत करिये, बोलने वाले बाकी हैं। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। प्लीज आप, आप विराजिए। वे जो भी बोल रहे हैं, उन्हें आप बोलने दें। आप प्लीज विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय श्री संयम लोढ़ा, सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: राजकुमार जी, एक मिनट। मैं सभी सदस्यों से पुन: आग्रह करता हूं कि क्यों उत्तेजना पैदा करते हो? जब बात हो रही है, पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी बात कह रहे हैं तो क्यों उत्तेजना पैदा करते हो? माननीय श्री संयम जी, प्लीज सहयोग करें। वक्ता बोल रहे हैं, पहले इनको बात पूरी करने दें। प्लीज विराजें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: आप विराजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): माननीय सभापति महोदय, समाचार-पत्रों के अंदर बार-बार विपक्ष के द्वारा एक मैसेज दिया जाता है कि सरकार गिरने वाली है, ये इन्होंने अभी भी बोला। अभी भी बोला कि यह सरकार

(डा. राजकुमार शर्मा)

डगमगा रही है। आप यह सोचिए कि इस तरह के स्टेटमेंट से आप इन अधिकारियों के हावभाव बढ़ा रहे हैं। इसका जनता पर सीधा असर पड़ रहा है। हमारी सरकार मजबूत है, हमें काम लेना अच्छा आता है। हमारे मुख्य मंत्री, हमारे मंत्री सब सक्षम हैं, हमारे विधायक सक्षम हैं। बार-बार भ्रम की स्थिति पैदा करके आप लोकतंत्र की भावना के खिलाफ जो बातें करते हो, उससे जनता का बहुत बड़ा अहित होता है। आपने पहले भी सरकार को अस्थिर करके डेढ़ महीने, दो महीने आपने हमें किस प्रकार से बाहर भेजा, आप लोगों को जनता माफ नहीं करने वाली है। उस कोरोना काल में जब जनता आप लोगों से उम्मीद कर रही थी कि हमारी मदद करें। माननीय सभापति महोदय, चाणक्य ने कहा था कि कोई देश का राजा जनता के लिए कोई फैसला लेता है और उस फैसले से आहत होकर उस राजा की जनता हाहाकार मचा देती है, सड़कों पर त्राहिमाम-त्राहिमाम करती है। फिर भी वह राजा अपने निर्णय को सही ठहराने की कोशिश करता है अपनी हठधर्मिता की वजह से तो समझ लेना, या तो उस राजा का अंत निश्चित है या फिर जनता का अंत निश्चित है, आज यही हो रहा है।

हम तीनों कानून, कृषि कानून नहीं चाहते किसान, फिर भी क्यों थोप रहे हैं आप लोग? आप लोगों ने क्यों हठधर्मिता अपना रखी है? मैं कह रहा हूं आप थोड़े-से दिन रुक जाओ, जब बाहर निकलोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि जिस प्रकार से उपनेता जी कह रहे हैं कि आप लोग जब जनता के बीच में जाओगे, जनता के बीच में अभी हम नगरपालिका चुनाव जीतकर आये हैं पूरे राजस्थान के अंदर। इससे पहले हम पंचायत का चुनाव जीतकर आये हैं पूरे राजस्थान के अंदर।

माननीय सभापति महोदय, गुजरात के अहमदाबाद में अभी 20 तारीख को बहुत बड़ा वाकया हो गया। हमने सुना था कि दिल्ली सफदरगंज रोड, अकबर रोड और औरंगजेब रोड को ये बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं। वह तो समझ में आता है, चलो मान लिया लेकिन इन्होंने अहमदाबाद के अंदर तो एक अलग ही नजारा पेश कर दिया। जब महामहिम गये थे अंदर, तब था हमारे लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद। जब वह बाहर निकले तो ऐसा जादू हुआ कि श्री नरेन्द्र भाई मोदी खेल स्टेडियम, अहमदाबाद और एक पैवेलियन का नाम रख दिया, एक छोटा-सा पैवेलियन जहां पर

(डा. राजकुमार शर्मा)

अडाणी-अंबानी का नाम था, उसके साथ में जोड़ दिया लौहपुरुष का नाम। ऐसे मत कीजिए, मत कीजिए। हमें तकलीफ नहीं है, आप मोटा भाई का, छोटा भाई का, सबका नाम लिखिए, हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन उस लौहपुरुष का नाम, जिसके नाम पर आपने इतनी बड़ी स्टेच्यू आफ यूनिटी लगाई, मुझे तो तकलीफ है कि कहीं पता नहीं चले कि उस मूर्ति के साथ कोई दूसरी मूर्ति भी जल्दी खड़ी हो जाए, दाढ़ी-वाढ़ी में।

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे इसी सदन के साथी जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनको श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हुए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे हमारे गजेन्द्र सिंह जी शक्तावत हों, चाहे आदरणीय दीदी किरण माहेश्वरी जी, चाहे भंवरलाल जी मेघवाल हों, चाहे हमारे कैलाश जी, मेरे साथी जो यहां पर बैठते थे, मेरे बड़े भाई, चारों हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी चिर याद को हमेशा स्थायी करने के लिए, कालेज का नाम उनके नाम से करके एक अलग उदाहरण पेश किया गया है, अलग उदाहरण। हमने नाम रखा है। कांग्रेस सरकार ने भी खूब नाम रखे हैं लेकिन उन महान विभूतियों का जिनका देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वे दिवंगत हो चुके थे, उनका ही नाम लिखा है। जीते-जी हमने तो पहली बार देखा है कि जिन्दा आदमी का ही नाम लिख दिया और वो भी ऐसे आदमी को हटाकर, पटेल साहब को कौन नहीं जानता उस लौहपुरुष को, उस महापुरुष पर पूरा देश गर्व करता है।

माननीय सभापति महोदय, बुजुर्गों को सम्मान हमने दिया यानी हमारी पार्टी ने दिया है, हम लोगों ने दिया है। आपने बुजुर्गों का अपमान किया है। आपने अपनी पार्टी के अंदर भी अपमान किया है। आपने देखा होगा कि जब हमने पेंशन योजना लागू की, तब हमारी कांग्रेस सरकार ने, हमारे जन नायक अशोक गहलोत जी ने उन बुजुर्गों का सम्मान करते हुए पेंशन योजना लागू कर दी। आज 1000-1000 रुपये पेंशन उन बुजुर्गों को मिल रही है। दोनों हाथों से बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके नेताओं का नाम लेना नहीं चाहूंगा, जिन-जिनके साथ आप लोगों ने क्या किया है। मैं तो लौहपुरुष का नाम इसलिए ले रहा हूं कि बड़े दुख की बात है कि इतना बड़ा स्टेडियम जो पटेल साहब के नाम पर था, उनका हटाकर अपने नेता के नाम से, खुद ही जाकर फीता काटकर और कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी बोले इसके साथ में, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधान मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। ये भी कहना चाहता हूं कि

(डा. राजकुमार शर्मा)

ये विधान सभा जो ड्रीम प्रोजेक्ट था भैरोसिंह जी शेखावत का, वह अपना नाम लिखकर नहीं गये यहां पर। इसका नाम राजस्थान विधान सभा ही रखा उन्होंने। कल कटारिया जी वाली बात मैंने आपको कही, निवेदन की। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक मुनव्वर राणा का शेर है उपनेता महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सदन को कहना चाहता हूं कि 'नये घर में अब चीजें पुरानी कौन रखता है'। आप लोग जिस प्रकार से बुजुर्गों का अपमान करते हो, जिस प्रकार से हमारे बुजुर्गों द्वारा इस देश को दी गयी सौगातों को उन पूंजीपतियों के हाथ में बेचकर, उनका अपमान करते हो, इसलिए कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने, हम लोगों ने सदा सम्मान किया और सम्मान भी इस रूप में किया है कि-

'नये घर में अब चीजें पुरानी कौन रखता है,
परिंदों के लिए अब शहरों में पानी कौन रखता है,
हमने थामी रही टूटी हुई दीवार को वरना,
सलीके से बुजुर्गों की निशानी आज कौन रखता है।।

आपने बुजुर्गों की स्थिति को खराब कर दिया। आने वाले वक्त में उसका जवाब मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, खेल के बारे में बात बोलकर मेरी वाणी को विराम दूंगा क्योंकि खेल के अंदर पहली बार राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पदक लेने वाले खिलाड़ियों को डीवाईएसपी पद पर पदोन्नति, नौकरियों के अंदर पदोन्नति देने का, डायरेक्ट उनको नौकरी देने का प्रावधान किया है। इस बजट के अंदर ग्रामीण स्तर के ऊपर, तहसील स्तर के ऊपर जो स्टेडियम खोलने की घोषणा की है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

एक निवेदन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, खेल मंत्री जी से करना चाहूंगा कि 2008 में कालेज शिक्षा में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की गयी थी, 2008 में। हमारी सरकार थी, उस समय और लास्ट भर्ती हुई थी 1985 के अंदर यानी 35 वर्ष के बाद, ...(व्यवधान) जितने दोषी आप हो, उतना मैं भी हूं। मैं भी कह रहा हूं मैं भी सदन का सदस्य हूं। हमारा जहां पर दोष होगा, हम भी लेंगे लेकिन आप भी दोषी हो। ऐसा मत सोचो कि आप दूध के धुले हो।

श्री सभापति: प्लीज मत कीजिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): सभापति महोदय, अभी कालेज शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं भर पाये हैं। 325 महाविद्यालय हैं, पूरे राजस्थान में और इसमें मात्र 21 शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं। मैं मेरे जिले के खेल विश्वविद्यालय, झुंझुनूं के लिए भी निवेदन करना चाहूंगा कि शारीरिक शिक्षक एवं प्रशिक्षकों के समस्त पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे खेलकूद का विकास कर पाएंगे? मुख्य मंत्री जी हमारी बात पर निश्चित रूप से गौर करेंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के अंदर जो योजनाएं बनायी हैं, आज राइट टू हैल्थ का बिल लाने वाले हैं, आज मात्र 800 रुपये के अंदर 5 लाख का बीमा। मैं जहां तक समझता हूं कि इलाज कराते समय कोई व्यक्ति कंगाल नहीं होगा। हम लोग उनका इलाज कराएंगे। जब-जब हमारी सरकार आयी है, चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने बहुत काम किये हैं। आज भी मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना को पूरा देश सराहता है। आपके गुजरात के भी, मुझे आज भी याद है उस समय काफी अधिकारी और मंत्री आये थे और हमें कहा था कि ये मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना किस तरह से आपने जनता के बीच में लागू कर रखी है, आप हमें बताइए। राजस्थान से वे लोग इस बात को लेकर गये और गुजरात के अंदर उस योजना को लागू किया। इसलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।

मैं इस बजट का पुरजोर शब्दों में समर्थन करते हुए और विपक्ष से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कि आप लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कृपया करके हमारे इस बजट पर मत निकालिए। आप दे सकते हैं तो उचित और अच्छे सुझाव दीजिए कि कैसे हम लोग इस कोविड महामारी के बाद, आपके तुगलकी फरमान नोटबंदी के बाद, आपके किसान आंदोलन की वजह से सड़कें जो रुकी हुई हैं, उसके बाद और हजारों लोग जिन्होंने शहादत दे दी इन तीन आंदोलन के तहत, ये आंदोलन ही कहूंगा तीनों, सभापति महोदय, जब नोटबंदी हुई उस समय भी सड़कों पर लोगों ने कतारों में लगकर अपनी जान की आहूति दी। उसके बाद लॉकडाउन जब किया, माननीय विपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि आपने राजस्थान में पहला लॉकडाउन किया, हमने लॉकडाउन किया। हमारी सरकार ने तो प्रदेश के अंदर कैसे बाशिंदों को एक-दूसरी जगह लाकर छोड़ेंगे, वह व्यवस्था हमने की थी। देश के प्रधान मंत्री को पूरे देश में अगर लॉकडाउन करना था तो कम से कम राज्य सरकारों से बात करते ताकि जो लोग, जो हमारे प्रवासी मजदूर थे, वे सड़कों पर चलते-चलते दम तो नहीं तोड़ते।

प्रधान मंत्री जी ने संसद के अंदर हमारे कांग्रेस के एक बड़े नेता,

(डा. राजकुमार शर्मा)

हमारे सीनियर नेता की फेयरवेल पार्टी के अंदर आंसू बहाए, अच्छी परम्परा है, स्वस्थ परम्परा है लेकिन कम से कम जब लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर चलते हुए हजारों लोग मरे, जब नोटबंदी के दौरान सैकड़ों लोग मरे और किसान आंदोलन के दौरान ठंड के अंदर लोग सड़कों पर मर गये, कम से कम दो आंसू उनके लिए भी बहा देते तो देश की जनता आप लोगों को इतना तो कहती कि हमारे ज़ख्मों पर आप लोगों ने मरहम लगाया, लेकिन आप लोग कहां लगाएंगे, आप लोग तो परजीवी, आंदोलनजीवी चलते हैं। अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा:-

'हम चले हैं नेक रास्ते पर, ईश्वर हमारे साथ है,
संकल्प हमारा मजबूत है, नीयत हमारी साफ है,
अग्नि परीक्षा भी होगी, राह में कांटे भी होंगे,
कोई कितना भी बुरा चाहे, हम कामयाब जरूर होंगे।"

जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति जी, कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2021-22 का बजट बहुत ही अनूठे अंदाज में पेश किया। घोषणाओं का जैसे कोई पिटारा खोल दिया। बात भी अच्छी-अच्छी की कि प्रदेश के विकास में हम सबको साथ लेकर, सबका साथ भी लेंगे। मेरे क्षेत्र पर भी बहुत मेहरबान रहे। यहां तक कि इशारा भी किया, मेरा नाम भी लिया एक बड़ी घोषणा पर, मेरे द्वारा मेज़ नहीं थपथपाए जाने पर। माननीय उद्योग मंत्री जी इस बात के गवाह हैं कि जिस बात के लिए मुख्य मंत्री जी ने मुझे मेज़ थपथपाने का कहा न, डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस समय उद्योग पर चर्चा थी, आपने अपनी रिप्लाई में सरकार की कमजोरी, सरकार की कमी, अपनी गलती मानी थी। आपने यहां तक कहा था कि हमारे अफसर दिल्ली जाते हैं तो शर्मिन्दगी उठाते हैं हमारी प्रोग्रेस को लेकर। यह 750 करोड़ की योजना, भारत सरकार की देन है। मुख्य मंत्री जी मुझसे मेज़ थपथपाना चाहते हैं।

माननीय सभापति जी, मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि जादूगर की जादूगरी देख ली। देखी हमने, बहुत देखी। कैसी जादूगरी, पैसा केन्द्र का और वाहवाही खुद लेना चाहते हैं। योजनाएं पुरानी सरकार की, हमारी सरकार की, यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी की, उसकी भी वाहवाही, ऐसी जादूगरी। सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किसने किया, कुर्सी किसे मिली, उसमें भी जादूगरी।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

सड़क पर जिसने संघर्ष किया, उसको सड़क पर ला दिया, उसकी भी आपकी जादूगरी देख ली। हमारी ओर इशारा करके हमको भाईचारा, प्रेम और शांति की सलाह दी। थोडा अपने गिरेबान में झांक लेते कि देश में जो अराजकता, अशांति है, देश का माहौल जहरीला हुआ है, इसका वास्तविक जिम्मेदार कोई है तो आपकी अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, जिन्होंने पूरे देश की ऐसी हालत कर दी। प्रधान मंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए कौन बेचैन है, कौन तड़प रहा है? आज मैं भी एक शायरी कहूंगा, मैं कभी कहता नहीं हूं।

उम्र भर गालिब भूल यही करते रहे,

धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद दूंगा, पैरा 151 में जोधपुर में पाक विस्थापितों के परिवारों के लिए 102 करोड़ का प्रावधान उनके आवासों के लिए। देर आए दुरूस्त आए। उनका अपना गृह जिला', पर यह भी निवेदन करूंगा कि सीएए के दायरे में आने वाले राज्य में जितने भी परिवार हैं, कानून बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको तो नागरिकता देनी है। राजस्थान में सीएए के दायरे में आने वाले जितने भी परिवार हैं, उनको नागरिकता देकर पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था करने का मेरा यह निवेदन माननीय मुख्य मंत्री जी से रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, घोषणाओं की बात है, राज्य की आर्थिक बदहाली है, ऐसे में यह घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, यह कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। मैं महाजन का बेटा हूं, अकाउंट्स का जानकार भी हूं, मैंने आपके सारे पेपर खंगाल दिए, आपने जो घोषणाएं कीं, उसमें पैसा कहां से आएगा, यह शंका अभी तक दूर नहीं हुई। जब माननीय मुख्य मंत्री रिप्लाई दे तो इस शंका को दूर कर दें।

2020-21 में आपके राजस्व आय का अनुमान 1 लाख 80 हजार 438 करोड़ था आरई में, आपने उसमें भी 8162 करोड़ माइनस कर दिए, मतलब आपके पास पैसा नहीं है।

माननीय सभापति जी, पैरा 271, RIPS के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीन पेज में चर्चा की है। संजोग से माननीय उद्योग मंत्री जी बैठे हैं। लिखा क्या है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 में 4900 इकाइयों द्वारा 116 लाख करोड़ का निवेश हुआ। यह बहुत अच्छी बात है। आपके एक साल के कार्यकाल 2019 में 2769 नये उद्योग आए और 69 हजार करोड़ का

(श्री ज्ञानचंद पारख)

निवेश हुआ, इसमें 69 हजार 750 लोगों को रोजगार मिला, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। पर माननीय उद्योग मंत्री जी RIPS के रजिस्ट्रेशन की जो एसएसओआईडी है, थोड़ा टटोल लेना, मैंने पिछली बार भी आपको कहा था। आज भी RIPS 2014 अंकित है। 2019 आए दो साल हो गए। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहता है तो 2019 एसएसओ में है ही नहीं। उस वेबसाइट में नहीं है। उसमें आपने माननीय मुख्य मंत्री जी का हंसता हुआ चेहरा लगा दिया। 2014 में वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थे, वह फोटो तो चेंज हो गया, पर 2014 से 2019, वह अभी वहीं अटका हुआ है। इसलिए आग्रह रहेगा, अगर वाकई में आप ईमानदारी से चाहते हो कि इन्वेस्टर यहां आए, तो वह करेक्ट करवा देना, ताकि वह अपनी एप्लीकेशन उसमें डाउनलोड कर सके।

माननीय सभापति जी, राजस्थान टैक्स बोर्ड की जो आफिशियल वेबसाइट है, उसमें भी RIPS 2014 है। मुख्य मंत्री जी का हंसता हुआ फोटो बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस आदमी को ऑनलाइन के लिए लॉग-इन करना पड़ता है, उसमें रिप्स 2014 ही आता है। ऐसी स्थिति में उद्यमी अपनी त्रैमासिक रिटर्न की फाइल कैसे सब्मिट करेगा, वह नहीं कर सकता। आपने बहुत सारे लाभ दे रखे हैं, लेकिन जब एप्लीकेशन ही फाइल नहीं होगी तो उसको लाभ कैसे मिलेगा?

माननीय सभापति जी, कैप्टिव इंसेंटिव सब्सिडी के लिए अगर वह कर विभाग में जाएगा तो वहां भी यही हालत है। आपने पिछली बार कहा था ऑफलाइन दे सकता है। अभी टैक्नोलोजी का जमाना है। जब यहां 2014 दर्ज है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, कोई नोट कर रहा है, दिखाई नहीं देता यहां से?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): उससे बड़ा दुर्भाग्य क्या, 2014 में भी जिस व्यक्ति ने इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए आवेदन किया, सबमें एक ही जवाब मिलता है, बजट के अभाव में अभी सब्सिडी दिया जाना सम्भव नहीं है, आप नये सिरे से एप्लीकेशन लगवा दो। कइयों ने 6-6 महीने पहले नई एप्लीकेशन भी लगवा दी। मैं कहीं भी गलत हूं, आप बोल देना। मैं कहीं गलत बयानी नहीं करूंगा।

श्री सभापति: आप इधर देखो। माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अभी भी वही, बजट के अभाव में...

श्री सभापति: मैं रेस्पोंड कर रहा हूं न, गर्दन भी हिला रहा हूं, आपकी बात सुन रहा हूं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): जब बजट नहीं है तो आप घोषणा क्यों करते हो? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, इसके नाम पर जो उद्‌योगपति आपकी बातों पर विश्वास करके आता है, उसके साथ मजाक क्यों करते हो? माननीय सभापति जी, बजट के पैरा नम्बर 294 भी आप देख लेना।

सभापतिजी, 2019-20 के बजट भाषण के पैरा नम्बर 203 और माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा की वैट की बकाया रही मांगों में व्यवहारियों को राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना लाकर ब्याज, शास्ति व विलम्ब शुल्क से छूट दी जायेगी। उसमें 2 साल तक कुछ नहीं हुआ और कल दुबारा घोषणा की, पर कल रात को आदेश निकल गये, यह भी सही है। इन दो सालों के दौरान जिन-जिन व्यवहारियों के GST के रिटर्न सरकार में पैंडिंग थे और उनका पुराना वैट का मैटर डिस्प्यूटेड था न, तो आपने GST का, जो उसका रिफण्ड है, यह कहकर लौटाने से मना कर दिया कि जब तक पुराने डिस्प्यूट का पैसा आप नहीं भरोगे तो आपको GST का रिफण्ड नहीं मिलेगा जबकि GST का रिफण्ड रोकने का अधिकार सरकार को नहीं है। सरकार की मनमानी है, दादागीरी है, तो मेरा आग्रह रहेगा, कल आपने चालू कर दिया, उसके लिये धन्यवाद, कल वह चालू हो गई पर इन दो सालों के दौरान जो आपने डिस्प्यूटेड केस में जबरन पैसा वसूल किया है, उनको भी अपील का अधिकार दे देंगे न तो जो गलत पैसा उनको मजबूरी में सरकार के खाते में भरना पड़ा है, शायद उससे वे बच जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, 2019-20 के बजट पैरा 204 में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा, पंजीकृत व्यापारियों के विरुद्ध Input Tax Credit Mis-match से सम्बन्धित मांग राशि के अत्यधिक मात्रा में प्रकरण लम्बित हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी खुद मान रहे हैं, जिसके निवारण के लिये हम ITC Match-Mismatch की प्रक्रिया का सरलीकरण करेंगे। दो साल हो गये, कोई सरलीकरण नहीं और कल के बजट में भी इसका वापस कहीं कोई हवाला नहीं।

माननीय सभापति महोदय, यह भी कहा था कि हम एक अभियान चलाकर सत्यापन कर मांग को कम करेंगे। दो साल में तो आपका यह अभियान चला नहीं तो अब कौनसी आप राहत दे दोगे, यह थोड़ा आप हमको बता देना।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय सभापतिजी, जिसका मैंने कई बार जिक्र किया है, मैंने टैक्सटाइल इंडस्ट्री को बचाने के लिये सरकार से अनेकों बार अनुरोध किया, 03 जनवरी, 2020 को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने गृह जिले में, बजट में नहीं कहा, उद्योग मेले में घोषणा की थी कि यह जो प्रदूषण की समस्या है, ETP उसका एकमात्र समाधान है पर ETP में खर्चा बहुत ज्यादा आता है तो पहले जो अनुदान की सीमा 25 लाख थी, उसको दो करोड़ करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दो करोड़ कर दिया, उसके लिये धन्यवाद लेकिन जादूगर हैं न, एक जादूगरी इसमें दिखा दी, पहले था लागत का 50 परसेंट, इधर दो करोड़ किया और इधर लागत का वापस 20 परसेंट कर दिया। जितना फायदा मिलना था, उतना मिलेगा नहीं। मेरा आग्रह रहेगा कि आपके खुद के गृह जिले में, आपके पड़ोसी जिले में टैक्सटाइल की बहुत यूनिटें संकट में हैं और आज के समय में ऐसी टैक्नोलोजी आ गई, जिससे इस प्रदूषित पानी का पूर्ण उपचार हो सके और पानी भी वापस उपयोग में आ सके...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वार्ता न करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): तो ऐसे काम को बढ़ावा देने के लिए, कम से कम आपकी अपनी घोषणा है न, वह आप पूरी कर दें।

माननीय सभापतिजी, मुझे पीड़ा है, मुझे दुःख भी है। मेरी कुछ बातों को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को तकलीफ हुई थी। मेरा उद्देश्य उनको तकलीफ पहुंचाना नहीं था पर तकलीफ मेरी भी है, मैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा। 10 जुलाई, 2019 के बजट के पैरा नम्बर 114, उसका जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि BPL परिवार की बेटियों के विवाह में आर्थिक सम्बल देने के लिये, 2019-20 का पैरा नम्बर 114, आप नोट कर लेना, आर्थिक सम्बल देने के लिये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की घोषणा, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा की गई। बाद में सदन के कई सदस्यों ने उसको और कुछ आगे बढ़ाने का उस समय आग्रह किया था और मुख्य मंत्रीजी ने उसको स्वीकार भी किया था, 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता हथलेवा के रूप में, दो साल हो गये। गरीब की बेटी के साथ जो मजाक इस सरकार ने किया न, यह तकलीफ देता है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, इसलिये आपको कड़वी बात कहते हैं।

आपकी जो पहले योजना थी न, सहयोग योजना, उपहार योजना, दो साल में कितनों की बाकी है, जो विधवा पुत्री और BPL पुत्री के लिये होती है, तो आपको खुद को महसूस हो जायेगा कि अब न तो विधवा की पुत्री को और

(श्री ज्ञानचंद पारख)

न BPL की पुत्री को पहले से चल रही योजना का लाभ नहीं दे पाये और नई योजना की बात तो बहुत दूर है।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट एक कमिटमेंट होता है, सरकार को पूरा करना होता है। इसकी एक गरिमा होती है पर हमने इसको समझा नहीं। हमने जिस वर्ग का जो भी है न, कह तो बहुत कुछ दिया, पर जहां देने की बात आई न तो बजट की कमी का कोई न कोई बहाना बनाकर उन प्रकरणों को लम्बित रख दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। सामाजिक कल्याण की योजनाओं में हमने इस वर्ष RE में 12 परसेंट की कटौती कर दी, 12 परसेंट माइनस सामाजिक कल्याण की योजना में। यह कोई मामूली बात नहीं होती। सामाजिक कल्याण की योजना किसके लिये, गरीब के लिये, जरूरतमंद के लिये। हम किसी और में बजट कम कर देते न तो शायद इतनी पीड़ा नहीं होती पर वह काम भी किया।

जैसा मैंने जिक्र किया कि महाजन का बेटा हूं, वर्षों से अकाउण्ट्स का अच्छा जानकार भी हूं। बजट घोषणाएं और उसमें लगने वाली राशि, दूर-दूर तक इसमें कहीं तालमेल नजर नहीं आता कि जितना पैसा हमारे पास है, और जो घोषणाएं हमने कीं, हम पूरी कैसे करेंगे। हम किस प्रकार गिरावट की ओर जा रहे हैं। 2019-20 में SGDP में ग्रोथ 2018-19 की तुलना में 7 परसेंट से घटकर 5 परसेंट रह गई। शासन आपको दिया न, यह गिरावट चालू हो गई। इंडेक्स देखते ही आपको इसके घटने का मुख्य कारण भी पता चल जाता है कि मैन्युफेक्चरिंग में जो ग्रोथ 2017-18 में 5 परसेंट थी, वह 2018-19 में घटकर 2.9 परसेंट रह गई मैन्युफेक्चरिंग में, जबकि आपके RIPS में बहुत उद्योग आये और 2019-20 में घटकर मात्र 2 परसेंट रह गई। जब मैन्युफेक्चरिंग भी आप बढ़ा नहीं पाओगे तो आपकी इन्कम कहां से आयेगी। कोई भी इंडस्ट्री लगती है न तो कइयों को रोजगार देती है। छोटी इकाई भी सौ को रोजगार देती है, बड़ी है तो हजार को देती है और उसमें पूरी की पूरी एक चेन आती है पर हमारा यह ग्रोथ घटा है। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ घटेगा तो आपका टैक्स कलेक्शन घटेगा और आपका रोजगार भी घटेगा। अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बराबर होगी, जिसकी राजस्थान में अपार सम्भावनाएं हैं, तो आपका टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा।

यह तो राज्य को एक राहत मिल गई कि FRBM में जो प्रावधान था 3 परसेंट का कि आप SGDP का 3 परसेंट लोन ले सकते हैं, वह कोरोना को

(श्री ज्ञानचंद पारख)

देखकर 4 परसेंट कर दिया, उससे आपको 11 हजार करोड़ एक्स्ट्रा लोन मिल जायेगा पर आपका जो कर्जा है न और आपकी जो योजनाएं हैं, ये 11 हजार करोड़ भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित होंगी।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार पर अभी कर्जभार कितना, 3.79 लाख करोड़ और प्रदेश की कुल आबादी है 7.5 करोड़। प्रति व्यक्ति इस कर्ज का आकलन करें तो राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति 50333 रुपये का कर्जदार है। आपकी आमदनी कितनी, आपका खर्चा कितना और केन्द्र सरकार को आप बार-बार अपनी कमी को लेकर उसको कोसते रहते हो।

(15.00 बजे)

यह सही है कि केन्द्र सरकार से आपको पैसा कम मिला। केन्द्रीय करों से आपको मिलना था 17101 करोड़ रुपया, पर आपको मिला 15541 करोड़ रुपया। कम मिला, कितना कम मिला? 5 परसेंट। आपके अपने कर राजस्व में पिछले 6 महीनों में 32 फीसदी की कमी आयी है, उसके लिए तो केन्द्र जिम्मेदार नहीं है, कोरोना जिम्मेदार है। केन्द्र ने तो 5 परसेंट कम दिया, पर आपके अपने राजस्व में 32 फीसदी की कमी, कहीं न कहीं आपका जो सिस्टम है न, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक आप अपने खुद के सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे और केन्द्र पर आश्रित रहेंगे न तो आपने जो घोषणाएं की हैं, वह आप पूरी नहीं कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह जो 32 परसेंट की गिरावट है। अधिकारियों का भी यह कहना है, जैसा कि पेपर में आया कि कोरोना के कारण उद्योग-धंधे बुरी तरह से प्रभावित हुए, जिससे यह राजस्व घटा। मतलब, राजस्व का जो प्रमुख आपका आधार है, वह उद्योग है और उसके बाद में भी हम उद्योग की अनदेखी कर रहे हैं। उनके लिए अपन घोषणा कुछ भी नहीं करते।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राहुल गांधीजी का पुडुचेरी का जो भाषण है, उसका अभी जिक्र करना चाहूंगा जो उन्होंने 17 फरवरी को दिया है। पुडुचेरी में सरकार गयी, वह अलग बात है। जहां-जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटाधार। दो दिन वहां पर भी गये थे और दो दिन यहां पर भी आये, पता नहीं यहां पर क्या होगा? पर वहां उन्होंने भाषण में यह कहा था कि अगर देश से बेरोजगारी को खतम करना है, मैं उनके भाषण का अंश सुना रहा हूं, मैं उनका पक्का फेन हूं। उन्होंने कहा कि अगर देश से बेरोजगारी को

(श्री ज्ञानचंद पारख)

खतम करना है और रोजगार के यदि ज्यादा अवसर पैदा करने हैं तो हमें एम.एस.एम.ई. सैक्टर को प्रोत्साहन देना होगा, इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी करना पड़ेगा। यह राहुल गांधीजी कह रहे हैं पुडुचेरी में। अब पुडुचेरी में तो उनकी कोई सुनने वाला रहा नहीं और पंजाब के मुख्य मंत्री पहले से ही उनकी कभी सुनते ही नहीं हैं। अब बचे राजस्थान में, यहां पर सुनवाई होती है, उनकी बात भी चलती है तो एम.एस.एम.ई. के सैक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए जितना ज्यादा बढ़ावा दे सके, जितना विशेष पैकेज देकर उनको मजबूत कर सके, वह करने की बात राहुल गांधीजी ने पुडुचेरी में कही, आप 17 तारीख का उनका भाषण देख लेना। मेरी बात को मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके अपने नेता माननीय राहुल गांधीजी की बात को मानकर एम.एस.एम.ई. के लिए आपने RIPS में जो घोषणा कर रखी है, उनकी आप पूर्ति करवा दें तो शायद यह हो सकता है कि यह जो बार-बार का घाटा है, हमारा जो ऋण है, इससे हम मुक्ति पा सकें।

माननीय सभापति महोदय, जहां देश एक तरफ मेक इन इंडिया की बात कर रहा है, केन्द्र सरकार ने आपदा को अवसर और अवसर को उपलब्धि में बदलने के लिए कितने सारे पैकेज दिये। कितने सारे पैकेज? यह गुजरात, यह यू.पी., यह आंध्र प्रदेश, एक साल के इस कोरोना काल में जिस प्रकार से उन पैकेजों का उपयोग लेकर रोजगार के जो अवसर वहां पर पैदा किये हैं, आप अपनी एक टीम वहां पर भेजें कि किस तरीके से वहां उन्होंने रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा किये तो शायद हो सकता है कि उनके नक्शे कदम पर हम उस आपदा को अवसर और अवसर को उपलब्धि में बदल सके।

माननीय सभापति महोदय, बिजली कम्पनियों की हालत से सब चिंतित हैं। 90 हजार करोड़ रुपये का ऋण हमारे ऊपर हो गया, कर्जा देना बाकी है और उससे बड़ी बात यह है कि जो ओवर-ड्यू लोन है, ओवर-ड्यू लोन जिसको हमको चुका देना चाहिए था वह 33 हजार करोड़ रुपया, पूरे देश में बिजली कम्पनियों की ओवर-ड्यू लोनिंग 90 हजार करोड़ रुपया और 35 परसेंट राजस्थान का बाकी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि आने वाले कल में क्या होगा?

माननीय सभापति महोदय, अब बिजली की दरों में आप वृद्धि नहीं कर सकते, आपकी यह मजबूरी है क्योंकि जनता पहले ही गले तक भर चुकी है, आपके हाथ में यह नहीं है। आमदनी बढ़ाने के लिए और कोई जरिया बचा

(श्री ज्ञानचंद पारख)
नहीं है। जब यह कोरोना का संकट आया था, आपको पैसे की आवश्यकता थी तो आपने कहा कि करें क्या? तो आपने शराब में एक्साइज 25 परसेंट से 35 परसेंट कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 35 परसेंट से 50 परसेंट कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने रेट्स बढ़ाईं, उसमें भी किसी ने दिक्कत पैदा नहीं की, किसी ने आब्जेक्शन नहीं किया, पर आपके अधिकारी आय बढ़ाने के लिए जो अभी चर्चा कर रहे हैं, वह चिंता का विषय है। राजस्थान की गली-गली में शराब की दुकान खोलकर राजस्थान को मयखाना बनाने का जो प्लान चल रहा है, यह हम आपका कभी भी सफल नहीं होने देंगे। पहले आय कम होगी, इनकम बढ़ानी है, आप शराब की दुकानें खोलेंगे। फिर इनकम पूरी नहीं होगी तो आप बार के लाइसेंस चालू करोगे, फिर बार से भी पूर्ति नहीं होगी तो झारखंड में जो बार-बाला डांस हुआ था न, उसकी शुरुआत भी आप राजस्थान में कर दोगे। वह तो आपको छूट मिल ही गयी कि झारखंड में सरायकेला-खरसावां में जो किसान आक्रोश रैली में क्या हुआ, पता ही है न सबको। कैसी शर्मनाक घटना? राजस्थान को अगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है तो मेहरबानी करके सरकार शराब का सहारा मत लेना, यह शराब बर्बादी लाएगी इसलिए अधिकारियों को यह पहले ही कह देना कि राजस्व के नए तरीके ढूंढें और इस शराब से बचें।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिक्र करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी की उस पीड़ा को लेकर जो मेरी बातों से उनको हुई थी। जो मैंने कहा था उनको, मेरी इच्छा बिलकुल नहीं थी उनको तकलीफ पहुंचाने की, पर जो कमी मुझे नजर आई कोरोना काल में, शायद हो सकता है कि अधिकारियों ने मुख्य मंत्रीजी के पास सच्चाई नहीं पहुंचाई होगी पर आज मैं सदन के माध्यम से उस सच्चाई को पहुंचाना चाहता हूं जो मैंने कहा था कि कोरोना काल में सरकारी अस्पतालों में, सारे अस्पताल चूंकि कोरोना अस्पताल में बदल दिये थे और वहां पर दूसरे आपरेशन बंद कर दिये थे, उस दौरान ही सरकार ने बीमा कम्पनी को पैसा नहीं दिया, बीमा कम्पनी ने प्राइवेट अस्पताल को पैसा नहीं दिया और प्राइवेट अस्पताल ने यह पैसा नहीं आने के कारण भामाशाह कार्ड के जो भी लाभार्थी थे, उनका आपरेशन करना बंद कर दिया था। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसको बाद में स्पष्ट किया कि कोई भी सरकार योजना बंद नहीं करती, पर मैं आपको यह कह रहा हूं कि जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, हार्ट के बड़े आपरेशन छोड़ दो, बाकी छोटे आपरेशन हैं, चाहे अपेंडिक्स है, हर्निया है,

(श्री ज्ञानचंद पारख)

हिस्टेरेक्टॉमी है, गाल ब्लैडर स्टोन है, यूरोलॉजी है, ई.एन.टी. है और चाहे आर्थोपेडिक्स है, उस समय एक भी आपरेशन नहीं किया था। आप इस बात का पता लगा लेना।

माननीय सभापति महोदय, मैंने इस बात का जिक्र किया था, अभी मेरे एक साथी यह कह रहे थे कि माननीय प्रधान मंत्रीजी ने यह भूल कर दी कि कोरोना काल में समय नहीं दिया प्रवासियों को समय पर लाने के लिए। पूरे देश में ऐसे ही हुआ। सबको पता है, मैंने पहले भी यह जिक्र किया है। एक मात्र राजस्थान का प्रवासी था, एक मात्र पूरे देश में राजस्थान का प्रवासी जिसको राजस्थान में लाने के लिए राजस्थान की सरकार ने अपनी ओर से कोई परवाह नहीं की, कोई चिंता नहीं की, कोई प्रयास नहीं किये, कोई योजनाएं नहीं बनाई और क्या किया सरकार ने। अपने खुद के खर्चे से जो प्रवासी आ रहे थे, खुद के खर्चे से, प्राइवेट गाड़ी करके, चार बार आपने सीमा सील करके, चार बार, आदेश देख लेना आपके अपने, उनको राजस्थान में आने से रोका। हो सकता है कि आपकी नीयत ठीक होगी कि राजस्थान में कोरोना फैल जाएगा, पर वहां पर भी उनकी मौत का खतरा था, आपने नहीं आने दिया और बाद में जब बोर्डर पर, सीमा पर हंगामा हुआ, मुर्दाबाद, हाय-हाय के नारे लगे न तो मजबूरी में आकर आपने सीमा खोली थी। यह आपको तकलीफ देती है मेरी बात, यह तकलीफ मैंने इसलिए आप तक पहुंचाई थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह मेरी पीड़ा थी।

माननीय सभापति महोदय, कितने लाचार, कितने असहाय राजस्थानी अपने आपको महसूस कर रहे थे, पर हमने तो इस काल में वह भी देखा था कि जो भारतीय विदेशों में फंसे थे। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री ने सरकारी खर्चे से, विमान से लाकर उनको अपने घर तक पहुंचाया था, उनसे पैसा नहीं लिया। किसी जाति, धर्म का था, यह कभी नहीं पूछा और आपने खुद ने टीवी पर देखा होगा कि रूस में फंसे 37 मुस्लिम युवाओं को जब प्लेन लेकर आया था, उस समय एयरपोर्ट का जो नजारा था न तो मुस्लिम महिलाओं ने मोदी जिन्दाबाद के नारों से पूरे एयरपोर्ट को गुंजा दिया था और हमने सीमाएं सील कर दीं, इस बात की पीड़ा मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को पहुंचाई थी। यह मेरी पीड़ा है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक काम की बात है, माननीय मुख्य मंत्रीजी जिक्र करना भूल गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): दो मिनट में। आपका जैसा आदेश होगा। जवाई बांध पुनर्भरण के लिए उन्होंने पिछले बजट में राशि का प्रावधान किया था, चाहे कम किया। यह नया बजट आ गया, एक फूटी कौड़ी दी नहीं। यह पश्चिमी राजस्थान की लाइफ लाइन है। इस जवाई बांध पुनर्भरण के लिये जितनी राशि बजट में आप दे सको, अपने रिप्लाई में देकर घोषणा करना, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा।

एक आपने पंचायतों की क्या दुर्दशा कर दी। राज्य वित्त आयोग का दो साल का उनके हक का पैसा है, जो उनको मिलना चाहिए, दो साल से आप रोककर बैठे हो। आपके बजट में कहीं भी उसका अनाउंसमेंट नहीं है। आपने पिछली बार भी अपने ग्रामीण विकास का जो मद है न, उसमें 7 प्रतिशत कटौती कर दी आर.ई. में आपने। सामाजिक कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं न, उसमें भी यह पैसा दे दें।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा तब उतरेगा, जब आपके द्वारा की गयी घोषणाएं धरातल पर उनको चालू दिखेंगी वरना दो साल का जो रवैया देखा न, पिछली बार घोषणा की थी कि तीन किलोमीटर मिसिंग लिंक देंगे, तीन इंच भी कहीं बनी हो न, तो यहां थोड़ा बता देना। पिछली बार विकास पथ की भी घोषणा थी, पहली बार विकास पथ मिला, उसका पैसा अभी पूरा नहीं मिला। अधिकांश विकास पथ आज भी आधे अधूरे हैं। उसका पैसा भी नहीं मिला।

अस्पतालों के लिये आपने जो घोषणा की थी, मुझे भी आपने 350 बैड का अस्पताल दिया, उसके लिये तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं। 30 बैड का आई.सी.यू. दिया, उसके लिये भी धन्यवाद पर कम से कम बजट में एक बात सामने आ जाए कि कितना पैसा केन्द्र से मिलने वाला है और कितना राज्य से मिलने वाला है, यह परिपाटी अगर चालू हो जाएगी न, तो राजस्थान की जनता के सामने पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि वाकई में इस काम का असली अगर कोई धन्यवाद का पात्र है तो वह भारत सरकार है या राजस्थान सरकार? मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बजट में जो अधिकांश योजनाएं हैं, वह भारत सरकार की मदद से होंगी। भारत सरकार के बिना बजट के आप कुछ कर नहीं सकते। आपको धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय-

"घनघोर बादल छाये तो थे, बरसे भी थे,
बाढ़ भी आयी थी, कुछ को बहाकर भी ले गयी
लेकिन अब वह बादल छंटने लगे हैं
लोगों के मन से कोरोना का डर कम होने लगा है
जीवन फिर से पटरी पर आने लगा है
राजस्थान सरकार की सूझबूझ से
यह सब कुछ पहले जैसा लगने लगा है।
यही कांग्रेस सरकार की देन है।"

सम्माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने बजट पेश किया। यह तीसरा बजट, सर्वगुण सम्पन्न बजट कह सकते हैं जिसे, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसका कि बजट में जिक्र नहीं किया गया हो। राजस्थान की जनता की मांगों को सुनकर पेश किया हुआ बजट है। हर व्यक्ति की आवाज को सुनने के बाद में बनाया गया बजट है। हर व्यक्ति ने यह लिखकर दिया कि राजस्थान में पिछली सरकार ने हर महीने का बिल कर दिया था। सब त्रस्त हैं, दो महीने में किया जाए तो यह जनता की आवाज थी। धरती का कोई कोना ऐसा नहीं, जहां सूरज की किरणें, धूप न जाती हो, राजस्थान का कोई वर्ग ऐसा नहीं, जहां बजट का कोई हिस्सा जाता नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के आधार पर पेश किया हुआ बजट है। राजस्थान के सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय किसानों की, व्यापारियों की, उद्यमियों, विद्यार्थियों, महिलाओं, मजदूरों और हर वंचित वर्ग को इसमें टच किया गया है। प्रदेशवासियों के जीवन को खुशहाल बनाने वाला यह राजस्थान का बजट है। विधान सभा से जब बजट भाषण समाप्त होने के बाद निकलने लगे तो मुझे खुशी है कि विपक्ष के विधायक महोदय भी बात कर रहे थे कि मेरे क्षेत्र में भी काम दिया गया है। वाह, क्या बजट है क्योंकि पिछली बार मैं पूरे पांच साल रही थी। कांग्रेस पार्टी से एकमात्र महिला थी विपक्ष में और महिला मुख्य मंत्री होने के बावजूद पूरे पांच वर्ष में बजट में कोई एक काम, कोई एक छोटी-सी घोषणा एक रुपये की भी की हो, तो मेरा चैलेंज है इस सदन के अंदर।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

(15.16 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात है कि चारों विधायक जो इस सदन को, दुनिया को छोड़कर चले गये। उनको अमर करने का काम राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने किया है। चाहे किरण माहेश्वरी जी हों, शक्तावत जी हों, त्रिवेदी जी हों, भंवरलाल जी मेघवाल हों और इससे भी बड़ा काम, माननीय सभापति महोदय, लड़कियों का कालेज खोला है। कितना बड़ा धर्म और कर्म है कि विद्या के मंदिरों की घोषणा की है मुख्य मंत्री महोदय ने। जब तक यह धरती और दुनिया रहेगी, इन विद्या के मंदिर में कन्याएं ज्ञान ग्रहण करके जाएंगी और उनका नाम यहां से जाने के बाद भी अमर करने का काम राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने किया है। माननीय सभापति महोदय, ऐसी सोच बीजेपी की नहीं है। इसके लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री, जो जनसेवक हैं, वह धन्यवाद के पात्र हैं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जितना कि मुझे अब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद में एक पिछड़े हुए क्षेत्र को काम मिला है। नारायणपुर पिछली सरकार में उप तहसील बना कांग्रेस पार्टी के राज में, फिर तहसील बनायी, ए.सी.जे.एम. कोर्ट खोला गया, पर्सनल मंडी बनी। नारायणपुर में मंडी यार्ड बनाया। इसरा का बास एक पी.एच.सी., स्वतंत्रता सेनानी, जो आजाद हिंद फौज के स्वतंत्रता सेनानी थे उदमीराम जी, उनकी मूर्ति के अनावरण में पिछली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गये और भी कई सारे मंत्री गये और भाषण में घोषणा करके आये कि हम यहां पी.एच.सी. खोल देंगे लेकिन पूरे पांच साल गुजर गये। वैसे घोषणा असत्य कर लो, झूठ बोल लो, पर कम से कम स्वतंत्रता सेनानी के नाम से तो झूठ मत बोलो। उसको साकार किया और इसरा का बास में पी.एच.सी. खोली। हरसोरा आदर्श सी.एच.सी. खोली, माची में बड़ा अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, हरसोरा थाना, पशु केन्द्र और बानसूर की महती आवश्यकता थी आज, डिप्टी आफिस खोलना, बस डिपो, नई सड़कें बनाना, पानी की स्कीम, नारायणपुर में छात्रावास, नारायणपुर को उपखण्ड बनाना, ए.ईएन. आफिस खोलना, बानसूर की जनता की तरफ से सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मैं कोटि-कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं। धन्य है ऐसी सरकार। इस बार हर वर्ग और क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। कोई भी विधान सभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जो पिछड़ा हुआ हो, विकास के पथ पर अग्रसर नहीं हुआ हो। रामलाल जी, मंत्री बनना आप जैसे के दिल में लालच है, लोभ है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे क्षेत्र के विकास के काम की यही एक इच्छा और आकांक्षा है और उसमें अग्रणी हैं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

पिछली बार पिछले बजट सत्र के तुरंत बाद संसार में कोरोना नाम की महामारी आयी। पूरी दुनिया के चलते हुए पहिये रुक गये। मुझे आपकी सिफारिश की जरूरत नहीं है। आप लोगों का तो काम ही यही है खरीद-फरोख्त करने का और इससे बड़ा कोई काम भी नहीं है और यह बिकने वाले कोई और होते हैं, यह महिला मर्दानी है, बिकने वालों में नहीं है, आप को खरीदने वालों में हैं। आना हो तो आ जाओ एकाध। मुंह मांगी कीमत दे देंगे आपको।

राजस्थान ही क्या, जब पूरे भारत देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना ने झकझोर दिया था, एक चुनौतीपूर्ण समय में प्रदेश के विकास के लिए संसाधनों में कोई कमी नहीं आने दी गई। संकट के समय में राजस्थान अपनी कार्यशैली के लिए और अपनी सुव्यवस्था के लिए पूरे देश में एक उदाहरण रहा। कुशल प्रबंधन रहा, चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, रामगंज मॉडल हो। देश ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया और देश के प्रधान मंत्री जी ने भी सराहा, आपको सराहने में शर्म आ रही है। मुख्य मंत्री जी ने खुद वीडियो कांफ्रेंस के जरिये प्रत्येक राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष, धर्मगुरुओं, सांसदों, उद्योगपतियों, चिकित्साकर्मियों, मीडिया बंधुओं से, पुलिसकर्मियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, कोई वर्ग ऐसा नहीं था जहां बात नहीं की हो, सैकड़ों बार वी.सी. से जुड़े रहे। एक अपने परिवार की तरह पूरे राजस्थान का ध्यान रखा। कोरोना काल में मुख्य मंत्री महोदय ने एक सुव्यवस्थित व्यवस्था की। नये-नये जांच केंद्र खोले गये। कोई भूखा न सोये। जिस मजदूर ने, जिस किसी ने भी राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया उसकी पूरी व्यवस्था की गई, उसको जहां से आये थे वहां तक भेजने की यातायात की व्यवस्था की गई, खाने और पानी की व्यवस्था की गई।

माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कोरोना काल में ऐसा हो गया। ऐसा तो देश के प्रधान मंत्री जी ने करी थी अव्यवस्था, ट्रेनों में मर गये, सड़कों पर चल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ घोषणा थी। यहां का इतिहास उठाकर देखें।

अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किट दिये गये, मुझे ऐसा लग रहा था जो विधायक कोटे से किट दिये गये हों या सरकार की तरफ से दिये गये हों, किसी भी किट पर किसी का फोटो नहीं था, हाथ का निशान नहीं था, किसी एम.एल.ए. का, मुख्य मंत्री का फोटो नहीं था। आपको यह पता ही नहीं है कि बांटे किसने थे। बांटने की जिम्मेदारी दी

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

गई थी गांव के पटवारी को, ग्राम सेवक को, सरपंच को, बीडीओ को, तहसीलदार को, थानाधिकारी को, सभी ने बांटे थे और उस पर किसी की मुहर नहीं लगी हुई थी। मुझे खुशी है कि बानसूर में जब किट बांटे गये तो बी.जे.पी. के कार्यकर्ताओं ने खुद ने भी बांटे और मुझे फोन करके यह कहा कि मैडम, आपका धन्यवाद है कि आपके किटों पर किसी की फोटो नहीं है, हमें बांटते हुए शर्म नहीं आ रही है और फिर कहते हैं कि ऐसा है। आपको ज्ञान ही नहीं है। इसका मतलब आप घर पर बैठे थे, कोरोना काल में आप घर पर बैठे थे। राजस्थान सरकार की जो पंचायत राज की कड़ी थी उसने सारा काम किया था। (व्यवधान) कांग्रेस का कोई भी किट बता दो, सही है बिल्कुल, मेरे किट की फोटो डाल दूंगी आपको। वो आपने छपवाकर करा होगा, यह काम आप लोगों का है बी.जे.पी. वालों का।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो एक विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की है वो सराहनीय है। इससे निराश्रित, असहाय, मजदूर परिवारों को फायदा मिलेगा। शहर में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई। पांच लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, माननीय, प्लीज, प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, यह जो प्रोपेगैंडा करना आता है यह बी.जे.पी. के नेताओं को बहुत अच्छा करना आता है। आज तक इतिहास में कोई बता दे कि कांग्रेस के नेता ने किसी तरीके का झूठ बोला हो। अब यह बारबार राहुल जी का नाम क्यों लेते हैं क्योंकि वो सत्य बोलते हैं, उनको नाटक करना नहीं आता, उनको रोना नहीं आता, उनको झूठी घोषणाएं करना नहीं आता। कहां गए अच्छे दिन? कहां पड़े हैं, कहीं मिले हैं क्या? आप के थैले में मिले हैं क्या या आर.एस.एस. के संघ के उस कार्यालय में मिले हैं क्या? अच्छे दिन आने वाले हैं क्या? जनता महंगाई से त्रस्त है, कहां है? (व्यवधान) अभी करवाऊंगी, दो मिनट रुको।

लघु उद्योगों को संबल देने के लिए मुख्य मंत्री ने लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया। प्रदेश में युवाओं के लिए उद्योग स्थापित किये। पांच लाख रुपये तक स्टार्टअप सहायता राशि की घोषणा की आगामी वर्ष में विद्यार्थियों को, कक्षा 8 तक के बच्चों को और 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम और यूनिफार्म नि:शुल्क दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह बहुत बड़ी घोषणा है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

महात्मा गांधी नरेगा योजना में पिछड़े क्षेत्र में जनजाति के क्षेत्र में 100 दिन के बजाय 200 दिन का रोजगार देने की घोषणा की, यह सराहनीय कदम है।

पहला सुख निरोगी काया हो, नि:शुल्क दवा योजना हो, आयुष्मान भारत हो, निरोगी राजस्थान अभियान हो, कितने नये मेडिकल कालेज खोले गये हैं, डाक्टर्स, नर्सेज की भर्ती की गई है। साहब, पिछली सरकार में तो कुछ भी किया ही नहीं था। नये नर्सिंग कालेज खोले हैं, मेडिकल कालेज खोले हैं जिसमें राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू किये गये हैं। राज्य के प्रत्येक परिवार को चिकित्सा के लिए बीमा योजना लागू की गई है। संविदाकर्मी और लघु उद्योगों के लिए 50 प्रतिशत पर सरकारी निजी चिकित्सालय संस्थाओं में इलाज हेतु सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। सातों संभाग में पब्लिक हैल्थ केयर खोलने का कार्य एक ऐतिहासिक कार्य है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना, हब एण्ड स्पोक मॉडल अपनाकर पी.एच.सी. और सी.एच.सी., जिला अस्पताल सभी पर जांचों की संख्या बढ़ायी गयी है। महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा में और सभी में बैड बढ़ाये गये हैं।

राजस्थान को स्वस्थ रखने के लिए स्पेशलिटी हो, चाहे न्यूरोलॉजी हो, नैफ्रोलॉजी हो और कार्डियोलॉजी हो, सभी विभाग एस.एम.एस. जयपुर में और कई जिलों में प्रारम्भ किये जाएंगे, यह बहुत सराहनीय कदम है। नये-नये इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। राजस्थान के हर क्षेत्र में रोजगार और विकास की जो ये धारा चली है यह एक सराहनीय व नया कदम है। यूनानी, होम्योपैथिक, नैचुरोपैथी, आयुष इन सभी को विकास के लिए नये संस्थान खोले जाएंगे। उप जिला परिवहन कार्यालय खोला जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए पांच हजार से अधिक आबादी वाले सभी जगह विद्यालय खोले जाएंगे। इसमें पक्ष और विपक्ष नहीं देखा, यह कितनी बड़ी बात है। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय की एक सहृदयता है, यह विकास की नजर है कि उन्होंने कोई तय नहीं किया, कोई गाइड लाइन तय नहीं करी, एक जनसंख्या के आधार पर खोला जाएगा।

600 विद्यालयों में कृषि संकाय खोला जाएगा। गांधी दर्शन म्यूजियम बनाना। मूक बधिरों के लिए, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बेरोजगारी भत्ता बढ़ाना हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को रोडवेज में नि:शुल्क यात्रा कराना, कितनी बड़ी बात है। बालक परीक्षा देने जाएगा तो कई बार उसको पैसा उधार मांगना पड़ता था, किसी न किसी से लेकर तब वो जाता था लेकिन राजस्थान के युवाओं को यह एक तोहफा है क्योंकि युवाओं के लिए भर्तियां खोलना और राजस्थान के युवा के लिए, युवा के विकास के लिए युवा के हित में सोचना एक बहुत महत्वपूर्ण है।

खेल को महत्व दिया गया जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना हो। इस तरह की योजनाएं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की सरकार ही कर सकती है बाकी पिछली बार डूंडी पीटते थे कौनसी दीनदयाल उपाध्याय योजना, उसमें कनेक्शन होंगे, योजना के बहुत बड़े -बड़े कैम्प लगा दिये और उसमें रिजल्ट क्या निकला, जीरो। मेरे भी बानसूर में एकाध करवा देते तो आपको धन्यवाद दे देते।

चाहे हर पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय खोलना हो, मोबाइल वेटरिनरी हो, गौशालाओं को आधी दर पर सरकार बिजली में छूट देगी। उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। नये-नये आयाम, दस्तकारों, बुनकरों, कुटीर उद्योगों और दिल्ली की तर्ज पर जयपुर में भी हाट बाजार को विकसित किया जाएगा।

स्वरोजगार के लिए बिना टेंडर के ही विभिन्न विभागों में चयनित कार्यों को युवाओं को दिया जाएगा। प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के लिए युवाओं को छूट मिलेगी। मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इस योजना के तहत जो बच्चे अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, उनको इस सुविधा की भी राजस्थान के मुख्य मंत्री ने बजट में व्यवस्था की है। जो पिछला बजट था उसमें भी, और यह कह रहे हैं कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, हमारे यहां तो सारी चीजें चालू हो गई हैं। किस तरीके से नहीं हुआ है? बल्कि कोरोना काल में जब सभी चीजें लॉकडाउन में बंद थीं, फिर भी ऐसी व्यवस्था रही, कम से कम उसकी तो सराहना करनी चाहिए थी।

पिछड़े क्षेत्रों में 8 नवीन एकलव्य मॉडल रेजीडेंशियल स्कूल स्थापित किए जाएंगे जिससे आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा का अलख जगाने का काम राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने किया है। 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावास भवन बनाए जाएंगे। उससे एससी, एसटी, ओबीसी, माइनोरिटी सभी को फायदा मिलेगा। सभी के अलग-अलग छात्रावासों की घोषणा की है। चाहे देवनारायण योजना हो, चाहे वृद्ध जनों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की हो, छात्रवृत्ति को

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बढ़ाना भी सराहनीय कदम है। आंगनबाड़ियों को नन्दघर योजना में शामिल करना, इंदिरा महिला शक्ति में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालयों पर काउंसलिंग केन्द्र खोले जाएंगे। यह भी सराहनीय काम है।

सैनिकों की वीरांगनाओं और अविवाहित शहीद सैनिकों के माता-पिता के लिए वर्तमान में जो मानदेय था, उसे बढ़ाया गया है। यह एक बहुत ही सराहनीय कदम राजस्थान के सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट में 3 लाख से बढ़ाकर के 5 लाख की एफ.डी. उनके आश्रितों के लिए, माता-पिता के लिए की गई है। राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने शहीदों के लिए यह जो सम्मान दिया है, यह दर्शाता है कि देश हित में उनको सम्मान देने के लिए यह कदम उठाया है। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी जो राशि 25 हजार थी, उसको 50 हजार किया गया है।

सभापति महोदय, सैनिक भी क्या किसी एक के होते हैं? कम से कम इसकी तो सराहना करते कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने स्वतंत्रता सेनानी और सैनिकों के लिए भला काम किया है, लेकिन नहीं किया। पिछली सरकार के काम गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है कि यह एक काम तो गिनवा दें। सिर्फ कहेंगे तो यह कि भारत सरकार ने यह काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल से जोड़ना हो, चाहे सड़क योजना से जोड़ना हो, नवीनीकरण हो, जनजाति क्षेत्र का हो, शेखावाटी का हो, किसी भी महान पुरुष और देवी-देवता, राजा-रानी, दुर्ग, पहाड़, छतरी, इन सारी चीजों को वापस से चालू करना। पिछली सरकार ने आरटीडीसी की मिड वे जैसी संस्थाओं को बंद कर दिया था, इनको राजस्थान सरकार ने चलाने की वापस से घोषणा की है। सभी महान पुरुषों को सम्मान देते हुए, देवी-देवताओं को सम्मान देते हुए जो यह किया गया है, जो कि पिछली सरकार में दरकिनार कर दिए गए थे, यह राजस्थान की संस्कृति को जिंदा रखने का एक नया काम किया है।

अपराधों पर रोक लगे इसके लिए नई-नई चौकी खोलना, थाने खोलना, सीओ आफिस खोलना, यह मुख्य मंत्री महोदय ने एक अनोखा काम किया है। प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग जो कैंप लगाए जाएंगे, उसमें पट्टे दिए जाएंगे। यह भी सराहनीय कार्य हैं।

माननीय सभापति महोदय, उससे भी बड़ा काम पहली बार बजट में हुआ है कि पंजीयन में स्टाम्प ड्यूटी नहीं बढ़ाई है। यह राजस्थान में

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

ऐतिहासिक कार्य हैं कि पंजीयन में किसी भी तरह की स्टाम्प ड्यूटी, किसी भी तरह की सरकारी फीस नहीं बढ़ाई गई है। पोती और दोहिती के लिए फ्री किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह राजस्थान की सरकार का सराहनीय कदम है।

पिछली सरकार ने ग्रामीण बसें बंद कर दी थीं। आये दिन गांवों में लोग जीपों में लटक-लटक करके जाते थे। दुर्घटनाएं होती रहती थीं। ग्रामीण बसों को चलाना राजस्थान सरकार का बहुत ही सराहनीय काम है। हर वर्ग के लिए नौकरियां कितनी खोली हैं। एमबीसी में ही 24 हजार, 25 हजार नौकरियां युवाओं को देने वाले हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह राष्ट्र भक्ति की कई बार बात करते हैं। यह कहते हैं कि 70 साल में क्या किया? इनको शायद पता ही नहीं है कि 70 साल में क्या किया? इस भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या हुआ, कैसे हुआ? यह इन्हें पता ही नहीं है कि किस हालत में भारत देश आजाद हुआ था। इनको सिर्फ एक काम आता है, राष्ट्र भक्ति नहीं की, देश भक्ति नहीं की।

वर्तमान में देश के प्रधान मंत्री महोदय बस भाषण दे देते हैं कि काला धन भी आएगा। महिलाओं के खातों में पैसा भी आएगा। किसानों को नीम का खाद भी मिलेगा। किसानों की आय दुगुनी हो जाएगी। इतने अच्छे दिन आएंगे कि शायद ऊपर से रुपयों की बरसात होगी लेकिन मुझे ये बता दें कि इन्होंने पूरे 7 वर्षों में अगर एक काम भी नया किया हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं बता दूं एक छोटा-सा उदाहरण, अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अजमेर को ख्वाजा की नगरी से नहीं जानते। चौहान की नगरी से भी जानते हैं।

एक माननीय सदस्य: यस।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): लेकिन यस करने वाले माननीय सदस्य, मैं पूछना चाहती हूं कि उससे पहले वह ब्रह्मा की नगरी भी है, वह सावित्री की नगरी भी है, वह कहां चली गई? लेकिन नहीं, सिर्फ राजनीति करने के लिए, वहां ब्रह्मा का पुष्कर मंदिर ही नहीं है? हैं न, वह तो शायद पहले वह लोग आ गए थे। ब्रह्मा और सावित्री यह तो बाद में आए थे? इतना नहीं है। सिर्फ राजनीति करने के लिए करते हैं। देवी देवता, देवी देवताओं को तो आप भूल गए। राम, अब राम के नाम पर चल दिए। ऐसा कोई हृदय है

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

क्या जिसमें राम नहीं हो? मुझे वह बता दें कि नहीं हैं राम? कहां पर नहीं है? हर बात में जिक्र कर देते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब भारत देश आजाद हुआ। अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुआ। खाकी नेकर अंग्रेजों की पुलिस की तरह लोगों पर जुल्म ढाने के लिए बदनाम थी। खाकीधारी स्वतंत्रता सेनानियों के तिरंगे का, जन गण का विरोध करते थे। भारतवासियों को अंग्रेजों के काल में सिर झुकाकर चलना पड़ता था। कोई अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता था। अगर अपने अधिकारों की बात करते तो उन्हें अंधेरी काल कोठरियों में ठूंस-ठूंस करके भर दिया जाता था। आजादी के दीवाने सरदार भगत सिंह हों, सुभाष चन्द्र बोस हों, अताउल्ला खान हों, चन्द्रशेखर हों, कनकलता हो, कस्तूरबा हो, मातंगिनी हो, इतने हजारों, लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी से, उन्होंने अपने लहू से इस धरती माता को तिलक करके आजादी दिलवाई थी। (समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, 5 मिनट, 5 मिनट, अभी 70 साल का इनको थोड़ा-सा हिसाब दे देती हूं। उस दासता से मुक्त होने के बाद आजाद भारत खोखला था। एक चुनौती थी। वह भारत आज का नहीं था। बल्कि घायल और कराहता हुआ, नफरत से भरा हुआ, खंड-खंड, लुटा-पिटा, निर्धन छोड़ा गया भारत था। एक बच्चे की तरह पाल-पोस कर टुकड़ों में बंटे हुए भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने एक सूत्र में पिरोया। बिना खून-खराबा किए हुए अखंड भारत का निर्माण किया। मैं बताती हूं कि इन70 साल में क्या किया? देश की शासन प्रणाली, कानून-व्यवस्था भीमराव अंबेडकर जी को सौंपी गई जिसका लिखित में मजबूत संविधान बना। देश को नया रंग-रूप मिला। आधुनिक भारत मिला। निरक्षर से साक्षर हुआ। जहां सुई नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार का राज था। जहां ऊंट गाड़ी और बैल गाड़ी चलती थी। वहां से उठकर उपग्रह तक, अंतरिक्ष में राकेश शर्मा से जब पूछा गया कि मेरा भारत देश कैसा लगता है, तो उसने कहा, सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा लगता है। यह भारत देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 70 साल में किया।

पिछड़ी जातियों को आरक्षण देकर लाभ दिया गया, समान अधिकार दिया गया। धन्यवाद है पंडित नेहरू जी का, विश्व का सबसे बड़ा भूमि सुधार कानून लागू किया गया जो कि सरकार की सद्भावना को प्रकट करता है। राष्ट्र

(श्रीमती शकुन्तला रावत)
संत विनोबा भावे के भूदान आंदोलन ने गरीब, मजदूर, खेतीविहीन किसान को भूमि का पुनर्वितरण किया गया।

योजना आयोग बनाया गया, नीति आयोग बनाया गया, खाने-पीने के सामान के लिए विदेशों की तरफ ताकना पड़ता था, हरित क्रांति लाए, लाल बहादुर शास्त्री ने अर्थव्यवस्था को संभाला और एक दिन का उपवास करने के लिए कहा। किसी देश की तरक्की के लिए पैमाना उस देश की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। आर्थिक मंदी की चपेट में था भारत, उस समय प्रधान मंत्री, मनमोहन सिंहजी ने एशिया में भारत देश का नाम किया।

माननीय सभापति महोदय, अब क्या हो रहा है, डीजल-पैट्रोल देख लो, महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, देख लो। बिना भेदभाव मताधिकार दिया, 18 वर्ष के युवा को वोट डालने का अधिकार दिया, महिलाओं को पंचायती राज में भागीदारी दी। इंडियन एयर लाइंस का गठन किया, दुनिया का सबसे बड़ा और पहला परमाणु ऊर्जा आधारित कार्यक्रम लांच किया। एशिया में पहला न्यूक्लियर रिएक्टर प्रारम्भ किया, परमाणु बम परीक्षण किया। क्या नहीं किया?

माननीय सभापति महोदय, उदाहरण है, इंदिराजी का, आज ऐसे हो रहा है, देश के चारों तरफ अनाथ की तरह सेनाएं घेर रही हैं लेकिन एक दिन वह था, धन्य हैं स्वर्गीय इंदिरा गांधीजी, पूर्व प्रधान मंत्रीजी ने लाखों की सेना को हथियार झुकाकर घुटनों के बल टिका दिया था वे थीं, वह किया। अटलजी की जब प्लेट लग रही थी तो कांग्रेस सरकार बन गई थी, तो किसी ने कहा कि प्लेट को हटा दें, तो धन्य हो कांग्रेस पार्टी की जब भारत सरकार थी तो कहा कि नहीं, वे सम्माननीय हैं, हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं, उनकी नेम प्लेट नहीं हटानी चाहिए और जब उन्होंने शपथ ग्रहण की तो यह कहा कि जो मेरे से पहले सरकार ने काम किए, उसी से आज देश विकास की सीढ़ी पर खड़ा है, इसे आगे ले जाने का काम मैं करूंगा। माननीय सभापति महोदय, एम्स बनाना हो, आईआईटी बनाना हो।

श्री सभापति: Please conclude your speech as fast as possible because now the new speaker is there.

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान ही है इसमें, राजस्थान ही है। चाहे पश्चिमी राजस्थान का अकाल

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

हो, चाहे देश में 25 सांसद दिए हैं प्रधान मंत्रीजी को, उन्होंने किया क्या है, नोटबंदी की। महिलाओं के खाते में पैसे डाले क्या?

श्री सभापति: प्लीज कनक्लूड। श्री मदन दिलावर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मैं दो लाइन कहना चाहूंगी देश के प्रधान मंत्रीजी से,

"सत्ता को देखकर न घमंड कर,
यह वक्त की नजाकत है,
एक दिन यह जरूर दूर चली जाएगी,
आज ये हैं, कल कोई और आएगा,
ज्यादा गीत नहीं गाएं, यह वक्त है,
एक दिन तुझे तेरा आईना दिखाएगा,
एक दिन तुझे तुम्हारा आईना दिखाएगा।"

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, वह बजट निराशाजनक, हताशा भरा और लोगों को गुमराह करने वाला बजट है। अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, वृद्धजन, विधवा, गरीब और किसान के खिलाफ है। इन्होंने कहा है कि एससी, एसटी का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए कानून लाएंगे, कानून बनाएंगे। अभी तक इतने सालों में अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को क्यों पिछड़ा रखा? उनका शोषण क्यों किया? उनकी जमीनों पर कब्जा करके बेचते क्यों रहे? उनको क्यों लूटते रहे? अब कानून बनाने की बात कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब का, तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी का कि वे अनुसूचित जाति का विकास करने के लिए, जनजाति का विकास करने के लिए, एससीपी योजना लाए, स्टेट कम्पोनेंट प्लान, विशिष्ट संघटक योजना और उसके माध्यम से कहा कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में बजट का खर्चा उन पर होना चाहिए लेकिन इस सरकार ने वर्षों तक नहीं किया, उनका शोषण करते रहे और उनको पिछड़ा रखा। माननीय सभापति महोदय, वह आज भी चालू है। आपने बजट को सुना भी है और पढ़ा भी है। आपने देखा होगा,

(श्री मदन दिलावर)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, विकलांग लोगों की अधिकांश छात्रवृत्ति को रोककर रखा हुआ है, उनकी छात्रवृत्ति बढ़ाने की जो घोषणा करनी थी वह नहीं हुई, जबकि उसमें से अधिकांश छात्रवृत्ति का भाग भारत सरकार का होता है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी वृद्धा, विधवा, विकलांग के लिए, उसको भी नहीं बढ़ाया गया है। देश के कई प्रदेशों से कम पेंशन यहां मिलती है। यहां वृद्धावस्था पेंशन शुरुआत मात्र 500 रुपये से होती है, कई दूसरे प्रदेशों में 1000 रुपये से होती है। यह सम्मान हमारे वृद्धों का है, विकलांगों का है, विधवा बहनों का है, उनका ये अपमान कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, पालनहार योजना उनके लिए है, मुझे इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के नेतृत्व में मैंने भी समाज कल्याण विभाग में काम किया है। पालनहार योजना उस समय प्रारम्भ की थी। उस योजना में जिनके मां-बाप नहीं हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनके विकलांग मां-बाप हैं, उनको भी मिलती है। जो विधवा मांएं हैं उनके बच्चों को भी मिलता है। ऐसे दो-तीन-चार कैटेगरी और हैं। ऐसे कई हजारों बच्चों का पैसा इस सरकार ने रोका हुआ है। इसको बढ़ाना था जो नहीं बढ़ाया गया। उस समय हमने तय किया था कि छात्रावास में रहने वाले बच्चों का भत्ता बढ़ेगा, यानी एक बच्चे पर जितना खर्चा होगा सरकार का, उतना खर्चा पालनहार बच्चे को दिया जाएगा लेकिन सरकार ने नहीं किया, यानी उन अनाथ बच्चों का पैसा भी खा गए हैं, डकार गए हैं। वह आज 3000 रुपये महीने होने वाला था, उसको 1000 रुपये महीने ही रखा है।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के छात्रों के लिए माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब के नेतृत्व में, उनके आदेश से हमने एक योजना लागू की थी। जो एससी, एसटी के बच्चे डाक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों का कोचिंग का खर्चा राजस्थान सरकार के खजाने से भरा जाएगा। हमने कई वर्षों तक भरा, कांग्रेस की सरकार आई और उसको बंद कर दिया। इसलिए कह रहा हूं मैं कि यह सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, गरीब और किसान के खिलाफ है।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा के आवेदन बड़ी संख्या में लंबित हैं। विधवा बहन की बेटी की शादी होनी है, विकलांग की शादी होनी

(श्री मदन दिलावर)

है, बीपीएल के परिवार की पुत्री की शादी होनी है, ऐसे अनेक आवेदन लंबित हैं, क्यों लेकर बैठे हो, क्या दुश्मनी निकाल रहे हो उनसे? क्यों नहीं उनको पैसा दे रहे हो? बजट में उनको बढ़ाने का प्रावधान क्यों नहीं किया है?

आप तो कह रहे थे कि एससी, एसटी के विकास के लिए कानून लेकर आएंगे, क्या डंडे की भाषा ही समझोगे क्या? कानून से नहीं समझोगे क्या? बिना कानून आपके समझ में नहीं आता है क्या? इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि सरकार गरीबों के खिलाफ है। बजट में घोषणाएं बहुत हुई हैं ऐसी घोषणाओं का क्या अर्थ है माननीय सभापति महोदय, जिनको पूरी कर ही नहीं सकते। पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से आएगा, धन कहां है? इनकी आदत पड़ गई है असत्य बजट पेश करने की, गलत बात सदन में करने की। उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। 2019-20 की घोषणाएं हैं जो प्रारम्भ ही नहीं हुई हैं, उनको उठाकर ही नहीं देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं बानगी, जयपुर की बात बताना चाहता हूं। परकोटे में पेयजल तंत्र की मजबूती के लिए 165 करोड़ रुपये की परियोजना, कहां है वो? धरातल पर ही नहीं है। पुरानी विधान सभा भवन में विश्व स्तरीय म्यूजियम की स्थापना, कहां है? गोविन्द मार्ग पर एलिवेटेड रोड, कहां है? सिविल लाइन रेलवे फाटक पर फोरलेन आरओबी, कहां है? गांधी अध्ययन केन्द्र, खादी प्लाजा, एसएमएस अस्पताल में प्रत्यारोपण विभाग एवं न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की स्थापना, कहां है? क्यों घोषणाएं की थीं? हमको +++ बनाने के लिए? राजस्थान की जनता को +++ बनाने के लिए? आखिर ये घोषणाएं क्यों की थीं?

माननीय सभापति महोदय, मैं जोधपुर की बात बताना चाहता हूं, जहां से मुख्य मंत्रीजी आते हैं, वहां की बात करता हूं। राजस्थान अन्तरराष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित होगा, हो गया क्या? राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के 1454 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट एडीबी से राशि लेकर पूरा करेंगे, कर दिया क्या? जयनारायण व्यास टाउन हाल का जीर्णोद्धार, मथानिया में स्वतंत्र कृषि मंडी और सारण नगर से बनाड़ तक 100 फीट सड़क की डीपीआर भी अब तक कागजों में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं अलवर की बात करूं तो अलवर को 4718 करोड़ रुपये की राशि लेकर चम्बल परियोजना से जोड़ने की बात थी, जुड़ गया क्या? घटना के पंद्रह मिनट के भीतर पुलिस के घटनास्थल पर

(श्री मदन दिलावर)

पहुंचने के लिए अलवरभरतपुर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट कहां है? पायलट कहां है, यहां तो केवल सचिन जी पायलट हैं। वह पायलट प्रोजेक्ट तो गायब हो गया। रामगढ़, बानसूर, लक्ष्मणगढ़ में नगरपालिका की स्थापना करेंगे, नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करेंगे। माननीय सभापति महोदय, बारां जो कि मेरा गृह जिला है और जहां से मैं 20 साल तक एमएलए रहा और जनता ने मुझे चार बार चुना, वहां के लिए शहीद स्मारक की घोषणा कर दी। कहां है शहीद स्मारक? शहीदों के नाम पर क्यों लोगों को +++ बना रहे हैं? शहीदों का अपमान क्यों कर रहे हैं?

माननीय सभापति महोदय, कहा गया- नाहरगढ़, समरानिया, छीपाबड़ौद में गौण कृषि उपज मण्डियां तथा मांगरोल में स्वतंत्र मण्डी, अटरू मुख्यालय को नगरपालिका का दर्जा और अटरू में एडीजे कोर्ट की स्थापना, कहां है भाई? देखने को नहीं मिल रहा।

बूंदी की बात करूं तो मेडिकल कालेज के लिए जमीन का आबंटन, सोजत में ट्रोमा सैंटर और रामगंज मण्डी में ट्रोमा सैंटर और 75 बैडेड हास्पिटल होगा। कहां है यह सब? 50 बैडेड हॉस्पिटल था, तब हमारे 13 डाक्टर वहां रहते थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें घोषणा कर दी 75 करने की, 6 डाक्टर भी नहीं रहते हैं। लोग परेशान हैं। इलाज के मारे मर रहे हैं, लेकिन ऐसी थोथी घोषणा करने का क्या अर्थ है? झुंझुनूं, खेतड़ी, उदयपुरवाटी में सीवरेज तंत्र, ऐसी अनेक घोषणाएं हैं जिन्हें जब आप पूरा करने की ताकत नहीं रखते हैं तो बजट में उनकी घोषणाएं क्यों करते हैं? क्या आप राजस्थान की जनता को +++ समझते हैं? क्या माननीय सदस्यों को +++ समझते हैं? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता को अधिक समय तक आप +++ बनाएंगे तो आपसे बदला लेगी जनता। यह छोड़ेगी नहीं। जनता किसी को छोड़ती नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि हम स्त्री विद्यालय खोलेंगे। हास्पिटलों की भी भरमार, विद्यालय भी बहुत, कालेज भी बहुत, आईटीआई भी बहुत। अनेक डिपार्टमेंटों में इन्होंने बहुत घोषणाएं की हैं 4 लाख पद खाली हैं राजस्थान में, 4 लाख लोगों की भर्ती नहीं करते, तब तक तो आप नया नहीं खोल सकते। जब 4 लाख लोगों की भर्ती कर लेंगे, तब नया खोल सकते हैं। आप भर्ती करेंगे नहीं, पहले से हास्पिटलों में लोग हैं नहीं, डाक्टर हैं नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ है नहीं, लैब बॉय है नहीं, लैब अटैंडेंट हैं नहीं

(श्री मदन दिलावर)

और आप कह रहे हैं हम नये खोल रहे हैं। क्या होगा उससे? उससे यह होगा कि मरीज वहां जाएगा और डाक्टर की अनुपस्थिति में तड़प-तड़प के मर जाएगा। वहां नर्सिंग स्टाफ होगा ही नहीं। डिलीवरी कराने के लिए महिला जाएगी तो तड़प-तड़प कर मर जाएगी, क्योंकि डाक्टर तो हैं ही नहीं।

जब अनाप-शनाप हास्पिटल हो जाएंगे और डाक्टरों की संख्या कम होगी तो डाक्टरों का क्या दोष होगा? आप डाक्टरों को भी बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं कि डाक्टरों ने उन्हें मार दिया। डाक्टर तो वहां हैं ही नहीं। यह लोगों को +++ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। यह लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। इतने विद्यालय खोलेंगे, खोल दें न, 10 लाख खोल दें, कहने में क्या जाता है? टीचर्स कितने हैं आपके पास, शारीरिक शिक्षक कितने हैं, उसमें दूसरा स्टाफ कितना है? आपके पास नहीं है तो क्या होगा, बच्चा स्कूल में जाएगा और मास्टर पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। बच्चा स्कूल में भर्ती होगा और उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वहां पढ़ाने वाला होगा ही नहीं। कालेज खोल दिये, कॉलेजों में एडमिशन दे दिये, पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं। क्या होगा उससे? उससे यह होगा कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, प्रतिभाएं हैं, उनमें निखार नहीं आ पाएगा। वे लोग पिछड़ जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? करना यह चाहिए था कि 4 लाख पदों को भरने के बाद हम नये खोलते ताकि वे सुचारु रूप से चल सकें।

इन्होंने 2019-20 में क्या घोषणा कर दी, 75 हजार लोगों की भर्ती करेंगे हम। मैं बताता हूं उसका भी हश्र आपको। 75 हजार लोगों की भर्ती करेंगे, कर ली क्या? कितने पद भर गये? कोर्ट में जाकर अटका दिये। लोगों को +++ बना दिया, लोगों से आवेदन ले लिये। 25 लाख बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। जान-बूझकर इसलिए अटकाये गये, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं, कहां से देंगे तो कोई न कोई कमी रख दो ताकि कोर्ट अपने आप कोई स्टे दे दे। कोर्ट अपने आप इंटरवीन करेगा तो भर्तियां होंगी ही नहीं। हम कह देंगे कि माननीय न्यायालय ने रोक दिया है। यह युवाओं को +++ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है और इसकी सहायता करने के लिए कांग्रेस का गिरोह भी चलता है। अधिकारियों में एक गिरोह भी है जो कि पेपर आउट करा देता है। परीक्षा स्थगित हो गयी, पेपर तो आउट हो गया है। यह गिरोह है जो यहां के युवाओं का दुश्मन बना हुआ है। उसमें सरकार भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल हैं और समाजकंटक लोग भी शामिल हैं। तीनों का गठजोड़ मिलकर युवाओं के साथ ज्यादती कर रहा है।

(श्री मदन दिलावर)

माननीय सभापति महोदय, डाक्टरों की स्थिति आप देख ही रहे हैं। मैं आपको भर्तियों की स्थिति बता रहा हूं पहले तो। 2019-20 में इन्होंने कहा 75 हजार भर्तियां करेंगे। राजस्व विभाग में 4646, कृषि विभाग में 4000, शिक्षा विभाग में 21600, सहकारिता विभाग में 750, आईटी विभाग में 800, स्वास्थ्य विभाग में 15000, उच्च शिक्षा में 1000, कौशल रोजगार में 1500, ऐसे करके करीब 75 हजार भर्तियां करने की बात थी। क्या हुई भर्तियां? मैं 2019-20 के बजट की बात कर रहा हूं। 2020-21 का अलग है और आपने 50 हजार की और कर दी है और उसमें यह भी कहा है कि 2 साल में पूरी करेंगे। आप नहीं कर पाएंगे और जब नहीं कर पाएंगे तो आपने क्यों घोषणाएं कीं? क्यों लोगों का जीवन बर्बाद करने का षड्यंत्र कर रहे हैं? क्यों युवाओं के दुश्मन बने हुए हैं? क्यों बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं? क्यों उन्हें +++ बना रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, यह षड्यंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। बहुत हो गया है।

अब मैं एक उदाहरण देता हूं। डाक्टरों की क्या स्थिति है? रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र के मुख्यालय पर एक हॉस्पिटल है। उसे कहते हैं सीएचसी। सीएचसी में पद हैं टोटल 65, खाली कितने हैं- 34, पद हैं 65 और खाली हैं 34 और चेचट में पद हैं 23 और खाली हैं 6, ऐसी ही स्थिति सारे हास्पिटलों की है। जब आपके पास डाक्टर नहीं हैं अभी हास्पिटल चलाने के लिए तो हास्पिटल खोल क्यों रहे हैं? समझ में नहीं आ रही है यह बात? क्या है यह? माननीय सभापति महोदय, यह लोगों को +++ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है और कई बार लगता है न, जब चोर चोरी करता है तो बड़ा होशियार रहता है वह...

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह +++ शब्द असंसदीय है। इसे कार्यवाही से हटाया जाए।

श्री सभापति: Delete.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं किसी भी +++ को +++ नहीं कह रहा।

श्री सभापति: Again delete. आप बहुत seasoned हैं। कृपया unparliamentary words का यूज न करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कोई चोर चोरी करता है तो वह निशान छोड़ जाता है और पकड़ में भी इसीलिए आ जाता है। इन्होंने कोशिश

(श्री मदन दिलावर)

तो बहुत की घोषणाएं करने की, हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, इतना करेंगे, तालियां पिटवा रहे हैं, बहुत तालियां पिटवा रहे हैं, लेकिन जनता को पता चला कि यहां तो कर्मचारी ही नहीं हैं। हास्पिटल खोलेंगे तो डाक्टर नहीं होगा, स्कूल खोलेंगे तो मास्टर नहीं होगा, कालेज खोलेंगे तो लैक्चरर नहीं होगा तो फिर ये क्यों खोल रहे हैं? चूंकि ये निशान छोड़ गये तो जनता को पता चल गया कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। जो धोखा था, उसका पता चल गया है। मैंने कहा न कि चोर चोरी करता है तो कोई निशान छोड़ जाता है। यही की यही स्थिति इनकी है।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता बढ़ा रहे हैं एक हजार रुपये। किसको क्या बना रहे हैं आप? पहले ही 28 लाख लोग लाइन में हैं, रजिस्टर्ड हैं। आप तो एक लाख के लगभग लोगों को ही दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं भत्ता बढ़ा रहे हैं। क्यों +++ बनाते हैं हमें और जनता को?

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, ये बार-बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बहुत seasoned हैं। इस तरह के unparliamentary words का यूज न करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप मुझे थोड़ा बता दें कि मैं ऐसा क्या शब्द कहूं इसके स्थान पर, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। क्यों बना रहे हैं, बनाने की बात कर रहा हूं मैं, क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? मुझे इसके लिए शब्द ध्यान में नहीं आ रहा, इसलिए यह मैंने कहा है।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार कहा, विद्युत में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं।

(16.00 बजे)

विद्युत में आप आत्मनिर्भर हो रहे हो तो किसानों को 12 घंटे बिजली क्यों नहीं दे रहे हो? किसान आपके दुश्मन हैं क्या? रात को बिजली क्यों दे रहे हो, किसान आपके दुश्मन हैं क्या? एक तरफ तो आप बिजली में आत्मनिर्भर हो रहे हो और किसानों को बिजली नहीं दे रहे हो और दे रहे हो तो रात में दे रहे हो। दो साल पहले भी घोषणा की थी कि इनको दिन में बिजली देंगे पर आज भी दिन में बिजली नहीं मिल रही है, कुछ एक-दो जिलों को, एक-दो तहसीलों को छोड़ दो तो सब जगह अधिकांश रात को ही बिजली मिलती है। रोटेट होता है पर नहीं मिल रही है। इसलिए, माननीय सभापति

(श्री मदन दिलावर)

महोदय, मैंने पहले भी कहा कि यह सरकार किसानों की दुश्मन है। इन्होंने किसानों को कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या कहा कि हम अगली बार कृषि बजट अलग से प्रस्तुत करेंगे तो अभी क्या होगा? इस साल क्या होगा? आप बजट प्रस्तुत कर दोगे तो क्या इससे किसान समझ जाएंगे? यह सरकार किसानों की दुश्मन है। इन्होंने कहा कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे और लूट रहे हैं। किसानों को लूट रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लूट रहे हैं। ऐसी लूटपाट वाली सरकार.....

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, यह बहुत ही गलत फैक्ट रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि कृषि बिजली की दरों में हम पांच साल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे तो नहीं किया है, 90 पैसे में किसानों को बिजली मिल रही है। (व्यवधान) गलत तथ्य विधान सभा में नहीं आना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि एक भी जिले को दिन में बिजली नहीं मिल रही है, 15 जिलों को आज दिन में बिजली मिल रही है और अगले दो सालों में पूरे राजस्थान के किसानों को हम दिन में बिजली देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कल्ला जी, सौगन्ध खाओ कि एक भी पैसा किसी भी हैड में नहीं बढ़ा बिजली में।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मदन जी को पता नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आपको सौगन्ध है भारत माता की। आप कहो कि एक भी पैसा बिजली में नहीं बढ़ा है। टोटल नहीं बढ़ा है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): किसानों के लिए नहीं बढ़ाया है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): किसानों के लिए दाम बढ़े हैं, आम उपभोक्ता का बढ़ा है, आम उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। (व्यवधान) भारत माता की सौगन्ध खाकर कहो कि आम उपभोक्ता का बिल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया मेरी तरफ इंडिकेट करिये। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): भारत माता की सौगन्ध खाकर कहता हूं कि किसानों की बिजली के नहीं बढ़ाये हैं। (व्यवधान) आप बहुत असत्य बोल रहे हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इनको ध्यान ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। भारत माता इनके लिए कुछ नहीं है। (व्यवधान) भारत माता इनके लिए कुछ नहीं है। जब कांग्रेस का चुनाव हो रहा था, चुनाव प्रचार कर रहे थे तो एक कार्यकर्ता ने भारत माता की जय बोली तो बी. डी. कल्ला जी ने वह हाथ पकड़ लिया कि भारत माता की जय मत बोलिये। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया मेरी तरफ देखिये। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): वह एन.डी. टी.वी. ने आपका खुलासा कर दिया। (व्यवधान) भारत माता के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप वही हैं, भारत माता का अनादर करने वाले हैं बी. डी. कल्ला जी। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): भारत माता के लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। भारत माता की जय हो, जय हो, जय हो। (व्यवधान) आपने प्रधान मंत्री जी से और अपने अध्यक्ष से असत्य बुलवाया और जनता ने उसका फैसला कर दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): भारत माता की जय बोलने में आपको शर्म आती है और आप आतंकवादियों का जय-जयकार करते हो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): भारत माता का नाम लेकर आप गुमराह करते हो जनता को। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मैं यहां विधान सभा में हूं और यदि मैं असत्य बोलता तो विधान सभा में नहीं होता। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): भारत माता का नाम लेकर आप गुमराह करते हो।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आतंकवादियों की जय-जयकार करते हो और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है। (व्यवधान) अब भारत माता की झूठी कसम खा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया व्यक्तिगत आरोप न लगायें। आप बहुत सीनियर हैं। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप असत्य बात करके सदन को गुमराह नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि बिजली के दाम बहुत बढ़ गये हैं। किसान भी हैं आम उपभोक्ता भी हैं और आपने घोषणा की थी कि नहीं बढ़ेंगे। मैं खुद किसान हूं, मेरे बिजली का बिल आता है, मैं भी चुकाता हूं। मैं कह रहा हूं कि बिजली के दाम बढ़ गये हैं, मेरा बढ़ा हुआ बिल आ रहा है और भारत माता की सौगन्ध खा गये इससे बड़ा नुगरा कौन होगा। इससे बड़ा नुगरा कौन होगा कि इसका अन्न-जल खाकर भी भारत माता की झूठी सौगन्ध खा रहे हो, +++ भारत माता की जय बोलने में हाथ पकड़ने वालों, कार्यकर्ता को डांटने वालों, तुमको भगवान माफ नहीं करेगा। (व्यवधान)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सत्य बोलने का सर्टिफिकेट ले रखा है क्या मदन जी ने? यह सत्य बोलने का सर्टिफिकेट है क्या? मोहर लगी हुई है इनके ऊपर? (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप अपने भाषण पर गौर करें ज्यादा। प्लीज। व्यक्तिगत कोई भी आक्षेप न लगायें, आप अपना बोलें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): व्यक्तिगत नहीं है। मेरे से भारत माता का अपमान सहन नहीं होता इसलिए मैंने कहा है। मेरे से भारत माता का अपमान सहन नहीं हो सकता।

श्री सभापति: सब इज्जत करते हैं भारत माता की। मैं स्वयं करता हूं, सब करते हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं इसलिए कह रहा हूं और आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कल्ला जी... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, आपका कन्क्लूजन का टाइम भी हो गया है। आपका समय भी हो गया है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, क्या कृषि बजट अलग से पेश करने पर किसानों का भला हो जाएगा? एक साल में क्या होगा? इस साल क्या होगा? किसानों के बिजली के दाम कम करने चाहिए थे, जब आप आत्मनिर्भर हो रहे हो तो 12 घंटे बिजली देनी चाहिए थी, दिन में ही बिजली देनी चाहिए थी। बिजली के तार जो घरों के ऊपर लटके हुए हैं वे सरकारी खर्चे पर, निगम के खर्चे पर हटाने चाहिए थे। हजारों लोग मर

(श्री मदन दिलावर)

रहे हैं, घायल हो रहे हैं लेकिन इनको पैसा चाहिए। जब वह आदमी मर जाता है तब उस परिवार से कहते हैं कि तार हटाने हैं तो आपका इतना एस्टीमेट बनेगा और आपको इतना पैसा देना होगा। यानी लोगों को मारकर भी इस सरकार की जेबें भरना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय, कनक्लूड करने का प्रयास करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा आयुष्मान योजना और हम सबका इलाज कराएंगे। आपका जा क्या रहा है? यह माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी की योजना है जिसका आप नाम बदलकर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम इतने लोगों को नल से जल देंगे पर वह जो पैसा है वह जल जीवन मिशन का है, भारत सरकार का पैसा है। इसमें आपका जा क्या रहा है? नरेगा में वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अभी मुझे छह मिनट हुए हैं। यह वाहवाही लूटने का षड्यंत्र कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। नरेगा में इनका क्या जाता है। नरेगा का जो हाल बनाया है न, उसमें नरेगा में लोग मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। परसों रामगंज मण्डी की एक महिला नरेगा में काम करती-करती मर गई पर उसका इलाज नहीं कराया। उसके दाह संस्कार में एक कर्मचारी या कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता नहीं गया क्योंकि गरीब है, उसके क्या जाना। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, समाप्त करें प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): रामगंज मण्डी की घटना है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: मैं समझता हूं, गम्भीर घटना है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): नरेगा में काम करने वाली एक महिला इलाज के अभाव में मर गई, वहीं मर गई।

श्री सभापति: कृपया कनक्लूड करें। आखिरी एक मिनट है माननीय सदस्य। लास्ट वन मिनट।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं कन्क्लूड कर रहा हूं। सड़कों की हालत आप कभी रामगंज मण्डी जाएं जो देखना। सड़कों की हालत चेचट से खेड़ारोधा, अलोद, अमजार से कोटड़ी और आगे तक सड़कें खराब ही खराब हैं। वहां स्वीकृत हैं पर बनाने पर रोक लगाई हुई है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो निरस्त कर देते न। निरस्त ही कर देते, निरस्त क्यों नहीं किया? पर

(श्री मदन दिलावर)

बनायेंगे भी नहीं और उन पर लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे, यह हद हो गई। सड़कें अभी तक क्यों नहीं बनाई? सारी सड़कें टूट गईं। आखिर में माननीय नरेन्द्र जी मोदी पैसे दे रहे हैं उनकी बात भी इन्होंने कह दी कि हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों को ठीक करायेंगे। उसमें है क्या आपका?

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। आखिरी एक मिनट। प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, अपराधों की हालत आपने देखी? एक मिनट रुको, मेरा निवेदन सुनें। बाड़मेर जिले में दौलत सिंह नाम के व्यक्ति को इसलिए घायल कर दिया कि भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए चन्दा करके लौट रहा था इसलिए मुसलमानों ने इकट्ठा होकर उस पर हमला कर दिया और उसको घायल कर दिया जिसकी आज हालत चिन्ताजनक है माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हालत चिन्ताजनक है। ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं और कल्ला जी, ऐसे लोगों को क्यों माथे चढ़ा रहे हो? क्यों प्रश्रय दे रहे हो उनको?

श्री सभापति: धन्यवाद, महोदय। धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय, अब समय हो गया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं निवेदन यह कर रहा हूं, रामगंज मण्डी की एक घटना सुन लो। रामगंज मण्डी का विशाल उमरावल नाम का यह व्यक्ति व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिखता है कि किसी का कत्ल करवाना हो, किसी का काम निपटाना हो तो मेरे से सम्पर्क करें और एक भारतीय जनता पार्टी के पार्षद को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर लिखता है कि दो लाख रुपये दे दो नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय श्री पुखराज गर्ग। (व्यवधान) माननीय श्री पुखराज गर्ग। (व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय सभापति महोदय, यह बजट पर बोल रहे हैं या किस पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह व्यक्तिगत बात का सारा डिलीट कर दो। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। मैंने आपको बोलने का बहुत समय दे दिया। प्लीज। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप हाउस के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अनेकों बार मंत्री रहे हैं, तशरीफ रखें आप। (व्यवधान) आप अनेकों बार मंत्री रहे हैं, तशरीफ रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय श्री पुखराज गर्ग।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: प्लीज, सब रिकार्ड कर लिये गये हैं। (व्यवधान) कृपया तशरीफ रखें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति जी, आपने मुझे बजट पर चर्चा के लिए समय दिया है उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: श्री पुखराज गर्ग, प्लीज कंटीन्यू। (व्यवधान)

श्री पुखराज (भोपालगढ़): प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): 000

श्री सभापति: श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): सर्वप्रथम मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के अंदर आईआईटी कालेज और भोपालगढ़ और बावड़ी के अंदर औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की तथा साथ ही पीपाड़ सिटी के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। पीपाड़ शहर के अंदर भी भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र का आधा क्षेत्र आता है। मैं मुख्य मंत्री जी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा। साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके

(श्री पुखराज)

माध्यम से मंत्री जी से और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ के अंदर पिछले पांच साल से जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र की एक मात्र बीएड कालेज जो संचालित हो रही है, वह बंद होने की कगार पर है। जमीन है, भवन है, सारे संसाधन हैं, लेकिन स्टाफ की कमी की वजह से उसको बंद किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र की एक मात्र बीएड कालेज है, उसको बचायें, वहां स्टाफ लगायें और जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं हो, ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है।

दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर, बावड़ी के अंदर पिछले तीन साल से कालेज संचालित हो रहा है। उसमें चार सौ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, लेकिन आज की तारीख में अभी वह एक प्राइमरी स्कूल के दो कमरों के अंदर चल रही है। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह के जो महाविद्यालय और कालेज खोले जा रहे हैं, उलटा उन विद्यार्थियों के साथ धोखा है, न शिक्षा हो रही है, न संसाधन है, न पढ़ाने वाले हैं, न भवन है, तो मैं समझता हूं कि जो नया महाविद्यालय पीपाड़ के अंदर खोला गया है तो उससे पहले जो महाविद्यालय हमारे वहां चल रहे हैं। उनको बचाने के लिए पर्याप्त संसाधन और स्टाफ की नियुक्ति करें।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के अंदर स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए, बजट का बहुत बड़ा पैसा चिकित्सा व्यवस्था के अंदर दिया, कई घोषणाएं सदन में की गईं, इन घोषणाओं का आगामी माह में क्रियान्वयन होना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ मुख्यालय में जो सीएचसी है उस सीएचसी के लिए मैंने प्रथम विधान सभा सत्र में एक प्रश्न लगाया था कि भोपालगढ़ के अंदर जो सीएचसी संचालित हो रही है, वह 30 बैड की है या 100 बैड की है, मुझे मंत्री जी ने लिखित में जवाब दिया कि भोपालगढ़ के अंदर जो सीएचसी है, वह सौ बैड की संचालित हो रही है लेकिन आज भी भोपालगढ़ की सीएचसी 30 बैड की संचालित हो रही है और 30 बैड की कैपेसिटी के हिसाब से ही उसमें स्टाफ, डाक्टर, नर्स और दूसरे संसाधन हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने बिलकुल एक असत्य उत्तर दे दिया, उसको सही करें और उस सीएचसी को

(श्री पुखराज)

वे सारे संसाधन उपलब्ध करवायें ताकि वह 100 बैड की सीएचसी संचालित हो सके।

पिछले बजट में मुख्य मंत्री जी ने ट्रोमा सेंटर की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। इसलिए केवल घोषणा से जनता का भला नहीं होने वाला है क्योंकि जो घोषणा सदन में, सदन के नेता जी करते हैं, उसका क्रियान्वयन करना संबंधित विभाग की नैतिक जिम्मेदारी होती है और किस स्तर पर, किसका क्या क्रियान्वयन होना चाहिए, उसके लिए सरकार को समीक्षा करके पुन: देखने की आवश्यकता है।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने निशुल्क जांच योजना का दायरा बढ़ाते हुए सदन में अपनी बात कही। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सीबीसी जांच की मशीनें उपलब्ध कराएं और पीएचसी और सीएचसी पर जितने भी खाली पद पड़े हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से चाहे डाक्टर हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे जांच के लिए टैक्नीकल स्टाफ हो, उन सभी लोगों के जो खाली पद पड़े हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से भरें ताकि सरकार ने जो नि:शुल्क जांच योजना की घोषणा की है, उसको सही तरीके से अमलीजामा पहनाया जा सके।

बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने डायरेक्ट्रेट आफ फूड सेफ्टी बनाने की घोषणा की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कदम है लेकिन यह सही मायने में तभी सफल होगा, जब प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए अत्याधुनिक लैब होगी और लैब होने के साथ में, उसका रिजल्ट भी तत्काल प्रभाव से सामने आये, अन्यथा अभी स्थिति यह है कि जो सैम्पल लिए जा रहे हैं, उसका 6 महीने, साल भर में रिजल्ट आता है, तब तक उस रिजल्ट का प्रभाव भी नहीं रहता है। जब तक समय पर रिजल्ट नहीं आएगा तो केवल डायरेक्ट्रेट बनाने से खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार के जो प्रयास सरकार करना चाह रही है, वह नहीं हो पाएंगे।

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो भर्ती की बात कर रहे हैं, 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए जो बात कही गई है। इसमें भी जो एक प्रशासनिक सिस्टम है, उसमें आमूलचूल परिर्वतन की जरूरत है। भर्ती की जब विज्ञप्ति निकलती है तो एग्जाम टाइम पर नहीं होता है, एग्जाम टाइम

(श्री पुखराज)

पर हो जाए तो रिजल्ट टाइम पर नहीं आता है और रिजल्ट आ जाए तो उस पर कोर्ट का स्टे आ जाता है तो यह जो सिस्टम बना रखा है, उस सिस्टम में सुधार की जरूरत है, समय पर विज्ञप्ति जारी हो, उसके साथ परीक्षा भी हो और रिजल्ट भी समय पर सही तरीके से घोषित हो ताकि उन बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो।

मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन भी करना चाहूंगा, अभी विद्युत विभाग के अंदर जो भर्तियां निकाली गई हैं, उन भर्तियों के साथ जो तकनीकी कर्मचारी हैं, टेक्नीकल हैल्पर, जिनकी 9 हजार वैकेंसी है, वह भर्ती भी तुरन्त प्रभाव से इनके साथ में निकालें और जो भर्तियां, जिनकी परीक्षाएं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर की जा रही हैं। मैं समझता हूं मैंने पिछले विधान सभा सत्र में भी इस बात को आपके माध्यम से सरकार के सामने रखा था कि बहुत सारे प्रदेश जो राजस्थान के आसपास के हैं, उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर 80:20 के रेशो से 80 परसेंट उन बेरोजगारों को जो स्थानीय हैं उनको रोजगार दिया जाए और 20 परसेंट जो हैं वे बाहर के लिए जाएं। (समय -समाप्ति-सूचक घंटी) इसके लिए भी सरकार कानून बनाए, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

दूसरी मैं बात करना चाहूंगा बिजली की, अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट के अंदर घोषणा की, जो पिछली सरकार ने 833 रुपये की सब्सिडी दी थी, वह पिछले साल भर से बंद थी और उस सब्सिडी को बढ़ाकर उड़ीसा गवर्नमेंट की तरह, एक हजार रुपया प्रति उपभोक्ता जो सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन के उपभोक्ता उनके लिए यह घोषणा की। लेकिन उसके अंदर भी राइडर लगा दिया। उसमें यह शर्त है कि जिन उपभोक्ताओं की सामान्य श्रेणी में बिलिंग हो रही है, जिनके मीटर्ड बिलिंग है जिन उपभोक्ताओं के मीटर लगे हुए हैं और मीटर से बिलिंग हो रही है, उन्हीं उपभोक्ताओं को यह सुविधा दी जाएगी तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर हजारों ऐसे उपभोक्ता हैं जो फ्लैट रेट से बिल भर रहे हैं वे इस योजना से वंचित रहेंगे तो मेरा निवेदन है कि फ्लैट रेट के जो उपभोक्ता हैं, उनको भी यह हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाये। उनके लिए भी लागू किया जाये।

मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ के अंदर जो नगरपालिका की घोषणा की गई थी जिसकी अधिसूचना

(श्री पुखराज)

अभी सरकार ने वापस ले ली है, उसको पुन: नगरपालिका बनाने के लिए उचित कार्यवाही करें। मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बजट दिया है, उस बजट में सभी वर्ग चाहे मजदूर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, दलित हो, चाहे उद्योगपति हो सभी के लिए जो प्रावधान दिया है उसका इंप्लीमेंटेशन, उसको समय पर लागू करवाएं ताकि सभी वर्गों को उसका फायदा मिले और राजस्थान प्रगति की ओर बढ़े। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभारी हूं। सभापति महोदय, पिछले दो-ढाई साल से जो देश के हालात हैं चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो और फिर अचानक पूरे विश्व में कोरोना महामारी, ऐसी स्थिति में जब इस देश के छोटे-छोटे उद्योग, छोटे-छोटे काम सब बंद हो गये, लॉकडाउन लगा, उस परिस्थिति में सरकार का पहला दायित्व बना कि किस तरह से लोगों के जानमाल की रक्षा करें। मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस अदम्य साहस से, जिस दृढ़ इच्छाशक्ति से रात-दिन एक करके हमारे राजस्थान को कोरोना महामारी से बचाने का काम किया। पूरी सतर्कता, मुख्य मंत्री स्तर पर 210 समीक्षा बैठक हों, जब कोई घर से निकलते हुए डर रहा हो, ऐसे दौर में पूरे राजस्थान की जनता को यह आहवान करना कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन लग गया और हमारा तो क्षेत्र जिस तरह का है, खेती पर और मजदूरी पर निर्भर करता है। बाहर जो मजदूरी पर गये हुए थे उनमें से बहुत से अटक गये। ऐसे दौर में जो दुस्साहस दिखाया कि पूरे प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। यह एक दौर पहले भी आया था। भयंकर अकाल पड़ा था। छप्पनिया का अकाल तो हमने नहीं देखा, पर सुनते हैं कि छप्पनिया के अकाल में तो पेड़-पौधों के पत्ते थे और इस बार तो इतना सूखा पड़ा था, पिछली बार जब मुख्य मंत्री जी थे लेकिन कुछ भी करना पड़ा, बहुत लोगों ने कहा भीख का कटोरा, लेकिन उस दौर में भी राजस्थान के गरीब को भूखा नहीं सोने दिया और इस कोरोना महामारी में जैसे सरकार के साधन थे इसके बावजूद भामाशाहों का, तमाम राजनीतिक पार्टियों का, तमाम छोटे-मोटे बिजनसमेंस का जो उन्होंने यह विश्वास अर्जित किया कि राजस्थान के मुख्य मंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति है यह काम परमार्थ का

(श्री बाबूलाल नागर)

है बहुत लोगों ने, भामाशाहों ने योगदान दिया चाहे मुख्य मंत्री सहायता कोष हो और चाहे अलग-अलग, चाहे ब्लाक लेवल पर जो सरकारी, चाहे नगरपालिका हो, पंचायत समिति हो, इनको कार्य एजेंसी बनाने का जो आदेश जारी किया, मैं नमन करना चाहता हूं मेरे जैसे क्षेत्र में जो गरीब क्षेत्र है, वहां के लोगों ने मुख्य मंत्री जी की अपील को सुना और दो करोड़ से ज्यादा रुपये हमारे सरकारी खाते में जमा कराये और मेरे पास भी गरीब जनता थी, विधायक कोष में प्रोविजन किया, दो करोड़ पांच लाख रुपये मैंने विधायक कोष से दिये। तरह-तरह की बातें हो सकती हैं, हमने पारदर्शी तरीके से कोरोना में काम किया।

फिर 'नो मास्क नो एंट्री' आयी। करीब साढ़े चार-पौने पांच लाख हमने मास्क वितरित किये। 1,31,000 मास्क, हमने हमारी तरफ से न खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए और न हमने मास्क वितरित किये। खाद्य सामग्री के पैकेट पटवारी और सैक्रेटरी के सुपुर्द किये, उनसे सूचियां मंगवाई और मास्क के संबंध में पंचायतों में गये। पंचायतों में जाकर के आंगनबाड़ी की बहनों को प्रति पंचायत कहीं दो हजार, कहीं ढाई हजार, कहीं तीन हजार हमने मास्क दिये और उनसे कहा कि आपको हर घर में इसको पहुंचाना है। ऐसे दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती है आर्थिक विषमता। इसके बावजूद भी मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, बोलने में तो कोई भी कुछ बोल सकता है पर मुझे लगता नहीं है, पूरे राजस्थान में 200 विधान सभा क्षेत्रों में इस बजट में कोई न कोई योजना 200 विधान सभा क्षेत्रों को जरूर टच करती है। ऐसे दौर में मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। गरीब आदमी की जो सरकार ने सहायता की, केंद्र सरकार ने भी कुछ माह तक गेहूं गरीब को देने की बात की। प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने खाने की व्यवस्था की बात की लेकिन ऐसे दौर में बजट देना और बजट मैं देख रहा हूं दो-तीन साथियों का, प्रतिपक्ष के वरिष्ठ नेताओं का, मैंने उनके विचार सुने। केवल एक बात कि यह बजट कैसे कामयाब होगा, एक भी ऐसा सुझाव नहीं आया कि इस प्रदेश में यह योजना मुख्य मंत्री जी को लानी चाहिए थी क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने एक भी योजना नहीं छोड़ी, जिसको अपने बजट में शामिल नहीं किया। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। गरीब लोग हैं उनकी दुआओं में बहुत ताकत है। 33 लाख लोगों को असहाय, निराश्रित, मजदूर ऐसे लोगों को सीधे खाते में साढ़े तीन-तीन हजार उनके खाते में दिये। गरीब की बहुत दुआ है। बहुत से लोग जानते हैं गरीब की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है तो मैं तो यही कह सकता हूं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद। उन्होंने इस बजट में भी बहुत से प्रोविजन किये

(श्री बाबूलाल नागर)

हैं। मैं मानता हूं कि कोरोना महामारी में हमारी स्कूलें बंद हो गईं लेकिन इस बजट में बैक टू स्कूल, नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें यह प्रोविजन देकर मैं समझता हूं कि जो सफर करना पड़ा हमारे बच्चों को, इससे निश्चित रूप से उनको फायदा मिलेगा।

सभापति महोदय, 'पहला सुख निरोगी काया' यह प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की आत्मा में है। मेरा तजुर्बा है हमेशा उन्होंने गरीब को गणेश मानकर पूजा है, हमेशा गरीब की मदद करने के लिए अपनी कार्ययोजना में केंद्र बिंदु, चाहे कोई बजट लाये हों, चाहे कोई योजना लेकर के आये हों, राजस्थान के गरीबों का हमेशा उन्होंने ध्यान रखा है।

मुझे याद है इस राजस्थान में बीपीएल परिवार को केवल हम अनाज दिया करते थे। पहली बार राजस्थान के इतिहास में इन्हीं मुख्य मंत्री जी ने बीपीएल का नि:शुल्क इलाज शुरू किया था और जो गरीब लोग थे बहुत से लोग बीपीएल नहीं थे, ऐसे लोगों को भी उन्होंने भगवान भरोसे नहीं छोड़ा। मुख्य मंत्री सहायता कोष से ऐसे लोगों का इलाज कराया। इसी सत्र में मुख्य मंत्री जी कहा करते थे पक्ष-विपक्ष के सभी साथियों को कि मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझे कोई पत्र लिखो, क्योंकि जो बीपीएल नहीं है उसको इलाज के लिए पैसे की जरूरत है और उस समय मुख्य मंत्री सहायता कोष से जो भी विधायक, जनप्रतिनिधि उनको पत्र लिखते थे, उन सबका इलाज सरकारी सहायता से कराते थे। इसलिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज चुनौती है, इस कोरोना ने यह अच्छी तरह साफ कर दिया है कि हमारे स्वास्थ्य के तंत्र को ढाणी और गांव स्तर पर मजबूत करना पड़ेगा।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, केंद्र सरकार आयुष्मान भारत सरकार योजना लेकर आए, उसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की। इसमें 57-58 हजार केंद्र सरकार की योजना कवर करती थी, आज 1 करोड़ 10 लाख लोगों को इस योजना में कवर करने का काम किया और चाहे एनएफएसएम हो, एचसीसी परिवार हों, संविदा कर्मी हों, लघु एवं सीमांत कृषक हों, इन सबका नि:शुल्क इलाज कराने का इसमें जो प्रावधान किया है, साथ-साथ ऐसे गरीब लोग जो 50 प्रतिशत पैसे पर जमा कराएंगे, उनका भी 5 लाख तक का इलाज इसी बीमा योजना से होगा।

सभापति महोदय, मैं आपको यही निवेदन करना चाहूंगा कि प्रदेश के

(श्री बाबूलाल नागर)

मुख्य मंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं, पहले उन्होंने मुफ्त दवा योजना लागू की, मुफ्त जांच योजना लागू की और धीरे-धीरे अब उन्होंने उसका दायरा बढ़ाया और अभी इस बजट में भी उन्होंने पीएचसी में जो 15 तरह की नि:शुल्क जांचें होती थीं, उनको 61 तरह का किया है। सीएचसी में 37 तरह की जो जांचें होती थीं, उसको 95 तरह का किया है। उप जिला अस्पतालों में जो 56 तरह की जांचें होती थीं, उसको 109 तरह का किया और जिला अस्पताल में 56 से 133 तरह की कीं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों के जीवन को बचाने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना लाए हैं। जब से लॉकडाउन लगा था तब से खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद है। केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा में परिवारों की संख्या तय कर रखी है और राजस्थान में पहले से ही उनकी संख्या से ज्यादा लोगों का नाम खाद्य सुरक्षा में जुड़ा हुआ है। सभापति महोदय, लेकिन जब यह पोर्टल बंद हो जाता है तो बहुत से ऐसे वृद्धजन हैं जिनकी बायोमैट्रिक प्रणाली से पहचान नहीं होने के कारण उनका जन आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। कई लोग पलायन कर गए इसलिए उन्होंने गेहूं का उठाव नहीं किया, उनका खाद्य सुरक्षा का कार्ड बंद हो गया। उसमें ऐसे-ऐसे गरीब लोग हैं जिनका बीमार होने पर इलाज हो जाता था। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि अगर नए खाद्य सुरक्षा नियम में कोई राइडर है तो मत जोड़िए, लेकिन जिनको गेहूं मिलता था, जो गरीब लोग थे उनका मेहरबानी करके खाद्य सुरक्षा पोर्टल को वापस चालू कीजिए। इससे गरीबों को केवल अनाज से ही वंचित नहीं होना पड़ रहा है, उसे इलाज से भी वंचित होना पड़ रहा है।

सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर एक निवेदन जरूर करूंगा, मेरे क्षेत्र के लिए तो इस सरकार में मुख्य मंत्री जी से जब भी कोई मांग की है, जब भी जनता की पीड़ा बताई है हमेशा उन्होंने उसको पूरा किया है। मेरे यहां फागी में एक सीएचसी है, वहां 8 पीएचसी हैं, करीब ढाई तीन लाख की जनता है और वहां जयपुर से भीलवाड़ा हाईवे है। वहां आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा, उन्होंने मुझे बताया कि आपके यहां एक उप जिला अस्पताल खोल दिया है। एक विधान सभा में दो उप जिला अस्पताल खोलना संभव नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित

(श्री बाबूलाल नागर)

करना चाहूंगा, इस हाईवे से जयपुर आने तक रास्ते में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है। अधिक ब्लड निकलने से, ब्लड के अभाव से अधिकतर लोगों की मृत्यु हो जाती है। मेरा आग्रह है चाहे रैफरल हास्पिटल खोलें, चाहे जिला अस्पताल खोलें, क्योंकि यह केवल एक विधान सभा की समस्या नहीं है, उस जयपुर भीलवाड़ा रोड से बहुत से जिलों के लोग जाते हैं, कई संभागों के लोग जाते हैं इसलिए सभापति महोदय, फागी सीएचसी को मैं क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को जीवन रक्षा योजना का उन्होंने गठन करने की घोषणा की है और जो व्यक्ति समय पर अस्पताल पहुंचा देता है उसको 5000 रुपये का प्रशस्ति पत्र दिए जाने की बात की है। सभापति महोदय, मेरी विधान सभा नेशनल हाईवे पर है। पहले हमारे यहां जीवीके कंपनी की बहुत अच्छी सुविधा थी, टोल कंपनी है। उन्होंने बहुत वाहन लगा रखे थे, मैं महीने में कई बार अपनी गाड़ी छोड़कर जीवीके की एंबुलेंस में बैठकर हास्पिटल आया करता था। मुझे वह दौर भी याद है, अब तो एक्सीडेंट कम होने लग गए हैं, उस जमाने में बहुत एक्सीडेंट होते थे और रात को 1-1, 2-2 बजे अस्पताल जाना पड़ता था। अस्पताल पहुंचाने में जो लोग डरते थे कि पुलिस के झंझट में पड़ जाएंगे, जब उनको लगेगा कि सरकार 5000 रुपये का प्रशस्ति पत्र देगी तो निश्चित रूप से ही ऐसी दुर्घटना के समय कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। इस तरह बहुत अच्छा यह एक प्रावधान रखा है। किसी भी प्रदेश का हो, कोई भी अनजान आदमी हो अगर कहीं पर दुर्घटना घटित हो जाती है तो प्रदेश का कोई भी निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल उसको इलाज के लिए मना नहीं कर सकता। इसलिए सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

अभी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 को आगे बढ़ाते हुए मुख्य मंत्री जी ने इस योजना में और भी कुछ प्रावधान किए हैं। इन्होंने बेरोजगारी भत्ता, इंटर्नशिप की बातें की हैं। इससे निश्चित रूप से नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सभापति महोदय, आज सबके समझ में आ गई, गांव में हमारे बच्चे जो दौड़ भाग करते रहते हैं, आए दिन अपनी तैयारियां करते रहते हैं, उनको ऐसा वातावरण नहीं मिलता।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना पूरे प्रदेश में ब्लाक स्तर पर लागू करने की बात की है और इसमें एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि सरकार के अपने सीमित साधन हो

(श्री बाबूलाल नागर)

सकते हैं लेकिन उन्होंने कहा है विधायक, सांसद निधि, जन सहयोग से जो भी राशि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के लिए जितनी राशि जो भामाशाह सहयोग देगा, उतनी ही राशि सरकार देगी। मैं साधुवाद देना चाहूंगा क्योंकि केवल सरकार के भरोसे बैठकर पूरे राजस्थान में जैसी परिस्थिति है, मैं भी मानता हूं ब्लाक लेवल पर पूरे राजस्थान में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना लागू हो जाए, यह बहुत मुश्किल है लेकिन यह जो प्रोविजन किया है इससे निश्चित रूप से क्योंकि नौजवानों के भविष्य के लिए हम सब प्रयास करेंगे।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उद्योगों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्य मंत्री जी ने इस बार भी 64 खंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करने की बात की है। मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्री जी का और मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था कि मेरे यहां एक बिचून गांव है, वहां जो आपका दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर बन रहा है वह बिचून गांव से होकर गुजरता है। वहां की पंचायत ने 1420 बीघा जमीन रीको के नाम से रिजर्व कर दी है। विभाग ने वहां पर बोर्ड लगा दिए हैं। उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था वहां बोर्ड लगा दिए हैं 'रीको इंडस्ट्रियल एरिया बिचून'। बिचून में भी लगा दिए हैं, मोखमपुरा में भी लगा दिए हैं, नेशनल हाईवे पर लगा दिए हैं लेकिन जो आपने 64 उपखंडों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की बात की है उसमें उसका नाम नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे बिचून में जहां टोटल सिवाय चक जमीन है, वह गोचर जमीन भी नहीं है, इसके बावजूद भी जो सरकारी जमीन है वहां पर आसानी से उद्योग खुल सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसका ध्यान रखें।

इसके अलावा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं इनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने इन सवा दो सालों में, इस रीको में, उद्योग में ऐतिहासिक क्रांति की है और हमेशा आपने जब भी कोई नीति बनायी है, हर नीति में आपने प्रयास किया है, एससी, एसटी, माइनोरिटी, महिलाओं, ऐसे लोगों को भी रीको और औद्योगिक इकाइयों से जोड़ने का काम किया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार जो औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं, उसमें पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हो नहीं सकता, या तो उद्योग मंत्री जी को किसी ने अंधकार में रखा है या मुख्य मंत्री जी का ध्यान नहीं पड़ा है। हमारे जो एससी, एसटी के लोग थे, जो रीको से जुड़ते थे, रीको में प्लाट का आबंटन

(श्री बाबूलाल नागर)

करवाते थे। आपने अभी जितने भी औद्योगिक क्षेत्र खोले हैं, उसमें 5 परसेंट एससी, एसटी और सामान्य महिला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब उसमें सामान्य महिला को जाना है, डाल दिया है तो एक तरह से एससी और एसटी का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। एससी एवं एसटी के लोग गरीब होते हैं, इसलिए मैं इस बात के लिए आपसे पुरजोर तरीके से मांग करता हूं कि ये जो हुआ है, वह दलितों के विरोध में हुआ है। जिसने भी यह जारी किया है, इसको दुरुस्त करना चाहिए और एससी, एसटी के लोगों को जिस तरीके से पहले जो आरक्षण दिया हुआ था, वह वापस दिया जाना चाहिए। जब सामान्य महिला आ गयी तो मैं समझता हूं कि एससी, एसटी के आदमी का, किसी का भी नंबर नहीं आ सकता है। इसलिए पुरजोर तरीके से मैं इस बात के लिए आपको निवेदन करना चाहूंगा।

मैं मानता हूं कि इन ढाई सालों में आपने इतने प्रयास किये हैं। अभी पिछली बार के बजट के बाद भी आपने निवेश, अनुसंधान, जमा, एससी, एसटी का 75 परसेंट, रोजगार सृजन अनुदान, विद्युत कर में 100 परसेंट छूट 7 वर्ष के लिए, मंडी शुल्क में 100 परसेंट छूट 7 वर्ष के लिए, भूमि कर में 100 परसेंट छूट 7 वर्ष के लिए, स्टाम्प ड्यूटी में 100 परसेंट छूट, भूमि रूपान्तरण में 100 परसेंट छूट। जब हमारे दलित समाज के लोगों को आपके रीको में एक भी प्लाट नहीं मिलेगा तो यह छूट हमारे लिए किस काम की है? इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि इसको अपने संज्ञान में लें और निश्चित रूप से इसमें एससी, एसटी के लोगों को जो भी भलाई का मामला है, उसको देखें।

(16.40 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कृषि बजट की शुरुआत करने की बात की है। निश्चित रूप से वे इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मैं देखता हूं कि इस सदन में भी और सदन के बाहर भी प्रतिपक्ष के लोग कहते हैं कि राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी, सभी ग्राम सहकारी समितियों में मैं खुद गया। एक भी ग्राम सहकारी समिति नहीं छोड़ी, पांच-पांच सौ, सात-सात सौ किसानों को सर्टिफिकेट दिया। इसको यह तो कहा जा सकता है कि केवल सहकारिता

(श्री बाबूलाल नागर)

के बैंकों में ही कर्जा माफ हुआ, हमारे अन्य बैंकों में कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन यह कहना कि राजस्थान के लोग कई बार बड़ी दुविधाओं में पड़ते हैं कि हमारा कर्जा माफ हुआ, वसुन्धरा जी ने भी 50 हजार रुपये तक का कर्जा माफ किया था, वह कौन मना कर रहा है? उन्होंने भी 50 हजार रुपये तक का किया था। मुख्य मंत्री जी ने जो बाद में किया, उसमें तीन-तीन लाख रुपये का कर्जा माफ हुआ। मेरे यहां पर करीब आठ सौ, नौ सौ लोग ऐसे हैं, जिनके तीन-तीन लाख रुपये माफ हुए हैं। दो लाख रुपये माफ हुए हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कर्जा माफ किया, यह मुख्य मंत्री जी की सोच थी और वसुन्धरा जी ने जो घोषणा की, अब यह तो बिलकुल सत्य तथ्य है कि छह हजार करोड़ जो उस समय वसुन्धरा जी ने किये, जैसे हालात थे, वे 6 हजार करोड़ बच गये, उसमें सरकार को देना पड़ा, 8 हजार करोड़ रुपये अशोक जी गहलोत की सरकार आने के बाद, इस तरह 14 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा आपने की। इससे तीन लाख कृषकों को नि:शुल्क बायो फर्टिलाइजर, बायो एजेंट दिये जाएंगे। एक लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जाएगी। तीन लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट दिये जाएंगे, पांच लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किये जाएंगे। तीस हजार कृषकों के लिए डिग्गी और फार्म पोंड बनाये जाएंगे। इसमें आपने अभी किसान सेवा केंद्र की घोषणा भी की है।

जब पिछली बार सरकार में थे, जब राजीव गांधी भवन बनाये थे। उसी दौरान किसान सेवा केंद्र भी बने थे, लेकिन हर पंचायत में नहीं बने। हर पंचायत समिति में 10-10, 12-12 किसान केंद्र बने थे। निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है। यहां के अधिकतर लोग खेती करते हैं। जब आप किसान सेवा केंद्र बनायेंगे, वहां पर हमारा ग्राम सेवक बैठेगा, निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी होगी। आपने यह भी कहा कि हम कृषि पर्यवेक्षकों के एक हजार पद सृजित करेंगे, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं, आपने भी बीजेपी गवर्नमेंट में स्कूल खोले थे। विवेकानंद वाली स्कूलें खुली थीं। बीजेपी गवर्नमेंट

(श्री बाबूलाल नागर)

में भी खुली थीं, उसका भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आया था, 167 ब्लाक बच गये थे। इस सरकार में 167 की जगह 166 बच गये थे। 167, मेरे यहां दूदू में पहले खुल गयी थी। मैंने आग्रह किया, मेरे यहां मौजमाबाद बैकवर्ड एरिया है तो मुख्य मंत्री जी ने बजट की घोषणा की तो मेरे यहां अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और खोली। अभी आपने पूरे राजस्थान के लिए घोषणा की कि जिस भी गांव व पंचायत की 5 हजार से अधिक की आबादी होगी, वहां तमाम जगहों पर महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलेंगे, यह बहुत अच्छा प्रयास है। हम गांवों से पढ़कर आये हैं। हमने पहली बार एबीसीडी छठी क्लास में देखी थी। आज भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहीं भी जाओ, कोई भी किताब देखो, सब जगह अंग्रेजी भाषा की ही किताबें होती हैं। उसमें चाहे कोई कितना ही पारंगत हो, दो शब्द अंग्रेजी में बोलता है तो पूरी छाप छोड़ देता है और हिन्दी में बोलने वाला या गांव की भाषा बोलने वाला, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका यह बहुत अच्छा प्रयास है। मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें आपने कोई प्राथमिकता नहीं रखी है। इसमें सबके लिए, राजस्थान में 200 विधान सभा क्षेत्र हैं, जिस भी गांव में 5 हजार से ज्यादा की आबादी होगी, उसके लिए।

आपको मैं एक बात के लिए बहुत धन्यवाद दूंगा। विज्ञान संकाय वाले 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोलेंगे। सभापति महोदय, मेरा आग्रह है कि 600, यह आपका बहुत अच्छा प्रयास है। आप जानते हैं कि आज कृषि एकमात्र ऐसी व्यवस्था है, उदारीकरण का दौर आया दुनिया में। अमेरिका जैसे देश के डेढ़ सौ बैंक बंद हो गये, लेकिन हमारे देश की जो ताकत थी, किसान था, कृषि थी। कितना ही उदारीकरण का दौर आया, इस देश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मनमोहन सिंह जी की नीतियां थीं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो सरकारी विद्यालय हैं, इनमें सब में कृषि संकाय खोले जाने चाहिए क्योंकि हमारी कृषि का आधार मजबूत बनेगा। हमारे लोग इस बारे में समझेंगे तो मैं समझता हूं। हमारे देश को वैसे भी कृषि प्रधान देश बोलते हैं तो निश्चित रूप से आपने यह एक अच्छा प्रयास किया है।

आपने दिव्यांग भाई-बहनों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर विशेष योग्यजनों के लिए बहुत अच्छा पुण्य का काम किया है। इनको 40 रुपये मिलते थे, आज आपने 500 रुपये देने की बात की है। जिनको 50 रुपये मिलते थे, उनको

(श्री बाबूलाल नागर)

आपने 600 रुपये देने की बात की है। हमारे दिव्यांग भाई और बहनों को 2 हजार स्कूटी भी दी जाएंगी। मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो दिव्यांग भाई-बहन हैं, वे बहुत विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीते हैं। राजस्थान सरकार, यह अशोक गहलोत जी की सरकार है, हमेशा इस सरकार का केंद्र बिंदु गरीब आदमी रहा है। में समझता हूं कि दिव्यांग से बड़ा इस दुनिया में कोई गरीब नहीं हो सकता है। इसे दो हजार से बढ़ाकर आपको और आगे स्कूटी देने, राजस्थान के सारे दिव्यांग भाई-बहनों को ही स्कूटी मिल जाए तो मैं समझता हूं कि आपका यह बहुत बड़ा कार्य होगा।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि इसी बजट में मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हम प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाएंगे, प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाएंगे। मेरा अनुभव है। चाहे बीजेपी की सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, जब भी मुझे विधायक बनने का मौका मिला, मैं हर प्रशासन गांवों के संग अभियान में गया। इससे आम आदमी का काम बहुत सरलता से होता है। मैं निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहूंगा। सालों से जो काम अटके रहते हैं। एक ही जगह सारे अधिकारी बैठने से वह काम जल्दी हो जाता है। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जो लोग सिवाय चक जमीनों में बस रहे थे, गोचर जमीनों में बस रहे थे, जिन्होंने मकान बना रखे थे। सभापति महोदय, 2013 से पहले तो सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाये। उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। उन्होंने भी चलाये थे। बाद में कांग्रेस की सरकार आयी, उन्होंने भी चलाये थे, लेकिन उस समय जो नि:शुल्क पट्टा, सिवाय चक जमीन में जो बस रहा था सरकारी जमीन में, आबादी होने के आधार पर उनको नि:शुल्क पट्टा। उनकी जमीनें नियमन की गयीं। उनको नि:शुल्क पट्टा मिल जाता था, लेकिन 7 दिसम्बर, 2017 को और 30 नवम्बर, 2017 को दो ऐसे परिपत्र जारी हुए हैं कि अगर कोई सिवाय चक जमीन में बस भी रहा है और वह नियमन हो गयी है, आबादी हो गयी है, उसको अगर पट्टा चाहिए तो उसको डीएलसी दर पर पट्टे की राशि का भुगतान करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, गरीब आदमी डीएलसी दर पर भुगतान नहीं कर सकता है। इस पर पुन: विचार करना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): यह जो परिपत्र हैं 2017 के, इनको निरस्त

(श्री बाबूलाल नागर)

करना चाहिए। जब आप उसको आबादी का पट्टा दे रहे हैं, पहले भी सरकारें थीं, उन्होंने भी निशुल्क आबादी के पट्टे दिये थे। मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मौजमाबाद मेरे तहसील मुख्यालय, मेरे पंचायत समिति मुख्यालय और साम्प्रदायिक सद्भाव की वह एक ऐसी जगह है जहां आधे मुसलमान रहते हैं, आधे हिन्दू रहते हैं। आए दिन छोटी-मोटी बात पर कोई न कोई गलतफहमी होती रहती है। मुख्य मंत्री जी ने वहां पर थाना खोलने की कोशिश की है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं एक आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि ये जो महला है, यह जयपुर से मिल रहा है। एक तरफ शहरी क्षेत्र महला में खतम होता है। जेडीए महला तक है। कभी कोई छोटे-मोटे अपराध होते हैं, जयपुर वाले उधर भाग जाते हैं, उधर वाले इधर आ जाते हैं। मैं आग्रह करूंगा महला में एक पुलिस चौकी होनी चाहिए। महला में पुलिस चौकी होगी तो अपराधों पर तत्काल अंकुश लगेगा। सभापति महोदय, मैं ये आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी दो महत्वपूर्ण सड़कें स्टेट हाईवे की दूदू से भाटीपुरा, उसका 90 करोड़ रुपये प्रोविजन किया है। एक मेरी सड़क जो आपके सरकारी नोर्म्स के अनुसार नहीं बन पा रही थी फागी से मोहनपुरा राजावतान वाया किशोरपुरा-सेमलिया 21 किलोमीटर, इसको भी आपने बनाने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

बिजली मंत्री जी बैठे हैं। बिजली मंत्री जी आप मेरे क्षेत्र में तीन-चार बार मेरे साथ गये हैं। आपको मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे जो बोराज है, वहां जेईएन आफिस है, अगर वहां एईएन आफिस खुलता है तो मेरे क्षेत्र का ही नहीं, झोटवाड़ा क्षेत्र के भी गांव आते हैं, फुलेरा क्षेत्र के भी गांव आते हैं, पूरा संतुलन बन सकता है। मेरा आग्रह है आपसे...

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपने परीक्षण भी कराया है। मंत्री महोदय ने परीक्षण भी कराया है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आधे मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आपने दूदू में भी कालेज खोल दी, फागी में भी खोल दी। दूदू में कालेज की बिल्डिंग बन गयी। एक कला संकाय है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कला के अलावा विज्ञान और कामर्स संकाय भी दोनों स्थान पर खोला जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको

(श्री बाबूलाल नागर)

बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। मुख्य मंत्री जी ने जो बजट भाषण, ऐतिहासिक बजट भाषण दिया इस राजस्थान की जनता के लिए एक नये आयाम पैदा करेगा, बेमिसाल होगा, इसका मैं समर्थन करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, 2021-22 के बजट भाषण पर मुझे भी अपनी बात रखने का आपने मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये बजट सुनने से तो लोक लुभावन लगता है परंतु जिस प्रकार की परिस्थितियों से हम निकले हैं, पूरा साल कोरोना में निकल गया। हमको आशा थी कि इसमें कुछ रोजगार का जिक्र होगा, राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार मजबूत होगा, इस प्रकार का जिक्र होगा, लेकिन इस तरह की बात इस बजट में देखने को नहीं मिलती है।

माननीय सभापति महोदय, यह पेपरलेस बजट नहीं है, यह विजनलेस बजट है। कोरोना के कारण हमारे उद्योग-धंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। हमको आशा थी कि बजट के अंदर उद्योगों को कोई छूट देंगे। चाहे बिजली के बिल में छूट का मामला हो या कोई और इंसेंटिव हो। किसी भी प्रकार के रोजगार के अवसर आज दिन तक मज़दूरों को प्राप्त नहीं हुए हैं। बेरोजगारी फैल रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमको इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिए कि जो उद्योग बंद पड़े हैं, उनको किसी न किसी प्रकार चालू करवाएं और जो कोरोना काल के अंदर भी दुःखी-सुखी चलते रहे, उनको कुछ न कुछ बिजली में छूट दें या कोई और टैक्स जो आपका लगता हो तो उसमें छूट दें,

(श्री प्रताप सिंह)

नहीं तो इंडस्ट्री बैठ जाएगी और राजस्थान जो धीरे-धीरे औद्योगीकरण की तरफ बढ़ रहा है, उस पर रोक लगेगी। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर सरकार ध्यान देगी।

माननीय वसुन्धरा जी के समय राजस्थान में जब सरकार बनी, वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री बनीं, उस समय राजस्थान की हालत बीमारू प्रदेश की थी। पूरी सरकार ने, वसुन्धरा सरकार के सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया और बीमारू प्रदेश को देश के अन्य जो अग्रणी प्रदेश हैं, उनके साथ जोड़ने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इस बजट में इस प्रकार की कोई दृष्टि दिखाई नहीं देती है जिससे हमारा राजस्थान आगे बढ़ सके। आपने खुद ने स्वीकार किया है कि हमारे ऊपर इतना कर्जा है। कर्जा हम चुका नहीं पा रहे हैं, फलाना हम पर इतना भार छोड़ गया, फलाने ने ये कर लिया, आपने इतनी घोषणाएं तो कर दीं लेकिन आपकी पिछली बजट की घोषणाएं भी अब तक पूरी नहीं हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका भी ध्यान रखेंगे।

यही नहीं, कोरोना की रोकथाम के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने ही सब कुछ किया, हमने भी कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ दिया है। जो हमसे बन सकता था, हमने भी किया है। हमारी पार्टी की तरफ से भी इस प्रकार के आदेश थे कि कोरोना के समय कोई गलती नहीं हो। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी हमारे बड़े लीडर्स थे, सबके आपने समाचार पत्रों में बयान पढ़े होंगे कि कोरोना में आप जितने भी लोगों की मदद कर सकते हैं, कीजिए।

सभापति महोदय, आप देख लीजिए पूरा साल हो गया है, स्कूल बंद हैं लेकिन फीस कम नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूल वाले सुप्रीम कोर्ट तक चले गये हैं। सरकार की तरफ से भी कुछ पहल होनी चाहिए। कुछ कानून बनना चाहिए या उन अभिभावकों को कहीं न कहीं आपको छूट देनी चाहिए, इंसेंटिव देना चाहिए कि वह अपने बच्चों की फीस जमा करा सकें। आज जयपुर में जिस प्रकार की स्थिति है, किसी स्कूल की फीस चार लाख रुपया है, किसी की साढ़े चार लाख रुपया है, किसी की एक लाख रुपया है, किसी की दो लाख रुपया है, यह आम आदमी सहन नहीं कर सकता, इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप इस पर भी निश्चित रूप से ध्यान देंगे।

सभापति महोदय, चिकित्सकों की बात की। अभी दिलावर साहब भी बता रहे थे कि हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। गांवों में डाक्टर नहीं है,

(श्री प्रताप सिंह)

पैरा-मेडिकल स्टाफ नहीं है। आपने कह दिया कि जिला स्तर पर इतनी जांच होगी, तहसील लेवल पर इतनी जांच होगी, संभाग लेवल पर इतनी जांच होगी और जहां मेडिकल कालेज हैं, वहां इस प्रकार की जांचें होंगी। जांचों का जब आपके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, आदमी ही नहीं है तो जांच कौन करेगा? यह मेरे समझ से परे है। मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी जब भी इस बजट का जवाब दें, रिप्लाई करें, इस बात को निश्चित रूप से बताएं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी मौका है कि आप पैरा-मेडिकल स्टाफ को भर्ती कीजिए। अभी कोरोना पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। विदेशों में, यूरोप में फिर से लाकडाउन लगने लगे हैं। बाम्बे, मद्रास और बैंगलोर की स्थिति भी इस प्रकार की बनती जा रही है। मेरा निवेदन है कि अभी इसको इस तरह नहीं लें कि ये पूरी तरह समाप्त हो गया है। अभी-भी हमको जागरूक रहने की जरूरत है। जिस प्रकार से आपने पहले इंतजाम किए थे, उस प्रकार के इंतजाम लोगों को दिखने भी चाहिए। मुझे दु:ख है कि उस प्रकार के इंतजाम जो शुरू में आप लोगों ने सबके सहयोग से किए थे, वह देखने को नहीं मिल रहा है।

(17.00 बजे)

मेरा आपसे निवेदन है राजस्थान में पैट्रोल डीजल सबसे मंहगा है, हिन्दुस्तान में। पैट्रोल पर टैक्स घटाने की जरूरत थी। पैट्रोल व डीजल के बारे में एक शब्द भी इस बजट में नहीं बोला गया है। हममें से कोई भी नहीं चाहेगा कि हुक्का बार में जाकर हमारा बेटा सिगरेट पीए, बीयर बार में जाकर बीयर या दारू पीए, पब में जाकर लड़कियों के साथ नाच करे, यह हममें से कोई भी नहीं चाहेगा पर यह राजधानी में, मुख्य मंत्री की नाक के नीचे, जहां पूरी सरकार बैठी है, उसकी नाक के नीचे, धड़ल्ले से हो रहा है, इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। हमारी संस्कृति भी जवाब नहीं देती। मेरा आपसे निवेदन है कि पैट्रोल में टैक्स कम करो। आपको टैक्स बढ़ाना है तो सिगरेट पर बढ़ाओ। आपको टैक्स बढ़ाना है तो पान-मसाले पर बढ़ाओ। आप निश्चित रूप से पैट्रोल व डीजल का भाव कम करें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

यहां बिजली मंत्री जी विराजमान हैं। अभी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद डेढ़े-दुगुने बिल आने शुरू हो जाएंगे। आपकी रेट इतनी महंगी है, आम आदमी जब अभी बिल नहीं चुका सकता, तो स्मार्ट मीटर लगाने के बाद आप किस प्रकार वसूली करोगे, किस प्रकार रेवेन्यू कलेक्शन करोगे?

(श्री प्रताप सिंह)

साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि किसानों के पास बिजली के बढ़े हुए बिल जा रहे हैं। आप अपने अधिकारियों को पाबंद करें कि जितनी बिजली जली है, उतना ही बिजली का बिल ले, वीसीआर के नाम पर लूट नहीं करें। ऐसा नहीं कि फोटो खींच लिया, सुबह किसान गया पैसे दे दिए, 25 हजार की वीसीआर भरी, दस हजार रुपये दे दिए, फोटो फाड़कर फेंक दी, मोबाइल से फोटो हटा दी। इस प्रकार की स्थिति बनी है, मैं चाहूंगा कि इसको आप रोकने की कोशिश करेंगे।

आपने अंग्रेज़ी स्कूल खोलने की बात की। प्राइमरी स्कूल की बात खतम कर दीजिए, आपका सीनियर सैकण्डरी स्कूल, कालेज का प्रिंसिपल भी ढंग से अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता है। आप अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोलो, उसमें कोई एतराज नहीं है, खुलना चाहिए। हम भी मानते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए, पर आपने इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया। आपके पास टीचर नहीं है। उस प्रकार के स्टूडेंट नहीं है। आप किस तरह से अंग्रेज़ी स्कूल खोलोगे, यह मेरी समझ से परे है। मेरा आपसे निवेदन है कि पहले अंग्रेज़ी माध्यम के टीचर्स भर्ती करो। शिक्षा विभाग में टीचर्स भर्ती करो, उनको नौकरियां दो, उसके बाद आप स्कूल खोलना।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरी 15 मिनट की बात थी, मैं मेरे क्षेत्र की तो अभी बोला ही नहीं। पांच मिनट और दे दो। आपने बजट में 50 हजार नौकरियों की, पिछले बजट में भी बात की थी, आज तक कोई नौकरी नहीं लगी। सब विवादों में, कोर्ट-कचहरी के चक्कर खा रहे हैं।

अभी आपने ग्राम रक्षक रखे हैं। सब +++ रखे हैं। पुलिस थानों के मार्फत हिस्ट्रीशीटर और गुंडे रखे हैं। अब क्या गुंडों के हवाले आप गांव को सौंपेंगे, यह आपकी पुलिस सौंप रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनका चाल-चलन, उनका करैक्टर देखकर आपने उनको ग्राम रक्षक बनाया है या वैसे ही बना दिया? इसको भी आप गौर करेंगे, नहीं तो आपको इसके आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्राइम बढ़ेगा।

आपने 52500 राजीव गांधी वालंटियर रखने की बात की। सीधा-सीधा लगता है कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ओब्लाइज करने के लिए या गांव में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बिठाने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हो। अच्छा होता वालंटियर नहीं रखकर, प्रधान मंत्री जी ने जिस प्रकार किसानों

(श्री प्रताप सिंह)

को छह हजार रुपये दिए हैं, आप भी इस प्रकार की घोषणा करते कि हमारी सरकार भी प्रतिवर्ष इतना रुपया किसानों को देगी। मैं पुन: आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के बिल, इंडस्ट्री में जितनी भी रिबेट मिल सके, देने का कष्ट करें।

राजस्थान ट्यूरिज्म की दृष्टि से हिन्दुस्तान में सबसे प्रमुख है। ट्यूरिज्म की स्थिति इस प्रकार की हो गई है कि रेस्टोरेंट, होटल बेचने को तैयार है, उनसे लोन नहीं चुक रहा है, बैंको से नोटिस आ रहे हैं, आपको उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हमारा पर्यटन उद्योग राजस्थान की लाइफ लाइन है। पर्यटन उद्योग अगर समाप्त हो गया और यहां से अन्य प्रदेशों में चला गया तो हमारे सामने मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मैं मेरे क्षेत्र की दो-चार बातें आपको निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): किसानों को सोयाबीन का 2018-19 का मुआवजा नहीं मिला है, वह दिलवाएं। छीपाबड़ौद तहसील में टाची गांव है, 100 बीघा जमीन पर अभी 10-15 दिन पहले ही किसी ने कब्जा कर लिया है। उनको मवेशी चराने में दिक्कत आ रही है।

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरा एक निवेदन सड़कों के बारे में है। 2001 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान के सभी गांव, 500 की आबादी के, सड़कों से जुड़ गए। 2021 चल रहा है, 20 साल हो गए, अब 2021 की जनगणना के हिसाब से सारे गांव, जिनकी आबादी 500 है या ट्राइबल एरिया में 250 है, 200 है, उन सबको जोड़ने की कोशिश करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करे। प्लीज अब आप विराजो।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दो मिनट भाईसाहब।

श्री सभापति: नहीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): दो मिनट, दो मिनट। मेरे क्षेत्र में पेयजल की कमी है। दो तहसीलें हमारे क्षेत्र में लगती हैं। छीपाबड़ौद में तो करीब 900 एमएम बरसात होती है, छबड़ा में करीब 1100 एमएम बरसात होती है। छबड़ा में 315 एमएम बरसात हुई है। छीपाबड़ौद में 274 या 275 हुई है। वहां पीने के पानी की अभी से ही इतनी भयंकर दिक्कत आने लगी है कि किसानों को दूसरे गांवों में पानी लेने जाना पड़ रहा है। कई जगह नदी का पानी पी रहे हैं,

(श्री प्रताप सिंह)

इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस ओर भी आप ध्यान देंगे।

वहां भील समाज है, गरीब समाज है, बोलना नहीं जानता, उसको जमीन आबंटन का मामला सरकार ने दो साल से लटका रखा है। उन ग़रीबों ने क्या कसूर किया है। वह अपने पैसों से हॉस्टल बनाकर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। प्लीज, सहयोग करें। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: आप बिजली मंत्री जी को बताना। ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: नहीं, नहीं ऐसे नहीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: ऐसे नहीं, दो-दो मिनट करके आपने दस मिनट ले लिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: नहीं-नहीं, ऐसे नहीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग कीजिए, अब आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: आपको टाइम दिया था, उससे दस मिनट ज्यादा बुला दिया।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: ऐसे नहीं करें, प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। श्री ओमप्रकाश हुडला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): आदरणीय सभापति महोदय...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: नहीं, नहीं ऐसे नहीं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: विराजिए, आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: हुड़ला साहब। दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): वीसी का समय तय होना चाहिए। जिस भी अधिकारी के पास जाओ, कि वीसी में गए हैं तो वीसी का टाइम तो फिक्स कर दो कि फलां दिन अधिकारी वीसी में रहेंगे। कलेक्ट्रेट में जाते हैं, एस पी के आफिस में जाते हैं तो कहते हैं कि वीसी में बैठे हैं। वीसी चल रही है। कोई भी सेक्रेटरी मोबाइल खोलकर बैठ जाता है, वीसी करने लग जाता है। राज का काम भी सफर करता है, लोग भी परेशान होते हैं। आपको वीसी करवानी है, टाइम फिक्स कर दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): यही नहीं, मेरा एक निवेदन और है...

श्री सभापति: अब आप विराजिए। अब अंकित नहीं होगा। श्री ओम प्रकाश हुड़ला। आप सहयोग करें, ऐसे नहीं।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): आदरणीय सभापति महोदय, मुझे आज बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हर साल राज्य का जो भी वित्त मंत्री होता है वह बजट पेश करता है। राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्री होने के साथ-साथ आदरणीय अशोक गहलोत जी के पास वित्त मंत्री का भार भी है।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

एक चीज मेरे समझ से बाहर है, जब कुछ लोग पक्ष में बैठते हैं तो उसी विषय को दूसरी तरह प्रकट करते हैं और वही सदस्य जब विपक्ष में चले जाते हैं तो उसी विषय को अलग तरह से प्रकट करते हैं। हम 200 विधायकों को राजस्थान की आठ करोड़ जनता चुनकर भेजती है। इसलिए चुनती है कि अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों के विकास की चिंता करें और सुख व दु:ख में उनके काम आएं।

आदरणीय सभापति महोदय, हम सब लोग, मुझे भी लगभग 8 वर्ष हो गये इस राजनीति में, हम जब भाषण देते हैं तो भाषण देते हैं कि रात को 12 बजे भी कोई जरूरत पड़ेगी तो हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, लेकिन दु:ख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है यह कोरोना संकट आया तो हमारे विधायकों का यही पता नहीं चला कि वे कहां गायब हो गये। हमारे सांसदों का यही पता नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ या नहीं हुआ और कैसे उनकी कोरोना की रिपोर्ट आ गई। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमें सुख और दुख में हमेशा जनता के काम आना चाहिए।

मैं कहना चाहता हूं कि पक्ष हमेशा खुद का मूल्यांकन करता है और प्रसन्न रहता है। विपक्ष हमेशा सामने वाले का मूल्यांकन करता है और दु:खी रहता है। ये चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं। यह बात सही है कि सरकार अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करती है और अच्छे से अच्छा बजट लाने का प्रयास करती है। इस बार मैं माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको शुभकामना भी देता हूं जिस तरह से राजस्व का जो रेवेन्यू आना चाहिए था यह 2020-21 में, उसमें भारी गिरावट आने के कारण सरकार को नुकसान हुआ। जिन चीजों से टैक्स से पैसे आने चाहिए थे वे नहीं आ पाये। उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सारे विधायकों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शानदार और जानदार बजट पेश किया है। मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

मित्रों, अब कुछ लोगों को मिल भी गया, कुछ लोगों को नहीं मिला है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं। "आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होतीं, अगर मिल जाता सब कुछ एक ही बजट में तो अगले बजट की इंतजार नहीं होती।" बहुत कुछ मिला है हमें, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में, मैंने 4-5 मांगें रखी

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

थीं। हमारे मण्डावर में महाविद्यालय खोलने की बात कही। बैजूपाड़ा और बालाहेड़ी में पुरजोर शब्दों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग रखी थी साथ ही बैजूपाड़ा में तहसील की मांग रखी थी। इसके साथ ही मण्डावर में उप खण्ड कार्यालय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लोटवाड़ा में कृषि संकाय खोलने की मांग रखी थी। इन पांच मांगों में से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मेरे आग्रह पर मण्डावर में महाविद्यालय खोला, बैजूपाड़ा और बालाहेड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला, बैजूपाड़ा में तहसील खोली और लोटवाड़ा में कृषि संकाय खोल दिया। यानी पांच में से चार काम मेरे कर दिये। ऐसी सरकार, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सारे मंत्रिमण्डल को और गहलोत साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे सारे काम किये हैं।

साथ ही हमारे जलदाय मंत्री महोदय कल्ला साहब बैठे हुए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने जल जीवन मिशन में हुड़ला, ऊकरूंद, गाजीपुर, खावदा, रसीदपुर, हड़िया, नौरंगवाड़ा, विशाला, टीकरी जाफरान, धौलखेड़ा, खौंचपुरी, ढिगारिया भीम, ढिगारिया कपूर, हांडली, महुखुर्द, महुखेड़ा, महुकलां, बावड़ीखेड़ा, गढमेड़्या की ढाणी, पाली, भोपरटप्पा, शहदपुर, गुवारकी, बीरपुर, बाड़ा बुजुर्ग, तालचिड़ी, अलीपुर, हासिलपुर टुडियाना, खेड़ला गदाली, पलानहेड़ा, सिन्दूकी, बेरखेड़ा और बहड़खो ऐसे दर्जनों गांवों में एक-एक घर तक पानी पहुंचाने की योजना आपने स्वीकृत की है। मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ढिगारिया भीम में ही एक बिजली का सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की मेरी मांग को आप पूरा करेंगे क्योंकि बैजूपाड़ा में पंचायत समिति भी बन गई है, तहसील भी बन गई है, सी.एच.सी. भी है। उसके नजदीक में ही 132 के.वी. का जी.एस.एस. है, वहां पर अभी कनिष्ठ अभियंता का कार्यालय खुला हुआ है। वहां से बसवा करीब 30 किलोमीटर पड़ता है। लोगों को आवाजाही में बड़ी तकलीफ होती है। उस कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय को जो ढिगारिया भीम में है 132 के.वी. जी.एस.एस. पर, उसको सहायक अभियंता कार्यालय में क्रमोन्नत करने की, मुझे पूरी उम्मीद है और आपसे यह विश्वास है कि आप इसको करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा खास तौर से

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

कि मेरे यहां उपखंड कार्यालय, मण्डावर में मैंने जो मांग रखी है कि बांदीकुई और महुवा उपखंड अधिकारियों के बीच में, दोनों का कार्यक्षेत्र मण्डावर तहसील में आता है इसलिए लोगों को बड़ी परेशानी होती है। मेरी पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्य मंत्रीजी से मांग है कि मण्डावर में उपखंड कार्यालय, तहसील मण्डावर क्षेत्र को बनाते हुए उपखंड कार्यालय खोलेंगे। साथ ही मण्डावर में जो 30 बैड का हास्पिटल है, उसको भी आप 50 बैड का करने की कृपा करेंगे।

सभापति महोदय, साथ ही चिकित्सा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से मेरा आग्रह है कि पिछले बजट में मेरे महुवा के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बैड से 100 बैड करने की घोषणा हुई थी लेकिन किसी कारणवश वह 75 बैड का ही हो पाया है। बजट घोषणा है, उस बजट घोषणा के अनुसार 75 से 100 बैड का करने की आप कृपा करेंगे।

साथ ही शिक्षा के क्षेत्र की जब बात करें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सालिमपुर; माध्यमिक विद्यालय, गगवाणा; नौरंगवाड़ा, शीशवाड़ा, अलीपुर, टीकरी किलानोत और खेड़ला बुजुर्ग, ये सैकण्डरी स्कूल हैं और ग्राम पंचायत मुख्यालय भी हैं, इनको आप सीनियर सैकण्डरी में करने की कृपा करेंगे। साथ ही केसरी, नांगल सुमेरसिंह, पालड़ा, काशीदास का पुरा, नाहिड़ा का पुरा और गुवारकी, ये छह विद्यालय आठवीं तक के हैं, मिडल के स्कूल हैं, इनको आप दसवीं का करने की कृपा करेंगे।

साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में बालाहेड़ा, गढ़ हिम्मत सिंह, ऊकरुंद, रोतहड़िया और ढण्ड में विज्ञान संकाय खोलने की भी मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं।

अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी घोषणा की है। साइंस फैकल्टी, एग्रीकल्चर फैकल्टी के लिये चप्पलें घिस जाती हैं तब मिलती है, गहलोत साहब ने अभी 600 विद्यालय खोलने की घोषणा की है जहां विज्ञान संकाय चल रहा हो। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डावर, रसीदपुर और हुड़ला में कृषि विज्ञान संकाय खोलने की पुरजोर शब्दों में मांग रखता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, हुड़ला, बालाहेड़ी और कोट पशु उप केन्द्र को क्रमोन्नत कर पशु अस्पताल खोलने की भी मांग करता हूं। साथ ही

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

हिंगोटा, खौंचपुरी, पीपलखेड़ा, पलानहेड़ा, बाड़ा बुजुर्ग में पशु उप केन्द्र खोलने की भी मांग करता हूं।

अभी कल्ला साहब बैठे थे, चले गये, वे उनके कमरे में अभी सुन रहे होंगे। मैं उनसे भी पुन: निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी का बड़ा संकट है। मेरे कुछ गांव हैं उनका नाम ले करके मैं बात करूंगा कि कोट, पाखर, केसरा, नांगल सुमेर सिंह, नांगल मीना, गगवाणा, गुवारकी, जटवाड़ा, सरावली, नांगल मेव, ढण्ड, समसपुर, शीशवाड़ा, लालपुर, कौंडला, खानपुर, खेड़ली नारायण सिंह, कमालपुर, बलीन, बीरपुर, कायमपुर, एदलपुर, ईसरपुर, कीर्ति नंगला, खोहरा नन्द सिंह, गढ़ी पट्टी, बिरूंदा, सालिमपुर, खो कलां, रींदली चौलावा की ढाणी, भण्डपुरा, राजगढ़, रामगढ़, पीपलखेड़ा, रतनपुरा, सुल्तानपुरा, बड़ागांव, मिल्कीपुरा, पीपलीपाड़ा, बीरासणा, नांदना, नौरंगपुरा, पालोदा, बीरगांव, हल्दैना, नांगल-कोलरा, चुरखेड़ा, सायपुर, मुनापुरा, दुलापुरा, केसरी, अमोलक नगर, पावटा, मान्यापुरा, बदनपुरा, टीकरी किलानोत, गोपालगढ़, शींत, पाड़ली, धन्तूरी, बीराना, खोहरा मुल्ला, आलापुर, रौट, मिर्जापुर, चक विशाला, मुंडकोड़ी खोहरी, मौसमपुर पट्टी, प्यारा का नंगला, आबादी, समसपुर, ढेकड़ा, मोहनपुर, पहाड़ी, मोटूका, सांथा, भापुर, अलीपुर, बड़ाबास, बालाहेड़ा, झूंथा हेड़ा खुर्द, झूंथा हेड़ा कलां, नांगल लोटवाड़ा, नाई मीणा की ढाणी, पातरखेड़ा, टिगरया, कावेंटी और गढ़ हिम्मतसिंह, ये गांव ऐसे हैं जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के 50-50 परसेंट सहयोग से, जिनमें पी.डब्ल्यू.एस. है, पाइप्ड वाटर सप्लाई है, उनमें भारत सरकार के बहुत स्फ्ष्ट रूप से ये निर्देश हैं कि 31 मार्च तक आपको जल जीवन मिशन में इनको शामिल करना है। ये ऐसे गांव हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं जलदाय मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि इन गांवों की स्कीम आपके पास आ रखी है, अगर ये 31 मार्च से पहले सैंक्शन नहीं होती हैं तो फिर राज्य सरकार को ही इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसलिये मैं आग्रह करता हूं कि इन गांवों को शामिल करते हुए इनमें भी जल जीवन मिशन के तहत आप घर-घर तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे।

साथ ही, बिजली विभाग के लिये समलेटी, बलीन कमालपुर एवं गढ़ हिम्मतसिंह में 33 के.वी. का जी.एस.एस. बनाने की भी मांग करता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही यह कोरोना संकटकाल आया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का जो पोर्टल है, वह भारत सरकार या राजस्थान सरकार के लेवल पर बंद है। जब भी कोई आदमी आता है तो नया नाम जोड़ने में उपखंड अधिकारी, जिला रसद अधिकारी

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

असमर्थ रहते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि भारत सरकार से बात करके यह पोर्टल चालू हो और प्रतिपक्ष के नेता, आदरणीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब से भी मैं आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल की वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो रहा है, जिनका समय पर इलाज नहीं हो पा रहा। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे गरीब लोगों का ध्यान रखने की आवश्यकता है।

मैं एक चीज जरूर और कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आदरणीय गहलोत साहब ने कर्नाटक की तर्ज पर घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए पांच हजार रुपये की घोषणा की है। यह सही बात है कि जिस आदमी का, जिस परिवार का आदमी जाता है, उस परिवार को पता रहता है कि आदमी की वैल्यू क्या है क्योंकि उनके बच्चे दर-दर भटक जाते हैं। आज अगर कोई सड़क पर एक्सीडेंट होकर घायल अवस्था में पड़ा है, अब तक यह होता था कि पुलिस उसी को ज्यादा परेशान करती थी जो ले जाता था। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह जो पांच हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र की बात कही है, यह उस अमूल्य जीवन को बचाने के लिए बात कही है जो इस जन्म में तो काम आएगा ही आएगा और अगले जन्म में भी उस परिवार को पुण्य मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए उनकी भूरिभूरि प्रशंसा करता हूं।

साथ ही साथ, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गांधीजी ने यह कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है किसान के रूप में। आज किसानों की जब बात करते हैं चाहे राजस्थान सरकार हो या चाहे भारत सरकार हो, इसमें कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए और किसानों के साथ बैठकर जो भी निर्णय हो, वह किसानों के हित में हो क्योंकि किसान दर-दर की ठोकर खाएगा तो वह सरकार बनाना भी जानता है तो सरकार बदलना भी जानता है इसलिए मैं केन्द्र सरकार से और राजस्थान सरकार से पुरज़ोर शब्दों में यह मांग करता हूं किसानों के दर्द को जानना बहुत जरूरी है।

मैं अन्त में एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अम्बेडकर साहब ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को दी हैं। यह संविधान, भारत के नागरिक को अधिकार देने का काम किया है और इससे हम लोगों को चाहे शिक्षा का अधिकार हों, चाहे और दूसरे मूल अधिकार हों, यह सारी चीजें हमको दी हैं।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

इससे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 के बीच में, जब समाजवाइज जिले स्तर पर सभी समाजों को भूमि प्रबंध कराने का किया था, भूमि उपलब्ध करायी थी। अब मैं पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि समाजवाइज, उनकी पापुलेशनवाइज ब्लाक स्तर पर अलग आप जमीन उपलब्ध करवा दें तो वह छात्रावास समाज अपना बना लेगा लेकिन उनकी भूमि की उपलब्धता उनकी जनसंख्या के आधार पर मिल जाए तो बहुत सौभाग्य होगा और गरीब लोगों के बच्चे वहां पढ़-लिखकर मैं समझता हूं कि आई.ए.एस., आई.पी.एस., कलेक्टर और एस.डी.एम. बन सकते हैं इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं विशेष रूप से यह आग्रह करता हूं। अन्त में, मैं यही कहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए कि "मेरे सिर का यह सम्मान तेरे संविधान से मिला है, मेरे चेहरे की यह मुस्कान तेरे संविधान से मिली है, गोरों को जो मिला है, उनके नसीब से मिला है लेकिन भारतीयों को जो मिला है, तेरे संविधान से मिला है, बाबा तेरे संविधान से मिला है।" आपने बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी से मंडावर में उपखंड कार्यालय खोलने की मैं पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, यह सर्व समाज।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर बोलने का मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं मेरे मन की अभिव्यक्ति को इन शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहूंगा कि- "धरती जल उठी है, आसमां बाकी है, सूखे कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है। समय पर बरस जाना यह मेघा, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का कर्ज बाकी है।" यह राजस्थान की हकीकत है।

माननीय सभापति महोदय, इस सदन में आने से पूर्व हर व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रम करता है, अपनी पार्टी की विचारधारा के आधार के ऊपर, अपने मुद्दों के आधार के ऊपर जनता के बीच जाकर चुनाव जीतकर आता है और इस सदन में जो भी 200 सदस्य हैं, वह माननीय सदस्य पहले हैं और माननीय सदस्य इस सदन में आने के बाद में अलग-अलग दायित्वों

(श्री रामलाल शर्मा)

का निर्वहन करते हैं। कोई सदन के नेता के रूप में, कोई सदन के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, कोई मंत्री के रूप में, कोई सचेतक के रूप में और उसी तरीके से, माननीय सभापति महोदय, सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य पहले हैं, टोंक से आने वाले भी सदस्य पहले हैं, मैं चौमूं से आने वाला भी सदस्य पहला हूं। सदन में सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर मुख्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य पहले उप मुख्य मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और मैं चौमूं से आने वाला एक सदस्य के नाते ही इस सदन के अंदर हूं। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया उस बजट का मैं पूरा दस्तावेज देख रहा था, उस दस्तावेज को देखने के बाद में मुझे यह मिला कि इस बजट के अंदर कर प्रस्तावों को अगर छोड़ दें तो 251 बिंदु हैं और 251 बिंदुओं में से 47 बिंदु सिर्फ और सिर्फ जोधपुर के हैं। फिर मैंने यह देखा कि टोंक से आने वाले माननीय सदस्य के कितने बिंदु हैं तो, माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर मैंने यह देखा कि टोंक के अंदर, दो बार टोंक का नाम इस दस्तावेज के अंदर है। पहला है औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना टोंक, पीपलू, टोडारायसिंह और दूसरा है सड़क रिपेयरिंग के लिए-टोंक, नाथडी-पीपलू-रानोली-कठमाना, यह दो बार टोंक से आने वाले माननीय सदस्य के लिए इस बजट के अंदर कहा गया।

माननीय सभापति महोदय, चौमूं से आने वाला मैं सदस्य हूं और मेरे को इस सरकार की तरफ से इस बजट के अंदर यह कहा कि सामोद के अंदर पर्यटक स्थल को जोड़ने के लिए लग्जरी बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तो इसके लिए तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमारे को इस बजट के अंदर एक लग्जरी बस मिली है। पायलट साहब को औद्योगिक क्षेत्र और सड़क की रिपेयरिंग, यह दो ही मिले हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात इस आधार पर कहना चाहूंगा कि सरकार अब यह तीसरा बजट पेश कर रही है और तीसरे बजट के अंदर भी उन्हीं घोषणाओं को दोहराने का काम सरकार ने किया है। 2019 का जो बजट पेश किया गया, उस बजट के अंदर सरकार ने यह कहा कि प्रदेश के अंदर मिलावट को रोकने के लिए हम एक अथॉरिटी बनाने का काम करेंगे लेकिन, माननीय सभापति महोदय, एक साल के अंदर अथॉरिटी तो बनी नहीं। 2021 के अंदर यह कहा कि नहीं, हम अथॉरिटी की जगह निदेशालय बनाने

(श्री रामलाल शर्मा)

का काम करेंगे। 2022 के बजट के अंदर भी इस मिलावट के खिलाफ कोई न कोई नई बात और कहने को मिलेगी। माननीय सभापति महोदय, यह हकीकत है और यह वास्तविकता है कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से मिलावट हो रही है, उस मिलावट को रोकने में सरकार नाकाम साबित हुई है। पिछले बजट के अंदर सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि हम जिला स्तर के ऊपर लैबोरेटरी खोलने का काम करेंगे। राजस्थान की सरकार ने बजट की घोषणा के आधार के ऊपर कितने जिलों के अंदर लैबोरेटरी खोलने का काम किया और लैबोरेटरी के अंदर कितने सैम्पलों की जांच आपने की? सैम्पलों के आधार के ऊपर कितने लोगों को आपने सज़ा दिलाने का काम किया? सिर्फ घोषणाएं करने का काम सरकार कर रही है, धरातल के ऊपर सरकार का कुछ भी नजरिया देखने को नहीं मिलता है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने एक घोषणा की कि गुटखों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है। गुटखों के ऊपर राजस्थान सरकार प्रतिबंध लगाती है, फिर चंद दिनों बाद में गुटखों के ऊपर से प्रतिबंध हटता है तो आखिरकार यह गुटखों के खेल के अंदर कौन लोग शामिल हैं और किस आधार पर गुटखों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाता है और किस आधार पर गुटखों के ऊपर प्रतिबंध हटता है? यह खेल किसने किया है? यह भी एक जांच का विषय है और सरकार जब अपनी रिप्लाई दे तो उस समय यह स्पष्ट करे कि गुटखों के खेल के अंदर यह खेल हमने खेला था। किस आधार के ऊपर राजस्थान की भोली-भाली जनता को ठगने का काम यह सरकार कर रही है?

माननीय सभापति महोदय, यह सरकार कह रही है कि हम संवेदनशील हैं, हम पारदर्शी हैं, हम जवाबदेह हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंदर एक शब्द भी इस बात का नहीं कहा गया कि राजस्थान के लाखों लोग, हजारों नहीं, माननीय सभापति महोदय, साइबर क्राइम के अंदर राजस्थान के लाखों लोग शिकार होते हैं। दूसरे राज्यों के अंदर बैठकर लोग अपराध कारित करते हैं और राजस्थान की पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रहती है लेकिन एक शब्द भी इस बजट के अंदर यह नहीं कहा गया कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम इतना बजट उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंदर यह भी नहीं कहा गया कि राजस्थान के अंदर आज भी पुलिस की गाड़ियां पैट्रोल पम्प संचालकों के ऊपर निर्भर हैं। कई महीनों का पैट्रोल पम्प का बिल बकाया होने के बावजूद, कई बार तो पुलिस की गाड़ियां पैट्रोल पम्पों के ऊपर खड़ी रहती हैं, उनको डीजल और पैट्रोल देने का काम भी कोई नहीं करता। माननीय सभापति महोदय, एक धेला पैसा, एक पैसे की घोषणा भी इस बजट के अंदर नहीं की गयी।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आज भी राजस्थान के अंदर वी.आई.पी. मूवमेंट के अंदर पुलिस थाने की गाड़ियां चली जाती हैं। अपराध कारित होने के बाद आज भी राजस्थान की पुलिस तीन घंटे बाद पहुंचती है। राजस्थान की सरकार को अपराध को रोकने के लिए, पुलिस को संसाधन देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप झूठी घोषणा करके वाहवाही लूटने का काम तो कर रहे हो लेकिन धरातल पर काम आप कब करेंगे?

आज राजस्थान के अंदर पुलिस के पास नफ़री नहीं है। नफ़री की भर्ती की घोषणा पहले आपने की थी, उसकी पूरी नहीं हुई, वह भी कोर्ट के अंदर अटकी पड़ी है। राजस्थान के अंदर पुलिस के अंदर क्या नफ़री आपकी पर्याप्त है? राजस्थान की पुलिस के अंदर काम करने वाले लोगों को क्या आप पर्याप्त मानदेय देने का काम कर रहे हो? आज भी राजस्थान के अंदर पुलिसकर्मी को 24 घंटे की ड्यूटी देने के बावजूद भी उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वह सुविधाएं देने में सरकार नाकाम साबित हुई है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि इस तरीके से राजस्थान के अंदर बजरी माफियाओं के ऊपर अंकुश लगाने की बात इस बजट के अंदर क्यों नहीं की गयी? आपने बजरी माफियाओं की रोकथाम करने के लिए, चौकियां स्थापित करने की बात की थी, एक भी चौकी ने कोई काम किया हो तो आप बता दो। किसकी शह के ऊपर बजरी का खेल खेला जा रहा है? राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इन्हीं सीट्स के ऊपर बैठकर कई माननीय सदस्य हमारी सरकार के ऊपर अंगुली उठाने का काम करते थे। लाखों रुपयों की वसूली करने के बाद अब मैं सीधा-सीधा सरकार के ऊपर यह आरोप लगा रहा हूं कि करोड़ों रुपयों की वसूली करने के बाद यह पैसा कहां जा रहा है? कौन अधिकारी शामिल है? कौन नेता शामिल

(श्री रामलाल शर्मा)

है? बजरी की रोकथाम करने के लिए यह सरकार नाकाम क्यों है? उस बात का उल्लेख भी इस बजट के अंदर नहीं किया गया कि आने वाले समय के अंदर इस बजरी को हम तरीके से, इसको राजस्व की वसूली का आधार भी बनाएंगे और आम आदमी तक बजरी पहुंचाने का काम भी करेंगे। क्यों नहीं अवैध खनन के ऊपर यह सरकार बोलती है? अवैध खनन माफिया राजस्थान के अंदर इस तरीके से हावी है, जैसा चाहे उस अधिकारी के ऊपर हमला करते हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ करते हैं, कातिलाना फायरिंग करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी उसके ऊपर अंकुश लगाने की बात राजस्थान की सरकार नहीं करती है।

महिला उत्पीड़न, कानून-व्यवस्था, सूदखोरों के लिये कानून बनाने की बात। जब घटना घटती है तो सरकार के कई नुमाइंदे सांत्वना देने के लिये उनके घर तक पहुंचते हैं लेकिन इसके बावजूद आज भी राजस्थान के अंदर कई लोग इस आधार पर आत्महत्या कर रहे हैं कि लम्बे समय से सूद पर लिये उधार पैसे को चुकाने में नाकाम साबित हुए हैं और इन्हीं सूदखोरों के खिलाफ सरकार कानून बनाने में नाकाम क्यों है? आखिरकार कितने लोग आत्महत्या करके काल के ग्रास में चले जाएंगे, उसके उपरान्त आप कानून बनाने का काम करोगे?

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से राजस्थान के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वह गैंगवार के रूप में हों, चाहे बलात्कार के रूप में हों, उनके ऊपर भी इस बजट के अंदर कुछ नहीं कहा गया। क्योंकि मेरा समय लिमिट है। (व्यवधान) फूफाजी हैं, लेकिन समय तो जितना लिखा है, फूफाजी उतना ही देंगे न। मैं सीधा-सीधा राजस्थान सरकार के मंत्रियों की कार्यशैली के ऊपर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक-एक मंत्री का, जो भी मेरा अनुमान और आइडिया है, जो हकीकत है, उसको बयां करने का काम करता हूं। माननीय सभापति महोदय, कुछ दिनों पहले प्रदेश की सारी की सारी आशा सहयोगिनी धरने पर बैठी थीं। राजस्थान की सरकार ने उनको धरना स्थल उपलब्ध कराने का काम भी नहीं किया और राजस्थान के अंदर सारी की सारी आशा सहयोगिनी मांग कर रही थीं कि 2700 रुपये से मानदेय हमारा बढ़ाया जाए। सरकार ने चुनावों से पहले हमारी घोषणा की थी कि हम इनको नियमित करने का काम करेंगे। सरकार नियमित करने का काम तो बाद में कर दे, लेकिन इनके साथ समझौते में जो वार्ता हुई थी, उस वार्ता में

(श्री रामलाल शर्मा)

यह कहा था कि आने वाले बजट के अंदर आपके मानदेय की बढ़ोतरी हम करेंगे। आज भी राजस्थान की हजारों आशा सहयोगिनियां इस इन्तजार के अंदर बैठी हुई हैं कि सरकार हमारा मानदेय कब बढ़ाने का काम करेगी।

दूसरी बात, राजस्थान के अंदर पटवारी, किसी को जमाबंदी निकलवानी हो, किसी को पेंशन नोट हटवाना हो, सारे के सारे काम पटवारी करते हैं। राजस्थान के सारे के सारे पटवारी आज हड़ताल के ऊपर हैं। आज उनकी वेतन विसंगतियों को लेकर वह मांग कर रहे हैं। सरकार उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं करती है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरीके से राजस्थान की सरकार ने इस सदन के अंदर भी बैठकर आश्वासन दिये और आश्वासनों के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। आज सदन के अंदर शिक्षा मंत्रीजी नहीं हैं, लेकिन शिक्षा मंत्रीजी ने बड़ी-बड़ी बातें, जब वह प्रतिपक्ष में बैठते थे, उस समय की थीं। राजस्थान के अंदर 20 हजार स्कूलें बंद कर दीं, क्या होगा उन गरीब बच्चों का? क्या होगा उन बी.पी.एल. के बच्चों का? वह शिक्षा प्राप्त करने के लिये कहां जाएंगे? क्या राजस्थान की सरकार इतनी संवेदनशील है कि 20 हजार स्कूलें अगर हमने बंद की हैं तो आप कम से कम 10 हजार स्कूलें तो खोलो। बजट के अंदर घोषणा पहले आपने की कि हम 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम करेंगे। इस बजट के अंदर आपने घोषणा की कि हम और 60 प्राथमिक विद्यालय खोलने का काम करेंगे। सिर्फ 50 स्कूलें, आरोप लगा रहा हूं कि 20 हजार स्कूलें बंद कर दीं और आप 50 स्कूलें खोलने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप शिक्षा का स्तर इसी तरह से बनाये रखने का काम करेंगे? माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से ...(व्यवधान)..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप सक्षम विधायक हो। मेरी आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन सरकार आपको मंत्री नहीं बना रही, इसी बात का दु:ख भी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप सीधे-सीधे अपनी बात पर आइए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, आज भी राजस्थान के अंदर 60 हजार महिलाएं पोषाहार के अंदर सिर्फ 1300 रुपये में उस चूल्हे के अंदर वह

(श्री रामलाल शर्मा)

पोषाहार बनाने का काम कर रही हैं। क्यों नहीं राजस्थान की सरकार इस बजट के अंदर घोषणा करती है कि उनको 1300 रुपये के मानदेय को हम बढ़ाने का काम करेंगे? माननीय सभापति महोदय, स्कूलों के अंदर गैस सिलेण्डर उपलब्ध नहीं है, गैस का चूल्हा उपलब्ध नहीं है, वही कच्चे चूल्हे के ऊपर वह पोषाहार बनाकर बच्चों को खिलाने का काम करती है और वह भी सिर्फ 1300 रुपये महीने में और पिछले तीन महीने से तो राजस्थान की सरकार उनको मानदेय भी नहीं दे रही है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार ने शिक्षकों की भर्ती की बात की थी। वह शिक्षक भर्ती हो गयी क्या? राजस्थान के अंदर बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं। 75 हजार भर्ती करने की घोषणा आपने अलग-अलग विभागों में की थी, एक भर्ती भी कमप्लीट आपने की हो तो बता दो कि हमने इस भर्ती को कमप्लीट करने का काम किया है। सिर्फ घोषणाएं करना आपकी सरकार की आदत बन चुकी है, वाहवाही लूटना आपकी सरकार की आदत बन चुकी है, लेकिन धरातल के ऊपर वह घोषणाएं क्रियान्वित नहीं होतीं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कितनी स्कूलें क्रमोन्नत कीं? आपने 100 स्कूलें क्रमोन्नत करने की इस बजट के अंदर घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार के समय जितना भी शिक्षक का कैडर था, चाहे वह एल.डी.सी. से लेकर यू.डी.सी., यू.डी.सी. से लेकर थर्ड ग्रेड और सैकण्ड ग्रेड, व्याख्याता, प्रिंसिपल, सबके प्रमोशन करने का काम हमने किया है लेकिन आपकी सरकार ने आने के बाद में उन प्रमोशंस को बंद करने का काम भी किया है।

उद्योग मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान भी दिलाना चाहूंगा। उद्योग मंत्रीजी, आपने ही कहा था न कि जैतपुरा के अंदर आपकी रीको की जमीन है, 25 साल से रीको की जमीन का टाइटल आपके पास नहीं है। हमने जब मांग उठायी तो उसके बाद में जे.डी.ए. ने आपके नाम से ट्रांसफर कर दिया और नामांतरण खोल दिया। आपने कहा था, भूमाफिया आपकी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत जल्दी अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। मंत्री महोदय, दो साल हो गये, अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है। आपसे निवेदन करूंगा कि आप बहुत सहनशील मंत्री हो, लेकिन सहनशीलता से थोड़ा उग्र होओ। आप उग्र होओगे तब आपके

(श्री रामलाल शर्मा)

अधिकारी सुनेंगे, वरना आपके अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मारवाड़ी के अंदर एक कहावत है 'बात का धनी होना' जरूरी है। आपने घोषणा की थी अतिक्रमण हटेगा, वह अतिक्रमण भी आज दिन तक नहीं हटा है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, अभी तो स्टार्ट ही किया है। स्वायत्त शासन मंत्री आज हमारे बीच में नहीं हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भवन से क्या दुश्मनी है? राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर भवन बनाने की घोषणा करके गयी थी। नगरपालिका क्षेत्र में कई भवन बन भी रहे थे, उन भवनों को भी बंद करने का काम आपने किया। अन्नपूर्णा रसोई योजना को आपने बंद कर दिया। जयपुर विकास प्राधिकरण जो विकास करता था, उसको भी बंद करने का काम किया और माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार किस तरह से वाहवाही लूट रही है, नगरपालिका चुनावों के अंदर जनता ने हमको बहुमत दिया है। जनता ने बहुमत नहीं दिया, किस तरीके से आपने तोड़-फोड़ की है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, बीस मिनट का समय है, अभी तो पांच मिनट हुई है।

श्री सभापति: वह समय बदल दिया। समय बदल दिया। अब आप सहयोग करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ने किस तरह से इन चुनावों के अंदर अपनी तुष्टिकरण की राजनीति के आधार पर चुनाव जीतकर वाहवाही लूटने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, किस तरीके से राजस्थान के अंदर खाद्य मंत्रीजी, जब यहां थे सम्माननीय रमेश जी मीणा, वह कहते थे कि राजस्थान में हम 100 प्रतिशत लोगों को खाद्य सूची में जोड़ेंगे। पिछले 9 महीने से इनका पोर्टल बंद है। अभी हुड़ला जी कह रहे थे कि पोर्टल बंद है। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे पोर्टल बंद है। हम भी कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार अगर संवेदनशील है तो कम से कम खाद्य सुरक्षा का पोर्टल तो चालू करो ताकि वह गरीब आदमी अपना नाम जुड़वा सके लेकिन वह काम भी आपने

(श्री रामलाल शर्मा)

नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, किस तरीके से राजस्थान की सरकार... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गलत नाम जुड़े हुए हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): गलत नाम जुड़े हुए हैं तो काटो न आप, कौन मना कर रहा है? आप सरकार के अंदर बैठे हुए हो, अहसान कर रहे हो क्या किसी के ऊपर? नाम गलत है तो काटो, कौन मना कर रहा है, लेकिन नियमों में तो आओ।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट। माननीय सभापति महोदय, आपकी भी जुहारी कम हो जाएगी।

इसी सदन के अंदर जब उप मुख्य मंत्री के पास सार्वजनिक निर्माण विभाग था, तो इसी सदन के अंदर घोषणा की थी उन्होंने कि चौमूं से लेकर दूदू तक का मेगा हाईवे का काम शुरू करा देंगे। माननीय सभापति महोदय, दो साल बीत गये, दो महीने नहीं, उसके बावजूद भी आज तक चौमूं से लेकर दूदू मेगा हाईवे का काम शुरू नहीं हो पाया।

माननीय सभापति महोदय, किस तरह से राजस्थान के अंदर परिवहन मंत्रीजी, जब प्रतिपक्ष में थे तो बड़े-बड़े भाषण दिया करते थे, घोषणाएं किया करते थे और उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाया करते थे कि आपने टायर बेच दिया, आपने रिम बेच दी। राजस्थान की सरकार पर मैं सीधा-सीधा आरोप लगा रहा हूं कि +++ ने जितना भ्रष्टाचार राजस्थान के परिवहन विभाग में किया है, शायद ही किसी +++ ने किया होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री आलोक बेनीवाल। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। किसी का नाम लिया है, वह भी अंकित नहीं होगा, प्लीज सहयोग करें। विराजिए, विराजिए। श्री आलोक बेनीवाल।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2021-22 के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद।

(श्री आलोक बेनीवाल)

माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा विधान सभा में जो बजट पेश किया गया, किसान भाइयों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों, वंचित वर्गों, सभी तबकों को ध्यान में रखकर एक शानदार बजट और इस विपरीत परिस्थिति में जो बजट पेश किया गया, उसके लिये मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। पक्ष और विपक्ष की तरफ से माननीय सदस्य बजट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे, लेकिन सम्माननीय विपक्ष के हमारे साथियों से कहना चाहूंगा कि सवा दो साल के कार्यकाल में, मैं जब पहली बार इस सदन में आया हूं, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है या जो हमारा राजस्थान प्रदेश है, हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के द्वारा जो भी बजट पेश किया गया, निश्चित रूप से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत तीव्र गति से हुआ है। जो आरोप लगाये जाते हैं कि ये मात्र घोषणाएं हैं लेकिन मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि जो काम, जो घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में कीं पूर्व में भी और अब वर्तमान में भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से उसका लाभ इस राजस्थान की जनता को भी और शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा। यह मेरा पूर्ण विश्वास है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। गर्ग साहब, विराजिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): पूर्व में जब बी.जे.पी. की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आपको संस्कृति का पोषक कहती है, मैं उनसे भी बहुत ही सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि आपका जो संस्कृत शिक्षा विभाग था, आपने पांच साल में उसके साथ क्या किया? एक भी स्कूल आपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में भी क्रमोन्नत नहीं करी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बोलने दीजिये। आपके लोग भी नहीं बोल पायेंगे, वो भी नहीं बोल पायेंगे। प्लीज आप सहयोग करें, विराजिये आप। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): आपने कोई नई भर्ती करी थी? संस्कृत शिक्षा विभाग में भर्ती करी, करी क्या आपने? संस्कृत शिक्षा विभाग में नहीं करी, आप मालूम कर लेना।

श्री सभापति: आलोक बेनीवाल साहब, आसन की तरफ देखो, आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हो? आप इधर बात करिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं आपसे कहना चाहता हूं, शिक्षा के बारे में बातें कर रहे थे ...(व्यवधान) यह तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग से पूछ लेना कि आपके उस समय कोई नई स्कूल खोली थी क्या?

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज सहयोग करें। आलोक बेनीवाल साहब, बार-बार कहने के बावजूद भी आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हो? आसन की तरफ बात करें आप।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का सदा ही एक नजरिया रहा है कि जब भी सरकार कोई अच्छा बजट पेश करती है और वह आम जनता की भावना के अनुसार पेश करती है तो उसका विरोध करना और उसमें खामियां निकालने का काम करती है लेकिन उसमें जो जनहित की बातें हैं, वो एक भी शब्द सामने रखने में कतराते हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछला जो कोविड काल निकला, हमारे मुख्य मंत्री जी ने, सरकार ने जिस तरह से इस कोविड काल में काम किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कितना लंबा समय वीडियो कान्फ्रेंसिंग के तौर पर माननीय सदस्यों से भी उन्होंने संवाद किया है, शायद ही प्रदेश में कोई वर्ग होगा जिसको उन्होंने छोड़ा होगा, जिनसे संवाद नहीं किया होगा इस कोरोना काल में। इस कोरोना काल में उनका जो संवाद का क्रम रहा है, उसका ही नतीजा है और व्यवस्था का ही नतीजा है कि इस कोरोना की लड़ाई में हम जीत करके निकलकर आज इस स्थिति में आ करके खड़े हुए हैं। (व्यवधान) यह तो आप नहीं निकले, हम तो निकले थे। नहीं, हम तो निकले थे न। (व्यवधान) तो फिर मैं किसी और के लिए कहूंगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी तो निकले तो आप भी नहीं थे।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं करें, बोलने दें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सभापति महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि कोविड काल के अन्दर ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सच बोलो आप।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं झूठ-सच नहीं, सही बोल रहा हूं।

श्री सभापति: आपस में वार्ता नहीं करें, प्लीज सहयोग करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जब कोविड काल का समय शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार को करनी थीं, चाहे वो जांच का मामला था, इस प्रदेश में एक भी जांच यहां नहीं होती थी आज यहां 70 हजार जांचें

(श्री आलोक बेनीवाल)

होने लगीं। इसके अन्दर कोविड काल में वेंटीलेटर की, आक्सीजन की, डाक्टर की, हास्पिटल्स की जो व्यवस्था करने का काम था, जिस युद्ध स्तर पर यह काम किया गया, इसके लिए निश्चित रूप से मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा कि सरकार को धन्यवाद देने का भी काम हो। मुख्य मंत्री जी ने अभी इस बजट में जो जांचों को बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो सी.एच.सी. पर हो, चाहे हास्पिटल लेवल पर हो, चाहे मेडिकल कालेज के लेवल पर हो, निश्चित रूप से वो सराहनीय काम है।

मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं कहूंगा लेकिन विपक्ष के साथियों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है चाहे यह प्रदेश है, आज प्रदेश के अन्दर जो हालात हैं, देश में जो हालात हैं, किसानों की जो स्थिति है, युवाओं की जो स्थिति है, उद्यमियों की जो स्थिति है, आम आदमी की जो स्थिति है उसको माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत भली भांति समझा है और समझने के बाद ही जिस तरह से इस बजट में चाहे हमारे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का काम हो, युवाओं को रोजगार देने का काम हो, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे हमारे खाद्य सुरक्षा का मामला है, जो घायल व्यक्ति है या जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसको पहुंचाने में ले जाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपये की सहायता देने का काम है, कई नई चीजें और कई नये आयाम और कई नई व्यवस्थाएं करने का काम इस बजट में किया है।

आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनमें जो मिलावट का मामला है, उसके लिए एक अलग से विभाग बनाने का काम है, पेयजल की व्यवस्था का काम है।

आज मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कोई बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से होने की आती है तो यह केंद्र सरकार का पैसा है, यह केंद्र सरकार का पैसा है, इसकी बात विपक्ष के लोगबाग बहुत खुले रूप से करने लग जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब यूपी.ए. की सरकार थी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से लगभग 28 सड़कें बनी थीं लेकिन उस समय जो कांग्रेस के लोग थे, आज हम निर्दलीय जीत कर आये हैं लेकिन हमने कभी भी यह नहीं कहा कि यह केंद्र का पैसा है और यह राज्य सरकार का पैसा है। यह जनता का पैसा है और जनता के पैसे से हम जनता के विकास का काम करते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): आज इनके जनप्रतिनिधि उस पर पत्थर लगाने के लिए बहुत लालायित हैं कि जो केंद्र सरकार का पैसा है उसमें हमारा भी नाम लिखाओ। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय भी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें बनी हैं उसमें जो जनप्रतिनिधि थे, खाली उनका ही नाम आज भी लिखा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पानी वाले में आपका पहले जो रेशो था वो 90:10 का रेशो था यू.पी.ए. सरकार के टाइम में, आज आपने उसको 50:50 कर दिया। पहले आप उसको 90:10 तो करो, फिर आना वहां पत्थर लगाने।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने हर चीज के अन्दर अपने रेशो को घटाया है और राज्य सरकार के रेशो को बढ़ाया है। राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक वजन आया है, आप उस वजन को कम करने का काम करो, उसके बाद वाहवाही लूटो तो मैं समझ सकता हूं कि आपने कुछ आगे बढ़कर के राज्य के लिए कोई काम किया है। आज आप प्रतिशत तो घटा रहे हो और वाहवाही ज्यादा लूटना चाह रहे हो, यह कोई बात नहीं है।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। श्री शंकर सिंह।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): सर, मैं दो मिनट लूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, मेरे यहां उप जिला चिकित्सालय बनाने का काम किया है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मेरे यहां नगरपालिका क्षेत्र में जो पेयजल योजना सैंक्शन की है उसका भी धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो मांग मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखित में दूंगा, उस पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर ध्यान देंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगातार विकास का काम चल रहा है और यह जनता जनार्दन है, सब जानती है कि किसने काम किया है और किसने काम नहीं किया है। यह आने वाला समय बताएगा, जनता बताएगी कि काम के अन्दर किसने अपना योगदान दिया।

मैं इतना और कहना चाहता हूं कि जो किसानों के लिए माननीय

(श्री आलोक बेनीवाल)

मुख्य मंत्री जी ने चाहे वह बिजली का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो इसमें प्रावधान रखे हैं, इसमें मंडी टैक्स घटाने का काम भी उन्होंने किया है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर मुख्य मंत्री जी ने राहत देने का काम नहीं किया हो। इसमें 910 करोड़ रुपयों की राहत देने का काम उन्होंने किया है। इतनी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी 910 करोड़ रुपये की राहत आम आदमी को देने का जो काम किया है, वह हर कोई नहीं कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भावना माननीय मुख्य मंत्री जी की है वह विपक्ष के लोग भी समझें।

एक बात और कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में खड़े होकर माननीय प्रतिपक्ष के लोगों को निवेदन किया, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पानी की स्थिति है, वह बहुत ही विपरीत होती जा रही है। पानी उपलब्ध कराना हमारे लिए एक चुनौती हो गई है। यहां विपक्ष के नेता बैठे हैं आदरणीय गुलाब चन्द जी कटारिया, मैं अपनी तरफ से भी आपसे कहना चाहूंगा कि इस ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को सेन्ट्रल गवर्नमेंट टेकअप करे। इसी के साथ इस पर काम शुरू हो जिससे कि पूर्वी क्षेत्र के जो हमारे जिले हैं, उनमें आम आदमी को पानी मिले। किसान को सिंचाई के लिए पानी मिले, तब जाकर के यह क्षेत्र आगे बढ़ने का काम कर पाएगा। मैं आपको यह इसलिए कह रहा हूं कि यह जो कैनाल का मुद्दा है यह आने वाले समय में जन आंदोलन भी बन सकता है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में जहां भी कहीं मीटिंग करता हूं, वहीं मैं जनता के सामने इस बात को रखता हूं।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी नेशनल हाईवे के लिए 20-20, 25-25 हजार करोड़ रुपये दे रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। आप सहयोग करिए।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): क्यों नहीं ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के लिए पैसा दें।

श्री सभापति: विराजिए। सहयोग करें। माननीय सदस्य, सहयोग करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस पर अपना ध्यान केन्द्रित करें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जब बजट भाषण बनाया था, उस समय पूरे राजस्थान के नक़्शे से शायद ब्यावर को उन्होंने गायब कर दिया। ब्यावर भी राजस्थान में ही आता है। वहां कांग्रेस के लोग भी रहते हैं। चुनाव के दौरान मेरे सामने चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी को भी उन्होंने वोट दिए हैं। कम से कम उनका तो ख्याल रख लेते।

यह तीसरा बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। पूरे बजट में एक रुपये की ब्यावर में किसी काम की घोषणा नहीं की। हमें बहुत दुख होता है। कहते हैं कि पूरे राजस्थान में सबका ध्यान रखा है। कोई भी बता दे कि ब्यावर के अंदर यह घोषणा की गई है। ब्यावर के लिए भी कुछ न कुछ घोषणा करते। ब्यावर क्षेत्र की मांगों को लेकर मैंने ब्यावर में धरना दिया। ब्यावर से जयपुर तक महा पदयात्रा की। उस दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने भरोसा दिलाया था कि आपकी मांगें बिलकुल जायज हैं। जनहित से जुड़ी हुई हैं। उन पर विचार किया जाएगा। अगर राजस्थान में एक भी कोई जिला बनेगा तो उसमें पहला नाम ब्यावर का होगा। हम तो कल बजट सुन रहे थे कि ब्यावर का भी नाम आएगा लेकिन कहीं चर्चा तक नहीं की। कई सदस्य हमारे बोलने वाले भी थे कि हमारा भी जिला बनाया जाए। पीछे से भी आवाज आ रही थी लेकिन किसी भी जिले का नाम नहीं लिया। यह बहुत बड़े दु:ख की बात है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस पर ध्यान देना चाहिए। वह जब भी रिप्लाई दें तब कहें।

आपने राजस्थान में ग्राम पंचायतों को बढ़ाया है। हर जगह पर ग्राम पंचायतें बढ़ी हैं। नगर परिषदें भी बढ़ी हैं। नगरपालिकाएं बढ़ी हैं। तहसीलें बढ़ी

(श्री शंकर सिंह रावत)

हैं। उपखंड अधिकारी कार्यालय बढ़े हैं। फिर जिले क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? इसमें क्या कारण हो गया है? कांग्रेस का बजट घोषणा पत्र है, उसमें भी पैरा में जिले बनाने के लिए लिखा गया है। राजस्थान में आप जिले बनाने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब जिले बनाएं तो ब्यावर की भी घोषणा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

आय-व्ययक

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय उस समय में केन्द्रीय कपड़ा मंत्री थे और 1992 में हमारे यहां पानी के लिए लाठीचार्ज हुआ था, उसमें काफी लोग घायल हुए थे। उसमें पत्रकार भी घायल हुए थे, उनको संभालने के लिए मुख्य मंत्री महोदय ब्यावर आए थे। अस्पताल के अंदर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि यह भाजपा की सरकार है और इन्होंने इन निर्दोषों पर लाठीचार्ज किया है। इनकी मांग भी वाजिब थी। पानी की मांग है। इनकी जिले की भी मांग है। निश्चित रूप से ब्यावर को जिला बनाने की मांग वर्षों से चल रही है। यह मुझे भी पता है। मैं जोधपुर से इधर निकलता हूं तो मुझे भी यह बात पता है। हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से ब्यावर को जिला बनाऊंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस समय यह बात कही थी। माननीय सभापति महोदय, मैं उनको याद दिलाना

(श्री शंकर सिंह रावत)

चाहता हूं कि आपकी सरकार एक बार नहीं, 3-3 बार आ गई है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय अब तो कम से कम ध्यान करना चाहिए। आप गांधीवादी हैं। कभी असत्य बोलते ही नहीं हैं। आपकी कृपा सबके ऊपर है, फिर हमारे ऊपर इस प्रकार का कहर क्यों है? ब्यावर को जिला बनाने की बात आपको पूरी करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मेरी पंचायत समिति जवाजा में नरेगा मजदूरों में सरपंचों से सरकार का झगड़ा पैदा कर दिया है। वहां पर जो नरेगा मजदूर लगते हैं, वह ग्राम पंचायतों के द्वारा लगते हैं। उनको 60 रुपया मजदूरी मिलती है और ज्यादा से ज्यादा 70 रुपये मिलती है। वहां पर एक मजदूर-किसान शक्ति संगठन बना हुआ है। उस संगठन के नाम से जो भी मजदूरी पर लगाएंगे उनकी 200 रुपये की रेट आती है। यह एक म्यान में 2 तलवार जैसे है। एक राजस्थान में 2 कानून कैसे हैं? नरेगा की मजदूरी सभी की बराबर होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि इस प्रकार का दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? वह सरपंच भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं? उनको नरेगा के अंदर मजदूर लगाने का और पेमेंट करने का अधिकार दिया हुआ है। सरकार इस प्रकार से पेमेंट कैसे पास कर रही है? कलेक्टर को इस पर निश्चित रूप से कार्यवाही करके इनसे पूछना चाहिए कि इस प्रकार के दोहरे मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं? मजदूरों की 60-70 रुपये मजदूरी आती है और जो संगठन के द्वारा लगाए जाते हैं उसकी 200 रुपये मजदूरी आती है। एक ही ग्राम के अंदर, एक ग्राम पंचायत के अंदर दोहरे मापदंड हो रहे हैं। इस पर भी निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार आपने आंगनबाड़ी के लिए घोषणा की है, निश्चित रूप से आंगनबाड़ी के केन्द्र खुलने चाहिए। कोरोनाकाल में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सबसे अच्छा कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को भी आपकी उपलब्धि दी है लेकिन उनका वेतन तो कम से कम बढ़ाते, उनकी तरफ कोई ध्यान देते।

माननीय सभापति महोदय, अभी आपने आबकारी नीति बनाई है। पहले भी आपने आबकारी नीति बनाकर गांव-गांव में और सभी जगह शराब की दुकानें खोलने का काम किया था। गांव-गांव और हर गली में खोली हैं।

(श्री शंकर सिंह रावत)

अभी जिस प्रकार आपने बजट के पैरा संख्या 279 के ऊपर स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागृति अभियान और उसमें 5 करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें आप शराब बंद करने के लिए अभियान चलाओगे या किस पर खर्च करोगे, यह समझ से परे है। स्वर्गीय गुरुचरण जी छाबड़ा ने तो इसके विरुद्ध अभियान चलाया था। वह इससे चले भी गए थे। उन्होंने सिर्फ शराब बंदी के लिए प्राण त्याग दिए थे। क्या उसको प्रोत्साहन देने के लिए शराब बंदी की तरफ आपका कदम बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? इसके ऊपर भी आपको बताना चाहिए। निश्चित रूप से शराब बंदी होनी चाहिए।

(18.00 बजे)

वन विभाग के अंदर जिस तरह आप कह रहे हो कि अच्छा काम हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से उसका जीता जागता उदाहरण बताना चाहता हूं कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में जो वन्य अभयारण्य है, उसमें जो अधिकारी लगे हुए हैं, उनकी मिलीभगत से और किस प्रकार की यह कटाई हो रही है उसके मेरे पास पूरे के पूरे आंकड़े हैं और वन विभाग की कटाई में बाड़ खेत को खा रही है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार आरी से खेर की लकड़ी की कटाई हो रही है, खेर की लकड़ी बहुत महंगी जा रही है। आज भी इनकी मिलीभगत से गोरखधंधा चल रहा है। आज भी भीम थाना के अंदर खेर की लकड़ी से भरा हुआ ट्रक खड़ा है, उस ट्रक का नम्बर आरजे 06 जीबी 3484 है, वह खेर की लकड़ी से भरा हुआ है। यह कितने टाइम से गोरखधंधा चल रहा है, इसमें कौन-कौनसे अधिकारी मिलीभगत कर रहे हैं? हम वन की रक्षा कर रहे हैं? किसी गांव वाले की बकरी वन में चली जाएगी तो हम बिना चालान के नहीं छोड़ेंगे उसको, पूरे पैसे उससे वसूल करेंगे, बकरी की कीमत वसूल कर लेंगे लेकिन ये अधिकारी जो वहां पर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर सरकार मौन क्यों है? मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि अंधाधुंध कटाई हो रही है उस अधिकारी जो वहां पर रेंज का लगा हुआ है, +++ उसको ट्रांसफर करवाया, ट्रांसफर होने के बाद में मंत्री की मिलीभगत से कोर्ट से स्टे ले आया।

श्री सभापति: किसी का नाम अंकित नहीं होगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): और वह निश्चित तौर पर स्टे ले आया कोर्ट से और कोर्ट से स्टे लाने के बाद में वह धड़ल्ले से वहां धंधा कर रहा है और ट्रकों की ट्रकें हमारे वहां वन की कटाई हो रही है, उसकी रक्षा करने के

(श्री शंकर सिंह रावत)

लिए निश्चित तौर पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं पूरे प्रूफ के साथ में यह टेबल करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, साथ में मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार सरकार कह रही है कि हमारा बजट घाटे का सौदा है, जिस प्रकार हमारे इंदिरा नगर में, नगर परिषद् के वार्ड नम्बर 57 में वन क्षेत्र की भूमि है, दिनांक 05.08.1981 को तत्कालीन उपखंड अधिकारी, आईएएस अधिकारी अरविंद मायाराम ने 71 एससी, एसटी के लोगों को पट्टे दिए थे लेकिन वह वन भूमि थी। वन भूमि के ऊपर वर्तमान में 300 घर बसे हुए हैं और वह सिटी के अंदर आ चुके हैं लेकिन उन एससी, एसटी के लोगों को किसी प्रकार का वहां पर लोन नहीं मिल पाता है, उनको पट्टा नहीं मिल पाता है, उनके विस्तार के लिए किसी प्रकार की उस पर कार्यवाही नहीं हो पाती है। इसके ऊपर भी ध्यान देकर क्योंकि वहां पर वन क्षेत्र तो है नहीं, पूरे चारों तरफ कालोनियां कट चुकी हैं और लोग बसे हुए हैं उनको निश्चित तौर पर सरकार को कोई रास्ता निकाल कर उनको पट्टे दिलाना चाहिए। वे एससी, एसटी के लोग हैं, उनको निश्चित तौर पर ये पट्टे देना चाहिए। आज भी वहां पर कई प्रकार के धरने चल रहे हैं।

मैं तो यह निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के अंदर जिस प्रकार का आपने पहले भी बजट पेश किया था 1 लाख 47 हजार 980 करोड़ 19 लाख रुपये का, उसमें सरकार का व्यय है 1 लाख 89 हजार 710 करोड़ 80 लाख रुपये, राजस्व घाटा आया आपका 41 हजार 721 करोड़ 61 लाख रुपये का, अभी वर्तमान में जो पेश किया है उसमें 1 लाख 84 हजार 330 करोड़ 13 लाख रुपये, राजस्व व्यय हुआ है 2 लाख 8 हजार 80 करोड़ 17 लाख, अब उसमें घाटा जो बताया है, 23 लाख 750 करोड़ 4 लाख रुपये। आपका बजट जा कहां रहा है, किस जगह पर खर्च हो रहा है, यह तो कम से कम हम लोगों को भी बता देना चाहिए कि सच्चाई क्या है, विकास नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। ये 2 साल के अंदर पहली बार इन्होंने सड़कों के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ का काम करेंगे, इसका पाप नहीं लगे अन्यथा किसी प्रकार का कहीं अगर क्षेत्र में विकास नाम की कोई चीज की हो तो बताएं, हम सभी याद करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने जितनी घोषणाएं और जितनी योजनाएं चालू की थीं, उन सबको बंद करके, अभी आप इन पर लगाम लगाने का काम

(श्री शंकर सिंह रावत)

करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है, विपक्ष के लोग सिर्फ एक ही बात के ऊपर पता नहीं एक झुनझुना उनके हाथ में आया हुआ है जब कोई खड़े होकर अपनी बात, बजट की बात कहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोदीजी को आपने टार्गेट बना रखा है। आपकी समस्या मैं समझता हूं, विपक्ष की असली समस्या मोदीजी नहीं हैं, लेकिन मोदीजी के कारण करोड़ों देशवासियों के अंदर उपजा राष्ट्रवाद है इसलिए आप परेशान हैं। निश्चित तौर पर आपको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और आप परेशान नहीं हों, निश्चित तौर पर आप मोदीजी का साथ दें। देश के अंदर जितना कार्य मोदीजी ने किया है, उतना कार्य आपकी सरकार कर लेती तो आज मोदीजी बरसों पहले आ जाते तो हमारे को रफाल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, हम बेचने के लिए तैयार होते, ऐसा निवेदन है। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अविनाश गहलोत।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: आभार आप राठौड़ साहब का व्यक्त करो।

श्री अविनाश (जैतारण): आप पांच मिनट ज्यादा दे देना।

माननीय सभापति महोदय, आज सृष्टि के रचयिता भगवान विश्वकर्माजी की जयंती है, मैं पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को इस अवसर पर शुभकामना देता हूं। इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस प्रकार से घोषणाओं का अम्बार लगाया है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आपने तीन बड़ी घोषणाएं की हैं। पिछले बजट के अंदर भी आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय पीजी महाविद्यालय में साइंस फैकल्टी और साथ में राजकीय चिकित्सालय, जैतारण के अंदर सीएचसी जो 50 बैड का था, उसको 100 बैड में क्रमोन्नति की घोषणा की, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज दिन तक यह मात्र घोषणाएं ही बनकर रह गईं और इनकी वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने के कारण, पिछले दिनों मेरे कालेज के अंदर सरकार की तरफ से टीम आई और उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, जिसके कारण उन्होंने क्लासें तो सैंक्शन कर दीं, लेकिन बजट के अभाव में न वहां टीचर हैं, न वहां प्रोफेसर हैं और यहां तक कि उस कालेज में प्राचार्य की पोस्ट भी वैकेंट है, इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि पिछले वर्ष जो आपने बजट घोषणाएं कीं,

(श्री अविनाश)

इस राजकीय चिकित्सालय की 100 बैड की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। उसके अलावा जो साइंस फैकल्टी के लिए आपने कहा, उसके लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें। इस बार आपने जैतारण में उप जिला परिवहन कार्यालय की घोषणा की तो साथ में आनंदपुर कालू, जो एक बड़ा कस्बा है उसको उप तहसील बनाने की घोषणा की। जिले की सबसे खराब सड़क, जो पिछले वर्ष भी पाली जिले की सबसे खराब सड़क थी, उसकी डिमांड की थी, लेकिन एक वर्ष बाद आपने इस पर संज्ञान लेते हुए सड़क की घोषणा की, मैं चाहूंगा कि इस सड़क को आप कम से कम सात मीटर चौड़ा बनाएं, उसका तखमीना मैंने पिछले डेढ़ साल से आपके विभाग के अधिकारियों को दिया, माननीय मंत्रीजी को दिया, लगभग 14 करोड़ की लागत आएगी उसके ऊपर क्योंकि इस सड़क से चलने वाले वाहन न्यूको सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो सीमेंट का बहुत बड़ा प्लांट है, उसके ओवरलोड वाहन चलते हैं, उसकी वजह से डैमेज हो जाती है। अगर उसको आज डबल लेन में बनाएंगे तो यह आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी।

जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के दो साल के कार्यकाल को अगर हम देखेंगे तो मैं विशेष रूप से बात नहीं करके अपने जैतारण विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं की तरफ माननीय मुख्य मंत्रीजी का और राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक विशेष बात, हमारा राजस्थान एक कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में जाना जाता है और यहां जो अंग्रेजी बबूल के पेड़ और झाड़ियां हैं, ये इतनी मात्रा में हैं कि यहां पशुओं के लिए चारा चरने की चरागाह की जो जमीन है वह बंजर हो जाती है। घास पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा, इन सारी समस्याओं को देखते हुए आप लोग अंग्रेजी बबूल को जड़ से निकालने का एक ऐसा प्रस्ताव विधान सभा के माध्यम से पारित करें, राज्य सरकार ऐसा कानून बनाये, जिससे पीने के पानी की समस्या भी खतम हो, मवेशियों के चरने की व्यवस्था भी हो।

इसके साथ में जवाई जल परियोजना जो पिछली सरकार के समय 315 करोड़ की स्वीकृत थी, आज सरकार के सवा दो साल होने को हैं, लेकिन आज वह परियोजना भी बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। इसके कारण जैतारण में पानी की कमी है और इसका प्रमुख कारण है कि पिछली बार आपने जवाई पुनर्भरण के लिए सौ करोड़ की घोषणा तो कर दी, लेकिन

(श्री अविनाश)

वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के अभाव में जवाई बांध जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, जिससे पाली, जालौर और सिरोही तीनों जिले लाभान्वित होते हैं, लेकिन आज दिन तक वह बरसात के मौसम में पूरा भरा नहीं जाता और चूंकि मेरा जैतारण टेल एण्ड पर है, यहां के 125 गांव इससे लाभान्वित होते हैं, लेकिन इतना समय निकल जाने पर भी मात्र 25 से 30 गांव इससे जुड़े हैं। लगभग 100 गांवों को जोड़ना अभी बाकी है। जब तक जवाई पुनर्भरण की स्कीम लागू नहीं होगी तब तक जैतारण क्षेत्र के गांवों को पानी मिलना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा जैतारण शहर में पिछली सरकार के समय में सवा चार करोड़ रुपये की शहरी परियोजना मंजूर हुई थी। अब उसका भी दो साल बीतने के बाद धीमी गति से काम चल रहा है। माननीय मंत्री जी यहां विराजे हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसको बजट प्रदान कर उस कार्य को रफ्तार प्रदान करें ताकि जैतारण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से हो सके।

आपने इस बजट में कई पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करने का आश्वासन दिया, मैं चाहूंगा कि मेरे जैतारण में भी ग्राम पंचायत काणुजा आनन्दपुर कालू और बर जैसे जो बड़े कस्बे हैं, उन्हें भी पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत करने की घोषणा करवाएं और साथ में जो सब-सैंटर हैं- सैनोदा, कोट किराना, देवरिया, पाटवा, इन्हें आने वाले समय में पीएचसी में क्रमोन्नत करें।

उसके अलावा मेरा एक प्रपोजल माननीय मुख्य मंत्री जी एवं राज्य सरकार को दिया हुआ है खेल अकादमी का। आपने खेल के बारे में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के बारे में भी कहा, मैं चाहूंगा कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से एक 8 करोड रुपये की लागत की, मैं पिछले डेढ़ साल से प्रयास कर रहा हूं कि जैतारण जो कि एक स्पोर्ट्स हब के रूप में जाना जाता है, वहां एक शानदार स्टेडियम बने हाकी का मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, जिसकी लागत 8 करोड़ है, पूरा तखमीना राज्य सरकार को दिया हुआ है। बार-बार मेरा निवेदन रहेगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब भी रिप्लाई करें तो जैतारण में एक खेल अकादमी की घोषणा करें।

इसके अलावा मेंरे जैतारण में चार बड़े सीमेंट के उद्योग हैं। उसके साथ में अनेक स्टोन क्रेशर हैं, ईंट-भट्टे हैं और इतनी मात्रा में उद्योग होने के कारण आज पूरे पाली जिले का सबसे ज्यादा रेवेन्यू, लगभग 75 प्रतिशत रेवेन्यू मेरे जैतारण से जाता है, लेकिन दो वर्ष बीत जाने के बाद में पाली में डीएमएफटी की एक भी बैठक नहीं हुई और इसके विकास का पैसा जो कि

(श्री अविनाश)

जैतारण का अधिकार है, वह मिलना चाहिए, दो सालों में एक रुपया भी विकास में नहीं लगा है। मैं चाहूंगा कि सरकार डीएमएफटी की बैठक बुलाये और जैतारण को उसके विकास का पैसा दिलवाने की कृपा करे।

सोजत के करीब में एक उप-खनिज सहायक अभियंता कार्यालय है, वह भी जैतारण में खोलने की कृपा करें, क्योंकि यहां नदियां बहुत अधिक मात्रा में हैं। वहां अवैध खनन होता है और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब एक गांव का व्यक्ति ट्रैक्टर में बजरी लेकर जाता है अपने घर के लिए, उसे पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस वालों की मिलीभगत से आज भी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड डम्पर जाते हैं जिससे पीडब्ल्यूडी की रोड्स खराब होती हैं, पीने के पानी का स्तर नीचे जाता है और आये दिन वहां झगड़े होते हैं, फायरिंग की घटनाएं भी पहले जैतारण क्षेत्र में हो चुकी हैं, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि खनिज कार्यालय जैतारण में खोला जाए।

इसके साथ ही जैतारण में एक उप-पंजीयन कार्यालय की भी मांग बहुत समय से की जा रही है, मैं चाहूंगा कि उसकी भी स्वीकृति प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, सैटलमेंट के बाद में, एक रायपुर पंचायत समिति मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के मगरा की एक ऐसी पंचायत समिति है जहां की ग्राम पंचायत के लोग पहाड़ों पर निवास करते हैं, सरकारी जमीनों पर उनके मकान बने हुए हैं, एक-डेढ़ बीघा में जो बड़ा काश्तकार माना जाता है, उसकी कृषि योग्य जमीन है, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार एक ऐसा कानून बनाये, एक ऐसी कमेटी बनाये, जिसका मैं भी मैम्बर रहूं और उन्हें खातेदारी अधिकार प्रदान करे और जहां उनके मकान बने हुए हैं, राज्य सरकार उन्हें पट्टे जारी कर मगरा क्षेत्र में अनेक भाई जो निवास करते हैं, उन्हें राहत प्रदान करें।

आपने इस बजट में टाउन हाल की भी घोषणा की, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैतारण में भी एक मेन मार्केट में क्लब के नाम से बहुत बड़ी जगह है, उसमें टाउन हाल की स्वीकृति अगर आप दे देंगे तो निश्चित रूप से आपका यह बहुत बड़ा काम जैतारण के लिए हो जाएगा।

आपने पर्यटन की दृष्टि से भी इस बजट में बहुत काम दिये, लेकिन मैंने पहले बजट में भी आपसे निवेदन किया कि मकरमण्डी माताजी का मंदिर जो इतिहास की दृष्टि से बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है निमाज में, उसके अलावा मीणा फोर्ट कुड़की के अंदर है, इनका जीर्णोद्धार अगर करवाने का काम आप करेंगे तो यह भी जैतारण क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम होगा।

(श्री अविनाश)

माननीय सभापति महोदय, जैतारण की स्थापना जिस जैती गुर्जरी के नाम से हुई है..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): सर दो मिनट। जिस जैती गुर्जरी के नाम से जैतारण की स्थापना हुई, राजस्थान सरकार अलग-अलग जगहों पर शहीद स्मारक बना रही है, कई और विभिन्न चौराहों के नाम दे रही है तो मैं चाहूंगा कि जैती गुर्जरी के नाम से भी माननीय मुख्य मंत्री जब अपने बजट में रिप्लाई करें तो एक बहुत बड़ा स्मारक जैतारण में बने।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जैतारण में एससी-एसटी और पोक्सो कोर्ट की ब्रांच खुले, क्योंकि जिला मुख्यालय पाली जो लगभग 100-110 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां आने-जाने के लिए बहुत परेशानी होती है, अपराधियों को ले जाने में परेशानी होती है और जितना पैसा लगता है, अगर जैतारण में सप्ताह के तीन दिन के लिए भी कोर्ट कैम्प खुल जाएगा तो यह बहुत बड़ी सौगात रहेगी।

इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात जो इसी राज्य सरकार की है, एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए देवनारायण आवासीय योजना के अंतर्गत 28 करोड़ रुपये की लागत से मेरे जैतारण क्षेत्र में एक आवासीय योजना के तहत छात्रावास का निर्माण होना था, जिसको पाल्यावास जो कि एक गुर्जर बहुल इलाका है, गुर्जर, रैबारी, राइका, देवासी ये जो इस समुदाय में आते हैं, 28 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत हो रखा है, लेकिन राज्य सरकार किसी कारण से उसकी जगह परिवर्तित करना चाह रही है...

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): मेरा सरकार से निवेदन है कि उसकी जगह पाल्यावास जो कि पूर्व में निश्चित हो रखी है, वहीं पर वह स्वीकृति प्रदान करे और आने वाले समय में एमबीसी वर्ग का जो सरकार के साथ में समझौता हो रखा है, उसे वहीं स्थापित करे ताकि आने वाले समय में इसका लाभ भी जैतारण को मिले।

जैतारण क्षेत्र में रोडवेज की बसें नहीं आ रही हैं। हाई-वे पर स्थित होने के बावजूद वहां बसें नहीं आ रही हैं। मैं माननीय परिवहन मंत्री से निवेदन करूंगा कि बार-बार कहने के बावजूद भी रोडवेज बसें जैतारण में नहीं आती हैं। उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दें।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। प्लीज सहयोग करें।

श्री अविनाश (जैतारण): जो दस नयी पंचायतें बनी हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में, उनके रहने के लिए, उनके काम करने के लिए न स्कूल है, न पटवार भवन है, न अटल सेवा केन्द्र है। इन दस पंचायतों में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की तरह ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बारहवीं तक की स्कूल की स्वीकृति इस राज्य सरकार के माध्यम से हो, ऐसा मेरा निवेदन रहेगा।

इसके अलावा सफाईकर्मी और जो राज्य सरकार के आदेश हैं, उन्हें मूल पदों पर कार्य करने के लिए आपकी भर्ती तो सफाईकर्मियों के लिए होती है, लेकिन अपने चहेते लोगों को, वहां जब वाल्मीकि समाज के लोगों का अधिकार बनता है...

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। अंकित नहीं होगा। श्री प्रशान्त बैरवा।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए अब आप।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बजट 2021-22 के लिए बोलने का मौका दिया।

"जीते होंगे किसी ने देश तो क्या,
हमने तो दिलों को जीता है।।"

माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक ऐसा बजट पेश किया है जो मैं समझता हूं सभी को ध्यान में रखते हुए पेश हुआ है। चाहे वह किसान हो गरीब हो, मजदूर हो, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, बच्चे हों, एससी-एसटी के लोग हों, ओबीसी के लोग हों, माइनोरिटी के लोग हों, सबके लिए कुछ न कुछ दिया है। एक सबसे अच्छी बात जो लगी, वह यह कि कहीं पर भी टैक्स को बढ़ाया नहीं गया है सरकार द्वारा। कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं की गयी। आपको मालूम है, कोविड के अंदर तो 28 परसेंट डेफिसिट राजस्थान सरकार का रहा है, उसके बावजूद इतना अच्छा बजट पेश किया है।

कोरोना काल में व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने हर एक विधायक से बात की। हमने भी बहुत अच्छे तरीके से अपने एरिया में काम किया। गरीब तक खाना पहुंचाया, सामग्री पहुंचायी। हमारे निवाई की बात करूं तो वहां पर बीजेपी के लोग चार पूड़ियां बांट रहे थे और आठ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, बड़ी बुरी हालत थी, मगर हमने किसी ने भी खुद ने कभी कोई फोटो नहीं खिंचायी। चाहे पटवारी हो, चाहे शहर के अंदर वालंटियर्स हों, उन्होंने

(श्री प्रशान्त बैरवा)

जाकर खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं समझता हूं माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी मुख्य मंत्री जी की बड़ाई की।

इस तरह से जो बजट दिया है, चाहे वह एजुकेशन की बात हो, चाहे हैल्थ की बात हो, सभी डिपार्टमेंट्स में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट दिया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि पहले भी काफी लोगों ने बोल दिया है। मैं सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए बोलना चाहूंगा। बीजेपी वाले कह रहे थे कि पिछली बार जो बजट हुआ, उसमें कोई काम नहीं किया गया। मेरे यहां तो खूब काम हुआ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने नवीन महाविद्यालय, पीपलू खोला, वहां डिप्टी आफिस खोला, 12 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि का संकाय जोड़ा और नयी पंचायत समिति बनायी। झिलाय जो मेरा गांव है, वहां पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया। इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल पीपलू में खोला। राजकीय महाविद्यालय निवाई में इंग्लिश का सब्जैक्ट जोड़ा।

बिजली मेरे यहां पर दिन में देना शुरू कराई और आज तक का रिकार्ड है कि दो साल के अन्दर एक भी मृत्यु करंट से चिपकने से मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं हुई है और यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चों के लिए स्टेडियम दिया है। अब मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एडीजे कोर्ट की थोड़ी-सी समस्या है क्योंकि 45 किलोमीटर दूर टोंक जाना पड़ता है तो अगर निवाई में खुल जाए तो माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद रहेगा। पीपलू जो कि छोटा है वहां पर मैं चाहूंगा कि मुन्सिफ कोर्ट खुले।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में फागी, राणोली, कठमाणा, पीपलू, नाथड़ी, गहलोद, टोंक तक स्टेट हाईवे की मैं मांग करता हूं। मैंने लास्ट बजट में भी कहा था और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में इसको सैंक्शन मिल जाएगी और एमडीआर की सड़क भी घोषित की जाए। बोरखंडी के अन्दर मैंने 33 केवी जीएसएस की स्थापना के लिए निवेदन किया था और उम्मीद है कि माननीय मुख्य मंत्री जी वह भी प्रदान करेंगे। निवाई के अन्दर, क्योंकि काफी बड़ा कस्बा है और सड़कों का काम काफी ज्यादा होना है तो मैं चाहता हूं कि एक्स.ईएन. आफिस निवाई में भी खुले।

इसके अलावा निवाई में मुख्य समस्या पानी की रहती है। ईसरदा डैम बनने के कगार पर है और आई थिंक, एक साल में निर्माण भी पूरा हो जाएगा तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से डिमाण्ड करूंगा, जिसका बीजेपी के सारे

(श्री प्रशान्त बैरवा)

नेताओं से भी जिक्र किया था, माननीय प्रधान मंत्री जी से चम्बल प्रोजेक्ट से राजस्थान को लाभान्वित करें तो इसके लिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ईसरदा का पानी निवाई को मिले।

पूर्व बजट में भी जो घोषणाएं हुई थीं उनमें थोड़ा-सा बजट का अभाव है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी क्रियान्विति भी जल्दी हो। कालेज की बिल्डिंग बने और ट्रोमा हास्पिटल और 75 बैड के हास्पिटल की जो घोषणा की थी वह भी पूरी हो।

मेरे यहां झिलाय में कृषि महाविद्यालय खुले, इसकी मैं कामना करता हूं। अभी काफी सारी घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने की हैं उनके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

खींवसर में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने की घटना

श्री पुखराज (भोपालगढ़): मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के जरिये सदन को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि नागौर जिले के खींवसर थाने के अन्दर बिरलोखा गांव है वहां पर कल शाम को एक दलित....

श्री सभापति: किस पर बोल रहे हैं आप?

श्री पुखराज (भोपालगढ़): वहां दलित परिवार की एक बारात आई हुई थी।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, खींवसर विधान सभा क्षेत्र के बिरलोखा गांव में कल रात 8:30 बजे एक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। 22 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होना सरकार की असंवेदनशीलता की श्रेणी में आता है। माननीय मंत्री जी भी बैठे हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पिछली बार भी जब माननीय मुख्य मंत्री जी बजट पेश कर रहे थे, तब मेरे विधान सभा क्षेत्र के करणू के अन्दर बहुत बड़ा मामला हुआ दलित युवक के साथ। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले में मंत्री जी त्वरित कार्यवाही भी करें और सदन को अवगत भी करायें। सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाये क्योंकि सिर्फ बातों से एससी, एसटी और ओबीसी का भला नहीं होना चाहिए इसलिए ऐसा कोई ठोस कानून बने ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, इसमें सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, यह हमारी भी मांग है क्योंकि आये दिन राजस्थान भर में ऐसी घटनाएं होती हैं।

श्री सभापति: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 01 मार्च 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.24 बजे सोमवार, दिनांक 01 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा में नवाचार वन स्टाप शॉप योजना का क्रियान्वयन

81. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वन स्टाप शॉप सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है? यदि हां, तो उक्त के अन्तर्गत जिला भीलवाड़ा के कितने उद्यमियों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नवाचार की क्रियान्विति के प्रथम चरण में 14 विभागों के अधिकारियों को 98 तरह की स्वीकृतियां देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त जिले में वन स्टाप शॉप उद्योग नवाचार में किस-किस अधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अभियान की सफलता के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में वन स्टाप शॉप सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है। वन स्टाप शॉप प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.12.2020 को ऑनलाइन पोर्टल "राज निवेश" का उद्घाटन किया गया था।

इस पोर्टल पर जिला भीलवाड़ा से सम्बन्धित निम्न निवेश प्रस्ताव की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्राप्त हुई है:-

सुपर गोल्ड सूटिंग प्रा. लि. द्वारा जिला भीलवाड़ा में डेनिम फैब्रिक्स की उत्पादन इकाई (विस्तार परियोजना) हेतु रिप्स-2019 में स्टैम्प ड्यूटी एवं कन्वर्जन चार्जेज में छूट के लिये दिनांक 08.02.2021 को आवेदन किया गया, जिसका निस्तारण किया जा चुका है।

(2) जी हां। वन स्टाप शॉप प्रणाली के प्रथम चरण में 14 विभागों के अधिकारियों को बी.आई.पी. में पार्ट टाइम बेसिस पर उनके संबंधित विभाग की स्वीकृतियां देने के लिए लगाया गया है। आदेश दिनांक 01.12.2020 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

यह आदेश राज्य स्तर पर प्रभावी है, जिलेवार नहीं है।

(उद्योग मंत्री)

(3) वन स्टाप शॉप प्रणाली की सफलता के लिये राज्य सरकार द्वारा निम्न कदम उठाये गये हैं:-

1. राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) अधिनियम 2020 दिनांक 16.09.2020 को अधिसूचित किया जा चुका है।
2. बोर्ड आफ इन्वेस्टमेन्ट के गठन हेतु दिनांक 03.11.2020 को आदेश जारी किया जा चुका है।
3. संशोधित अधिनियम के अनुसार नियमों में संशोधन हेतु दिनांक 26.11.2020 को नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है।
4. वन स्टाप शॉप प्रणाली के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य प्रगति पर है।
5. संबंधित 14 विभागों के अधिकारियों की सेवाओं को बी.आई.पी. में पार्ट टाइम बेसिस पर प्रदान करने हेतु दिनांक 01.12.2020 को आदेश जारी किया जा चुका है।
6. वन स्टाप शॉप के लिये आनलाइन पोर्टल राज निवेश का उद्घाटन दिनांक 18.12.2020 को किया जा चुका है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

पचपदरा में वंचित आबादी क्षेत्रों में नए आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

90. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालकों के कल्याण हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के वंचित आबादी क्षेत्रों में नए आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन दो विभाग संचालित हैं जो क्रमश: महिला अधिकारिता एवं समेकित बाल विकास सेवाएं है।

महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान, सशक्तीकरण, स्वावलम्बन, शिक्षण, कौशल, सामर्थ्य एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा गर्भवती, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ एवं रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-'अ' में ही समाहित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा सहित प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है। भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पाली की टैक्सटाइल्स औद्योगिक इकाइयों को विशेष पैकेज

82. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली के टैक्सटाइल्स औद्योगिक इकाइयों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में किस-किस टैक्सटाइल्स इकाई में स्थापित कौन-कौनसी मशीनों या उत्पादन संयंत्र को सीज किया हुआ है? वर्तमान में उक्त इकाइयों को कितनी-कितनी क्षमता से संचालित करने की स्वीकृति दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पाली में सीज मशीनों एवं पूर्ण क्षमता से इकाई संचालित करने की स्वीकृति देने पर रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर सृजित होना संभावित है?

(4) क्या सरकार पाली के टैक्सटाइल्स उद्योग हेतु कोई विशेष पैकेज देकर उक्त को बढ़ावा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या-क्या पैकेज व नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली के टैक्सटाइल औद्योगिक इकाइयों में निम्नानुसार अनुमानित रोजगार प्राप्त हैः

प्रत्यक्ष- 26266

अप्रत्यक्ष- 35000

(2) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वर्तमान में टैक्सटाइल इकाइयों में स्थापित मशीनों या उत्पादन संयंत्र को सीज नहीं किया गया है। चूंकि मशीनों को सीज नहीं किया गया है, अतः इन उद्योगों की संचालन क्षमता की स्वीकृति पर कोई असर नहीं पड़ा है।

(3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वर्तमान में टैक्सटाइल इकाइयों में स्थापित मशीनों या उत्पादन संयंत्र को सीज नहीं किया गया है। चूंकि मशीनों को सीज नहीं किया गया है, अतः इन उद्योगों की संचालन क्षमता एवं रोजगार के अवसर प्रभावित नहीं हुए हैं।

(उद्योग मंत्री)

(4) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 में टैक्सटाइल सेक्टर को विशेष क्षेत्र (थ्रस्ट सेक्टर) घोषित किया गया है एवं पात्र उद्यमों को सामान्य परिलाभों के अतिरिक्त निम्न विशेष परिलाभ देय हैं:-

(1) टैक्सटाइल व वस्त्र निर्माण उद्योगों द्वारा निर्मित किये जाने वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेड.एल.डी.) आधारित ई.टी.पी. पर प्लांट की लागत का 20 प्रतिशत, अधिकतम 2 करोड़ रुपये तक का पूँजी अनुदान।

(2) 7 प्रतिशत तक ब्याज अनुदानः

(अ) वित्तीय संस्था अथवा बैंक से प्लांट एवं मशीनरी पर लिए गये ऋण पर देय ब्याज पर 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान- 5 वर्ष हेतु।

(ब) 25 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की स्थिति में वित्तीय संस्था अथवा बैंक से प्लांट एवं मशीनरी पर लिए गये ऋण पर देय ब्याज पर 6 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान- 5 वर्ष हेतु।

(स) टैक्नीकल टैक्सटाइल, एपेरल, खादी एवं हैण्डलूम सेक्टर हेतु वित्तीय संस्था अथवा बैंक से प्लांट एवं मशीनरी पर लिए गये ऋण पर देय ब्याज पर 7 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान- 5 वर्ष हेतु।

3. प्लांट एवं मशीनरी में निवेश का 25 प्रतिशत अधिकतम 50 लाख रुपये तक का पूंजी अनुदान।

नोटः- पात्र उद्यमों द्वारा बिन्दु सं. 2 व 3 में से कोई भी एक बिन्दु का परिलाभ लिया जा सकता है।

बाखासर (बाड़मेर) क्षेत्र में नमक उद्योग के लम्बित प्रकरण

83. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में पचपदरा एवं बाखासर सेड़वा क्षेत्र के लवणीय क्षेत्र में वर्ष 2007 में सर्वे व कंपोजिट नमक उत्पादन योजना 2017 को स्वीकृति के पश्चात् 38 यूनिट स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बाखासर क्षेत्र में नमक उद्योग के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील-सेड़वा, जिला बाड़मेर के ग्राम बाबरवाला, दासौरिया, चांदासनी एवं नवापुरा में कम्पोजिट साल्ट यूनिट्स लगाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न हैं।

(2) तहसील-सेड़वा, जिला बाड़मेर का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निरोगी राजस्थान अभियान हेतु प्रबंधन कोष का गठन

84. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अभियान के तहत क्या-क्या कार्य किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अभियान को गति प्रदान करने के लिये निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त कोष के गठन में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में 18 दिसम्बर, 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) निरोगी राजस्थान के अन्तर्गत जिलेवार प्रदेश में की गई गतिविधियों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 11 में निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन की घोषणा की गयी, जो प्रक्रियाधीन है।

(4) निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

मारवाड़ जंक्शन के चिकित्सा केन्द्रों में खराब उपकरणों को ठीक कराने की योजना

85. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में किस-किस सब सेन्टर, पी.एच.सी., सी.एच.सी में कौन-कौनसे पद कब-कब से रिक्त हैं? केन्द्रवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों में से किन-किन केन्द्रों में कौन-कौनसे जांच उपकरण कब से खराब हैं तथा उन्हें अब कब तक ठीक करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन (खारची) में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के एवं अराजपत्रित संवर्ग के रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-अ एवं ब पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में संचालित चिकित्सालयों के उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सभी जांच उपकरण कार्यशील हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बारां में कोरोना की रोकथाम पर व्यय राशि

86. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां में कोरोना महामारी से प्रभावित मरीजों की मृत्यु हुई है? यदि हां, तो कितनों की? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम व उपचार हेतु सरकार द्वारा राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो कौन-कौनसे मद से कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में कोरोना महामारी से प्रभावित 36 मरीजों की मृत्यु हुई है। मृतकों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां। बारां जिले में कोरोना महामारी की रोकथाम/उपचार हेतु सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2021 तक 457.47 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। मदवार एवं पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच

87. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के दिसम्बर, 2019 से 1 जनवरी, 2021 तक कुल कितने सैंपल लिए गए तथा उक्त सैंपलों में से कितने मिस ब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड, अनसेफ पाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मिस ब्रांडेड, सब स्टैंडर्ड, अनसेफ पाए गए सैंपलों के दोषियों के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला चूरू में 1 दिसम्बर, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक मिलावट के कुल कितने सैंपल लिए गए? उक्त सैंपलों में से कितने सैंपलों की जांच लंबित है तथा उक्त जांच में कितने सैंपल मिस ब्रांड, सब स्टैंडर्ड व अनसेफ पाए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए उक्त जिले में स्वीकृत लैब में अब तक जांच कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए दिसम्बर 2019 से 1 जनवरी, 2021 तक प्रदेश में कुल 8097 सैंपल लिए गए, जिनमें से 603 मिसब्राण्डेड, 1242 सबस्टैण्डर्ड एवं 308 अनसेफ प्रकरण पाये गये हैं। जिलेवार सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। उक्त अवधि में खाद्य पदार्थों में कुल मिलावटी प्रकरण 2153 पाये गये हैं, जिनमें से 784 प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा शेष 1369 प्रकरण अनुसंधानरत हैं।

(3) चूरू जिले में 1 दिसम्बर, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कुल 256 सैम्पल लिए गये हैं। सभी सैम्पल्स की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

जिनमें से 13 मिसब्राण्डेड, 35 सबस्टैण्डर्ड एवं 04 अनसेफ प्रकरण पाये गये हैं तथा शेष 204 सैम्पल मानक पाये गये हैं।

(4) चूरू जिले में स्वीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषक का पदस्थापन कर दिया गया है।

खाद्य विश्लेषक द्वारा कार्य ग्रहण करने के पश्चात् खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य प्रारम्भ किया जाकर लैब का एनएबीएल एक्रेडिटेशन का कार्य करवाया जायेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मावली में ऋण माफी से लाभान्वित किसान

88. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार के जन घोषणा पत्र में 10 दिन में कृषि ऋण माफ करने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो उक्त घोषणा के तहत प्रदेश में कितने किसानों का कितना कर्ज माफ किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली के ऋण माफी से लाभान्वित किसानों की राशिवार व पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार ने आदेश दिनांक 19.12.2018 के जरिये ऋण माफी का निर्णय लिया। राज्य सरकार द्वारा की गयी घोषणा के क्रम में जारी की गयी राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 के अन्तर्गत राज्य की केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिनांक 31.01.2021 तक 20.61 लाख किसानों के रुपये 7792.51 करोड तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के 30,462 किसानों के 317.94 करोड़ रु. के अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन फसली/कृषि ऋण माफ किये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र मावली में केन्द्रीय सहकारी बैंक उदयपुर द्वारा राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, 2019 अन्तर्गत 982 किसानों को तथा प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक उदयपुर के द्वारा 61 किसानों को ऋण माफी से लाभान्वित किया गया है। पंचायतवार विवरण क्रमशः परिशिष्ट-'1' व '2' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अजमेर में संचालित मदरसे

89. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला अजमेर में कुल कितने मदरसे संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मदरसों में कितने-कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत कुल 122 मदरसे संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) उक्त मदरसों में 5681 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

फतेहपुर में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

90. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संचालित योजनाओं के तहत विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में विगत पांच वर्षों में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया? लाभान्वित लोगों की योजनावार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

<u>केन्द्र प्रवर्तित योजना:-</u>

1. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना।
2. छात्रवृत्ति योजना
    1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति।
    2. मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति।
    3. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा)।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

3. अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास की योजना (IDMI)

4. नया सवेरा।

5. नई रोशनी।

6. सीखो और कमाओ योजना।

<u>राज्य प्रवर्तित योजना:-</u>

1. अनुप्रति योजना।

2. नि:शुल्क आवासीय छात्रावास योजना।

3. कौशल विकास प्रशिक्षण योजना।

4. अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता।

5. मदरसा शिक्षा योजना:-

    1. आदर्श मदरसा योजना।
    2. मदरसा आधुनिकीकरण योजना।
    3. मदरसा सुविधा अनुदान।
    4 विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

6. आरएमएफडीसीसी के द्वारा संचालित योजनाएं -

1. <u>ऋण योजना</u>:-

    1. व्यावसायिक ऋण योजना
    2. शिक्षा ऋण योजना
    3. लघु ऋण योजना (स्वयं सहायता समूह ऋण योजना)
    4. विरासत योजना
    5. बैंकों के माध्यम से ऋण की 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना

2. <u>प्रोत्साहन परियोजनाएं:-</u>

    1. कौशल से कुशलता योजना
    2. महिला समृद्धि योजना
    3. बाजार सहायता योजना

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

(2) अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में गत पांच वर्षों में अनुप्रति, व्यावसायिक, शिक्षा ऋण तथा मदरसा शिक्षा योजनान्तर्गत कुल 17202 लोगों को लाभान्वित किया गया है। योजनावार गत 05 वर्षों में लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शेरगढ़ में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

91. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये आंगनबाडी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु सरकार के पास विभागीय प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे? क्या सरकार उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के आंगनबाडी केन्द्र बाल विकास परियोजना अधिकारी तिवरी के अन्तर्गत चले गये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों को पुन: बाल विकास परियोजना अधिकारी बालेसर एवं शेरगढ़ के अन्तर्गत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने हेतु माननीय विधायक महोदया श्रीमती मीना कंवर के माध्यम से 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो निम्नानुसार हैं-

1. भीड़कमल भाटियों की ढाणी, बन्नों का बास।
2. रतना मेघवालों की ढाणियां हरिओम नगर।
3. हरिसिंह की ढाणियां सादुलनगर।

(2) राज्य सरकार के आदेशानुसार वर्ष 2018 में परियोजनाओं के परिसीमन के तहत विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्र बाल विकास परियोजना अधिकारी तिवरी के अन्तर्गत चले गये हैं।

(3) जी नहीं। चूंकि बाल विकास परियोजनाओं का परिसीमन कार्य अभी वर्ष 2018 में ही पूर्ण किया गया है, अत: पुन: नवीन सिरे से परिसीमन सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

92. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किराए के भवनों में संचालित उक्त केन्द्रों को स्वयं का भवन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त के संबंध में सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 61613 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें 10553 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

सूरजगढ़ में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की लाभार्थी

93. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को दूसरी संतान के जन्म पर लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त को क्या-क्या लाभ दिये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी महिलाओं को कितनी-कितनी राशि से लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायत वार लाभान्वित महिलाओं एवं माताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वित्तीय वर्ष 2020-21 में उक्त योजना के अन्तर्गत दूसरी संतान की उत्पत्ति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है? यदि नहीं तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में लाभ दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय मुख्य मंत्री की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा की पालना में राज्य के 4 जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 19.11.2020 को प्रारम्भ की गई।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना अन्तर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थियों को 5 चरणों में 6000 रुपये का नकद लाभ दिया जाएगा। योजना का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राज्य के 4 जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में ही योजना का लाभ देय है।

(3) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम के दौरान कुल 29 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

थानागाजी तहसील में एकलव्य मॉडल विद्यालय का निर्माण

94. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के जनजातीय छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु निर्धारित प्रावधानानुसार बालिका छात्रावासों व एकलव्य मॉडल विद्यालय का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में करवाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील थानागाजी में एकलव्य मॉडल विद्यालय का निर्माण कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा जनजातीय छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु निर्धारित प्रावधानानुसार बालिका छात्रावासों व एकलव्य मॉडल विद्यालय का निर्माण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में करवाया गया है।

एकलव्य मॉडल विद्यालय हेतु जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जनजाति जनसंख्या के आधार पर वरीयता से स्वीकृति जारी की जाती है। अलवर जिले में वर्तमान के

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

2 एकलव्य मॉडल विद्यालय मल्लाणा (राजगढ़) एवं पाटन (रैणी) संचालित है। तहसील थानागाजी में एकलव्य मॉडल विद्यालय निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर बजट की उपलब्धता, कार्य की उपादेयता व क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्राथमिकता का निर्धारण कर उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

बस्सी में आवासीय विद्यालयों में रिक्त पद

95. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने आवासीय विद्यालय संचालित हैं? उक्त आवासीय विद्यालयों में कितने-कितने छात्र व छात्राएं निवास करते हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय विद्यालयों में अधीक्षक, वार्डन तथा अध्यापकों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्र व छात्राओं को देय सुविधाओं पर कितनी राशि व्यय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बिहारीपुरा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 285 छात्र/छात्राएं अध्यनरत/निवास करते हैं।

(2) उक्त आवासीय विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	प्रधानाचार्य	1	0
2	व्याख्याता	9	4
3	वरिष्ठ अध्यापक	7	1
4	शारीरिक शिक्षक	1	0
5	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	0
6	छात्रावास अधीक्षक	2	1

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

क्र. सं.	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**रिक्त पद**
7	कनिष्ठ सहायक	1	1
8	प्रयोगशाला सहायक	2	2
9	लैब बॉय	2	2
	योग	**26**	**11**

रिक्त पदों पर शीघ्र ही पदस्थापन करवाकर पदों को भर दिया जायेगा।

(3) उक्त आवासीय विद्यालयों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को देय सुविधाएं क्रमशः भोजन, अल्पाहार, फल एवं अन्य आवश्यक सामग्री यथा गणवेश, जूते, मौजे, स्वेटर, बैग इत्यादि पर 2500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 10 माह हेतु प्रतिवर्ष 25000 रुपये प्रति विद्यार्थी राशि व्यय की जाती है।

जयपुर में शुभ शक्ति योजना के लाभार्थी

96. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जयपुर में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2020 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए? पंचायत समितिवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुईं व कितनी बालिकाओं को आवेदन फार्म जमा करवाने के उपरान्त भी अब तक लाभान्वित नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बालिकाओं को अब कब तक उक्त योजना से लाभान्वित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में शुभ शक्ति योजनान्तर्गत जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2020 तक कुल 29556 आवेदन प्राप्त हुए। पंचायत समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) मण्डल द्वारा संचालित शुभ शक्ति योजनान्तर्गत 4248 हिताधिकारियों की पुत्रियों को लाभान्वित किया गया है तथा कुल 19106

(राज्य मंत्री, श्रम)

आवेदन विभागीय स्तर पर, 3190 हिताधिकारी के स्तर पर लंबित हैं। (परिशिष्ट-2)

शुभ शक्ति योजना के आवेदनों को अभी तक लाभान्वित निम्न कारणों से नहीं किया जा सका है:-

भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई गाइडलाइन्स के अनुसार योजनाओं का निस्तारण प्राथमिकता से करने के निर्देश दिये गये हैं।

योजना के लाभ हेतु अपात्र श्रमिकों के अनियमित रूप से अपना पंजीयन कराने एवं आवेदन करने की स्थिति सामने आई है।

कोरोनाकाल के कारण उपकर राशि के रूप में प्राप्त मण्डल कोष फिलहाल पर्याप्त नहीं है।

(3) वर्तमान में कोरोनाकाल के कारण मण्डल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए मानवीय संवेदना की दृष्टि से सर्वप्रथम सिलिकोसिस मृत्यु सहायता, प्रसूति, छात्रवृत्ति योजनाओं का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। शुभ शक्ति योजना के 2016-17 में प्राप्त आवेदनों का भौतिक सत्यापन के उपरान्त पात्र श्रमिकों को हितलाभ देने का निर्णय लिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गोगुन्दा में श्रम कल्याण की संचालित योजनाओं के लाभार्थी

97. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विगत एक वर्ष में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं प्राप्त आवेदनों में से कितनों को लाभान्वित किया गया तथा कितने शेष रहे? लाभान्वितों की योजनावार, ग्राम पंचायतवार व राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विगत एक वर्ष में मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में कुल 1307 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 229 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया तथा 473 आवेदन हिताधिकारियों के स्तर पर व 535 आवेदन विभागीय स्तर पर लंबित हैं। विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है। लाभान्वितों की योजनावार, ग्राम पंचायत वार राशि से परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में नवीन संस्कृत विद्यालय की स्थापना

98. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में कितने संस्कृत विद्यालय संचालित हैं तथा उनमें कितना स्टाफ कार्यरत है व कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षो में विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नवीन संस्कृत विद्यालय नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग अन्तर्गत 192 वरिष्ठ उपाध्याय, 190 प्रवेशिका, 965 उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं 424 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं।

उक्त विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ व अध्ययनरत बच्चों की संख्या परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग अन्तर्गत पिछले 05 वर्षों में ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में नवीन राजकीय विद्यालय नहीं खोला गया।

(3) वर्तमान में बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर जनप्रतिनिधियों की मांग, भूमि-भवन की उपलब्धता एवं निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में नये संस्कृत विद्यालय खोलने का निर्णय लिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचना

संविदाकर्मी व आशा सहयोगिनियों का नियमितीकरण

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत प्रदेश में पोषाहार बनाने वाले कर्मचारियों, आशा सहयोगिनियों और ठेका श्रमिकों की समस्या का समाधान करने के संबंध में।

राजस्थान विधान सभा के नियम तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में ठेका कर्मी के रूप में और संविदा पर हज़ारों कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की ड्यूटी का समय वही है जो सरकारी कर्मचारी का है, लेकिन इन कर्मचारियों को न तो उचित वेतन मिल रहा है, न ही कोई सुविधा, ठेकेदार और अधिकारी जिनके अधीन ये कर्मचारी काम में लगे हुए हैं, वे भी इन कर्मचारियों का जमकर शोषण कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में पोषाहार बनाने वाले कर्मचारियों को प्रति माह एक हजार तीन सौ बीस रुपये का भुगतान किया जा रहा है। नरेगा में काम करने वाले मज़दूरों को भी इससे अधिक वेतन मिलता है। महंगाई के हिसाब से सरकार कर्मचारियों का वेतन मान बढ़ाती है तो इन कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरे गृह ज़िले बारां की आशा सहयोगिनियां विगत एक माह से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। आशा सहयोगिनियों को सरकार द्वारा केवल 2700 रुपये का वेतनमान दिया जा रहा है।

ये कर्मचारी राज्य सरकार की सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। न तो इनका बीपीएल कार्ड बन रहा है, न ही सरकार की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। ये कर्मचारी आज तंगहाली में गुजारा कर रहे हैं। यह एक ज्वलन्त समस्या है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि आशा सहयोगिनियों को भी नियमित किया जाए और उनके मानदेय में वृद्धि की जाए। ठेकाकर्मियों को एक बेहतर जीवन जीने के लिए उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाए तथा इनके नियमितीकरण की कार्यवाही की जाए।

पानाचन्द मेघवाल

(बारां-अटरू)